रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102024-257730
CG-DL-E-07102024-257730

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 765] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 30, 2024/आश्विन 8, 1946
No. 765] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 2024/ASVINA 8, 1946

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितंबर, 2024

फा. सं. बीयूएसएस/सिद्ध पीजी रेगु./2023.—भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 14), की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकोत्तर सिद्ध शिक्षा) विनियम, 2016, 'नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना, अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठयक्रम या प्रशिक्षण प्रारम्भ करना तथा चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियम, 2019' और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (सिद्ध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम) विनियम, 2015 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए या किए जाने वाले छोड़े गए कार्यों को छोड़कर, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन विनियमों को **भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकोत्तर संस्थानों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग और स्नातकोत्तर सिद्ध शिक्षा के न्यूनतम आवश्यक मानक) विनियम, 2024** कहा जा सकता है;

(2) "अन्यथा प्रदान न किए गए मामलों में, ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

अध्याय-I

प्रारंभिक

2. परिभाषाएँ- (1) इस विनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(ए). ”अधिनियम” का अर्थ है भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 14)

(बी). "अनुलग्नक " का अर्थ इन विनियमों से संलग्न एक अनुलग्नक है;

(सी) ”परिशिष्ट” का अर्थ इन विनियमों से संलग्न एक परिशिष्ट है;

(डी) "आवेदक" का अर्थ है एक व्यक्ति अर्थात् एक सोसाइटी, ट्रस्ट, विश्वविद्यालय, या कोई कानूनी व्यक्ति लेकिन इसमें केंद्र सरकार शामिल नहीं है, जो एक नया चिकित्सा संस्थान स्थापित करने या कोई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने या सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड को आवेदन करता है;

(ई) किसी संस्थान के "मूल्यांकन" का अर्थ है हर साल भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा किसी संस्थान और उससे जुड़े शिक्षण अस्पताल के बुनियादी ढांचे, मानव संसाधनों और कार्यक्षमता के संदर्भ में इन विनियमों में निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों की उपलब्धता की पुष्टि करना;

(एफ) "संबद्ध शिक्षण अस्पताल" का अर्थ एक सिद्ध अस्पताल है जो चिकित्सा की सिद्ध पद्धति के छात्रों को शिक्षण और प्रशिक्षण के उद्देश्य से एक सिद्ध चिकित्सा संस्थान से जुड़ा हुआ हो और मानक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता हो;

(जी) "डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी" का अर्थ है संबंधित विषय में या इंटर-डिसिप्लिनरी, इंट्रा-डिसिप्लिनरी, या ट्रांस-डिसिप्लिनरी अनुसंधान क्षेत्रों में स्नातकोत्तर के बाद, कम से कम तीन साल तक किए गए शोध कार्य के लिए दी गई या अवार्ड की गई डॉक्टरेट की डिग्री;

(एच)"विस्तारित अनुमति" का अर्थ है भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा इन नियमों में निर्धारित “विस्तारित अनुमति स्थिति” के मानदंडों को पूरा करने वाले पूरी तरह से स्थापित सिद्ध चिकित्सा संस्थानों को छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति, और ऐसे संस्थान हर साल प्रवेश के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड से अनुमति की प्रतीक्षा किए बिना छात्रों को प्रवेश देने की परामर्श प्रक्रिया में भाग ले सके। जब तक कि भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा अन्यथा अनुमति न दी जाए या निर्दिष्ट न किया जाए;

(आई) पूर्ण रूप से स्थापित संस्थान' का अर्थ है वह संस्थान जिसे भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा दूसरी बार अनुमति नवीकरण के बाद के वर्ष से विस्तारित अनुमति या वार्षिक अनुमति प्राप्त हो।"

(जे)"एनसीआईएसएम - यूजी एमईएस विनियम, 2024" का अर्थ है एनसीआईएसएम - यूजी एमईएस विनियम, 2024

(के) "आशय पत्र" का अर्थ है एक नया सिद्ध चिकित्सा संस्थान स्थापित करने, या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी नया स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू करने या मौजूदा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में छात्र प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए इन विनियमों में उल्लिखित प्रक्रिया के माध्यम से आवेदक को भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा जारी शर्तों और समयसीमा के साथ प्रारंभिक अनुमोदन;

(एल) "अनुमति पत्र" का अर्थ सिद्ध चिकित्सा संस्थान स्थापित करने या कोई नया स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू करने के लिए या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त या मौजूदा कार्यक्रमों में छात्र प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए और भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट स्वीकृत प्रवेश क्षमता के

अनुसार छात्रों को प्रवेश देने के लिए इन विनियमों में उल्लिखित प्रक्रिया के माध्यम से भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा आवेदक को दिया गया अनुमोदन या अनुमति है;

(एम) "एमएआरबीआईएसएम" का अर्थ है भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड;

(एन) "न्यूनतम आवश्यक मानक" का अर्थ बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और कार्यक्षमता के साथ-साथ गुणवत्ता या मानकों के स्तर के संदर्भ में अनिवार्य न्यूनतम आवश्यकताएं हैं जिन्हें न्यूनतम के रूप में स्वीकार्य माना जाता है और जो न्यूनतम के नीचे, अस्वीकार्य है;

(ओ) "स्नातकोत्तर शिक्षा" का अर्थ जिनमें स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम डॉक्टर ऑफ मेडिसिन-एमडी और मास्टर ऑफ सर्जरी-एमएस, डॉक्टरेट डिग्री प्रोग्राम (डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी-पीएचडी), और सुपर-स्पेशियलिटी डिग्री प्रोग्राम (डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन-डीएम); शामिल हैं;

(पी) "स्नातकोत्तर डिग्री" का अर्थ है सिद्ध में स्नातक कार्यक्रम के बाद प्रदान की गई या अवार्ड की गई तीन साल की अवधि की "सिद्ध मरूथुवा पेरारिगनर (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन-एमडी) और (मास्टर ऑफ सर्जरी-एमएस)" डिग्री;

(क्यू) "प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस" का अर्थ का अर्थ है सिद्ध कॉलेजों में पढ़ाने के अलावा अन्य क्षेत्र में कम से कम दस साल का अनुभव रखने वाला व्यक्ति, जैसे कि एक उद्योग या अनुसंधान संस्थान का व्यक्ति, एक तकनीकी सलाहकार, एक प्रसिद्ध व्यवसायी या एक वैज्ञानिक और इसी तरह;

(आर) "पीएसईआर, 2016" का अर्थ है भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकोत्तर सिद्ध शिक्षा) विनियम, 2016;

(एस) स्नातकोत्तर विभाग की "रेटिंग' का अर्थ है का अभिप्राय उस स्कोर या माप से है कि कोई संस्थान कितना अच्छा है। यह भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या किसी नामित रेटिंग एजेंसी द्वारा यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों और मापदंडों के आधार पर एक पूरी तरह से स्थापित स्नातकोत्तर विभाग की रेटिंग है, और रेटिंग इन विनियमों में निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों के अलावा बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और कार्यक्षमता के आधार पर होगी;

(टी) "अनुमति का नवीनीकरण" का अर्थ है भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा, अधिनियम की धारा 29 के तहत स्थापना के दौर से गुजर रहे एक नए स्नातकोत्तर संस्थान या विभाग या स्पेशियलिटी के लिए दी गई या जारी की गई अनुमति नवीनीकरण (यानी, पहला और दूसरा नवीनीकरण), यह अनुमति भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अनुसार छात्रों को प्रवेश देने के लिए अनुमति पत्र जारी होने के बाद आने वाले शैक्षणिक वर्षों के दौरान इन विनियमों में उल्लिखित प्रक्रिया के माध्यम से दी जाएगी, और अनुमति का ऐसा नवीकरण तब तक अनिवार्य होगा जब तक कि यह अधिनियम की धारा 28 के तहत पूरी तरह से स्थापित संस्थान या विभाग या विशेषता का दर्जा प्राप्त नहीं कर लेता;

(यू) "स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थान" "का अर्थ है केवल स्नातकोत्तर कार्यक्रम (ओं) के संचालन के लिए समर्पित एक संलग्न शिक्षण अस्पताल के साथ एक शिक्षण संस्थान;

(वी)स्वीकृत प्रवेश क्षमता का मतलब है एमएआरबीआईएसएम द्वारा किसी पोस्टग्रेजुएट कार्यक्रम के लिए छात्रों के प्रवेश हेतु स्वीकृत सीटों की संख्या, जो संस्थान या विभाग और शिक्षण अस्पताल की अवसंरचना, मानव संसाधन और कार्यक्षमता के आधार पर निर्धारित की जाती है।

(डब्ल्यू) "वार्षिक अनुमति" का अर्थ है पूरी तरह से स्थापित स्टैंडअलोन स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान या स्नातकोत्तर विभाग जो इन विनियमों में निर्धारित "विस्तारित अनुमति" स्थिति के मानदंडों को पूरा नहीं कर रहे हैं, और ऐसे

संस्थान प्रत्येक वर्ष भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही स्वीकृत छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश देने के लिए परामर्श प्रक्रिया में भाग लेंगे;

(2) ऐसे शब्द अथवा अभिव्यक्तियां जिनका यहां उपयोग किया गया है और परिभाषित नहीं किया गया है परंतु जिन्हें अधिनियम, उसके तहत बनाए गए नियम या विनियम में परिभाषित किया गया है, उनका अभिप्राय वही होगा जो अधिनियम, नियम या विनियम में क्रमशः दिया गया है।

अध्याय-II

सामान्य

3. सामान्य विचार- (1) सिद्ध में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा गहन ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, मूल्य और नैतिकता के साथ संबंधित विशिष्टताओं में सक्षम विशेषज्ञों को तैयार करना होगा;

(2) प्रत्येक संस्थान को इन विनियमों में यथा विनिदष्ट न्यूनतम आवश्यक अवसंरचनात्मक मानकों, योग्य और कुशल मानव संसाधन तथा कार्यात्मक शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखना होगा।

4. शैक्षणिक पदानुक्रम (1) स्नातकोत्तर कार्यक्रमों का शैक्षणिक पदानुक्रम सुपर स्पेशलिटी डिग्री (डीएम) से डॉक्टरेट डिग्री (पीएचडी) से स्नातकोत्तर डिग्री (एमडी या एमएस) से स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजी डिप्लोमा) तक घटते क्रम में होगा।

(2) (ए) सिद्ध स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान इन विनियमों में सातवीं अनुसूची में यथा उल्लिखित अर्हता के साथ संबंधित विषय में अंशकालिक आधार पर प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की नियुक्ति करेगा। ऐसे प्रोफेसरों को भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा अद्वितीय शिक्षक कोड प्रदान नहीं किया जाएगा;

(बी) उसके पास सिद्ध कालेजों में पढ़ाने के अलावा अन्य क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जैसे किसी उद्योग या अनुसंधान संस्थान का व्यक्ति, एक तकनीकी परामर्शदाता, एक प्रसिद्ध चिकित्सक, या वैज्ञानिक के रूप में उपस्थिति दर्ज करने वाला कोई व्यक्ति।

(3) (ए) इन विनियमों के प्रकाशन की तारीख से स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम समाप्त कर दिया जाएगा और किसी सिद्ध मेडिकल कॉलेज या संस्था द्वारा कोई स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम या कार्यक्रम संचालित नहीं किया जाएगा और स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में पहले से ही दाखिल छात्र, इन विनियमों के प्रारंभ होने से पहले, यदि कोई हो, "भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (सिद्ध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम) विनियम, 2015" के प्रावधानों के अनुसार पाठ्यक्रम को जारी रखेंगे और पूरा करेंगे।

(बी) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (सिद्ध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम) विनियम, 2015 में मान्यता प्राप्त भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा अनुमत मौजूदा स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रमों में सीटों को 2:1 के अनुपात में मूल विभाग के स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम सीटों में परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात, प्रत्येक दो स्नातकोत्तर डिप्लोमा सीटों को छात्र-स्नातकोत्तर गाइड अनुपात की उपलब्धता के अधीन एक स्नातकोत्तर डिग्री सीटों में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसा कि विनियम 20 में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों के लिए निर्दिष्ट है।

(4) (ए) प्रत्येक संस्थान सभी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म या सिस्टम स्थापित करेगा जैसे कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, अस्पताल सूचना और प्रबंधन पद्धति (आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते, स्वास्थ्य पेशेवर रजिस्ट्री, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री और विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान संख्या के साथ संगत), अटेंडेंस सिस्टम (आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली या आईरिस डिटेक्शन या फेस रिकग्निशन अटेंडेंस सिस्टम, आयोग द्वारा निर्देशित), क्लोज-सर्किट टेलीविज़न सिस्टम, और भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट कोई अन्य पद्धति और आयोग या आयोग द्वारा नामित केंद्रीय सर्वर के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म या सिस्टम को प्रासंगिक डेटा और इंटरफ़ेस प्रदान करेगी और

आयोग और उसके स्वायत्त बोर्डों को आवश्यकतानुसार वास्तविक समय डेटा या प्रासंगिक डेटा प्रदान करेगा;जैसा कि समय-समय पर भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा;

(बी) बायोमीट्रिक उपस्थिति आंकड़े आयोग द्वारा यथा नामित या समनुदेशित किसी एजेंसी के माध्यम से वर्ष भर वास्तविक समय आधार पर संबंधित विनियामक निकाय या आयोग के स्वायत्त बोर्डों को उपलब्ध कराए जाएंगे;

(सी) सभी सिद्ध चिकित्सा संस्थाएं शिक्षण कर्मचारियों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, अस्पताल स्टाफ और स्नातकोत्तर छात्रों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए केन्द्रीकृत आधार समथत बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली से जुड़ेंगी और आयोग अथवा आयोग के स्वायत्त बोर्डों को केन्द्रीकृत आधार समथत बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली से उपस्थिति संबंधी आंकड़े ऑनलाइन प्राप्त करने और उसका विश्लेषण करने का प्राधिकार होगा।

(डी) मरीजों का प्रमाणीकरण आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (एबीएचए) संख्या के माध्यम से किया जाएगा।

(5) (ए) शिक्षकों को संबंधित विभागों में प्रत्येक शिक्षक के लिए एक अलग कमरे या कक्ष में पर्याप्त स्थान और निजता को बनाए रखने की सुविधा प्रदान की जाएगी;

(बी) प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के लिए कमरे या कक्ष का न्यूनतम क्षेत्रफल क्रमशः पंद्रह, तेरह और दस वर्ग मीटर होगा;

(सी) एक कॉमन रूम, हॉल या विभाग में कई शिक्षकों के लिए बैठने की खुली व्यवस्था की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(डी) प्रत्येक शिक्षक को एक कंप्यूटर, प्रिंटर और इंटरनेट सुविधा प्रदान की जाएगी;

(ई) विभागों और संबंधित अनुभागों या इकाइयों में उचित वेंटिलेशन और प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए;

(एफ) प्रत्येक स्नातकोत्तर विभाग में शिक्षण कर्मचारी, गैर-शिक्षण कर्मचारी, एक विभागीय पुस्तकालय, एक विभागीय कंप्यूटर, एक प्रिंटर, इंटरनेट एक्सेस और वीडियो, चित्र, चार्ट, सूचना आदि प्रदर्शित करने के लिए एक ई-सुविधा होगी।

(6) परिसर के भीतर लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग छात्रावास (अधिमानतः एकल आवास) के साथ-साथ पर्याप्त फर्नीचर, एक वाचनालय, एक मनोरंजन सुविधा और सुरक्षा सेवाओं के साथ एक मेस सुविधा भी होगी।

(7) प्रत्येक संस्थान आयोग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम के अनुसार स्नातकोत्तर छात्रों को शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि संस्थान के सभी हितधारक, संस्थान के सभी विभाग, अनुभाग और इकाइयां स्नातकोत्तर छात्रों को उनके अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यापक या समावेशी शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए एक दूसरे के साथ समन्वय और सहयोग में कार्य करें। एक उपयुक्त शैक्षणिक वातावरण में प्रशिक्षण, और अनुसंधान कार्य और संस्थान इन विनियमों में आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यक मानकों से अधिक शिक्षा प्रदान करने के लिए तैयार होगा।

(8) संस्थान से संबद्ध अस्पताल पूरी तरह कार्यात्मक अस्पताल होगा जो हर सप्ताह चौबीस घंटे खुला रहेगा और अपनी जनशक्ति और बुनियादी ढांचे के साथ किसी भी समय किसी भी प्रकार के रो गी का इलाज करने या उसकी देखभाल करने में सक्षम होगा।

(9) अस्पताल मेडिकल छात्रों को नैदानिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा और परामर्श, निदान (नैदानिक और जांच), उपचार (चिकित्सा, प्रक्रियात्मक और सर्जिकल) निवारक, प्रचारात्मक और पुनर्वास स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सा सलाह, चिकित्सा परामर्श, नर्सिंग देखभाल, आपातकालीन देखभाल, दवा वितरण, उचित दस्तावेज के साथ सार्वजनिक आउटरीच गतिविधियाँ, सहित बाह्य रोगी विभागों, अंतः रोगी विभागों में जनता को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेगा

और अस्पताल प्रबंधन पद्धति को बनाए रखेगा और संबंधित खर्च अस्पताल के आधिकारिक बैंक खाते में परिलक्षित होते हैं।

(10) गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन वाले उपकरण, उपस्कर, रसायन, अभिकर्मक, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि का उपयोग किया जा सकता है।

(11) प्रत्येक स्नातकोत्तर संस्थान, भले ही कोई भी स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालित कर रहा हो, इन्टीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग की स्थापना करेगा। केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला, पशु गृह और पशु प्रयोग प्रयोगशाला, और संस्थागत अनुसंधान समिति, मानव विषयों के लिए संस्थागत आचार समिति, संस्थागत पशु आचार समिति, नैदानिक अनुसंधान सेल और साहित्यिक चोरी जांच प्रकोष्ठ जैसी अनुसंधान समितियां इस विभाग के तहत कार्य करेंगी।

(12) एक ही विभाग के तहत कई स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों के मामले में (अर्थात, इन विनियमों में उल्लिखित वर्मम, पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम् विभाग के तहत वर्मा मरूतुवम्, पुरा मरूतुवम् और सिद्धर योग मरूतुवम् के स्नातकोत्तर कार्यक्रम), स्नातकोत्तर संस्था या विभाग के लिए यह अनिवार्य नहीं होगा कि वह संस्था सभी तीन कार्यक्रमों का संचालन करे, वह संस्था आवश्यकताओं के अनुसार एक या दो या सभी तीन स्नातकोत्तर कार्यक्रमों को संचालित कर सकती है।

अध्याय-III

स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम

5. (1) इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से सिद्ध में सोलह स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम होंगे और स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों या विशिष्टताओं की सूची, स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों का नाम, समकक्ष आधुनिक शब्दावली के साथ स्नातकोत्तर विशेषज्ञों का नाम और संबंधित विभाग जिसमें स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं वह उप-विनियम (9) के तहत नीचे दी गई **तालिका** के अनुसार होंगे।

(2) डिग्री प्रमाण पत्र में स्नातकोत्तर डिग्री का नामकरण निम्नलिखित पैटर्न में उक्त तालिका के तीसरे कॉलम के अनुसार होगा, अर्थात्, -

(ए) सिद्ध मरुथुवा पेरारिगनर (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन) एमडी (पोथु मरूतुवम्)

(बी) सिद्ध मरुथुवा पेरारिगनर (मास्टर ऑफ सर्जरी) एमएस (सिद्धर अरुवई मरूतुवम्)

(3) इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से, पीएसईआर, 2016 के अनुसार गुणपाडम (फार्माकोग्नॉसी, फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स) के नाम पर कोई स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम नहीं होगा, और, गुणपाडम (फार्माकोग्नॉसी, फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स) में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम दो अलग-अलग व्यक्तिगत स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों के रूप में आयोजित किया जाएगा,

(ए) गुणपाडम - मरूंदियल (मटेरिया मेडिका, फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्नॉसी) गुणपाडम - मरूंदियल (मटेरिया मेडिका और फार्माकोलॉजी), विभाग के तहत, और;

(बी) गुणपाडम - मरूनदगवियल (मटेरिया मेडिका, फार्मास्यूटिक्स और क्लिनिकल फार्मेसी) क्रमशः गुणपाडम - मरूनदगवियल (मटेरिया मेडिका और फार्मास्यूटिक्स) विभाग के तहत; और (ए) और (बी) केवल शैक्षणिक सत्र 2025-2026 से लागू होंगे।

(4) पहले से ही गुणपाडम (फार्माकोग्नॉसी, फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स) का संचालन करने वाले स्नातकोत्तर संस्थान धारा 28 के तहत एमएआरबीआईएसएम पर आवेदन करेंगे ताकि या तो गुणपाडम - मरूंदियल (मटेरिया मेडिका, फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्नॉसी) या गुणपाडम - मरूनदगवियल (मटेरिया मेडिका और फार्मास्यूटिक्स) के साथ जारी रखा जा सके या 2025-2026 से निर्दिष्ट विभाग के तहत दोनों कार्यक्रमों को जारी रखा जा सके, जो संबंधित कार्यक्रम के लिए विशिष्ट सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा करते हैं, बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और कार्यक्षमता जैसा कि इन नियमों में निर्दिष्ट है। जो संस्थान पहली बार ऐसे कार्यक्रम शुरू करना चाहते हैं, ऐसे संस्थान धारा 29 के तहत एमएआरबीआईएसएम पर लागू होंगे।

(5) गुणपाडम (फार्माकोग्नॉसी, फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स) [एमडी (सिद्ध) मटेरिया मेडिका और फार्माकोलॉजी] स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम में पहले से ही प्रवेश पाने वाले छात्र, पिछले विनियमों पीएसईआर, 2016 और संबंधित पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम के तहत प्रावधानों के अनुसार पाठ्यक्रम या कार्यक्रम जारी रखेंगे और पूरा करेंगे।

(6) पुराने नाम गुणपाडम के साथ स्नातकोत्तर डिग्री धारक उप-विनियमन (3) में यथा निर्दिष्ट दो नए स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए पात्र शिक्षक होंगे, अर्थात गुणपाडम - मरूंदियल (मटेरिया मेडिका, फार्माकोग्नॉसी और फार्माकोलॉजी) और गुणपाडम - मरूनदगवियल (मटेरिया मेडिका), फार्मास्यूटिक्स और क्लिनिकल फार्मेसी) और यह स्थिति तब तक जारी रहेगी जब तक हमें शिक्षण उद्देश्यों के लिए उपरोक्त दो नई विशिष्टताओं से पर्याप्त स्नातकोत्तर डिग्री धारक नहीं मिल जाते।

(7) "भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकोत्तर सिद्ध शिक्षा) विनियम 2016" के तहत पुरा मरूतुवम् (बाह्य चिकित्सा), नंजू मरुथुवम (विष विज्ञान), सिद्धर योग मरूतुवम् (सिद्धर का योग विज्ञान), अरुवई मरुथुवम (सर्जरी), सिद्ध मारुतव आदिपद्दई (सिद्ध चिकित्सा के मौलिक सिद्धांत) और नोई नाडल (पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक विधियां) में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम का नाम बदलकर इन विनियमों में क्रमशः पुरेमरूतुवम् (एक्सर्टनल मेडिसिन), नंजु मरूतुवम् (क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी), सिद्ध योग मरूतुवम् (सिद्धर यौगिक साइंस) सिद्ध अरुवई मरूतुवम् (सिद्ध सर्जरी), सिद्ध मारुतव आदिपद्दई अरिवियल (सिद्ध चिकित्सा के मूल सिद्धांत), और नोइ नाडल (पैथोलॉजी और लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक्स) कर दिया गया है।

(8) उप-विनियमन (7) में उल्लिखित स्नातकोत्तर स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों और नए शुरू किए गए स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों उडल कूरुगल (मानव शरीर रचना विज्ञान), उडल तत्वम (मानव शरीर रचना विज्ञान) और नोइ अनुगाविधी मरूतुवम् (जीवनशैली प्रबंधन, निवारक चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य)] और तोल मरूतुवम् (डर्माटोलॉजी) के नाम उप-विनियमन (9) के लिए नीचे दी गई तालिका के अनुसार केवल इन विनियमों के प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

(9) " पीएसईआर, 2016 के तहत स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों की नामकरण और समकक्ष आधुनिक शब्दावली को उक्त विनियमों के तहत प्रवेश पाने वाले बैचों के लिए जारी रखा जाएगा।

(10) मरूतुवम् विभाग के तहत तोल मरूतुवम् (डर्माटोलॉजी) में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम एक स्वतंत्र विभाग, अर्थात् तोल मरूतुवम् (डर्माटोलॉजी) विभाग द्वारा इन विनियमों में उल्लिखित विनियम 32 के अनुसार योग्य शिक्षकों के साथ इन विनियमों के प्रचार की तारीख से प्रभावी होगा।

तालिका

स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम या विशिष्टता, स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम का नामकरण, विशेषज्ञों और संबंधित विभागों का नामकरण

क्र. सं.	स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम या विशिष्टता	स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम का नामकरण	समतुल्य आधुनिक शब्दावली के साथ	वह विभाग जिसमें स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम

	और समकक्ष शब्द	[उप-विनियमन (2) देखें विनियमन 5]	विशेषज्ञों का नाम	संचालित किया जाएगा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		सिद्ध मरुथुवा पेरारिगनर (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन)		
1	पोथु मरूतुवम् (जनरल मेडिसिन)	एमडी (पोथु मरूतुवम्)	पोथु मरुथुवा पेरारिगनर (सिद्धा जनरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट)	मरूतुवम् (मेडिसिन)
2	वर्मा मरूतुवम् (वर्मा मेडिसिन)	एमडी (वर्मा मरूतुवम्)	वर्मा मरुथुवा पेरारिगनर (सिद्धा वर्मम स्पेशलिस्ट)	वर्मम पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम (वर्मम, एक्सर्टनल थेरेपी एडं स्पेशल मेडिसिन)
3	पुरा मरूतुवम् (एक्सर्टनल मेडिसिन)	एमडी (पुरा मरूतुवम्)	पुरा मरुथुवा पेरारिगनर (सिद्धा एक्सर्टनल मेडिसिन और एक्सर्टनल थेरेपी स्पेशलिस्ट)	
4	सिद्धर योग मरूतुवम् (सिद्धर यौगिक साइंस)	एमडी (सिद्धर योग मरूतुवम्)	सिद्धर योग मरुथुवा पेरारिगनर (सिद्धर योगम् स्पेशलिस्ट)	
5	कुजंतइ मरूतुवम् (पिडियाट्रिक्स)	एमडी (कुजंतइ मरूतुवम्)	कुजंतइ मरुथुवा पेरारिगनर (सिद्धा पिडियाट्रिशियन)	कुजंतइ मरूतुवम् (पिडियाट्रिक्स)
6	नंजु मरूतुवम् (क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी)	एमडी (नंजु मरूतुवम्)	नंजु मरुथुवा पेरारिगनर (सिद्धा क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजिस्ट)	सट्टम सारंध मरूतुवमुम नंजु मरूतुवमुम (फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी)
7	नोइ अनुगाविधी मरूतुवम् (सिद्धा डायट्रिक्स, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, प्रिवेंटिव मेडिसिन एडं पब्लिक हेल्थ)	एमडी (नोइ अनुगाविधी मरूतुवम्)	नोई अनुगविधि मरुथुवा पेरारिगनर (सिद्धा डायट्रिक्स, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, प्रिवेंटिव मेडिसिन एडं पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट)	नोइ अनुगाविधी सहित रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टेटिस्टिकस (प्रिंसिपल्स एडं डिसिपिलिन्स ऑफ डिसिज़ प्रिवेंशन एडं पब्लिक हेल्थ)
8	तोल मरूतुवम् (डर्माटोलॉजी)	एमडी (तोल मरूतुवम्)	तोल मरूतुवम् पेरारिगनर (सिद्धा डर्माटोलॉजिस्ट)	तोल मरूतुवम् (डर्माटोलॉजी)
9	गुणपाडम - मरूंदियल (मटेरिया मेडिका, फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्नॉसी)	एमडी (गुणपाडम - मरूंदियल)	गुणपाडम - मरूंदियल पेरारिगनर (सिद्धा फार्माकोलॉजिस्ट)	गुणपाडम - मरूंदियल (मटेरिया मेडिका और फार्माकोलॉजी)

10	गुणपाडम - मरूनदगवियल (मटेरिया मेडिका, फार्मास्यूटिक्स और क्लिनिकल फार्मेसी)	एमडी (गुणपाडम - मरूनदगवियल)	गुणपाडम - मरूनदगवियल पेरारिगनर (सिद्धा फार्मास्युटिकल स्पेशलिस्ट)	गुणपाडम - मरूनदगवियल (मटेरिया मेडिका और फार्मास्यूटिक्स)
11	नोइ नाडल (पैथोलॉजी और लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक्स)	एमडी (नोइ नाडल)	नोइ नाडल पेरारिगनर (सिद्ध पैथोलॉजिस्ट)	नोइ नाडल और नोइ मुदल नाडल (पैथालॉजी)
12	सिद्ध मारुतव आदिपद्दई अरिवियल (बेसिक प्रिंसीपल्स आफ सिद्धा मेडिसिन)	एमडी (सिद्ध मारुतव आदिपद्दई अरिवियल)	सिद्ध मारुतव आदिपद्दई अरिवियल पेरारिगनर (सिद्धा बेसिक प्रिंसिपल स्पेशलिस्ट)	सिद्ध मरूतुवम् मूलतत्तुवम (बेसिक प्रिंसीपल्स आफ सिद्धा मेडिसिन)
13	उडल कूरुगल (ह्यूमन एनाटॉमी)	एमडी (उडल कूरुगल)	उडल कूरुगल पेरारिगनर (सिद्धा एनाटॉमिस्ट)	उडल कूरुगल (एनाटॉमी)
14	उडल तत्वम (ह्यूमन फिजियोलॉजी)	एमडी (उडल तत्वम)	उडल तत्वम पेरारिगनर (सिद्धा फिजियोलॉजिस्ट)	उडल तत्वम (फिजियोलॉजी)
		सिद्ध मरुथुवा पेरारिगनर (मास्टर ऑफ सर्जरी)		
15	सिद्धर अरुवई मरूतुवम् (सिद्धा सर्जरी)	एमएस (सिद्धर अरुवई मरूतुवम्)	सिद्धर अरुवई मरूतुवम् पेरारिगनर (सिद्धा सर्जन)	कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरूतुवम् सहित अरूवइ (सर्जरी इंक्लुडिंग आप्थॉमोलॉजी, ईएनटी, डेन्टिस्ट्री एंड डर्माटोलॉजी)
16	मगलिर और सूल मरूतुवम् (सिद्धा गाईनेकॉलोजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स)	एमएस (मगलिर और सूल मरूतुवम्)	मगलिर और सूल मरूतुवम् पेरारिगनर (सिद्धा गाईनेकॉलोजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन)	सूल और मगलिर मरूतुवम् (ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गाईनेकॉलोजी)

अध्याय- IV

स्नातकोत्तर संस्थान के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक जहां स्नातक पाठ्यक्रम या कार्यक्रम अस्तित्व में है

6. सामान्य- (1) स्नातक कार्यक्रम के साथ स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम चलाने के लिए, संबंधित विषय में एक स्वतंत्र स्नातकोत्तर विभाग होगा

(2) स्नातक कार्यक्रम और स्नातकोत्तर कार्यक्रम दोनों का संचालन करने वाला कॉलेज या संस्थान एनसीआईएसएम - यूजी एमईएस विनियम, 2024 में यथा निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और कार्यक्षमता, उपस्कर और उपकरणों के संदर्भ में स्नातक शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए छात्र प्रवेश क्षमता और इन विनियमों में उल्लिखित न्यूनतम

आवश्यक मानकों के अनुसार, जिसमें संबंधित स्नातकोत्तर विभाग जिसमें स्नातकोत्तर कार्यक्रम (ओं) का संचालन किया जाता है, के लिए निर्दिष्ट अतिरिक्त आवश्यकताएं शामिल हैं, सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा करेगा।

(3) यदि भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा अधिनियम के धारा 28 के उपधारा (1) के खंड (एफ) के तहत किसी स्नातक संस्था के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है, तो समान कार्रवाई संबंधित स्नातकोत्तर विभाग या कार्यक्रम पर भी लागू होगी।

(4) यदि कोई स्नातकोत्तर विभाग इन विनियमों में निर्दिष्ट अतिरिक्त न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखने में विफल रहता है, तो भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (एफ) के अनुसार उपाय करेगा या संबंधित स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर देगा।

7. स्नातकोत्तर शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए विभाग-वार अतिरिक्त आवश्यकताएं- एनसीआईएसएम - यूजी एमईएस विनियम, 2024 के तहत उल्लिखित आवश्यकता के अलावा, स्नातकोत्तर शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित का अतिरिक्त रूप से रखरखाव किया जाएगा:

(i) सिद्ध मरूतुवा मूलतत्तुवम (सिद्ध चिकित्सा के मूल सिद्धांत) के स्नातकोत्तर विभाग के पास तमिल और अन्य भाषाओं के स्नातक छात्रों के लिए पहले से मौजूद भाषा प्रयोगशाला में स्नातकोत्तर स्तर पर उन्नत सुविधाएं होंगी। मौजूदा स्नातक भाषा प्रयोगशाला में अतिरिक्त कंप्यूटर सिस्टम स्नातकोत्तर छात्रों के लिए प्रति वर्ष स्वीकृत छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार 1:1 के अनुपात में उपलब्ध कराएं जाएंगे। इस स्नातकोत्तर विभाग के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र पचास वर्ग मीटर होगा।

(ii) उडल कूरुगल (एनाटॉमी) के स्नातकोत्तर विभाग को त्रिआयामी वर्चुअल डिस्सेक्शन टेबल और ई-डिस्सेक्शन सॉफ्टवेयर प्रदान किया जाएगा। यह विभाग सिद्धर अरुवई मरूतुवम् (सिद्ध सर्जरी) और मगलिर और सूल मरूतुवम् (प्रसूति एवं स्त्री रोग) के स्नातकोत्तर छात्रों के लिए कैडवेरिक सर्जरी के माध्यम से सर्जिकल तकनीकों के अभ्यास की सुविधा भी प्रदान करता है। इस स्नातकोत्तर विभाग के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र पचास वर्ग मीटर होगा।

(iii) उडल तत्वम (फिजियोलॉजी) के स्नातकोत्तर विभाग में डिजिटल स्पाइरोमेट्री, व्यक्तित्व मूल्यांकन स्केल, ट्राइकोस्कोप, डिजिटल स्किनफोल्ड कैलिपर, ऊंचाई, वजन और बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर, नाड़ी रिकॉर्डिंग उपकरण (यदि सिद्ध से संबंधित कोई हो) के साथ-साथ प्रासंगिक सॉफ्टवेयर, सहायक उपकरण भी होंगे। इस स्नातकोत्तर विभाग के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र पचास वर्ग मीटर होगा।

(iv) गुणपाडम - मरूंदियल (मटेरिया मेडिका और फार्माकोलॉजी) के स्नातकोत्तर विभाग को फाइटोकेमिस्ट्री प्रयोगशाला और पहली अनुसूची के अनुसार प्रासंगिक उपकरण और यंत्र और ग्रीन हाउस प्रदान किए जाएंगे, इस स्नातकोत्तर विभाग के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र पचास वर्ग मीटर होगा और फाइटोकेमिस्ट्री प्रयोगशाला और ग्रीन हाउस, प्रत्येक के लिए पचास वर्ग मीटर होगा।

(v) गुणपाडम- मरूनदगवियल (मटेरिया मेडिका और फार्मास्यूटिक्स) के स्नातकोत्तर विभाग में पेट्रोग्राफिक माइक्रोस्कोप, प्रोग्रामेबल मफल फर्नेस, और स्नातक के लिए पहले से मौजूद गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए **पांचवीं अनुसूची** के अनुसार उन्नत सुविधाएं होंगी। इस स्नातकोत्तर विभाग के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र पचास वर्ग मीटर होगा।

(vi) नोइ नाडल और नोइ मुदल नाडल (पैथोलॉजी) के स्नातकोत्तर विभाग में **दूसरी अनुसूची** के अनुसार आणविक जीवविज्ञान प्रयोगशाला और उन्नत नैदानिक सुविधाएं होंगी। पहले से मौजूद नोइ नाडल और नोइ मुदल नाडल प्रैक्टिकल लेबोरेटरी को केमिलुमिनेसेंस सहित स्नातकोत्तर छात्रों के लिए इम्यूनोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी से संबंधित

परीक्षण करने की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस स्नातकोत्तर विभाग के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र पचास वर्ग मीटर होगा और आणविक जीवविज्ञान प्रयोगशाला के लिए, यह पचास वर्ग मीटर होगा।

(vii) सट्टम सारंध मरूतुवमुम नंजु मरूतुवमुम के स्नातकोत्तर विभाग के पास सट्टम सारंध मरूतुवमुम नंजु मरूतुवमुम प्रयोगशाला में उन्नत जहर का पता लगाने की सुविधा होगी। स्नातकोत्तर शिक्षकों और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एक विशेष बाह्य-रोगी विभाग (नंजु मरूतुवम), जिसमें प्रति दिन न्यूनतम तीस मरीज हों और 1:4 के छात्र-बिस्तर अनुपात (यानी, एक छात्र के लिए चार बिस्तर) में अतिरिक्त अंतः रोगी विभाग के बिस्तर उपलब्ध कराए जाएंगे। वार्ड में बैठने की व्यवस्था और रात्रि ड्यूटी स्नातकोत्तर छात्रों के लिए आवास उपलब्ध कराया जाएगा। नंजु मरूतुवमुम अंत:रोगी विभाग में औसत बिस्तर अधिभोग साठ प्रतिशत से कम नहीं होगा। इस स्नातकोत्तर विभाग के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र पचास वर्ग मीटर होगा और नंजू मरूतुवम् (क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी) बाह्य रोगी विभाग के लिए पच्चीस वर्ग मीटर होगा।

(viii) नोइ अनुगाविधी सहित रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टेटिस्टिकस (प्रिंसिपल्स एडं डिसिपिलिन्स ऑफ डिसिज़ प्रिवेंशन एडं पब्लिक हेल्थ) के स्नातकोत्तर विभाग में स्नातकोत्तर शिक्षकों और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए प्रति दिन न्यूनतम पचास सब्जैक्ट या व्यक्तियों के लिए एक विशेष बाह्य रोगी विभाग होगा। क्षेत्र के दौरों के लिए विशेष विभागीय वाहन, स्नातक छात्रों के लिए पहले से मौजूद पोषण प्रयोगशाला में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए उन्नत सुविधाएं, अस्पताल में सामान्य व्यक्तियों के लिए कायाकल्प प्रक्रियाओं और फिजियोथेरेपी को प्रबंधित करने की सुविधाएं इस विभाग में उपलब्ध कराई जाएंगी। इस स्नातकोत्तर विभाग के लिए आवश्यक स्थान न्यूनतम पचास वर्ग मीटर होगा और नोई अनुगाविधी मरूतुवम् (सिद्ध डायटेटिक्स, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ) बाह्य रोगी विभाग के लिए न्यूनतम पच्चीस वर्ग मीटर होगा।

(ix) मरूतुवम् (मेडिसिन) के स्नातकोत्तर विभाग में स्नातकोत्तर शिक्षकों और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए प्रति दिन न्यूनतम साठ रोगियों के साथ एक विशेष बाह्य रोगी विभाग होगा और 1:4 के छात्र-बिस्तर अनुपात (यानी, एक छात्र के लिए चार बेड) में अतिरिक्त अंतः रोगी विभाग बिस्तर होंगे। वार्ड में बैठने की व्यवस्था और नाइट ड्यूटी स्नातकोत्तर छात्रों के लिए आवास प्रदान किया जाएगा। औसत बिस्तर अधिभोग साठ प्रतिशत से कम नहीं होगा। मरूतुवम् अंतः रोगी विभाग में। स्नातकोत्तर शिक्षण विभाग के लिए आवश्यक स्थान न्यूनतम पच्चीस वर्ग मीटर होगा और मरूतुवम् (सामान्य चिकित्सा) बाह्य रोगी विभाग के लिए न्यूनतम पच्चीस वर्ग मीटर होगा।

(x) वर्मम पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम (वर्मम, एक्सर्टनल थेरेपी एडं स्पेशल मेडिसिन) के स्नातकोत्तर विभाग में स्नातकोत्तर शिक्षकों और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए विशेष तीन बाह्य-रोगी विभाग होंगे, जिनमें क्रमशः वर्मा मरूतुवम् (छोटे उपचार या प्रक्रिया कक्ष के साथ संलग्न), पुरा मरूतुवम् (छोटे उपचार या प्रक्रिया कक्ष के साथ संलग्न) और सिद्धर योग मरूतुवम् (छोटे उपचार या प्रक्रिया कक्ष के साथ संलग्न)के लिए एक-एक विभाग होगा, जिसमें प्रति दिन अलग से न्यूनतम साठ मरीज और वर्मा मरूतुवम् और पुरा मरूतुवम् के लिए अंतः रोगी विभाग के लिए 1:4 के छात्र-बिस्तर अनुपात में (यानी एक छात्र के लिए चार बिस्तर) पृथक रूप से अतिरिक्त बिस्तर होंगे। वार्ड में बैठने की व्यवस्था और नाइट ड्यूटी स्नातकोत्तर छात्रों के लिए आवास उपलब्ध कराया जाएगा। वर्मा मरूतुवम्, पुरा मरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम अंतः रोगी विभाग में औसत बिस्तर अधिभोग साठ प्रतिशत से कम नहीं होगा। अस्पताल में पूरी तरह से स्थापित फिजियोथेरेपी सुविधा इस विभाग को दी जाएगी। । सिद्धर योग मरूतुवम् स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के लिए कोई अंतः रोगी विभाग बिस्तर नहीं होंगे। स्नातकोत्तर शिक्षण विभाग के लिए आवश्यक स्थान प्रत्येक कार्यक्रम के लिए न्यूनतम पच्चीस वर्ग मीटर होना चाहिए, और वर्मा मरूतुवम् (वर्मा मेडिसिन) के बाह्य रोगी विभाग, जो छोटे उपचार या प्रक्रिया कक्ष के साथ संलग्न हो, पुरा मरूतुवम् (एक्सर्टनल मेडिसिन) के बाह्य रोगी विभाग, जो छोटे उपचार या प्रक्रिया कक्ष के साथ संलग्न हो, और सिद्धर योग मरूतुवम् (सिद्धर यौगिक साइंस) के बाह्य रोगी विभाग जो छोटे योग कक्ष के साथ संलग्न हो, के लिए न्यूनतम आवश्यक स्थान पचास वर्ग मीटर होना चाहिए।

(xi) कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरूतुवम् सहित अरूवइ (सर्जरी इंक्लुडिंग आप्थॉमोलॉजी, ईएनटी, डेन्टिस्ट्री एंड डर्माटोलॉजी)के स्नातकोत्तर विभाग में स्नातकोत्तर शिक्षकों और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए प्रति दिन

न्यूनतम साठ रोगियों के साथ उन्नत नैदानिक सुविधाओं के साथ एक विशेष बाह्य रोगी विभाग होगा (प्रक्रिया कक्ष के साथ संलग्न) , और अतिरिक्त अंतः रोगी विभाग के बिस्तरों का छात्र-बिस्तर अनुपात 1:4 (अर्थात एक छात्र के लिए चार बिस्तर) होगा। वार्ड में बैठने की व्यवस्था और नाइट ड्यूटी स्नातकोत्तर छात्रों के लिए आवास उपलब्ध कराया जाएगा। कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरूतुवम् सहित अरूवइ अंतः रोगी विभाग में औसत बिस्तर अधिभोग साठ प्रतिशत से कम नहीं होगा। स्नातकोत्तर शिक्षण विभाग के लिए आवश्यक स्थान न्यूनतम पच्चीस वर्ग मीटर होगा और कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरूतुवम् सहित अरूवइ (सर्जरी इंक्लुडिंग आप्थॉमोलॉजी, ईएनटी, डेन्टिस्ट्री एंड डर्माटोलॉजी) बाह्य रोगी विभाग (प्रक्रिया कक्ष से संलग्न) के लिए न्यूनतम पचास वर्ग मीटर होगा। अस्पताल में स्नातकोत्तर विभाग कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल के नैदानिक मामलों में भाग लेगा, लेकिन तोल या त्वचा (त्वचाविज्ञान) से संबंधित नैदानिक स्थितियों में नहीं। यदि संस्था तोल मरूतुवम् में पोस्टग्रेजुएट कार्यक्रम का संचालन कर रही है

(xii) सूल और मगलिर मरूतुवम् (ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गाईनेकॉलोजी) के स्नातकोत्तर विभाग में स्नातकोत्तर शिक्षकों और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए प्रति दिन न्यूनतम साठ रोगियों के साथ एक विशेष बाह्य रोगी विभाग (परीक्षा सह प्रक्रिया कक्ष के साथ संलग्न) होगा, और सूल और मगलिर मरूतुवम् के लिए एक विशेष ऑपरेशन थियेटर होगा ताकि सूल और मगलिर मरूतुवम् संबंधित सर्जरी की जा सके। । 1:4 के छात्र-बिस्तर अनुपात में अतिरिक्त अंतः रोगी विभाग बिस्तर (यानी एक छात्र के लिए चार बिस्तर) उपलब्ध कराए जाएंगे। वार्ड में बैठने की व्यवस्था और नाइट ड्यूटी स्नातकोत्तर छात्रों के लिए आवास उपलब्ध कराया जाएगा। सूल और मगलिर मरूतुवम् अंतः रोगी विभाग में औसत बिस्तर अधिभोग साठ प्रतिशत से कम नहीं होगा। प्रति माह कम से कम दस प्रसव कराए जाएंगे। स्नातकोत्तर शिक्षण विभाग के लिए आवश्यक क्षेत्र न्यूनतम पच्चीस वर्ग मीटर होगा और मगलिर और सूल मरूतुवम् (स्त्री रोग और प्रसूति) बाह्य रोगी विभाग (परीक्षा सह प्रक्रिया कक्ष से संलग्न) न्यूनतम पचास वर्ग मीटर होगा।

(xiii) (ए) कुजंतइ मरूतुवम् (पिडियाट्रिक्स)के स्नातकोत्तर विभाग में स्नातकोत्तर शिक्षकों और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एक विशेष बाह्य रोगी विभाग होगा, जिसमें प्रति दिन न्यूनतम साठ मरीज होंगे, और 1:4 (यानी एक छात्र के लिए चार बिस्तर) के छात्र-बिस्तर अनुपात में अतिरिक्त अंतः रोगी विभाग बिस्तर होंगे। वार्ड में बैठने की व्यवस्था और नाइट ड्यूटी स्नातकोत्तर छात्रों के लिए आवास उपलब्ध कराया जाएगा। कुजंतइ मरूतुवम् अंतःरोगी विभाग में औसत बिस्तर अधिभोग साठ प्रतिशत से कम नहीं होगा। इस विभाग द्वारा टीकाकरण कराने की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। स्नातकोत्तर शिक्षण विभाग के लिए आवश्यक स्थान न्यूनतम पच्चीस वर्ग मीटर होगा और कुजंतइ मरूतुवम् (बाल चिकित्सा) बाह्य रोगी विभाग के लिए न्यूनतम पच्चीस वर्ग मीटर होगा

(बी) बाह्य रोगी विभाग को बाल कान-नाक-गला किट, त्वचा की मोटाई मापने के लिए कैलिपर, मध्य बांह और सिर की परिधि को मापने के लिए टेप, त्वचा की जांच के लिए आवर्धक लेंस, मलाशय थर्मामीटर और विभिन्न रंग, आकार, रोशनी और ध्वनियों के खिलौने प्रदान किए जाएंगे।

(सी) कुजंतइ मरूतुवम् बाह्य रोगी विभाग के समीप स्तनपान के लिए सीमांकित क्षेत्र उपलब्ध कराया जाएगा;

(डी) अस्पताल में नवजात देखभाल कक्ष कुजंतइ मरूतुवम् विभाग के अधीन कार्य करेगा। यदि संस्थान मगलिर और सूल मरूतुवम् (गाईनेकॉलोजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स) में स्नातकोत्तर कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, तो लेबर रूम से जुड़ा नवजात देखभाल कक्ष जो पहले से मौजूद है या अस्पताल में काम कर रहा है (एनसीआईएसएम-यूजी एमईएस विनियम, 2024 में विनियम 55 के उप-विनियमन (4) के खंड (बी) के अनुसार) को नवजात गहन देखभाल इकाई के रूप में अपग्रेड किया जाएगा नवजात गहन परिचर्या इकाई को ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जैसे (i) मल्टी-चैनल मॉनीटर ओपन केयर एक्सेस के साथ रेडिएंट वार्मर, टाइम सेंसर, हीट सेंसर, ऑक्सीजन और सक्शन सुविधा के साथ और एडजस्टेबल बेबी टिल्ट (ii) तीन से चार सतहों तक विस्तार योग्य दो सतहों वाली फोटोथेरेपी यूनिट (iii) इन्फ्यूजन पंप (दो नंबर) (iv) इंट्रा-वेनस कैनुलेशन के लिए सुविधा, रक्त नमूनाकरण, ड्रिप इन्फ़्यूज़न (v) निरंतर सकारात्मक वायुमार्ग दबाव और (vi) शिशु परिवहन के लिए गर्म श्रृंखला बॉक्स। नवजात गहन देखभाल इकाई के लिए न्यूनतम स्थान की आवश्यकता पचास वर्ग मीटर होगी।

(ई) इस स्नातकोत्तर विभाग वाली संस्था नर्सरी से दसवीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा वाले कम से कम दो स्कूलों को अनुकूलित करेगी। विभाग समय-समय पर स्वास्थ्य, वृद्धि और मनोवैज्ञानिक विकास का आकलन करने के लिए 'बाल विकास क्लिनिक' चलाएगा। बच्चे के उचित स्वास्थ्य रिकॉर्ड के साथ प्रति वर्ष कम से कम दो ऐसे आकलन किए जाएंगे। बाल विकास क्लिनिक के लिए न्यूनतम स्थान की आवश्यकता पच्चीस वर्ग मीटर होगी।

(xiv) तोल मरूतुवम् (दंत चिकित्सा) के स्नातकोत्तर विभाग में स्नातकोत्तर शिक्षकों और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एक बाह्य रोगी विभाग होगा, जिसमें प्रति दिन न्यूनतम साठ मरीज होंगे, और 1:4 (यानी एक छात्र के लिए चार बिस्तर) के छात्र-बिस्तर अनुपात में बिस्तरों की संख्या के साथ अलग अंतः रोगी विभाग होगा। वार्ड में बैठने की व्यवस्था और नाइट ड्यूटी स्नातकोत्तर छात्रों के लिए आवास उपलब्ध कराया जाएगा। तोल मरूतुवम् अंतः रोगी विभाग में औसत बिस्तर अधिभोग साठ प्रतिशत से कम नहीं होगा। स्नातकोत्तर शिक्षण विभाग के लिए आवश्यक स्थान न्यूनतम पच्चीस वर्ग मीटर होगा और तोल मरूतुवम् (डर्माटोलॉजी) बाह्य रोगी विभाग न्यूनतम पच्चीस वर्ग मीटर होगा;

(xv) (ए) प्रत्येक स्नातकोत्तर संस्थान शोध प्रबंध या अनुसंधान गतिविधियों का समर्थन, समन्वय, मूल्यांकन और मार्गदर्शन करने के लिए इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग की स्थापना करेगा।

(बी) यह विभाग गाइड आवंटन प्रक्रिया, आपात स्थिति के मामले में वैकल्पिक गाइड व्यवस्था, अनुसंधान निगरानी और इसी तरह की गतिविधियों का समन्वय करेगा;

(सी) केन्द्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला, पशु गृह और पशु प्रयोग प्रयोगशाला, नैदानिक अनुसंधान प्रकोष्ठ और साहित्यिक चोरी जांच कक्ष, जैसा लागू हो, इस विभाग के अधीन कार्य करेंगे;

(डी) संस्थागत अनुसंधान समिति, मानव विषयों के लिए संस्थागत आचार समिति, संस्थागत पशु आचार समिति और इसी तरह की अन्य अनुसंधान समितियां इस विभाग के अधीन कार्य करेंगी;

(ई) विभाग को पर्याप्त शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ प्रदान किया जाएगा, और बैठने की व्यवस्था और अन्य सुविधाएं इन विनियमों में निर्दिष्ट के रूप में उपलब्ध कराई जाएंगी;

(एफ) इस विभाग के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र पचहत्तर वर्ग मीटर होगा।

(xvi)(ए) प्रत्येक स्नातकोत्तर संस्थान में स्नातकोत्तर छात्रों द्वारा विभिन्न अनुसंधान प्रयोगों को करने के लिए **तीसरी अनुसूची** के अनुसार उन्नत अनुसंधान सुविधाओं के साथ एक केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला होगी;

(बी) केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के लिए अपेक्षित न्यूनतम क्षेत्र एक सौ पचास वर्ग मीटर होगा और केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के लिए मानव संसाधन इन विनियमों में निर्दिष्ट के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे;

(सी) प्रयोगशाला और विश्लेषणात्मक उपकरणों से अच्छी तरह वाकिफ किसी भी विभाग का संकाय सदस्य केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला का प्रभारी होगा और यह इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभागके अधीन कार्य करेगा और इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग का प्रोफेसर सह प्रमुख केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला का प्रमुख होगा।

(xvii) (ए) उन्नत गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला जैसा कि (5) में उल्लिखित है, गुणपाडम - मरूंदियल और गुणपाडम - मरूनदगवियल में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराई जाएगी;

(बी) यह प्रयोगशाला एनसीआईएसएम - यूजी एमईएस विनियम, 2024 के दसवें अनुसूची के 'बी' भाग के तहत निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे, सुविधाओं, उपकरणों, यंत्रों आदि की पूर्ति करेगी, साथ ही इन नियमावली के पांचवें अनुसूची में उल्लेखित उपकरणों और यंत्रों की भी पूर्ति करेगी, जो स्नातकोत्तर शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए आवश्यक हैं।

(सी) यह इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग के तहत कार्य करेगा और इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग के प्रोफेसर सह प्रमुख गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला के प्रमुख होंगे। गुणपाडम - मरूंदियल और गुणपाडम - मरूनदगवियल का संकाय सदस्य उन्नत गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला का प्रभारी होगा।

(xviii) (ए) अनुमोदित पशु गृह और पशु प्रयोग प्रयोगशाला गुणपाडम - मरूंदियल गुणपाडम - मरूनदगवियल, सट्टम सारंध मरूतुवमुम नंजु मरूतुवमुम और सिद्ध मरूतुवम् मूलतत्तुवम विभाग में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के मामले में बनाई जाएगी और पशु गृह और पशु प्रयोग प्रयोगशाला के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र दो सौ पचास वर्ग मीटर होगा;

(बी) इसके पास संबंधित प्राधिकारियों से उचित अनुमति या अनुमोदन होगा, **चौथी अनुसूची** के अनुसार पर्याप्त बुनियादी ढांचे, सुविधाएं, और प्रभावी कामकाज के लिए मानव संसाधन प्रदान किए जाएंगे;

(सी) गुणपाडम - मरूंदियल या गुणपाडम - मरूनदगवियल या सट्टम सारंध मरूतुवमुम नंजु मरूतुवमुम और सिद्ध मरूतुवम् मूलतत्तुवम के विभाग के संकाय सदस्य पशु घर और पशु प्रयोग प्रयोगशाला के प्रभारी होंगे और यह इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग के तहत कार्य करेगा और इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग के प्रोफेसर सह प्रमुख पशु घर और पशु प्रयोग प्रयोगशाला के प्रमुख होंगे;

(xix) नैदानिक अनुसंधान कार्यकलापों के समन्वय के लिए अस्पताल में एक नैदानिक अनुसंधान प्रकोष्ठ होगा। नैदानिक अनुसंधान प्रकोष्ठ के लिए स्थान की न्यूनतम आवश्यकता पचास वर्ग मीटर होगी और मानव संसाधन इन विनियमों में उल्लिखित अनुसार होगा। नैदानिक अनुसंधान में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा या पब्लिक हेल्थ में मास्टर डिग्री के साथ सिद्ध स्नातक (बीएसएमएस) नैदानिक अनुसंधान प्रकोष्ठ के समन्वयक होंगे। सेल इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग के तहत कार्य करेगा औइंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग के प्रोफेसर सह प्रमुख नैदानिक अनुसंधान सेल के प्रमुख होंगे;

(xx) प्रत्येक स्नातकोत्तर संस्थान में साहित्यिक चोरी जांच कक्ष होगा और इस सेल को साहित्यिक चोरी की जांच के लिए कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट और उपयुक्त सॉफ्टवेयर प्रोग्राम प्रदान किया जाएगा। संस्थान के प्रमुख द्वारा नामित एक शिक्षण संकाय सदस्य, जो साहित्यिक चोरी की जांच में प्रशिक्षित हो, इस सेल का समन्वयक होगा, यह इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग के तहत कार्य करेगा, और इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग के प्रोफेसर सह प्रमुख साहित्यिक चोरी जांच सेल के प्रमुख होंगे;

(xxi) (ए) नोइ नाडल और नोइ मुदल नाडल विभाग में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के मामले में, स्नातकोत्तर छात्र अपने प्रशिक्षण और शोध प्रबंध या शोध कार्य के लिए अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग, अंतः रोगी विभाग और नैदानिक क्षेत्र के साथ उपयोग या सहयोग कर सकते हैं;

(बी) नोइ नाडल और नोइ मुदल नाडल विभाग के प्रमुख या नोइ नाडल और नोइ मुदल नाडल विभाग से एक संकाय सदस्य, जिसे संस्थान के प्रमुख द्वारा नामित किया गया हो, सिद्ध चिकित्सा के सिद्धांतों के अनुसार शिक्षा और प्रशिक्षण के संदर्भ में निदान जांच या परीक्षणों पर हस्ताक्षर, प्रमाणित और व्याख्या करने के लिए अधिकृत होगा।"

(xxii) वर्मम पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम विभाग के तहत सिद्धर योग मरूतुवम् में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के स्नातकोत्तर छात्र अपने प्रशिक्षण और शोध प्रबंध या शोध कार्य के लिए अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग, अंतः रोगी विभाग और योग अनुभाग के साथ उपयोग या सहयोग कर सकते हैं।

(xxiii) नोई अनुगाविधी मरूतुवम् में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के स्नातकोत्तर छात्र अपने प्रशिक्षण, सर्वेक्षण और शोध प्रबंध या शोध कार्य के लिए अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग, अंतः रोगी विभाग, फिजियोथेरेपी और योग अनुभाग का उपयोग या सहयोग कर सकते हैं।

8. स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए अतिरिक्त न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकताएं -

(1) स्नातकोत्तर क्लॉसरूम - संबंधित स्नातकोत्तर विभाग के समीप प्रत्येक स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए न्यूनतम दो क्लॉसरूम (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सक्षम स्मार्ट क्लॉसरूम) होंगे, जिनका निर्माण क्षेत्र पर्याप्त बैठने की व्यवस्था के साथ चालीस वर्ग मीटर से कम नहीं होगा।

(2) स्नातकोत्तर सेमिनार हॉल- (ए) प्रत्येक स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम या स्पेशियलिटी के लिए उस विशेष स्नातकोत्तर स्पेशियलिटी या कार्यक्रम के कुल स्नातकोत्तर छात्रों (यानी, उस विशेष स्नातकोत्तर विभाग या विशेषज्ञता या कार्यक्रम के तीन वर्षों के सभी छात्र) के अलावा बीस प्रतिशत और अधिक बैठने की क्षमता वाला 18 वर्ग फीट प्रति छात्र का न्यूनतम निर्मित क्षेत्र वाला एक सेमिनार हॉल होगा;

(बी) संस्थान की सभी स्नातकोत्तर विशिष्टताओं या कार्यक्रमों के सभी तीन बैचों के स्नातकोत्तर छात्रों की संख्या के लिए बीस प्रतिशत अतिरिक्त बैठने की क्षमता (यानी न्यूनतम साढ़े छह वर्ग फीट प्रति छात्र) के साथ एक कॉमन सेमिनार हॉल होगा;

(सी) स्नातकोत्तर सेमिनार हॉल उपयुक्त बैठने की व्यवस्था के साथ सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सक्षम होंगे।

(3) केंद्रीय पुस्तकालय- (ए) स्नातकोत्तर छात्र प्रवेश क्षमता (1:2, वार्षिक प्रवेश क्षमता के प्रत्येक दो स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एक सीट) के अनुसार अतिरिक्त बैठने की व्यवस्था केंद्रीय पुस्तकालय में प्रदान की जाएगी;

(बी) स्नातक कार्यक्रम के लिए कुल पुस्तकों की संख्या के अतिरिक्त, प्रत्येक स्नातकोत्तर विभाग या कार्यक्रम के लिए न्यूनतम दो सौ अतिरिक्त पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी; ये अतिरिक्त पुस्तकें स्नातकोत्तर विभाग या कार्यक्रम या विशेषता के लिए विशिष्ट होंगी और अलग अलमारियों में रखी जाएंगी; पुस्तकों की वार्षिक वृद्धि कम से कम दस प्रतिशत होगी;

(सी) स्नातक कार्यक्रम के लिए निर्दिष्ट पत्रिकाओं के अलावा, स्नातकोत्तर कार्यक्रम या विशेषता के लिए विशिष्ट न्यूनतम चार इन्डैक्स पत्रिकाएं प्रत्येक स्नातकोत्तर विभाग के लिए केंद्रीय पुस्तकालय में उपलब्ध कराई जाएंगी।

(4) विभागीय पुस्तकालय- (ए) प्रत्येक स्नातकोत्तर विभाग के लिए न्यूनतम एक सौ पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी;

(बी) एकाधिक स्नातकोत्तर कार्यक्रमों वाला स्नातकोत्तर विभाग प्रत्येक स्नातकोत्तर कार्यक्रम या विशेषता के लिए न्यूनतम एक सौ पुस्तकें रखेगा।

(5) डिजिटल लाइब्रेरी- (ए) स्नातकोत्तर छात्रों के लिए 1:5 के अनुपात में अतिरिक्त कंप्यूटर सिस्टम, यानी, सभी स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की कुल वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के संबंध में पांच छात्रों के लिए एक सिस्टम प्रदान किया जाएगा;

(बी) सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जैसे व्याकरण, साहित्यिक चोरी की जाँच, सांख्यिकीय कार्यक्रम, उद्धरण या बिब्लोग्राफी मेकर या जनरेटर आदि डिजिटल लाइब्रेरी में उपलब्ध कराए जाएंगे।

(6) (ए) पर्याप्त फर्नीचर और साथ में शौचालय सुविधाओं के साथ सभी स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की कुल वार्षिक प्रवेश क्षमता के न्यूनतम बीस प्रतिशत की प्रवेश क्षमता के साथ स्नातकोत्तर छात्रों के लिए कॉमन रूम (पुरुष और महिला छात्रों के लिए अलग-अलग) की सुविधा प्रदान की जाएगी;

(बी) महिला स्नातकोत्तर छात्रों के लिए शौचालयों में सेनेटरी नैपकिन डिस्पेंसर और इनसिनरेटर की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

(7) नैदानिक कौशल या सिमुलेशन प्रयोगशाला- विभाग (मरूतुवम् , वर्मम पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम , कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरूतुवम् सहित अरूवइ, सूल और मगलिर मरूतुवम् , कुजंतइ मरूतुवम्, नोइ नाडल और नोइ मुदल नाडल और सट्टम सारंध मरूतुवमुम नंजु मरूतुवमुम) जिसमें स्नातकोत्तर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, एनसीआईएसएम - यूजी एमईएस विनियम, 2024 में निर्दिष्ट चौदहवीं अनुसूची के अनुसार विभाग विशिष्ट सिमुलेटर या मैनिकिन के अलावा, स्नातकोत्तर शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए इन नियमों की छठी अनुसूची के अनुसार अतिरिक्त विभाग विशिष्ट मैनिकिन, सिमुलेटर और उपकरणों को बनाए रखेगा।

9. आवश्यक बिस्तरों की संख्या, रोगी की उपस्थिति और बिस्तर अधिभोग -

(1) स्नातक प्रशिक्षण के लिए एनसीआईएसएम - यूजी एमईएस विनियम, 2024 में उल्लिखित प्रत्येक अंतः रोगी विभाग के लिए निर्दिष्ट बिस्तरों की संख्या के अलावा छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार, संबंधित स्नातकोत्तर विभाग [अर्थात् मरूतुवम्, वर्मम पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम (वर्मा मरूतुवम् और पुरा मरूतुवम् अलग से), कुजंतइ मरूतुवम्, नंजु मरूतुवम्, कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरूतुवम् सहित अरूवइ , सूल और मगलिर मरूतुवम्, और तोल मरूतुवम् शामिल हैं।] 1:4 के छात्र-बिस्तर अनुपात के संबंध में अतिरिक्त बिस्तरो की व्यवस्था की जाएगी।

(2) संबंधित विभाग [अर्थात् मरूतुवम्, वर्मम पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम, कुजंतइ मरूतुवम्, नंजु मरूतुवम्, कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरूतुवम् सहित अरूवइ, सूल और मगलिर मरूतुवम्, और तोल मरूतुवम् शामिल हैं।] जिसमें स्नातकोत्तर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, के अंतःरोगी विभाग में न्यूनतम वार्षिक औसत बिस्तर अधिभोग पिछले एक कैलेंडर वर्ष के दौरान (लीप वर्ष के मामले में 365 दिन और 366 दिन) साठ प्रतिशत से कम नहीं होगा। ऐसे अंतःरोगी विभागों में जहां पिछले एक कैलेंडर वर्ष के दौरान स्नातकोत्तर कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाता है (लीप वर्ष के मामले में 365 दिन और 366 दिन) चालीस प्रतिशत से कम नहीं होगा।

(3) एनसीआईएसएम - यूजी एमईएस विनियम, 2024 के अनुसरण में छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार औसत बाह्य रोगी उपस्थिति बनाए रखेगा; हालाँकि, (ए) पिछले एक कैलेंडर वर्ष (300 दिन) के दौरान मरूतुवम्, वर्मा मरूतुवम् , पुरा मरूतुवम्, कुजंतइ मरूतुवम्, कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरूतुवम् सहित अरूवइ, सूल और मगलिर मरूतुवम् और तोल मरूतुवम् में स्नातकोत्तर बाह्य रोगी विभाग में न्यूनतम बाह्य रोगी उपस्थिति प्रति दिन साठ रोगियों से कम नहीं होना चाहिए;

(बी) पिछले एक कैलेंडर वर्ष (300 दिन) के दौरान नंजु मरूतुवम् में स्नातकोत्तर बाह्य रोगी विभाग में न्यूनतम बाह्य रोगी उपस्थिति प्रति दिन तीस रोगियों से कम नहीं होगी;

(सी) पिछले एक कैलेंडर वर्ष (300 दिन) के दौरान सिद्धर योग मरूतुवम् में स्नातकोत्तर बाह्य रोगी विभाग में न्यूनतम बाह्य रोगी उपस्थिति प्रति दिन पचास रोगियों से कम नहीं होनी चाहिए;

(डी) पिछले एक कैलेंडर वर्ष (300 दिन) के दौरान नोई अनुगविधि मरूतुवम् में स्नातकोत्तर बाह्य रोगी विभाग में न्यूनतम दैनिक औसत बाह्य रोगी उपस्थिति प्रति दिन पचास व्यक्तियों या सब्जैक्ट से कम नहीं होगी।

10. मानव संसाधन की न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता-

(1) शिक्षण स्टाफ.- (ए) (i) इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग को छोड़कर प्रत्येक स्नातकोत्तर विभाग या कार्यक्रम या विशेषता के लिए न्यूनतम एक प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर या रीडर और एक सहायक प्रोफेसर या व्याख्याता होगा और स्नातकोत्तर विभाग में शिक्षण स्टाफ की आवश्यकता खंड (एच) के नीचे तालिका के अनुसार होगी;

(ii) प्रोफेसर सह विभागाध्यक्ष संबंधित विषय के स्नातक और स्नातकोत्तर विभाग दोनों के लिए सामान्य हो सकते हैं, बशर्ते प्रोफेसर के पास संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री होगी। यदि स्नातक विभाग के प्रोफेसर के पास संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री नहीं है, तो स्नातकोत्तर विशेषज्ञता या कार्यक्रम के लिए इन नियमों में प्रदान किए गए स्नातकोत्तर योग्यता और अनुभव के साथ अलग प्रोफेसर की आवश्यकता होगी;

(iii) एसोसिएट प्रोफेसर या रीडर, सहायक प्रोफेसर या व्याख्याता संबंधित स्नातक विभाग के लिए, जैसा कि एनसीआईएसएम - यूजी एमईएस विनियम, 2024 में निर्धारित किया गया है, प्रदान किए गए शिक्षण स्टाफ के अलावा स्नातकोत्तर विभाग के लिए अनन्य होंगे;

(iv) एक विभाग में एक से अधिक प्रोफेसर की उपलब्धता की स्थिति में, विभाग के प्रमुख का पद प्रत्येक प्रोफेसर को रोटेशन के आधार पर तीन साल की अवधि के लिए दिया जाएगा;

(v) स्नातक विभाग और संबंधित विषय के स्नातकोत्तर विभाग के बीच संकायों का दोहराव किसी भी मामले में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(बी) एक ही विभाग के तहत कई स्नातकोत्तर कार्यक्रम: एनसीआईएसएम - यूजी एमईएस विनियम, 2024 में वर्मम पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम के संबंधित स्नातक विभाग के लिए निर्दिष्ट शिक्षण स्टाफ के अलावा वर्मम पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम के एक ही विभाग के तहत वर्मा मरूतुवम्, पुरा मरूतुवम् और सिद्धर योग मरूतुवम् के प्रत्येक स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम में एक एसोसिएट प्रोफेसर या रीडर, एक सहायक प्रोफेसर या व्याख्याता अलग से होगा।

हालाँकि, विभाग के प्रोफेसर सह प्रमुख वर्मम पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम विभाग में स्नातक और उपर्युक्त तीन स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों के लिए कॉमन होंगे

बशर्ते कि प्रोफेसर के पास संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री हो। यदि अवर स्नातक विभाग के प्रोफेसर के पास संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री नहीं है, तो स्नातकोत्तर विभाग के लिए इन विनियमों में प्रदान की गई स्नातकोत्तर योग्यता और अनुभव के साथ अलग प्रोफेसर की आवश्यकता होगी और वह विभाग में किसी भी एक विशिष्टता में छात्र-गाइड अनुपात में प्रति वर्ष केवल तीन स्नातकोत्तर छात्रों के लिए पात्र होंगे; एक ही विभाग में अन्य स्नातकोत्तर कार्यक्रमों या विशिष्टताओं के लिए के लिए, संस्थान में इन विनियमों में उल्लिखित छात्र-गाइड अनुपात के अनुसार छात्रों को प्रवेश देने के लिए एक अतिरिक्त प्रोफेसर हो सकता है;

(सी) एक ही विभाग में ऐसे कई स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में जैसा कि (बी) में उल्लिखित है, एक ही विभाग के तहत स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के बीच शिक्षण कर्मचारियों के दोहराव की अनुमति नहीं दी जाएगी और एक ही विषय के स्नातक विभाग और स्नातकोत्तर विभाग के बीच संकायों का दोहराव किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा;

(डी) तोल मरूतुवम् के स्नातकोत्तर विभाग में न्यूनतम एक प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर या रीडर और एक सहायक प्रोफेसर या व्याख्याता होगा क्योंकि स्नातक स्तर पर ये विभाग एक स्वतंत्र विभाग के रूप में मौजूद नहीं है;

(ई) शिक्षण स्टाफ की योग्यता और अनुभव इन विनियमों में विनियम 32 के अनुसार होगा;

(एफ) (i) इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग में पूर्णकालिक, नियमित आधार पर एक प्रोफेसर होगा जैसा कि खंड (एच) के तहत नीचे दी गई **तालिका** में दिखाया गया है और उसकी योग्यता और अनुभव इन विनियमों में निर्दिष्ट विनियम 32 के उप-विनियम (2) के खंड (जी) के उपखंड (i) के अनुसार होगा;

(ii) विभाग के पास बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिनल बॉटनी या बॉटनी और पब्लिक हेल्थ के विषयों में पूर्णकालिक, नियमित आधार पर अतिरिक्त शिक्षण स्टाफ होगा जैसा कि खंड (एच) के तहत नीचे दी गई **तालिका** में दिखाया गया है और जिनकी योग्यता, अनुभव और पदोन्नति इन विनियमों में निर्दिष्ट विनियम 32 के उप-विनियम (2) के खंड (जी) के उप-खंड (ii) के अनुसार होगी;

(iii) एक बायोस्टैटिस्टिशियन को इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग में पूर्णकालिक या अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाएगा जैसा कि खंड (एच) के तहत नीचे दी गई **तालिका** में दिखाया गया है और योग्यता इन विनियमों में निर्दिष्ट विनियम 32 का विनियम (2) उप के खंड (जी) के उप-खंड (iii) के अनुसार होगी;

(जी) किसी विभाग में एक से अधिक प्रोफेसर की उपलब्धता की स्थिति में, विभाग के प्रमुख का पद प्रत्येक प्रोफेसर को रोटेशन के आधार पर तीन साल के लिए दिया जाएगा।

(एच) अंशकालिक शिक्षक प्रति माह कम से कम तीस घंटे की एक बैठक में भाग लेंगे और प्रति दौरा कम से कम चार घंटे, अधिमानतः निश्चित दिनों पर।

तालिका

स्नातक कॉलेज या संस्थान में स्नातकोत्तर विभागों के लिए शिक्षण स्टाफ की न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताएं

[एनसीआईएसएम - यूजी एमईएस विनियम, 2024 में छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार स्नातक विभाग के लिए निर्दिष्ट शिक्षण कर्मचारियों के अलावा, निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा]

क्र. सं.	स्नातकोत्तर विभाग	शिक्षण स्टाफ की न्यूनतम आवश्यकता		
		प्रोफेसर सह प्रमुख	एसोशिएट प्रोफ़ेसर	सहायक प्रोफ़ेसर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मरूतुवम् (मेडिसिन)	एक	एक	एक
2	वर्मम पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम (वर्मम, एक्सर्टनल थेरेपी एडं स्पेशल मेडिसिन)			
	वर्मा मरूतुवम् (वर्मा मेडिसिन)	एक	एक	एक
	पुरा मरूतुवम् (एक्सर्टनल मेडिसिन)		एक	एक
	सिद्धर योग मरूतुवम् (सिद्धर यौगिक साइंस)		एक	एक
3	कुजंतइ मरूतुवम् (बाल रोग)	एक	एक	एक
4	सट्टम सारंध मरूतुवमुम नंजु मरूतुवमुम (फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी)	एक	एक	एक
5	नोइ अनुगाविधी सहित रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टेटिस्टिकस (प्रिंसिपल्स एडं डिसिपिलिन्स ऑफ डिसिज़ प्रिवेंशन एडं पब्लिक हेल्थ)	एक	एक	एक
6	कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरूतुवम् सहित अरूवइ (सर्जरी इंक्लुडिंग आप्थॉमोलॉजी, ईएनटी, डेन्टिस्ट्री एंड डर्माटोलॉजी)	एक	एक	एक
7	सूल और मगलिर मरूतुवम् (ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गाईनेकॉलोजी)	एक	एक	एक
8	नोइ नाडल और नोइ मुदल नाडल (पैथालॉजी)	एक	एक	एक

9	गुणपाडम - मरूंदियल (मटेरिया मेडिका और फार्माकोलॉजी)	एक	एक	एक
10	गुणपाडम - मरूनदगवियल (मटेरिया मेडिका और फार्मास्यूटिक्स)	एक	एक	एक
11	सिद्ध मरूतुवम् मूलतत्तुवम (बेसिक प्रिंसीपल्स आफ सिद्धा मेडिसिन)	एक	एक	एक
12	उडल कूरुगल (एनाटॉमी)	एक	एक	एक
13	उडल तत्वम (फिजियोलॉजी)	एक	एक	एक
14	तोल मरूतुवम् (डर्माटोलॉजी)	एक	एक	एक
15	इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च	एक	---	पाँच

नोट: 1. कॉलम (3) में निर्दिष्ट प्रोफेसर सह विभागाध्यक्ष स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों विभागों में संबंधित विषयों के लिए कॉमन होंगे।

2. तोल मरूतुवम् स्नातकोत्तर विभाग में विशेष रूप से एक प्रोफेसर सह प्रमुख होगा क्योंकि तोल मरूतुवम् में स्नातक विभाग की अनुपलब्धता है।

3. इंटीग्रेटिव हेल्थ और ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग के लिए प्रोफेसर सह प्रमुख की आवश्यकता है, जो एक शिक्षण संकाय के रूप में कार्य करेंगे।

4. इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग में शिक्षण संकाय के रूप में कम से कम पांच सहायक प्रोफेसर (शिक्षण संकायों के रूप में बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिनल बॉटनी या बॉटनी और पब्लिक हेल्थ से प्रत्येक) होंगे।

5. इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग में पूर्णकालिक या अंशकालिक आधार पर एक बायोस्टैटिस्टिशियन होगा।

6. अभ्यास के प्रोफेसर को प्रत्येक स्नातकोत्तर विभाग या विशेषता या कार्यक्रम में विनियमन 4 के उप-विनियमन (2) के खंड (ए) और (बी) के अनुसार नियुक्त किया जाएगा और योग्यता **सातवीं अनुसूची** के अनुसार होगी, और उन्हें भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा शिक्षक कोड प्रदान नहीं किया जाएगा।

(2) तकनीकी और अन्य स्टाफ सहित गैर-शिक्षण स्टॉफ: (ए) प्रत्येक संस्था संबंधित विभाग में अतिरिक्त रूप से गैर-शिक्षण स्टाफ प्रदान करेगी जिसमें स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं जैसा कि नीचे दी गई तालिका में खंड (सी) में दिखाया गया है;

(बी) गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए उनकी योग्यता और अनुभव एनसीआईएसएम - यूजी एमईएस विनियम, 2024की छठी अनुसूची के अनुसार होगा।

(सी) इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग, केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, पशु प्रयोग प्रयोगशाला और पशु घर, नैदानिक अनुसंधान सेल आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल के लिए कर्मचारियों की न्यूनतम आवश्यकता नीचे दी गई तालिका के अनुसार होगी।

तालिका

स्नातक कॉलेज या संस्थान में स्नातकोत्तर विभागों के लिए गैर-शिक्षण कर्मचारियों की न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताएं

[एनसीआईएसएम - यूजी एमईएस विनियम, 2024में छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार स्नातक विभाग के लिए निर्दिष्ट गैर-शिक्षण कर्मचारियों के अलावा, निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा]

क्र. सं.	विभाग या सेक्शन या यूनिट और आवश्यक गैर-शिक्षण कर्मचारी	आवश्यक संख्या
(1)	(2)	(3)
I	**स्नातकोत्तर विभाग**	
1	**सिद्ध मरूतुवम् मूलतत्तुवम (बेसिक प्रिंसीपल्स आफ सिद्धा मेडिसिन)**	
	बहुउद्देश्यीय कर्मचारी (न्यूनतम 10वीं मानक के साथ)	एक
2	**उडल कूरुगल (एनाटॉमी)**	
	बहुउद्देश्यीय कर्मचारी	एक
3	**उडल तत्वम (फिजियोलॉजी)**	
	बहुउद्देश्यीय कर्मचारी	एक
4	**गुणपाडम - मरूंदियल (मटेरिया मेडिका और फार्माकोलॉजी)**	
	बहुउद्देश्यीय कर्मचारी	एक
	ए) गुणपाडम - मरूंदियल प्रैक्टिकल लेबोरेटरी	
	प्रयोगशाला परिचारक (जीव विज्ञान या बॉटनी में स्नातक की डिग्री के साथ	एक
	बी) मरूतुवा तावरवियल प्रयोगशाला	
	प्रयोगशाला सहायक	एक
	सी) फाइटोकेमिस्ट्री प्रयोगशाला	
	लैब प्रभारी (फाइटोकेमिस्ट्री में मास्टर डिग्री के साथ)	एक
	लैब तकनीशियन (फाइटोकेमिस्ट्री में स्नातक की डिग्री के साथ)	एक
	प्रयोगशाला परिचारक	एक
5	**गुणपाडम - मरूनदगवियल (मटेरिया मेडिका और फार्मास्यूटिक्स)**	
	बहुउद्देश्यीय कर्मचारी	एक
6	**नोइ नाडल और नोइ मुदल नाडल (पैथोलॉजी)**	
	बहुउद्देश्यीय कर्मचारी	एक
	ए) नोइ नाडल प्रैक्टिकल प्रयोगशाला	
	प्रयोगशाला तकनीशियन	एक
	बी) नुन्नुयिरियाल प्रैक्टिकल प्रयोगशाला	
	प्रयोगशाला तकनीशियन	एक

	सी) आण्विक जीवविज्ञान प्रयोगशाला	
	लैब प्रभारी (आणविक जीव विज्ञान में मास्टर डिग्री के साथ)	एक
	लैब तकनीशियन (आणविक जीव विज्ञान में स्नातक की डिग्री के साथ)	एक
	प्रयोगशाला परिचारक	एक
7	**सट्टम सारंध मरूतुवमुम नंजु मरूतुवमुम (फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी)**	
	बहुउद्देश्यीय कर्मचारी	एक
8	**नोइ अनुगाविधी सहित रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टेटिस्टिकस (प्रिंसिपल्स एडं डिसिपिलिन्स ऑफ डिसिज़ प्रिवेंशन एडं पब्लिक हेल्थ)**	
	बहुउद्देश्यीय कर्मचारी	एक
	पोषण प्रयोगशाला	
	लैब प्रभारी (पोषण और आहार विज्ञान में मास्टर डिग्री के साथ)	एक
9	**मरूतुवम् (मेडिसिन)**	प्रत्येक स्नातकोत्तर विभाग के लिए एक मल्टी-टास्किंग स्टाफ
10	**वर्मम पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम (वर्मम, एक्सर्टनल थेरेपी एडं स्पेशल मेडिसिन)**	
11	**कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरूतुवम् सहित अरूवइ (सर्जरी इंक्लुडिंग आप्थॉमोलॉजी, ईएनटी, डेन्टिस्ट्री एंड डर्माटोलॉजी)**	
12	**सूल और मगलिर मरूतुवम् (प्रसूति एवं स्त्री रोग)**	
13	**कुजंतइ मरूतुवम् (बाल रोग)**	
14	तोल मरूतुवम् (डर्माटोलॉजी)	
15	**इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च**	
	कार्यालय सहायक (कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक)	दो
	मल्टी-टास्किंग स्टाफ (न्यूनतम 10 वीं कक्षा के साथ)	एक
	गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला	
	प्रभारी (गुणपाडम - मरूंदियल या गुणपाडम - मरूनदगवियल के अध्यापक)	एक
	लिपिक कर्मचारी	एक
	केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला	
	प्रभारी (विभाग के किसी अध्यापक, प्रयोगशाला और विश्लेषण उपकरणों के विशेषज्ञ)	एक

	प्रयोगशाला तकनीशियन (बी.एससी. रसायन विज्ञान या बी.एससी. वनस्पति विज्ञान)	एक
	प्रयोगशाला सहायक	एक
	पशुगृह और पशु प्रयोगशाला	
	प्रभारी (गुणपाडम - मरूनदगवियल या गुणपाडम - मरूंदियल के अध्यापक)	एक
	प्रयोगशाला तकनीशियन (बी.एससी. जीव विज्ञान)	एक
	पशुगृह और प्रयोगशाला सहायक	एक
	क्लिनिकल रिसर्च सेल	
	क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर (बीएसएमएस डिग्री के साथ पोस्टग्रेजुएशन या क्लिनिकल रिसर्च में डिप्लोमा या मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ)	एक
	लिपिक कर्मचारी	एक
	बहु-कार्य कर्मचारी	एक
II	**आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल**	
	समन्वयक (गुणवत्ता प्रबंधन में एमबीए के साथ)	एक
	क्लर्कीयल कर्मचारी	एक
	बहुउद्देश्यीय कर्मचारी	एक

नोट: 1.अतिरिक्त कर्मचारी जैसे स्वीपर, अटेंडेंट, लिफ्टर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सुरक्षा गार्ड, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, बढ़ई, ड्राइव, मल्टी-टास्किंग स्टाफ आदि को आवश्यकता के आधार पर आउटसोर्सिंग द्वारा नियुक्त किया जा सकता है।

2. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत किसी भी कौशल विकास एजेंसी द्वारा प्रशिक्षित कुशल पेशेवरों को गैर-शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति के दौरान उपलब्धता के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी।

(3) अस्पताल स्टाफ: अस्पताल में स्नातकोत्तर कार्यक्रम और विशिष्ट इकाइयों के लिए बढ़ाए गए अतिरिक्त बिस्तरों के लिए, अतिरिक्त स्टाफ को बनाए रखा जाएगा जैसा कि नीचे तालिका में दिखाया गया है।

तालिका

अस्पताल स्टाफ की न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताएँ

[एनसीआईएसएम - यूजी एमईएस विनियम, 2024में छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार स्नातक विभाग के लिए निर्दिष्ट अस्पताल के कर्मचारियों के अलावा, निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा]

क्र. सं.	**आवश्यक कर्मचारी**	**आवश्यक संख्या**
(1)	**(2)**	**(3)**
1	नर्सिंग कर्मचारी	इन-पेशेंट विभागों में हर दस बेड के लिए एक; सूल और मगलिर मरूतुवम् ऑपरेशन थियेटर के लिए दो नर्सें;

		मरूतुवम् विभाग में प्रत्येक गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) बिस्तर के लिए एक नर्स; कुजंतइ मरूतुवम् विभाग में नवजात गहन परिचर्या एकक के लिए 2 नर्सों की स्थापना की गई है।
2	क्लिनिकल रजिस्ट्रार या सीनियर रेजिडेंट या रेजिडेंट डॉक्टर	प्रत्येक बीस बिस्तरों के लिए एक
3	आया	प्रत्येक बीस बिस्तरों के लिए एक

नोट 1. नर्सिंग स्टाफ की संख्या एक दिन में शिफ्ट के अनुसार बढ़ाई जा सकती है।

2. पुरा मरूतुवम् के लिए रोगियों की संख्या के अनुसार चिकित्सकों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

3. बाल चिकित्सा चिकित्सक, व्यावसायिक चिकित्सक और भाषण चिकित्सक को कुजंतइ मरूतुवम् विभाग के लिए अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जा सकता है।

4. स्नातकोत्तर छात्रों को नैदानिक रजिस्ट्रार या वरिष्ठ निवासी या रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते छात्रों को वजीफा या वेतन का भुगतान किया जाएगा।

5. सुरक्षा गार्ड, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, स्वच्छता कर्मचारी, वॉशरमैन, माली, ड्राइवर, हाउसकीपिंग स्टाफ, कुक, रखरखाव कर्मचारी, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, यदि अतिरिक्त आवश्यकता हो, तो आउट-सोर्सिंग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

6. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत किसी भी कौशल विकास एजेंसी द्वारा प्रशिक्षित कुशल पेशेवरों को गैर-शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति के दौरान उपलब्धता के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी।

11. इन विनियमों की प्रकाशन से पहले स्थापित स्नातकोत्तर संस्थानों या विभागों द्वारा अतिरिक्त न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकताओं का पालन करने की समय-सीमा।

(1) इन विनियमों की प्रकाशन की तिथि से बारह महीने के भीतर उन विभागों में अलग स्नातकोत्तर विभाग स्थापित किए जाएंगे जिनमें स्नातकोत्तर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

(2) नीचे दी गई तालिका के अनुसार इन नियमों की प्रकाशन से पहले स्थापित स्नातकोत्तर संस्थानों या विभागों द्वारा अतिरिक्त आवश्यकताओं का पालन करने की समय-सीमा।

तालिका

इन विनियमों की अधिसूचना से पूर्व स्थापित स्नातकोत्तर संस्थाओं (जहां अवर स्नातक कार्यक्रम अस्तित्व में है) द्वारा अतिरिक्त न्यूनतम अनिवार्य मानकों की अपेक्षाओं का अनुपालन करने की समय-सीमा।

क्र. सं.	**मानक या इकाई या अनुभाग या सुविधा**	**समय-सीमा** (इन नियमों के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से)
1	फाइटोकेमिस्ट्री प्रयोगशाला (गुणपाडम - मरूंदियल विभाग)	बारह महीने

2	ग्रीन हाउस (गुणपाडम - मरूंदियल विभाग)	अठारह महीने
3	आण्विक जीवविज्ञान प्रयोगशाला और अतिरिक्त सुविधाएं नोइ नाडल और नोइ मुदल नाडल (पैथोलॉजी) प्रैक्टिकल लेबोरेटरी (नोई नादल और नोई मुधल नादल विभाग) में इम्यूनोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी परीक्षण करने के लिए	बारह महीने
4	उन्नत जहर का पता लगाने की सुविधा (सट्टम सारंध मरूतुवमुम नंजु मरूतुवमुम विभाग)	बारह महीने
5	स्नातकोत्तर विभागवार सेमिनार हॉल और कॉमन सेमिनार हॉल	अठारह महीने
6	स्नातकोत्तर छात्रों के लिए केंद्रीय पुस्तकालय आवश्यकताएँ और विभागीय पुस्तकालय की आवश्यकताएँ	छह महीने
7	स्नातकोत्तर छात्रों के लिए डिजिटल पुस्तकालय सुविधाएं	अठारह महीने
8	नैदानिक कौशल या सिमुलेशन प्रयोगशाला में स्नातकोत्तर विभाग विशिष्ट अतिरिक्त आवश्यकताओं	अठारह महीने
9	स्नातकोत्तर छात्रों के लिए कॉमन रूम (लड़के और लड़कियां अलग-अलग)	अठारह महीने
10	स्नातकोत्तर छात्रों के लिए कॉमन रूम (लड़के और लड़कियां अलग-अलग)	अठारह महीने
11	नैदानिक कौशल या सिमुलेशन प्रयोगशाला (स्नातकोत्तर विभाग आवश्यकताओं)	अठारह महीने
12	एकीकृत स्वास्थ्य और अनुवाद अनुसंधान विभाग	बारह महीने
13	केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला में सुविधाएं	तत्काल
14	स्नातकोत्तर शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला में अतिरिक्त उपकरण	तत्काल
15	पशु घर और पशु प्रयोग प्रयोगशाला में सुविधाएं	अठारह महीने
16	सभी सुविधाओं के साथ नैदानिक अनुसंधान कक्ष	अठारह महीने
17	सभी सुविधाओं के साथ साहित्यिक चोरी जांच सेल	छह महीने
18	स्नातकोत्तर बाह्य रोगी विभागों में संलग्न चिकित्सा/प्रक्रिया कक्ष	छह महीने
19	नवजात गहन चिकित्सा इकाई, बाल विकास क्लिनिक (कुजंतइ मरूतुवम् विभाग)	अठारह महीने
20	निर्माण (भवन अवसंरचना)	अठारह महीने
21	स्नातकोत्तर शिक्षण के लिए विभागवार उपकरण और यंत्र जिसमें स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं	छह महीने
22	मानव संसाधन	बारह महीने

नोट: 1. उपर्युक्त समय-सीमा भौतिक बुनियादी ढांचे के विकास और उपकरण और यंत्र को प्राप्त करने के लिए है। हालांकि, समितियों का गठन और विभिन्न इकाइयों या प्रकोष्ठों के कार्य एक महीने के भीतर शुरू किए जाएंगे।

2. स्नातकोत्तर शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान (जैसा लागू हो) के लिए इस विनियमन में निर्धारित अन्य सभी नए मानकों या परिवर्धन या विस्तार को पूरा किया जाएगा।

3. एनसीआईएसएम - यूजी एमईएस विनियम, 2024 में परिसर, कॉलेज, अस्पताल के लिए निर्दिष्ट अन्य सभी नए मानक या परिवर्धन या विस्तार छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार उक्त विनियमों में प्रदान की गई समय-सीमा के अनुसार पूरे किए जाएंगे।

(3) (1) और (2) में उल्लिखित समय-सीमा अधिकतम है और उसके बाद कोई छूट नहीं दी जाएगी।

अध्याय-V

स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थानों के लिए

न्यूनतम आवश्यक मानक

12. भूमि की आवश्यकता- (1) भूमि की आवश्यकता न्यूनतम पांच एकड़ होगी। भूमि की विशिष्ट श्रेणियों के मामले में, जैसे टियर I और II शहर (X और Y श्रेणियां), पूर्वोत्तर राज्य, पहाड़ी क्षेत्र और अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र, भूमि की न्यूनतम आवश्यकता साढ़े तीन एकड़ से कम नहीं होगी, और ऐसे मामले में, संस्था के पास प्रमाण के रूप में भूमि की विशिष्ट श्रेणी को स्थापित करने के लिए संबंधित स्थानीय अधिकारियों से प्राप्त प्रमाण पत्र होगा। ।

(2) यह भूमि, भूमि का एक टुकड़ा या भूखंड होगी। यदि भूखंड सड़क या नहर या नाले से अलग है लेकिन पुल से जुड़ा हुआ है, तो उसे भूमि का एक टुकड़ा माना जाएगा।

(3) एक स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थान, उससे जुड़े शिक्षण अस्पताल और छात्रावासों के लिए निर्दिष्ट भूमि को स्पष्ट रूप से सीमांकित किया जाएगा और इसका उपयोग स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थान की गतिविधियों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

(4) भूमि संस्था के नाम पर कम से कम तीस वर्ष की अवधि के लिए अथवा संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के नियमों अथवा विनियमों के अनुसार अधिकतम अनुमेय अवधि के लिए पट्टे पर संस्था के स्वामित्व में होगी और तथापि, पट्टे की अवधि समाप्त होने पर पट्टे का नवीकरण अपेक्षित होगा।

(5) भूमि के लिए पट्टा समझौता करने वाले संस्थानों के मामले में, संस्थान को पट्टे की अवधि के अंतिम तीन वर्षों के लिए प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि संस्थान हर साल एक नोटरीकृत शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करता है जिसमें उल्लेख किया गया है कि पट्टे की समाप्ति से पहले पट्टे का नवीनीकरण किया जाएगा और बाद में पट्टे की अवधि समाप्त होने से पहले नवीनीकृत पट्टा समझौते को प्रस्तुत किया जाएगा।

13. सामान्य परिसर- (1) स्टैंडअलोन स्नातकोत्तर संस्थान और संबद्ध शिक्षण अस्पताल के लिए नामित परिसर में उचित पहुंच मार्ग, सुरक्षा की उचित व्यवस्था के साथ अच्छी तरह से निर्मित परिसर की दीवार होगी।

(2) स्टैंडअलोन स्नातकोत्तर संस्थान के लिए नामित परिसर में निम्नलिखित सुविधाएं होंगी -

(ए) प्रशासन क्षेत्र;

(बी) शैक्षणिक क्षेत्र;

(सी) नैदानिक क्षेत्र; और

(डी) प्रयोग क्षेत्र।

(3) प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए, परिसर को उपरोक्त उल्लिखित क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।

(4) संस्थान और अस्पताल का निर्माण उसके विभागों और सहायक इकाइयों और अनुभागों के साथ अलग-अलग भवनों में किया जाएगा, जिसमें इन विनियमों में निर्दिष्ट पर्याप्त बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और सुविधाएं होंगी।

(5) प्रत्येक स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थान को अस्पताल प्रत्यायन (कम से कम प्रवेश स्तर) के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड वाले पूरी तरह कार्यात्मक साठ बिस्तर वाले अस्पताल के साथ संलग्न किया जाएगा और वह एनसीआईएसएम - यूजी एमईएस विनियम, 2024 में निर्दिष्ट साठ छात्र प्रवेश क्षमता के साथ कॉलेज या संस्थान से संलग्न शिक्षण अस्पताल के लिए बताए गए बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन, कार्यक्षमता, उपकरण और यंत्र आदि सहित सुविधाओं के संदर्भ में सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा करेगा। यदि कोई स्नातकोत्तर विभाग या विशेषता इन नियमों में निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखने में विफल रहती है, तो भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड अनुमति देने से इनकार करेगा या अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (1) के खंड (एफ) के अनुसार उपाय करेगा।

(6) सभी भवनों के पास संबंधित अधिकारियों से सभी प्रासंगिक अनुमतियां होंगी।

(7) मौजूदा मानदंडों के अनुसार संबंधित अधिकारियों से उचित अनुमति के साथ अग्नि सुरक्षा, सीवेज शोधन योजना, प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं, आपदा प्रबंधन उपाय, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन आदि करने होंगे।

(8) संस्थान को दिव्यांग व्यक्तियों की आत्मनिर्भरता, सुविधा और सुरक्षा के लिए बाधा मुक्त वातावरण प्रदान करना चाहिए।

(9) परिसर में वाहनों की मुक्त आवाजाही और सीमांकित पार्किंग क्षेत्र के लिए एक उचित लेआउट योजना होगी।

(10) पार्किंग क्षेत्र को उच्च अधिकारियों, कर्मचारियों और छात्रों के लिए लेबल या चिह्नित किया जाएगा।

(11) परिसर में पर्याप्त जल आपूर्ति, उचित जल निकासी पद्धति और पावर बैक-अप सिस्टम सहित बिजली आपूर्ति होगी।

(12) परिसर में एक केंद्रीय कार्यशाला या रखरखाव कक्ष होगा, जो कॉलेज या संस्थान की आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त रूप से साधन-सम्पन्न होगा, साथ ही बिजली, पाइपलाइन, बढ़ईगीरी, स्वच्छता, सिविल कार्य, जल आपूर्ति, अपशिष्ट प्रबंधन, जल निकासी, हाउसकीपिंग, आदि जैसे क्षेत्रों में रखरखाव से संबंधित कार्यों के लिए उपयुक्त तकनीकी कर्मचारी या आउटसोर्स कर्मचारी होंगे।

(13) संस्थान आधिकारिक संपर्क विवरण, आधिकारिक बैंक खाते, सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे, बायोमेट्रिक उपस्थिति पद्धति और संस्थान की वेबसाइट को एनसीआईएसएम - यूजी एमईएस विनियम, 2024में निर्दिष्ट के अनुसार बनाए रखेगा।

(14) "संस्थान आयोग द्वारा निर्दिष्ट सभी ऑनलाइन सिस्टमों को स्थापित और बनाए रखेगा और नियम 4 के उप-नियम (4) के धाराओं (ए), (बी) और (सी) में निर्दिष्ट अनुसार आयोग के ऑनलाइन सिस्टमों के साथ समन्वय या इंटरफेस करेगा।"

14. क्षेत्र-वार न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकताएँ -

(1) **प्रशासन क्षेत्र-** (ए) प्रशासन क्षेत्र के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र 200 वर्ग मीटर है। इस क्षेत्र में उप-इकाइयां होंगी जैसे कि प्रवेश कक्ष और संलग्न शौचालय सहित, संस्था के प्रमुख का कार्यालय, निजी सहायक का कार्यालय, संस्थान का कार्यालय (स्थापना, खाते, नकदी आदि), कर्मचारी समिति कक्ष या कॉलेज परिषद बैठक कक्ष, संस्थान के प्रमुख के पास और

कार्यालय में आने वाले आगंतुकों के लिए अलग-अलग प्रतीक्षालय, केंद्रीय स्टोर, रिकॉर्ड रूम, पेंट्री, शौचालय आदि, जैसा कि नीचे दी गई **तालिका** में दिखाया गया है;

तालिका

स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थान में प्रशासनिक क्षेत्र के लिए स्थान की न्यूनतम आवश्यकता

क्र. सं.	इकाइयाँ या अनुभाग	न्यूनतम आवश्यक क्षेत्र वर्ग मीटर में
(1)	(2)	(3)
1	स्नातकोत्तर संस्थान के प्रमुख (निदेशक या डीन या प्रिंसिपल) कार्यालय में प्रवेश कक्ष और संलग्न शौचालय सहित	50
2	संस्था के प्रमुख के निजी सहायक	10
3	स्टाफ कमेटी या मीटिंग रूम/कॉलेज काउंसिल मीटिंग रूम	30
4	संस्थान के प्रमुख से मिलने के लिए विजिटर लॉज	10
5	कॉलेज कार्यालय (अधीक्षक, लिपिक कर्मचारी, लेखाकार, कैशियर के लिए बैठने की व्यवस्था, रिकॉर्ड रूम, कार्यालय आगंतुकों के लिए विजिटर लाउंज)	55
6	पैंट्री	05
7	केंद्रीय भण्डार	30
8	कार्यालय स्टाफ के लिए शौचालय	10
	कुल	**200**

(बी) मानव संसाधन - प्रशासन अनुभाग को एनसीआईएसएम - यूजी एमईएस विनियम, 2024की **छठी अनुसूची** में उल्लिखित योग्यता और अनुभव के साथ नीचे दी गई **तालिका** के अनुसार पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की व्यवस्था की जाएगी।

तालिका

प्रशासन क्षेत्र में गैर-शिक्षण कर्मचारियों की न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताएँ

क्र. सं.	आवश्यक गैर-शिक्षण स्टाफ	आवश्यक संख्या
(1)	(2)	(3)
1	संस्था के प्रमुख के लिए निजी सहायक या निजी सचिव	एक
2	कार्यालय अधीक्षक	एक
3	लिपिक कर्मचारी (स्थापना, लेखा और नकद)	तीन
4	अटेंडेंट या मल्टी-टास्किंग स्टाफ	एक

नोट:- 1. प्रशासन क्षेत्र के लिए ऊपर निर्धारित गैर-शिक्षण स्टाफ न्यूनतम है, हालाँकि संस्थान आवश्यकता के अनुसार अधिक संख्या में स्टाफ नियुक्त कर सकता है।

2. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत किसी भी कौशल विकास एजेंसी द्वारा प्रशिक्षित कुशल पेशेवरों को गैर-शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति के दौरान उपलब्धता के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी।

(2) **शैक्षणिक क्षेत्र -** (ए) शैक्षणिक क्षेत्र में स्नातकोत्तर विभाग और उनकी संबद्ध इकाइयाँ शामिल हैं जिनमें विभाग विशिष्ट प्रयोगशालाएँ और विभागीय पुस्तकालय, क्लॉसरूम, सेमिनार हॉल, बहुउद्देश्यीय हॉल (विभिन्न कार्यक्रमों, सम्मेलन, परीक्षा आदि के संचालन के लिए) केंद्रीय पुस्तकालय, डिजिटल लाइब्रेरी, नैदानिक कौशल या सिमुलेशन प्रयोगशाला, मानव संसाधन और विकास सेल, फार्माकोविजिलेंस सेल रूम, कॉलेज काउंसिल रूम, कैरियर मार्गदर्शन और प्लेसमेंट सेल रूम सहित छात्र सहायता और मार्गदर्शन सेल, स्नातकोत्तर छात्रों और शिक्षण स्टाफ के लिए कॉमन रूम, पाठ्येतर गतिविधियों के लिए सुविधाएं, छात्रों के लिए जन-सुविधाएं, शिक्षण स्टाफ के लिए जन-सुविधाएं, हर्बल गार्डन, छात्रावास और कैंटीन शामिल हैं;

(बी) स्नातकोत्तर विभाग जिनमें स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, उनकी संबद्ध इकाइयों या अनुभागों के साथ स्थापित किए जाएंगे जैसा कि नीचे दी गई तालिका में खंड (डी) में उल्लिखित है;

(सी) इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग अनिवार्य विभाग है और इसे सभी स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थानों में स्थापित किया जाएगा; यह विभाग इन नियमों में नियम 7 के उपधारा (xv) के अनुसार कार्य करेगा और इसमें उपधारा (vi) के अनुसार शिक्षण स्टाफ और उपधारा (vii) के अनुसार गैर-शिक्षण स्टाफ होगा, जो नियम 14 के उप-नियम (2) के धारा (यू) में दिए गए तालिका के अनुसार होगा।

(डी) (i) प्रत्येक स्नातकोत्तर विभाग में कर्मचारियों के लिए बैठने की व्यवस्था और अन्य सुविधाएं इन विनियमों में विनियम 4 के उप-विनियम (5) में उल्लिखित अनुसार होंगी;

(ii) प्रत्येक स्नातकोत्तर विभाग और उनकी संबद्ध इकाइयों के लिए आवश्यक न्यूनतम निर्मित क्षेत्र नीचे दी गई **तालिका** में दिखाया गया है, -

तालिका

स्टैंडअलोन स्नातकोत्तर संस्थान की विभागवार न्यूनतम निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता

क्र. सं.	**विभाग और निर्दिष्टीकरण**	**न्यूनतम निर्मित क्षेत्र वर्ग मीटर में**
(1)	**(2)**	**(3)**
1	इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग	75
2	सिद्ध मरूतुवम् मूलतत्तुवम (बेसिक प्रिंसीपल्स आफ सिद्धा मेडिसिन) निम्न के साथ क. उन्नत भाषा प्रयोगशाला	100
3	उडल कूरुगल विभाग निम्न के साथ ए. डिस्सेक्शन हॉल (इम्बालमिंग रूम, कैडवर स्टोरेज टैंक या फ्रीजर, पर्याप्त	150

	वेंटिलेशन और निकास सुविधा, हाथ धोने की सुविधा के साथ) बी. प्रैक्टिकल प्रयोगशाला सी. वर्चुअल डिस्सेक्शन टेबल और ई-डिस्सेक्शन सॉफ्टवेयर डी. संग्रहालय	
4	उडल तत्वम विभाग निम्न के साथ ए. उडल तत्वम (फिजियोलॉजी) प्रैक्टिकल प्रयोगशाला बी. उयिर वेधियल (जैव रसायन) प्रैक्टिकल प्रयोगशाला	200
5	गुणपाडम - मरूंदियल (मटेरिया मेडिका और फार्माकोलॉजी) विभाग निम्न के साथ ए. गुणपाडम - मरूंदियल (मटेरिया मेडिका और फार्माकोलॉजी) प्रैक्टिकल प्रयोगशाला बी. मरूतुवा तावरवियल (मेडिसिनल बॉटनी और फार्माकोग्नॉसी) प्रैक्टिकल प्रयोगशाला सी. फाइटोकेमिस्ट्री प्रयोगशाला डी. हर्बेरियम सह संग्रहालय ई. ग्रीन हाउस एफ. उन्नत गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला	300
6	गुणपाडम - मरूनदगवियल विभाग (मटेरिया मेडिका और फार्मास्यूटिक्स) निम्न के साथ ए. गुणपाडम - मरूनदगवियल (मटेरिया मेडिका और फार्मास्यूटिक्स) प्रैक्टिकल प्रयोगशाला बी. उन्नत गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला सी. संग्रहालय	250
7	नोइ नाडल और नोइ मुदल नाडल (पैथोलॉजी) विभाग निम्न के साथ ए. नोइ नाडल और नोइ मुदल नाडल (पैथोलॉजी) प्रैक्टिकल प्रयोगशाला बी. नुन्नुयिरियल (माइक्रोबायोलॉजी) प्रैक्टिकल प्रयोगशाला सी आण्विक जीव विज्ञान प्रयोगशाला डी. संग्रहालय	250
8	सट्टम सारंध मरूतुवमुम नंजु मरूतुवमुम (फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी) विभाग निम्न के साथ ए सट्टम सारंध मरूतुवमुम नंजु मरूतुवमुम (फॉरेंसिक मेडिसिन और	125

	टॉक्सिकोलॉजी) उन्नत पोयजन टैस्टिंग सुविधा के साथ प्रैक्टिकल प्रयोगशाला बी. संग्रहालय	
9	उन्नत पोषण प्रयोगशाला के साथ नोइ अनुगाविधी सहित रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टेटिस्टिकस (प्रिंसिपल्स एडं डिसिपिलिन्स ऑफ डिसिज़ प्रिवेंशन एडं पब्लिक हेल्थ) विभाग	150
10	मरूतुवम् (मेडिसिन) विभाग	75
11	वर्मम पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम (वर्मम, एक्सर्टनल थेरेपी एडं स्पेशल मेडिसिन)विभाग	
	वर्मा मरूतुवम्	75
	पुरा मरूतुवम्	75
	सिद्धर योग मरूतुवम्	75
12	कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरूतुवम् सहित अरूवइ (नेत्र विज्ञान, ई.एन.टी., दंत चिकित्सा और त्वचा विज्ञान सहित सर्जरी) विभाग, संग्रहालय के साथ	100
13	सूल और मगलिर मरूतुवम् (स्त्री रोग एवं प्रसूति विज्ञान) विभाग	75
14	कुजंतइ मरूतुवम् (पिडियाट्रिक्स) विभाग	75
15	तोल मरूतुवम् (डर्माटोलॉजी)	75
16	त्वरित प्रतिक्रिया कोड के साथ लेबल की गई जड़ी-बूटियों की 250 प्रजातियों वाला हर्बल गार्डन	2500

नोट: 1. विभागीय पुस्तकालय, कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट सुविधा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले सुविधाएं, शिक्षण स्टाफ हेतु बैठने की व्यवस्था आदि सहित विभाग की आवश्यकताएं विनियम 4 के उप-विनियम (5) के अनुसार होंगी

2. संबंधित विभाग के संग्रहालयों में प्रयोगशालाओं और नमूनों आदि में उपकरणों, उपस्कर, रसायनों, अभिकर्मकों आदि की सूची संबंधित विशेषता या विभाग में स्नातकोत्तर सीटों के अनुसार एनसीआईएसएम - यूजी एमईएस विनियम, 2024 में निर्दिष्ट संबंधित अनुसूचियों के अनुसार होगी ।

3. इन विनियमों में विनियम 7 के उप-विनियमन (i), (ii), (iii) और (iv) के तहत उल्लिखित उपकरण, उपस्कर और अन्य सुविधाएं संबंधित स्नातकोत्तर विभाग या विशेषता अतिरिक्त रूप से पूरी की जाएंगी।

4. फाइटोकेमिस्ट्री प्रयोगशाला और आणविक जीव विज्ञान प्रयोगशाला में क्रमशः पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची के अनुसार उपस्कर, उपकरण, रसायन और अभिकर्मकों आदि सहित पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

5. नोइ अनुगाविधी सहित रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टेटिस्टिकस के पास क्षेत्र के दौरे के लिए एक विशेष विभागीय वाहन होगा।

6. गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला, प्रयोग क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जो गुणपाडम - मरूंदियल और गुणपाडम - मरूनदगवियल स्नातकोत्तर कार्यक्रमों दोनों के लिए एक सामान्य सुविधा होगी और यह इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग के तहत कार्य करेगी।

7. नोइ नाडल और नोइ मुदल नाडल प्रैक्टिकल प्रयोगशाला स्नातकोत्तर शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए इम्यूनोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी परीक्षण करने की सुविधाएं प्रदान करेगी।

8. प्रत्येक स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थान, जहां स्नातकोत्तर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हों, इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग की स्थापना करेगा और इन विनियमों में विनियम 7 के उप-विनियम (xv) के अनुसार कार्य करेगा।

(ई) क्लॉसरूम: इन नियमों में नियम 8 के उप-नियम (1) के तहत उल्लेखित विनिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक स्नातकोत्तर कार्यक्रम या विशेषता के लिए न्यूनतम दो कक्षाएं होंगी;

(एफ) सेमिनार हॉल: प्रत्येक स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थान में इन विनियमों के विनियमन 8 के उप-विनियमन (2) के तहत उल्लिखित विनिर्देशों के अनुसार विभागवार सेमिनार हॉल और कॉमन सेमिनार हॉल या ऑडिटोरियम होगा;

(जी) केंद्रीय पुस्तकालय: (i) केंद्रीय पुस्तकालय का क्षेत्रफल एक सौ पचास वर्ग मीटर से कम नहीं होगा, और केंद्रीय पुस्तकालय में साठ छात्र प्रवेश क्षमता के लिए उल्लिखित पुस्तकों और अन्य स्पेशिफिकेशन, आवश्यकताओं, पुस्तकालय कार्यपद्धति और सुविधाएं न्यूनतम होंगी जैसा कि एनसीआईएसएम - यूजी एमईएस विनियम, 2024में निर्दिष्ट है;

(ii) स्नातकोत्तर छात्रों के लिए बैठने की व्यवस्था स्नातकोत्तर छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार होगी (1:2, वार्षिक प्रवेश क्षमता के प्रत्येक दो स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एक सीट) केंद्रीय पुस्तकालय में प्रदान की जाएगी;

(iii) प्रत्येक स्नातकोत्तर विभाग या कार्यक्रम, या विशेषज्ञता के लिए आवश्यक पुस्तकों और पत्रिकाओं की संख्या इन विनियमों में विनियम 8 के उप-विनियम (3) के खंड (बी) और (सी) के अनुसार होगी।

(एच) विभागीय पुस्तकालय: प्रत्येक स्नातकोत्तर विभागीय पुस्तकालय में रखी गई पुस्तकों की संख्या इन विनियमों में विनियम 8 के उप-विनियम (4) के खंड (ए) और (बी) में उल्लिखित विनिर्देशों के अनुसार होगी।

(आई) डिजिटल लाइब्रेरी: डिजिटल लाइब्रेरी में कुल निर्मित क्षेत्र चालीस वर्ग मीटर से कम नहीं होगा और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए 1:5 के अनुपात में कंप्यूटर सिस्टम होगा, अर्थात, पांच छात्रों के लिए एक अर्थात, सभी स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की कुल वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के संबंध में पांच छात्रों के लिए एक कंप्यूटर सिस्टम प्रदान किया जाएगा। सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जैसे व्याकरण, साहित्यिक चोरी की जाँच, सांख्यिकीय कार्यक्रम, उद्धरण या बिब्लोग्राफी मेकर या जनरेटर आदि डिजिटल लाइब्रेरी में उपलब्ध कराए जाएंगे;

(जे) परीक्षा या बहुउद्देशीय या योग हॉल: उचित बैठने की व्यवस्था के साथ प्रति स्नातकोत्तर छात्र (तीन साल के कुल स्नातकोत्तर छात्रों के लिए बीस प्रतिशत अतिरिक्त) दो वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला एक बड़ा हॉल उपलब्ध कराया जाएगा। इस बहुउद्देश्यीय हॉल का उपयोग बैठकों, सेमिनारों, सम्मेलनों, परीक्षाओं, योग प्रशिक्षण आदि के संचालन के लिए किया जाएगा। इसमें दृश्य-श्रव्य सुविधा, क्लोज-सर्किट टेलीविजन और शौचालय की सुविधा प्रदान की जाएगी;

(के) प्रत्येक स्नातकोत्तर संस्थान विभागों के लिए एक नैदानिक कौशल या सिमुलेशन प्रयोगशाला होगा अर्थात. मरूतुवम्, वर्मम पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम, कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरूतुवम् सहित अरूवइ, सूल और मगलिर मरूतुवम्, कुजंतइ मरूतुवम्, नोइ नाडल और नोइ मुदल नाडल, और सट्टम सारंध

मरूतुवमुम नंजु मरूतुवमुम (जैसा लागू हो), प्रत्येक चालीस वर्ग मीटर के न्यूनतम क्षेत्र के साथ और एनसीआईएसएम-यूजी विनियम, 2024 में निर्दिष्ट चौदहवीं अनुसूची के अनुसार विभाग विशिष्ट मेडिकल मैनिकिन या सिमुलेटर के साथ-साथ स्नातकोत्तर स्नातकोत्तर स्तर के प्रशिक्षण के लिए इन नियमों की छठी अनुसूची में निर्धारित विभाग विशिष्ट सिमुलेटर या मैनिकिन;

(एल) सह-पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों के लिए सुविधा: संस्थान द्वारा सह-पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों के संचालन के लिए निम्नानुसार पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, अर्थात्, -

(i) शारीरिक शैक्षणिक सुविधा;

(ii) मनोरंजक सुविधा;

(iii) आवश्यकता के अनुसार क्लब गतिविधियाँ जैसे लित कला क्लब, खेल क्लब, विज्ञान क्लब, भाषा क्लब, जर्नल क्लब, फोटोग्राफी क्लब, पशु प्रेमी क्लब और आवश्यकता के अनुसार अन्य क्लब;

(एम) छात्र सुविधाएं: (i) परिवहन, बैंक या स्वचालित टेलर मशीन, खेल का मैदान (इनडोर और आउटडोर खेल), व्यायामशाला या फिटनेस सेंटर, स्टेशनरी स्टोर, कैफेटेरिया आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी;

(ii) पुरुष और महिला छात्रों के लिए उचित और आसानी से सुलभ स्थानों पर पर्याप्त संख्या में अलग-अलग शौचालय बनाए जाएंगे;

(iii) महिला शौचालयों में सेनेटरी नैपकिन डिस्पेंसर और इनसिनरेटर उपलब्ध कराया जाएगा;

(एन) (i) कुल वार्षिक प्रवेश क्षमता के न्यूनतम बीस प्रतिशत की आवास क्षमता वाला कॉमन रूम (पुरुष और महिला छात्रों के लिए अलग-अलग) जिसमें पर्याप्त क्षेत्र, फर्नीचर और अटैच शौचालय की सुविधाएं प्रदान की जाएगी;

(ii) महिला स्नातकोत्तर छात्रों के लिए शौचालयों में सेनेटरी नैपकिन डिस्पेंसर और इनसिनरेटर की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी;

(ओ) छात्रावास: परिसर के भीतर मेस सुविधा के साथ लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग एक छात्रावास (अधिमानतः एकल आवास) होगा, जिसमें पर्याप्त फर्नीचर, वाचनालय, मनोरंजन सुविधा, कमरे के साथ स्नानघर और शौचालय की सुविधा और सुरक्षा सेवाएं उपलब्ध होंगी;

(पी) स्टाफ सुविधाएं: (i) शिक्षण स्टाफ के लिए दो कॉमन रूम, एक पुरुषों के लिए और एक महिलाओं के लिए, पर्याप्त फर्नीचर, बैठने की व्यवस्था, अटैच शौचालय, पीने का पानी और जलपान सुविधाओं के साथ प्रदान किये जाएंगे;

(ii) भवन के प्रत्येक तल पर शिक्षण कर्मचारियों (पुरुष और महिला अलग-अलग) और गैर-शिक्षण कर्मचारियों (पुरुष और महिला अलग-अलग) के लिए अलग से उपयुक्त और आसानी से सुलभ स्थानों पर पर्याप्त संख्या में शौचालय बनाए जाएंगे;

(iii) महिला शौचालयों में सेनेटरी नैपकिन डिस्पेंसर और इनसिनरेटर उपलब्ध कराया जाएगा;

(क्यू) कैंटीन: संस्थान की कुल छात्र संख्या के अनुसार पर्याप्त जगह और बैठने की व्यवस्था के साथ एक कैंटीन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी;

(आर)हर्बल गार्डन: प्रत्येक संस्थान, संस्थान परिसर के भीतर दो हजार पांच सौ वर्ग मीटर के क्षेत्र में हर्बल गार्डन स्थापित करेगा और त्वरित प्रतिक्रिया कोड के साथ लेबल किए गए दो सौ पचास औषधीय पौधों की प्रजातियों को लगायेगा;

(एस) क्लोज-सर्किट टेलीविजन: संस्थान की आवश्यकता के अनुसार बायोमेट्रिक उपस्थिति पद्धति क्षेत्र, क्लॉसरूम, पुस्तकालय, डिजिटल लाइब्रेरी, प्रैक्टिकल प्रयोगशालाओं, नैदानिक कौशल या सिमुलेशन प्रयोगशाला, गलियारों, बहुउद्देश्यीय हॉल और अन्य क्षेत्रों में क्लोज सर्किट टेलीविजन स्थापित किये जाएंगे;

(टी) अन्य आवश्यकताएं: (i) मानव संसाधन विकास सेल - यह प्रत्येक संस्थान में स्थापित किया जाएगा और एनसीआईएसएम - यूजी एमईएस विनियम, 2024 में निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार कार्य करेगा। मानव संसाधन विकास सेल के लिए आवश्यक क्षेत्र न्यूनतम पचास वर्ग मीटर से कम नहीं होगा;

(ii) फार्माकोविजिलेंस सेल - प्रत्येक संस्थान में एक फार्माकोविजिलेंस सेल होगा जिसमें फार्माकोविजिलेंस कक्ष के लिए न्यूनतम तीस वर्ग मीटर जगह होगी, यह सेल क्षेत्रीय या राष्ट्रीय या केंद्रीय फार्माकोविजिलेंस सेल के साथ मिलकर काम करेगा। संस्थान फार्माकोविजिलेंस सेल के गठन और उसके कार्य पर नीतियां और कार्यपद्धति विकसित करेगी;

(iii) कॉलेज काउंसिल - कॉलेज काउंसिल की स्थापना और कार्य एनसीआईएसएम - यूजी एमईएस विनियम, 2024 में निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। पर्याप्त बैठने की व्यवस्था और रिकॉर्ड रखने की सुविधाओं के साथ कॉलेज काउंसिल रूम के लिए जगह कम से कम तीस वर्ग मीटर होगी;

(iv) छात्र सहायता और मार्गदर्शन सेल - प्रत्येक संस्थान में छात्रों को शैक्षणिक, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक, व्यक्तिगत और कैरियर विकास में समर्थन, मार्गदर्शन और प्रोत्साहित करने के लिए एक छात्र सहायता और मार्गदर्शन सेल होगा। इसका गठन और कार्य विश्वविद्यालय के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा; यदि ऐसे दिशानिर्देश उपलब्ध नहीं हैं, तो यह संस्थान की नीति और कार्यपद्धति के अनुसार होगा। छात्र सहायता और मार्गदर्शन सेल के लिए कमरे में बैठने की उचित व्यवस्था, रिकॉर्ड रखने की सुविधा और अन्य संबंधित सुविधाओं के साथ कम से कम तीस वर्ग मीटर की जगह उपलब्ध कराई जाएगी;

(v) शिकायत निवारण कक्ष: प्रत्येक संस्थान में छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए एक शिकायत निवारण कक्ष होगा। समिति का गठन और कार्य संस्था की नीतियों और कार्यपद्धति के अनुसार किया जाएगा। छात्र सहायता और मार्गदर्शन सेल के लिए आवंटित कमरे का उपयोग शिकायत निवारण कक्ष द्वारा अपनी बैठकों और संबंधित रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए किया जा सकता है;

(vi) यौन उत्पीड़न के खिलाफ समिति: प्रत्येक संस्थान में यौन उत्पीड़न के खिलाफ एक समिति का गठन किया जाएगा और एक सुरक्षित, न्यायसंगत और समावेशी परिसर वातावरण के निर्माण के लिए संस्थान की नीतियों और कार्यपद्धति के अनुसार कार्य किया जाएगा। समिति यौन उत्पीड़न के बारे में जागरूकता पैदा करेगी और परिसर में छात्रों, कर्मचारियों और आगंतुकों द्वारा किए गए यौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों से निपटेगी। गोपनीय प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करना समिति की जिम्मेदारी है। छात्र सहायता और मार्गदर्शन सेल के लिए आवंटित कमरे का उपयोग यौन उत्पीड़न विरोधी समिति द्वारा अपनी बैठकों और संबंधित रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए किया जा सकता है;

(vii) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल: प्रत्येक संस्थान में संस्थान की गुणवत्ता आश्वासन और गुणवत्ता वृद्धि गतिविधियों की योजना, मार्गदर्शन और निगरानी के लिए एक आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल होगा। सेल का गठन और कार्य एनसीआईएसएम - यूजी एमईएस विनियम, 2024 में उल्लिखित विनिर्देशों के अनुसार होगा।

तीस वर्ग मीटर के न्यूनतम क्षेत्र वाले एक कमरे में उचित बैठने की व्यवस्था की जाएगी और रिकॉर्ड रखने की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी;

(viii) रैगिंग-रोधी समिति और रैगिंग-रोधी दस्ता : *(ए)* रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए कॉलेज अथवा संस्था के लिए यह अनिवार्य है कि वे उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में रैगिंग के खतरे को रोकने संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2009 के अनुसार रैगिंग-रोधी समिति और रैगिंग-रोधी दस्ते का गठन करें ताकि नए छात्रों के लिए सतर्क निगरानी और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

(बी) रैगिंग-रोधी समिति और दस्ते के कर्तव्य और उत्तरदायित्व, रैगिंग के निषेध और निवारण के लिए संस्था द्वारा किए जाने वाले उपाय, मानीटरन और परामर्श तंत्र, शिकायत करने और रिपोर्ट करने की प्रक्रिया, दंड, अनुपालन न किए जाने की दशा में परिणाम आदि (ए) में उल्लिखित विनियमों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और आयोग द्वारा समय-समय पर यथा विनिदष्ट संबंधित दिशानिर्देशों, परिपत्रों, पत्रों के अनुसार होंगे

(ix) प्रत्येक स्टैंडअलोन स्नातकोत्तर संस्थान में एक साहित्यिक चोरी जांच कक्ष होगा और न्यूनतम स्थान की आवश्यकता, मानव संसाधन, सुविधाएं और कार्यक्षमता इन नियमों में विनियमन 7 के खंड (xx) के अनुसार होगी।

(यू) शिक्षण स्टाफ की न्यूनतम आवश्यकता: (i) जिस विभाग में स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालित किया जाता है, उसमें न्यूनतम तीन शिक्षण संकाय होंगे: एक प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर या रीडर और एक सहायक प्रोफेसर या व्याख्याता जैसा कि उप खंड (vi) के तहत नीचे दी गई **तालिका** में दिखाया गया है। शिक्षण स्टाफ की योग्यता और अनुभव इन **विनियमों** में विनियम 32 के अनुसार होगा;

(ii) एक ही विभाग के अंतर्गत एकाधिक स्नातकोत्तर कार्यक्रम: एकाधिक स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम, वर्मा मरूतुवम्, पुरा मरूतुवम् और सिद्धर योग मरूतुवम्, के मामले में, वर्मम पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम के एक ही विभाग के तहत, प्रत्येक स्नातकोत्तर विशेषता या कार्यक्रम में एक प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर या रीडर, एक सहायक प्रोफेसर या व्याख्याता होगा। तीन प्रोफेसरों में से कोई एक वर्मम पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम के स्नातकोत्तर विभाग का प्रमुख होगा;

(iii) यदि एक ही विभाग में कई स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं और ऐसे मामले में, एक ही विभाग के तहत स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के बीच शिक्षण कर्मचारियों के आदान-प्रदान या दोहराव की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(iv) किसी विभाग में एक से अधिक प्रोफेसर की उपलब्धता की स्थिति में, विभाग के प्रमुख का पद प्रत्येक प्रोफेसर को रोटेशन के आधार पर तीन साल के लिए दिया जाएगा;

(v) *(ए)* इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग में एक प्रोफेसर होगा और योग्यता और अनुभव इन विनियमों में निर्दिष्ट विनियम 32 के उप-विनियम (2) के खंड (जी) के उप-खंड (i) के अनुसार होगा;

(बी) विभाग में बायोकैमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिनल बॉटनी या बॉटनी और पब्लिक हेल्थ के विषयों में अतिरिक्त शिक्षण कर्मचारी होंगे, जिन्हें उप खंड (vi) के तहत दी गई **तालिका** के अनुसार पूर्णकालिक, नियमित आधार पर नियुक्त किया जाएगा, और जिनकी योग्यता, अनुभव और पदोन्नति इन विनियमों में निर्दिष्ट विनियम 32 के उप-विनियम (2) के खंड (जी) के उप-खंड (ii) अनुसार होगी;

(सी) एक बायोस्टैटिस्टिशियन को इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग में पूर्णकालिक या अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाएगा और योग्यता और अनुभव इन विनियमों में निर्दिष्ट विनियम 32 के उप-विनियम (2) के खंड (जी) के उप-खंड (iii) के अनुसार होगा;

(vi) विनियम 32 के उप-विनियम (2) के खंड (एफ) में उल्लिखित योग्यता और अनुभव के साथ एक योग शिक्षक को प्रत्येक स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थान में पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाएगा। वह अस्पताल में वर्मम पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम विभाग के तहत काम करेगा; यदि विशिष्ट विभाग या विशेषता स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थान में उपलब्ध नहीं है, तो योग शिक्षक इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग के तहत काम करेगा और शैक्षणिक क्षेत्र के साथ-साथ नैदानिक क्षेत्र में जहां भी आवश्यक हो, अपनी सेवा का विस्तार करेगा।

तालिका

स्टैंडअलोन - स्नातकोत्तर संस्थान में विभागों के लिए शिक्षण स्टाफ की न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताएँ

क्र.सं.	स्नातकोत्तर विभाग या स्पेशियलिटी	शिक्षण स्टाफ की न्यूनतम आवश्यकता		
		प्रोफेसर और प्रमुख	एसोसिएट प्रोफ़ेसर	सहायक प्रोफ़ेसर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मरूतुवम् (मेडिसिन)	एक	एक	एक
2	वर्मम पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम (वर्मम, एक्सर्टनल थेरेपी एडं स्पेशल मेडिसिन)			
	वर्मा मरूतुवम् (वर्मा मेडिसिन)	एक	एक	एक
	पुरा मरूतुवम् (एक्सर्टनल मेडिसिन)	एक	एक	एक
	सिद्धर योग मरूतुवम् (सिद्धर यौगिक साइंस)	एक	एक	एक
3	कुजंतइ मरूतुवम् (पिडियाट्रिक्स)	एक	एक	एक
4	सट्टम सारंध मरूतुवमुम नंजु मरूतुवमुम (फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी)	एक	एक	एक
5	नोइ अनुगाविधी सहित रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टेटिस्टिकस (प्रिंसिपल्स एडं डिसिपिलिन्स ऑफ डिसिज़ प्रिवेंशन एडं पब्लिक हेल्थ)	एक	एक	एक
6	कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरूतुवम् सहित अरूवइ (सर्जरी इंक्लुडिंग आप्थॉमोलॉजी, ईएनटी, डेन्टिस्ट्री एंड डर्माटोलॉजी)	एक	एक	एक
7	सूल और मगलिर मरूतुवम् (ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गाईनेकॉलोजी)	एक	एक	एक

8	नोइ नाडल और नोइ मुदल नाडल (पैथोलॉजी)	एक	एक	एक
9	गुणपाडम - मरूंदियल (मटेरिया मेडिका और फार्माकोलॉजी)	एक	एक	एक
10	गुणपाडम - मरूनदगवियल (मटेरिया मेडिका और फार्मास्यूटिक्स)	एक	एक	एक
11	सिद्ध मरूतुवम् मूलतत्तुवम (बेसिक प्रिंसीपल्स आफ सिद्धा मेडिसिन)	एक	एक	एक
12	उडल कूरुगल(एनाटॉमी)	एक	एक	एक
13	उडल तत्वम (फिजियोलॉजी)	एक	एक	एक
14	तोल मरूतुवम् (डर्माटोलॉजी)	एक	एक	एक
15	इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च	एक	---	पाँच

नोट: 1. वर्मा मरूतुवम्, पुरा मरूतुवम् और सिद्धर योग मरूतुवम् के प्रोफेसरों में से एक वर्मम पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम विभाग का प्रमुख होगा, इन विनियमों के विनियम 14 के उप-विनियम (2) के खंड (यू) के उप-खंड (ii) और (iv) के अनुसार।

2. इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग में कम से कम पांच सहायक प्रोफेसर पूर्णकालिक, नियमित आधार पर होंगे (बायोकैमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिनल बॉटनी या वनस्पति विज्ञान, फार्माकोलॉजी और पब्लिक हेल्थ प्रत्येक से एक)

3. इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग में पूर्णकालिक या अंशकालिक आधार पर एक बायोस्टैटिस्टिशियन की नियुक्ति की जाएगी।

4. पूर्णकालिक आधार पर एक योग प्रशिक्षक नियुक्त किया जाएगा और इन नियमों के विनियमन 14 के उप-विनियमन (2) के खंड (यू) के उप-खंड (vi) के अनुसार होगा।

5. अभ्यास के प्रोफेसर को प्रत्येक स्नातकोत्तर विभाग या विशेषता या कार्यक्रम में विनियमन 4 के उप-विनियमन (2) के खंड (ए) और (बी) के अनुसार नियुक्त किया जाएगा और योग्यता सातवीं अनुसूची के अनुसार होगी, और उन्हें भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा शिक्षक कोड प्रदान नहीं किया जाएगा।

6. यदि संस्थान उडल कूरुगल, गुणपाडम - मरूंदियल और गुणपाडम - मरूनदगवियल विभाग में स्नातकोत्तर कार्यक्रम आयोजित नहीं कर रहा है, तो अंशकालिक आधार पर उपर्युक्त संबंधित विषयों (उडल कूरुगल और गुणपाडम) में शिक्षक को एकीकृत स्वास्थ्य और अनुवाद अनुसंधान विभाग के तहत नियुक्त किया जाएगा।

(vii) तकनीकी और अन्य कर्मचारियों सहित गैर-शिक्षण कर्मचारियों की न्यूनतम आवश्यकता: गैर-शिक्षण कर्मचारियों की न्यूनतम आवश्यकता नीचे दी गई **तालिका** के अनुसार होगी। उनकी योग्यता और अनुभव एनसीआईएसएम - यूजी एमईएस विनियम, 2024 की **छठी अनुसूची** के अनुसार होंगे।

तालिका

स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थान में स्नातकोत्तर विभागों के लिए गैर-शिक्षण कर्मचारियों की न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताएं

क्र. सं.	विभाग/अनुभाग/इकाई और आवश्यक गैर-शिक्षण कर्मचारी	आवश्यक संख्या
(1)	(2)	(3)
I	स्नातकोत्तर विभाग	
1	सिद्ध मरूतुवम् मूलतत्तुवम (बेसिक प्रिंसीपल्स आफ सिद्धा मेडिसिन)	
	लिपिक कर्मचारी	एक
	मल्टी-टास्किंग स्टाफ (न्यूनतम 10 वीं कक्षा)	एक
2	उडल कूरुगल (एनाटॉमी)	
	लिपिक कर्मचारी	एक
	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	एक
	उडल कूरुगल (एनाटॉमी) प्रैक्टिकल प्रयोगशाला	
	शव उठाने वाला	एक
	प्रयोगशाला सहायक	एक
	लैब अटेंडेंट कम म्यूजियम कीपर	एक
3	उडल तत्वम (फिजियोलॉजी)	
	लिपिक कर्मचारी	एक
	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	एक
	ए) उडल तत्वम प्रैक्टिकल लेबोरेटरी	
	लैब तकनीशियन	एक
	लैब अटेंडेंट	एक
	बी) उयिर वेधियल प्रैक्टिकल लेबोरेटरी	
	लैब तकनीशियन	एक
	लैब अटेंडेंट	एक
4	गुणपाडम - मरूंदियल (मटेरिया मेडिका और फार्माकोलॉजी))	
	लिपिक कर्मचारी	एक
	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	एक

	a) गुणपाडम प्रैक्टिकल प्रयोगशाला	
	लैब इंस्ट्रक्टर (ग्रेजुएशन-बीएसएमएस)	एक
	प्रयोगशाला सहायक	एक
	लैब अटेंडेंट कम म्यूजियम कीपर	एक
	b) मरूतुवा तावरवियल प्रयोगशाला	
	प्रयोगशाला सहायक	एक
	लैब अटेंडेंट कम हर्बेरियम और म्यूजियम कीपर	एक
	c) फाइटोकेमिस्ट्री प्रयोगशाला	
	लैब प्रभारी (फाइटोकेमिस्ट्री में मास्टर डिग्री के साथ)	एक
	लैब तकनीशियन (फाइटोकेमिस्ट्री में स्नातक की डिग्री के साथ)	एक
	लैब अटेंडेंट	एक
5	गुणपाडम - मरूनदगवियल (मटेरिया मेडिका और फार्मास्यूटिक्स)	
	लिपिक कर्मचारी	एक
	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	एक
	गुणपाडम प्रैक्टिकल लेबोरेटरी (टीचिंग फार्मेसी)	
	लैब इंस्ट्रक्टर (ग्रेजुएशन-बीएसएमएस)	एक
	प्रयोगशाला सहायक	एक
	लैब अटेंडेंट कम म्यूजियम कीपर	एक
6	नोइ नाडल और नोइ मुदल नाडल (पैथालॉजी)	
	लिपिक कर्मचारी	एक
	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	एक
	a) नोइ नाडल और नोइ मुदल नाडल प्रैक्टिकल लेबोरेटरी	
	लैब तकनीशियन	एक
	लैब अटेंडेंट	एक
	b) नुन्नुयिरियल प्रैक्टिकल लेबोरेटरी	
	लैब तकनीशियन	एक
	लैब अटेंडेंट	एक
	c) आणविक जीवविज्ञान प्रयोगशाला	

	लैब प्रभारी (आणविक जीव विज्ञान में मास्टर डिग्री के साथ)	एक
	लैब तकनीशियन (आणविक जीव विज्ञान या जीव विज्ञान में स्नातक की डिग्री के साथ)	एक
	लैब अटेंडेंट	एक
7	सट्टम सारंध मरूतुवमुम नंजु मरूतुवमुम (फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी)	
	लिपिक कर्मचारी	एक
	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	एक
	सट्टम सारंध मरूतुवमुम नंजु मरूतुवमुम (फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी) प्रैक्टिकल लेबोरेटरी	
	लैब तकनीशियन (रसायन विज्ञान में स्नातक)	एक
	लैब अटेंडेंट कम म्यूजियम कीपर	एक
8	नोइ अनुगाविधी सहित रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टेटिस्टिकस (प्रिंसिपल्स एडं डिसिपिलिन्स ऑफ डिसिज़ प्रिवेंशन एडं पब्लिक हेल्थ)	
	लिपिक कर्मचारी	एक
	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	एक
	पोषण प्रयोगशाला	
	लैब प्रभारी (पोषण और आहार विज्ञान में मास्टर डिग्री के साथ)	एक
	लैब तकनीशियन	एक
	लैब अटेंडेंट कम म्यूजियम कीपर	एक
9	मरूतुवम् (मेडिसिन)	एक लिपिकीय स्टाफ, एक मल्टी-टास्किंग स्टाफ प्रत्येक स्नातकोत्तर विभाग के लिए
10	वर्मम पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम (वर्मम, एक्सर्टनल थेरेपी एडं स्पेशल मेडिसिन)	
11	कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरूतुवम् सहित अरूवइ (सर्जरी इंक्लुडिंग आप्थॉमोलॉजी, ईएनटी, डेन्टिस्ट्री एंड डर्माटोलॉजी)	
12	सूल और मगलिर मरूतुवम् (ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गाईनेकॉलोजी)	
13	कुजंतइ मरूतुवम् (पिडियाट्रिक्स)	
14	तोल मरूतुवम् (डर्माटोलॉजी)	
15	इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च	
	लिपिक कर्मचारी	दो
	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	एक
	केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला	

	प्रभारी (किसी भी विभाग के संकाय सदस्य, प्रयोगशाला और विश्लेषणात्मक उपकरणों से अच्छी तरह वाकिफ)	एक
	लैब तकनीशियन (बैचलर ऑफ साइंस रसायन विज्ञान या बैचलर ऑफ साइंस वनस्पति विज्ञान)	एक
	लैब अटेंडेंट	एक
	गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला	
	प्रभारी (गुणपाडम - मरूंदियल या गुणपाडम - मरूनदगवियल के संकाय सदस्य)	एक
	विश्लेषणात्मक रसायनज्ञ (बैचलर ऑफ फार्माकॉलोजी)	एक
	फार्माकोग्नोसिस्ट	एक
	लैब अटेंडेंट	एक
	लिपिक कर्मचारी	एक
	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	एक
	पशु घर और पशु प्रयोग प्रयोगशाला	
	प्रभारी (गुणपाडम - मरूनदगवियल या गुणपाडम - मरूंदियल विभाग के संकाय सदस्य)	एक
	लैब तकनीशियन (बीएससी ज़ूलॉजी)	एक
	पशु घर और प्रयोग लैब परिचर	एक
	नैदानिक अनुसंधान सेल	
	क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर (पोस्टग्रेजुएशन के साथ बीएसएमएस डिग्री या क्लिनिकल रिसर्च में डिप्लोमा या मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ)	एक
	लिपिक कर्मचारी	एक
	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	एक
II	केंद्रीय पुस्तकालय	
	लाइब्रेरियन	एक
	सहायक लाइब्रेरियन	एक
	लाइब्रेरी अटेंडेंट	एक
III	हर्बल गार्डन	
	माली	एक
	बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ता	दो
IV	नैदानिक कौशल / सिमुलेशन प्रयोगशाला	

	समन्वयकर्ता	एक
	लिपिक कर्मचारी (कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक)	एक
	लैब अटेंडेंट	एक
V	मानव संसाधन और विकास प्रकोष्ठ	
	समन्वयक (बीएसएमएस स्नातक के साथ एमबीए या मानव संसाधन प्रबंधन में एमबीए के साथ कोई स्नातक)	एक
	लिपिक कर्मचारी	एक
	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	एक
VI	आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन कक्ष	
	समन्वयक (गुणवत्ता प्रबंधन में एमबीए)	एक
	लिपिक कर्मचारी	एक
	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	एक
VII	डिजिटल लाइब्रेरी सहित सूचना प्रौद्योगिकी सेल (आईटी सेल)	
	सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी	एक
	सूचना प्रौद्योगिकी सहायक	एक
	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	एक
VIII	केंद्रीय कार्यशाला/रखरखाव कक्ष	
	साइट इंजीनियर	एक
	बिजली कारीगर	एक
	नलकार	एक
	बढ़ई	एक
	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	एक
IX	सह-पाठयक्रम और पाठ्येतर गतिविधियाँ	
	शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक (शारीरिक शिक्षा में न्यूनतम स्नातक की डिग्री))	एक
	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	एक
X	छात्र सहायता और कैरियर मार्गदर्शन और प्लेसमेंट सेल	
	परामर्श के लिए परामर्शदाता (part-time आधार)	एक
XI	कॉलेज भंडार	

	लिपिक कर्मचारी	एक
	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	एक

नोट: 1. आवश्यकता के आधार पर आउटसोर्सिंग द्वारा स्वीपर, अटेंडेंट, लिफ्टर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सुरक्षा गार्ड, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, कारपेंटर, ड्राइव, मल्टी-टास्किंग स्टाफ आदि जैसे अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकती है।

2. हर्बल गार्डन गुणपाडम - मरूंदियल विभाग के अधीन होगा। यदि ऐसा स्नातकोत्तर कार्यक्रम या विभाग उपलब्ध नहीं है, तो यह संस्थान के अधीन होगा।

3. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत किसी भी कौशल विकास एजेंसी द्वारा प्रशिक्षित कुशल पेशेवरों को गैर-शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति के दौरान उपलब्धता के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी।

(3) क्लिनिकल ज़ोन - (ए) प्रत्येक स्टैंडअलोन स्नातकोत्तर संस्थान में न्यूनतम साठ रोगी बिस्तर (साठ बिस्तर वाला अस्पताल) वाला संलग्न अस्पताल होगा, और अस्पताल (क्लिनिकल ज़ोन) को सात क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, अर्थात्, - (i) स्वागत और पंजीकरण क्षेत्र; (ii) बाह्य रोगी विभाग क्षेत्र; (iii) नैदानिक क्षेत्र; (iv) अंत:रोगी विभाग क्षेत्र विभाग क्षेत्र; (v) प्रक्रियात्मक प्रबंधन जोन; (vi) प्रशासनिक क्षेत्र; (vii) सेवा क्षेत्र;

(बी) क्लिनिकल ज़ोन के तहत (ए) में उल्लिखित प्रत्येक ज़ोन में सहायक अनुभाग या इकाइयां या सुविधाएं होंगी और एनसीआईएसएम - यूजी एमईएस विनियम, 2024 में साठ छात्र प्रवेश क्षमता के लिए यथा निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और कार्यक्षमता के संदर्भ में सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा करना होगा।

(सी) (ए) और (बी) में यथा उल्लिखित अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं के अतिरिक्त, जिन विभागों में स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, उनमें विभागवार न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकताओं को उपलब्ध कराया जाएगा, अर्थात्, -

(i) सट्टम सारंध मरूतुवमुम नंजु मरूतुवमुम (फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी) के स्नातकोत्तर विभाग में स्नातकोत्तर शिक्षकों और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एक विशेष बाह्य रोगी विभाग [नंजु मरूतुवम् (क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी)] होगा, जिसमें प्रति दिन न्यूनतम तीस मरीज होंगे और 1:4 (यानी, एक छात्र के लिए चार बिस्तर) के छात्र बिस्तर अनुपात में अतिरिक्त अंतः रोगी विभाग के बिस्तर होंगे। वार्ड में बैठने की व्यवस्था और रात्रि ड्यूटी स्नातकोत्तर छात्रों के लिए आवास उपलब्ध कराया जाएगा। सट्टम सारंध मरूतुवमुम नंजु मरूतुवमुम अंत:रोगी विभाग में औसत बिस्तर अधिभोग साठ प्रतिशत से कम नहीं होगा।

(ii) नोइ अनुगाविधी सहित रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टेटिस्टिकस (प्रिंसिपल्स एडं डिसिपिलिन्स ऑफ डिसिज़ प्रिवेंशन एडं पब्लिक हेल्थ) के स्नातकोत्तर विभाग में स्नातकोत्तर शिक्षकों और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एक विशेष बाह्य रोगी विभाग होगा, जिसमें प्रतिदिन न्यूनतम पचास सब्जैक्ट या व्यक्ति बाह्य रोगी विभाग में होंगे। सामान्य व्यक्तियों के लिए कायाकल्प प्रक्रियाओं और फिजियोथेरेपी को प्रबंधित करने और डे केयर सुविधा के साथ सुविधाएं इस विभाग के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी; इ अनुगाविधी मरूतुवम् (सिद्धा डायट्रिक्स, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, प्रिवेंटिव मेडिसिन एडं पब्लिक हेल्थ)आउट-पेशेंट विभाग के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र पच्चीस वर्ग मीटर होगा

(iii) मरूतुवम् (मेडिसिन) के स्नातकोत्तर विभाग में स्नातकोत्तर शिक्षकों और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एक विशेष बाह्य रोगी विभाग होगा, जिसमें प्रति दिन न्यूनतम साठ मरीज होंगे और 1: 4 के छात्र-बिस्तर अनुपात में अतिरिक्त अंतः रोगी विभाग के बिस्तर होंगे (यानी, एक छात्र के लिए चार बिस्तर), वार्ड में बैठने की व्यवस्था और रात्रि ड्यूटी स्नातकोत्तर छात्रों के लिए आवास उपलब्ध कराया जाएगा। मरूतुवम् अंतःरोगी

विभाग में औसत बिस्तर अधिभोग साठ प्रतिशत से कम नहीं होगा; मरूतुवम् (मेडिसिन) बाह्य रोगी विभाग के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र पच्चीस वर्ग मीटर होगा।

(iv) वर्मम पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम (वर्मम, एक्सर्टनल थेरेपी एडं स्पेशल मेडिसिन) के स्नातकोत्तर विभाग में स्नातकोत्तर शिक्षकों और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए विशेष तीन बाह्य-रोगी विभाग क्रमशः वर्मा मरूतुवम् (लघु चिकित्सा या प्रक्रिया कक्ष के साथ संलग्न), पुरा मरूतुवम् (लघु चिकित्सा या प्रक्रिया कक्ष के साथ संलग्न), और सिद्धर योग मरूतुवम् (लघु चिकित्सा या प्रक्रिया कक्ष के साथ संलग्न), होंगे, (जैसा लागू हो) जिसमें प्रति दिन कम से कम साठ मरीजों के लिए अलग से सुविधा हो और वर्मा मरूतुवम् और पुरा मरूतुवम् स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त अंतः रोगी विभाग के बिस्तरों के साथ अलग से 1:4 (यानी एक छात्र के लिए चार बिस्तर) के छात्र-बिस्तर अनुपात में उपलब्ध कराए जाएंगे। वार्ड में बैठने की व्यवस्था और रात्रि ड्यूटी के लिए स्नातकोत्तर छात्रों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वर्मा मरूतुवम् , पुरा मरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम अंतः रोगी विभाग में औसत बिस्तर अधिभोग साठ प्रतिशत से कम नहीं होगा। अस्पताल में पूरी तरह से स्थापित फिजियोथेरेपी सुविधा इस विभाग को दी जाएगी। सिद्धर योग मरूतुवम् स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के लिए कोई अंतः रोगी विभाग बिस्तर नहीं होंगे; लघु चिकित्सा या प्रक्रिया कक्ष से जुड़े वर्मा मरूतुवम् (वर्मा मेडिसिन) के बाह्य रोगी विभाग, लघु चिकित्सा या प्रक्रिया कक्ष से जुड़े पुरा मरूतुवम् (एक्सर्टनल मेडिसिन) और लघु योग कक्ष से जुड़े सिद्धर योग मरूतुवम् (सिद्धर यौगिक साइंस) के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र पचास वर्ग मीटर प्रत्येक होगा।

(v) कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरूतुवम् सहित अरूवइ (सर्जरी इंक्लुडिंग आप्थॉमोलॉजी, ईएनटी, डेन्टिस्ट्री एंड डर्माटोलॉजी) के स्नातकोत्तर विभाग में स्नातकोत्तर शिक्षकों और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एक विशेष बाह्य रोगी (लघु चिकित्सा कक्ष के साथ संलग्न) विभाग होगा, जिसमें प्रति दिन न्यूनतम साठ रोगी आ सकेंगे और यहां उन्नत नैदानिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। यहां अंतः रोगी विभाग के बिस्तरों का छात्र-बिस्तर अनुपात 1:4 है (अर्थात एक छात्र के लिए चार बिस्तर)। रात्रि ड्यूटी स्नातकोत्तर छात्रों के लिए वार्ड में बैठने की व्यवस्था और आवास उपलब्ध कराया जाएगा। कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरूतुवम् सहित अरूवइ अंतः रोगी विभाग सहित अरुवई में औसत बिस्तर अधिभोग साठ प्रतिशत से कम नहीं होगा; कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरूतुवम् सहित अरूवइ (सर्जरी इंक्लुडिंग आप्थॉमोलॉजी, ईएनटी, डेन्टिस्ट्री एंड डर्माटोलॉजी) बाह्य रोगी विभाग (प्रक्रिया कक्ष से संलग्न) के लिए न्यूनतम पचास वर्ग मीटर होगा। अस्पताल में स्नातकोत्तर विभाग कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल के नैदानिक मामलों में भाग लेगा, लेकिन तोल या त्वचा (त्वचाविज्ञान) से संबंधित नैदानिक स्थितियों में नहीं, यदि संस्थान तोल मरूतुवम् में स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालित कर रहा है।

(vi) सूल और मगलिर मरूतुवम् (ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गाईनेकॉलोजी)के स्नातकोत्तर विभाग में स्नातकोत्तर शिक्षकों और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एक विशेष बाह्य रोगी विभाग (परीक्षा सह प्रक्रिया कक्ष से संलग्न) होगा, जिसमें प्रति दिन कम से कम साठ मरीज आ सकेंगे, सूल और मगलिर मरूतुवम् के लिए विशेष ऑपरेशन थियेटर और सूल और मगलिर मरूतुवम् से संबंधित प्रक्रियाएं संबंधी कार्य करने के लिए प्रक्रिया कक्ष होगा। 1:4 (यानी एक छात्र के लिए चार बिस्तर) के छात्र-बिस्तर अनुपात में अतिरिक्त अंतः रोगी विभाग के बिस्तर उपलब्ध कराए जाएंगे। वार्ड में बैठने की व्यवस्था और रात्रि ड्यूटी स्नातकोत्तर छात्रों के लिए आवास उपलब्ध कराया जाएगा। सूल और मगलिर मरूतुवम् अंतःरोगी विभाग में औसत बिस्तर अधिभोग साठ प्रतिशत से कम नहीं होगा; लेबर रूम में प्रति माह न्यूनतम दस प्रसव किए जाएंगे; परीक्षा सह प्रक्रिया कक्ष से जुड़े सूल और मगलिर मरूतुवम् (ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गाईनेकॉलोजी बाह्य रोगी विभाग के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र पचास वर्ग मीटर होगा।

(vii) *(ए)* कुजंतइ मरूतुवम् (पिडियाट्रिक्स) के स्नातकोत्तर विभाग में स्नातकोत्तर शिक्षकों और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एक विशेष बाह्य रोगी विभाग होगा, जिसमें प्रति दिन न्यूनतम साठ मरीज होंगे और 1:4 (यानी एक छात्र के लिए चार बिस्तर) के छात्र बिस्तर अनुपात में अतिरिक्त अंतः रोगी विभाग के बिस्तर होंगे। वार्ड में

बैठने की व्यवस्था और रात्रि ड्यूटी स्नातकोत्तर छात्रों के लिए आवास उपलब्ध कराया जाएगा। कुजंतइ मरूतुवम् अंतःरोगी विभाग में औसत बिस्तर अधिभोग साठ प्रतिशत से कम नहीं होगा; इस विभाग में टीकाकरण प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी; कुजंतइ मरूतुवम् (बाल चिकित्सा) बाह्य रोगी विभाग के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र पच्चीस वर्ग मीटर होगा

(बी) कुजंतइ मरूतुवम् बाह्य रोगी विभाग, स्तनपान के लिए सीमांकित क्षेत्र, न्यूनतम स्थान और सुविधाओं के साथ नवजात गहन देखभाल इकाई, न्यूनतम स्थान और सुविधाओं के साथ बाल विकास क्लिनिक के लिए आवश्यक इंस्ट्रूमेंट और उपकरण इन विनियमों में विनियमन 7 के उप-विनियमन (xiii) के खंड (बी), (सी), (डी) और (ई) के अनुसार होंगे।

(viii) तोल मरूतुवम् (डर्माटोलॉजी) के स्नातकोत्तर विभाग में स्नातकोत्तर शिक्षकों और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एक बाह्य-रोगी विभाग होगा, जिसमें प्रति दिन न्यूनतम साठ मरीज होंगे और 1:4 (यानी एक छात्र के लिए चार बिस्तर) के छात्र-बिस्तर अनुपात में बिस्तरों की संख्या के साथ अलग अंतः रोगी विभाग होगा। वार्ड में बैठने की व्यवस्था और रात्रि ड्यूटी स्नातकोत्तर छात्रों के लिए आवास उपलब्ध कराया जाएगा। तोल मरूतुवम् अंतःरोगी विभाग में औसत बिस्तर अधिभोग साठ प्रतिशत से कम नहीं होगा; तोल मरूतुवम् (डर्माटोलॉजी) बाह्य रोगी विभाग के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र पच्चीस वर्ग मीटर होगा;

(ix) (*ए)* नोइ नाडल और नोइ मुदल नाडल (पैथालॉजी) विभाग में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के मामले में, स्नातकोत्तर छात्र सिद्ध निदान, निदान और शोध प्रबंध या अनुसंधान कार्य में अपने प्रशिक्षण के लिए अस्पताल के बाह्य-रोगी विभागों, अंतःरोगी विभागों और निदान क्षेत्र का उपयोग कर सकते हैं या सहयोग ले सकते हैं;

(बी) नोइ नाडल और नोइ मुदल नाडल विभाग के प्रमुख या संस्थान के प्रमुख द्वारा नामित नोइ नाडल और नोइ मुदल नाडल विभाग के एक संकाय सदस्य को सिद्ध इन्टरप्रटेशन के संदर्भ में नैदानिक क्षेत्र की जांच रिपोर्ट को प्रमाणित करने के लिए अधिकृत किया जाएगा;

(x) वर्मम पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम विभाग के तहत सिद्धर योग मरूतुवम् में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के स्नातकोत्तर छात्र, अपने प्रशिक्षण और शोध प्रबंध या अनुसंधान कार्य के लिए अस्पताल के बाह्य रोगी विभागों, अंतः रोगी विभागों और योग अनुभाग का उपयोग कर सकते हैं या सहयोग ले सकते हैं;

(xi) नोई अनुगविधि मरूतुवम् में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के स्नातकोत्तर छात्र अपने प्रशिक्षण, सर्वेक्षण और शोध प्रबंध या अनुसंधान कार्य के लिए अस्पताल के बाह्य रोगी विभागों, अंतः रोगी विभागों, योग अनुभाग और फिजियोथेरेपी अनुभाग का उपयोग कर सकते हैं या सहयोग ले सकते हैं;

(xii) अस्पताल में शवों को रखने अथवा परिरक्षित करने के लिए शीतागार सहित शवगृह हो सकता है अथवा मुर्दाघर सुविधा वाले चिकित्सा प्रतिष्ठानों के साथ समझौता ज्ञापन हो सकता है और मुर्दाघर के स्टाफ को आउटसोर्स किया जा सकता है।

(xiii) अस्पताल में एक क्लिनिकल रिसर्च सेल होगा और स्थान, सुविधाओं और कार्य की न्यूनतम आवश्यक आवश्यकता विनियम 7 के खंड (xix) के अनुसार होगी और मानव संसाधन विनियम 14 का उप-विनियम (2) खंड (यू) उप-खंड (vii), के नीचे दी गई तालिका के अनुसार होंगे। ।

(डी) बिस्तरों की संख्या, रोगी उपस्थिति और बिस्तर अधिभोग की आवश्यकता -

(i) स्नातक प्रशिक्षण के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय सिद्ध महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम, 2024 में (साठ छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार) निर्दिष्ट प्रत्येक अंतः रोगी विभाग के लिए निर्दिष्ट बिस्तरों की संख्या, संबंधित

स्नातकोत्तर विभाग [अर्थात मरूतुवम्, वर्मम पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम (वर्मा मरूतुवम् और पुरा मरूतुवम् अलग से), कुजंतइ मरूतुवम्, नंजु मरूतुवम्, कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरूतुवम् सहित अरूवइ, सूल और मगलिर मरूतुवम्, और तोल मरूतुवम् शामिल हैं।] स्नातकोत्तर कार्यक्रम का संचालन करते हुए 1:4 के छात्र-बिस्तर अनुपात के संबंध में अतिरिक्त बिस्तर बनाए रखेंगे;

(ii) आम तौर पर, पिछले एक कैलेंडर वर्ष (300 दिन) के दौरान अस्पताल के बाह्य रोगी विभागों में रोगियों की दैनिक औसत उपस्थिति प्रति दिन न्यूनतम एक सौ बीस होगी; तथापि,

(ए) पिछले एक कैलेंडर वर्ष के दौरान लागू मरूतुवम्, वर्मा मरूतुवम्, पुरा मरूतुवम्, कुजंतइ मरूतुवम्, सिद्धर कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरूतुवम् सहित अरूवइ, सूल और मगलिर मरूतुवम् और तोल मरूतुवम् में स्नातकोत्तर बाह्य रोगी विभाग में न्यूनतम बाह्य रोगी उपस्थिति (300) दिन) प्रति दिन साठ से कम नहीं होगी;

(बी) पिछले एक कैलेंडर वर्ष (300 दिन) के दौरान नंजु मरूतुवम् में स्नातकोत्तर बाह्य रोगी विभाग में न्यूनतम बाह्य रोगी उपस्थिति प्रति दिन तीस रोगियों से कम नहीं होगी;

(सी) पिछले एक कैलेंडर वर्ष (300 दिन) के दौरान सिद्धर योग मरूतुवम् में स्नातकोत्तर बाह्य रोगी विभाग में न्यूनतम बाह्य रोगी उपस्थिति प्रति दिन पचास रोगियों से कम नहीं होगी;

(डी) पिछले एक कैलेंडर वर्ष (300 दिन) के दौरान नोई अनुगविधि मरूतुवम् में स्नातकोत्तर बाह्य रोगी विभाग में न्यूनतम दैनिक औसत बाह्य रोगी उपस्थिति प्रति दिन पचास व्यक्तियों या सब्जैक्ट से कम नहीं होगी;

(iii) संबंधित विभाग (यानी मरूतुवम्, वर्मम पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम , कुजंतइ मरूतुवम्, नंजु मरूतुवम्, कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरूतुवम् सहित अरूवइ, सूल और मगलिर मरूतुवम्, और तोल मरूतुवम् शामिल हैं) जिसमें स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालित किया जाता है, के अंतःरोगी विभाग में न्यूनतम वार्षिक औसत बिस्तर अधिभोग पिछले एक कैलेंडर वर्ष के दौरान (लीप वर्ष के मामले में 365 दिन और 366 दिन) साठ प्रतिशत से कम नहीं होगा। ऐसे अंतःरोगी विभागों में, जिनमें स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालित नहीं किया जाता है, पिछले एक कैलेंडर वर्ष के दौरान (लीप वर्ष के मामले में 365 दिन और 366 दिन) चालीस प्रतिशत से कम नहीं होगा;

(ई) स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए अस्पताल स्टाफ की अतिरिक्त आवश्यकताएं - (i) स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थानों में शिक्षण अस्पताल, एनसीआईएसएम - यूजी एमईएस विनियम, 2024 में साठ बिस्तरों वाले अस्पताल (साठ छात्रों की क्षमता) के लिए उल्लिखित अस्पताल कर्मचारियों के अलावा उपखंड (iii) में नीचे दी गई तालिका के अनुसार अस्पताल के कर्मचारियों को बनाए रखेगा।

(ii) स्नातकोत्तर कार्यक्रम के शिक्षण संकाय संबंधित स्नातकोत्तर विभाग या विशेषता या कार्यक्रम के बाह्य रोगी विभाग और अंतःरोगी विभागों के सलाहकार होंगे।

(iii) प्रत्येक विभाग [यानी मरूतुवम्, वर्मम पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम, कुजंतइ मरूतुवम्, नन्जू मरूतुवम्, कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरूतुवम् सहित अरूवइ, सूल और मगलिर मरूतुवम्, नोई अनुगविधि मरूतुवम् और तोल मरूतुवम् शामिल हैं] जिसमें स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाता है, में प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या सहायक प्रोफेसर के कैडर में न्यूनतम एक सलाहकार होगा। वह संबंधित विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए और उसे अद्वितीय शिक्षक कोड प्रदान किया जाएगा और अनुभव के वर्ष को भारतीय

चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा इन विनियमों में विनियम 32 के उप-विनियम (7) के अनुसार शिक्षण अनुभव के रूप में गिना जाएगा

तालिका

अस्पताल स्टाफ की न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताएँ

(साठ बिस्तर वाले अस्पताल के लिए निर्दिष्ट अस्पताल के कर्मचारियों के अलावा)

क्र. सं.	आवश्यक स्टाफ	आवश्यक संख्या
(1)	(2)	(3)
1	नर्सिंग कर्मचारी	अंत:रोगी विभाग में हर दस बेड के लिए एक; सूल और मगलिर मरूतुवम् ऑपरेशन थियेटर के लिए दो नर्सें; मरूतुवम् विभाग में प्रत्येक गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) बिस्तर के लिए एक नर्स; कुजंतइ मरूतुवम् विभाग में नवजात गहन परिचर्या एकक के लिए 2 नर्सें।
2	क्लिनिकल रजिस्ट्रार या सीनियर रेजिडेंट या रेजिडेंट डॉक्टर	प्रत्येक बीस बिस्तरों के लिए एक
3	आया	प्रत्येक बीस बिस्तरों के लिए एक

नोट 1 एक दिन में शिफ्ट के अनुसार नर्सिंग स्टाफ की संख्या बढ़ाई जा सकती है

2. पुरा मरूतुवम् के लिए रोगियों की संख्या के अनुसार चिकित्सकों की संख्या बढ़ाई जा सकती है

3. बाल चिकित्सा चिकित्सक, व्यावसायिक चिकित्सक और भाषण चिकित्सक को कुजंतइ मरूतुवम् विभाग के लिए अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जा सकता है।

4. स्नातकोत्तर छात्रों को नैदानिक रजिस्ट्रार या वरिष्ठ निवासी या रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते छात्रों को वजीफा या वेतन का भुगतान किया जाएगा।

5. सुरक्षा गार्ड, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, सफाई कर्मचारी, धोबी, माली, ड्राइवर, हाउसकीपिंग स्टाफ, कुक, रखरखाव स्टाफ, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, यदि अतिरिक्त आवश्यकता हो, तो आउट-सोर्सिंग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

6. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत किसी भी कौशल विकास एजेंसी द्वारा प्रशिक्षित कुशल पेशेवरों को गैर-शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति के दौरान उपलब्धता के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी।

(4) प्रयोग क्षेत्र: इस क्षेत्र में निम्नलिखित को समायोजित किया जाएगा: -

(ए) केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला: (i) प्रत्येक स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थान में स्नातकोत्तर छात्रों के साथ-साथ शिक्षण संकाय द्वारा विभिन्न अनुसंधान प्रयोग करने के लिए **तीसरी अनुसूची** के अनुसार उन्नत अनुसंधान सुविधाओं के साथ एक केन्द्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला होगी।

(ii) प्रयोगशाला और विश्लेषणात्मक उपकरणों से अच्छी तरह वाकिफ किसी भी विभाग का एक संकाय सदस्य केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला का प्रभारी होगा।

(iii) यह इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग के तहत कार्य करेगी और इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग के प्रोफेसर सह प्रमुख केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के प्रमुख होंगे;

(iv) केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र एक सौ पचास वर्ग मीटर होगा;

(बी) गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला: (i) गुणपाडम - मरूंदियल और गुणपाडम - मरूनदगवियल में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला उपलब्ध कराई जाएगी;

(ii) यह प्रयोगशाला स्नातकोत्तर शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय सिद्ध महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम, 2024 की दसवीं अनुसूची के 'बी' के तहत निर्दिष्ट स्नातकोत्तर स्तर सुविधाओँ के साथ बुनियादी ढांचे, सुविधाओं, उपस्करों, उपकरणों, मानव संसाधनों आदि की व्यवस्था करेगी; और स्नातकोत्तर शिक्षण के लिए इन नियमों की **पांचवीं अनुसूची** में उल्लिखित उपकरणों और उपकरणों के साथ, प्रशिक्षण और अनुसंधान आदि की व्यवस्था करेगी;

(iii) यह इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग के तहत कार्य करेगी और इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग के प्रोफेसर सह प्रमुख गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला के प्रमुख होंगे;

(iv) संस्था के प्रमुख द्वारा नामित पाडम - मरूंदियल, गुणपाडम- मरूनदगवियल का एक शिक्षण संकाय सदस्य गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला का प्रभारी होगा।

(v) गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र एक सौ वर्ग मीटर होगा;

(सी) स्वीकृत पशु गृह और पशु प्रयोग प्रयोगशाला: (i) गुणपाडम - मरूंदियल, गुणपाडम- मरूनदगवियल सट्टम सारंध मरूतुवमुम नंजु मरूतुवमुम और सिद्ध मरूतुवम् मूलतत्तुवम विभाग, जो भी लागू हो, में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के मामले में इसकी व्यवस्था की जाएगी;

(ii) इसके पास **चौथी अनुसूची** के अनुसार संबंधित अधिकारियों से उचित अनुमति, पर्याप्त बुनियादी ढांचा, सुविधाएं और प्रभावी कामकाज के लिए मानव संसाधन होंगे;

(iii) गुणपाडम - मरूंदियल, गुणपाडम - मरूनदगवियल सट्टम सारंध मरूतुवमुम नंजु मरूतुवमुम और सिद्ध मरूतुवम् मूलतत्तुवम के विभाग के संकाय सदस्य पशु घर और पशु प्रयोग प्रयोगशाला के प्रभारी होंगे;

(iv) पशु गृह और पशु प्रयोग प्रयोगशाला इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग के तहत काम करेगी और इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग के प्रोफेसर सह प्रमुख पशु गृह और पशु प्रयोग प्रयोगशाला के प्रमुख होंगे;

(v) पशु घर और पशु प्रयोग प्रयोगशाला के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र दो सौ पचास वर्ग मीटर होगा।

(डी) केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला, पशु प्रयोग प्रयोगशाला और पशु घर को विनियमन 14, उप-विनियमन (2), खंड (यू) के उप-खंड (vii), के नीचे दी गई तालिका के अनुसार मानव संसाधन प्रदान किए जाएंगे ।

15. इन विनियमों की अधिसूचना से पहले स्थापित स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थानों द्वारा अतिरिक्त न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकताओं का अनुपालन करने की समयरेखा

(1) स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थान द्वारा अतिरिक्त न्यूनतम आवश्यक मानकों की आवश्यकताओं का अनुपालन करने की समय-सीमा नीचे दी गई तालिका के अनुसार होगी।

तालिका

विनियमों की अधिसूचना से पहले स्थापित स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थानों द्वारा अतिरिक्त न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकताओं का अनुपालन करने की समयरेखा

क्र. सं.	मानक या इकाई या अनुभाग या सुविधा	समय-सीमा (सरकारी राजपत्र में इन विनियमों के प्रकाशन की तिथि से)
(1)	(2)	(3)
1	केंद्रीय कार्यशाला या रखरखाव कक्ष	अठारह महीने
2	क्लोज सर्किट टेलीविजन	छह महीने
3	सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ और अवसंरचना	छह महीने
4	फाइटोकेमिस्ट्री प्रयोगशाला (गुणपाडम - मरूंदियल विभाग)	बारह महीने
5	ग्रीन हाउस (गुणपाडम - मरूंदियल विभाग)	अठारह महीने
6	गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला में अतिरिक्त इंस्ट्रूमेंट और उपकरण	तात्कालिक
7	आण्विक जीवविज्ञान प्रयोगशाला और अतिरिक्त सुविधाएं नोइ नाडल और नोइ मुदल नाडल (पैथोलॉजी) प्रैक्टिकल लेबोरेटरी (नोई नादल और नोई मुधल नादल विभाग) में इम्यूनोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी परीक्षण करने के लिए	बारह महीने
8	जहर का पता लगाने की उन्नत सुविधा (सट्टम सारंध मरूतुवमुम नंजु मरूतुवमुम विभाग)	बारह महीने
9	स्नातकोत्तर विभागवार सेमिनार हॉल और कॉमन सेमिनार हॉल	अठारह महीने
10	स्नातकोत्तर छात्रों के लिए केंद्रीय पुस्तकालय आवश्यकताएँ और विभागीय पुस्तकालय की आवश्यकताएँ	छह महीने
11	स्नातकोत्तर छात्रों के लिए डिजिटल पुस्तकालय सुविधाएं	अठारह महीने
12	स्नातकोत्तर छात्रों के लिए कॉमन रूम (लड़के और लड़कियां अलग-अलग)	अठारह महीने
13	शिक्षण स्टाफ के लिए कॉमन रूम (पुरुष और महिला अलग-अलग)	अठारह महीने
14	नैदानिक कौशल या सिमुलेशन प्रयोगशाला (स्नातकोत्तर विभाग आवश्यकताओं)	अठारह महीने
15	मानव संसाधन विकास सेल कक्ष	अठारह महीने
16	फार्माकोविजिलेंस सेल कक्ष	अठारह महीने
17	कॉलेज परिषद कक्ष	अठारह महीने
18	छात्र सहायता और मार्गदर्शन, कैरियर मार्गदर्शन और प्लेसमेंट सेल,	अठारह महीने

	शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, यौन उत्पीड़न के खिलाफ समिति- कॉमन रूम	
19	आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल कक्ष	अठारह महीने
20	एंटी-रैगिंग कमेटी और एंटी-रैगिंग स्क्वाड रूम	अठारह महीने
21	इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग	बारह महीने
22	केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला में सुविधाएं	तत्काल
23	पशु घर और पशु प्रयोग प्रयोगशाला में सुविधाएं	अठारह महीने
24	सभी सुविधाओं के साथ नैदानिक अनुसंधान कक्ष	अठारह महीने
25	सभी सुविधाओं के साथ साहित्यिक चोरी स्क्रूटनी सेल	छह महीने
26	लागू होने के अनुसार स्नातकोत्तर बाह्य रोगी विभागों में संलग्न चिकित्सा / प्रक्रिया कक्ष	छह महीने
27	नवजात गहन चिकित्सा इकाई, बाल विकास क्लिनिक (कुजंतइ मरूतुवम् विभाग)	अठारह महीने
28	निर्माण (भवन संरचना)	अठारह महीने
29	स्नातकोत्तर शिक्षण के लिए विभागवार उपकरण और यंत्र जिसमें स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं	छह महीने
30	मानव संसाधन	बारह महीने

नोट: 1. उपर्युक्त समय-सीमा भौतिक बुनियादी ढांचे के विकास और इंस्ट्रूमेंट और उपकरणों को प्राप्त करने के लिए है। हालांकि, समितियों का गठन और विभिन्न इकाइयों या प्रकोष्ठों के कार्य एक महीने के भीतर शुरू किए जाएंगे।

2. स्नातकोत्तर शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान (जैसा लागू हो) के लिए इस विनियमन में निर्धारित बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और कार्यक्षमता के संदर्भ में अन्य सभी नए मानकों या परिवर्धन या विस्तार को पूरा किया जाएगा।

3. एनसीआईएसएम - यूजी एमईएस विनियम, 2024 में साठ बिस्तरों वाले अस्पताल (यानी साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता) के लिए निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और कार्यक्षमता के संदर्भ में अन्य सभी नए मानक या परिवर्धन या विस्तार, उक्त में विनियमन 59 के उप-विनियमन (3) के नीचे दी गई समय-सीमा के अनुसार पूरा किया जाएगा ।

(2) उप-विनियमन (1) में उल्लिखित समयसीमा अधिकतम है और उसके बाद कोई छूट नहीं दी जाएगी।

अध्याय-VI

निरीक्षण या दौरा या मूल्यांकन

16. (1) स्नातकोत्तर संस्थानों में जहां स्नातक पाठ्यक्रम अस्तित्व में है और स्टैंडअलोन स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थानों में पूरी तरह से सुस्थापित मौजूदा स्नातकोत्तर विभागों का *स्वत:* निरीक्षण, दौरा या मूल्यांकन अधिनियम की धारा 28 के तहत हर साल भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

(2) स्नातकोत्तर संस्थानों के मामले में जहां एक स्नातक पाठ्यक्रम अस्तित्व में है, निरीक्षण, दौरा, या मूल्यांकन स्नातक संस्थान और स्नातकोत्तर विभागों के लिए या तो एक साथ या अलग-अलग समय पर किया जाएगा, जिसमें स्नातकोत्तर विभागों के लिए अनन्य आगंतुक या निरीक्षक या मूल्यांकनकर्ता होंगे।

(3) स्नातक कालेजों में पूरी तरह से स्थापित स्नातकोत्तर विभागों और स्टैंडअलोन स्नातकोत्तर संस्थानों का भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण, दौरा या मूल्यांकन किया जाएगा (यानी, विभाग-वार निरीक्षण या दौरा)।

(4), पूरी तरह से स्थापित स्नातकोत्तर विभागों और स्नातकोत्तर विशिष्टताओं जैसा कि एक ही विभाग के तहत कई कार्यक्रमों के मामले में, इन विनियमों में उल्लिखित मानदंडों के आधार पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात, (ए) 'विस्तारित अनुमति' श्रेणी के तहत स्नातकोत्तर विभाग या विशिष्टता और (बी) 'वार्षिक अनुमति' श्रेणी के अंतर्गत स्नातकोत्तर विभाग या विशिष्टताओं ।

(5) विस्तारित अनुमति श्रेणी: (ए) अधिनियम की धारा 28 के तहत एक पूरी तरह से स्थापित स्नातकोत्तर विभाग या विशेषता जिसे पिछले तीन वर्षों के लिए लगातार भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा अनुमति दी गई है, को भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा "विस्तारित अनुमति" श्रेणी के तहत स्नातकोत्तर विभाग या विशेषता के रूप में माना जाएगा;

(बी) "विस्तारित अनुमति" स्थिति का प्रावधान निम्नलिखित शर्तों के तहत स्नातकोत्तर विभागों या विशिष्टताओं के लिए लागू नहीं होगा, यदि, -

(i) अधिनियम, 2020 की धारा 28 उप-धारा (1) के खंड (एफ) में उल्लिखित प्रावधानों के तहत भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा स्नातकोत्तर विभाग या स्पेशियलिटी पर काम किया गया;

(ii) स्नातकोत्तर विभाग, विशेषता या संस्थान के खिलाफ कोई लंबित कानूनी मुद्दे या अनुशासनात्मक कार्रवाई हैं;

(iii) कॉलेज या संस्थान ने इन विनियमों में निर्दिष्ट स्नातकोत्तर छात्रों के प्रवेश पर विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और समय-समय पर भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी परामर्श और प्रवेश दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है;

(iv) यदि स्नातकोत्तर विभाग अधिनियम की धारा 29 के अधीन हैं; हालांकि, अधिनियम की धारा 29 के तहत स्नातकोत्तर कार्यक्रम को छोड़कर, एक ही विभाग में कई स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के मामले में, अन्य पूरी तरह से स्थापित स्नातकोत्तर कार्यक्रम जो पहले से ही विस्तारित श्रेणी में हैं, उन्हें विस्तारित अनुमति स्थिति में जारी रखा जाएगा जब तक कि भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए;

(v) वह संस्था जिसने आयोग के आधिकारिक बैंक खाते में विस्तारित अनुमति के वर्ष के लिए वार्षिक निरीक्षण या दौरा शुल्क जमा नहीं किया है।

(6) "विस्तारित अनुमति" की श्रेणी के तहत स्नातकोत्तर विभाग या विशेषज्ञता परामर्श प्रक्रिया में भाग लेने और भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड से अनुमति प्राप्त किए बिना स्वीकृत छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार हर साल छात्रों को प्रवेश देने के लिए पात्र है जब तक कि भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा *स्वत:* निरीक्षण या मूल्यांकन के परिणामस्वरूप अन्यथा अस्वीकार या निर्दिष्ट न किया जाए।

(7) (ए) धारा 28 के तहत पूरी तरह से स्थापित स्नातकोत्तर विभाग या विशिष्टताओं जो उप-विनियम (5) में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा नहीं कर रहे हैं, उन्हें भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा "वार्षिक अनुमति" श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाएगा;

(बी) "वार्षिक अनुमति" श्रेणी के तहत स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थानों के स्नातकोत्तर विभाग या स्पेशियलिटी परामर्श प्रक्रिया में भाग लेंगे और भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड से प्रवेश की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही हर साल छात्रों को प्रवेश देंगे।

(8) (ए) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा किया गया निरीक्षण, दौरा या मूल्यांकन छात्रों को प्रवेश देने के लिए विस्तारित अनुमति जारी रखने या वार्षिक अनुमति देने या अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (एफ) में उल्लिखित प्रावधानों के तहत ऐसे उपाय करने के लिए होगा;

(बी) सभी चिकित्सा संस्थान, विस्तारित अनुमति या वार्षिक अनुमति, श्रेणी पर ध्यान दिए बिना, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में डेटा (स्व-प्रकटीकरण) डेटा (वास्तविक समय या आवधिक) या सूचना या दस्तावेज अपलोड करते रहेंगे;

(सी) सभी चिकित्सा संस्थान (चाहे वे किसी भी श्रेणी के हों, या तो विस्तारित अनुमति या वार्षिक अनुमति), वार्षिक निरीक्षण या दौरा शुल्क (प्रति स्नातकोत्तर कार्यक्रम एक लाख) जमा करेंगे और डिजिटीकरण शुल्क (प्रति स्नातकोत्तर कार्यक्रम पचास हजार रुपये) लागू करों के साथ समय अवधि के भीतर ऑनलाइन भुगतान मोड (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) के माध्यम से आयोग के आधिकारिक बैंक खाते में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग कोष;के पक्ष में जमा करेंगे;

(डी) भारतीय चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड द्वारा 'विस्तारित अनुमति' श्रेणी के तहत वर्गीकृत स्नातकोत्तर विभागों या विशिष्टताओं के लिए, संस्थान इन विनियमों में उल्लिखित सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों के पूर्ण अनुपालन को बताते हुए एक शपथपत्र (भारतीय चिकित्सा पद्धति मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप और प्रस्तुत करने की अवधि के अनुसार) प्रस्तुत करेगा;

(ई) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड विभाग, या स्पेशियलिटी और संस्थान द्वारा इन विनियमों में उल्लिखित न्यूनतम आवश्यक मानकों की पूर्ति का आकलन करने के लिए शैक्षणिक वर्ष के दौरान हर साल किसी भी समय *स्वत:* निरीक्षण, दौरा या मूल्यांकन (भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तरीके और माध्यम से) करेगा;

(एफ) मूल्यांकन की अवधि दौरा, निरीक्षण या मूल्यांकन के महीने से बारह महीने पहले होगी; उक्त बारह महीने की अवधि के लिए प्रकट किए गए वार्षिक डेटा को मूल्यांकन के लिए लिया जाएगा;

(जी) मूल्यांकन के बाद, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड "वार्षिक अनुमति" श्रेणी के तहत स्नातकोत्तर विभागों या विशिष्टताओं वाले संस्थानों को मूल्यांकन, निरीक्षण या दौरा के निर्णय के बारे में सामान्यतः हर साल प्रवेश के लिए काउंसलिंग के साठ दिन पहले सूचित करेगा;

(एच) यदि "विस्तारित अनुमति" श्रेणी के तहत स्नातकोत्तर विभाग या विशेषता को उस विशेष शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रवेश के लिए आयुष प्रवेश केंद्रीय परामर्श समिति द्वारा परामर्श शुरू होने से साठ दिन पहले, कोई संचार प्राप्त नहीं हुआ, तो यह माना जाता है कि स्नातकोत्तर विभाग या विशेषता उस विशेष शैक्षणिक सत्र के लिए विस्तारित अनुमति की अपनी स्थिति रखती है और उसे प्रासंगिक नियमों के प्रावधान के अनुसार परामर्श और प्रवेश प्रक्रियाओं में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।;

(आई) (i) मूल्यांकन अथवा दौरा अथवा निरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान, दस्तावेजों अथवा आंकड़ों में अथवा न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा करने अथवा स्नातकोत्तर विभाग अथवा स्नातकोत्तर संस्थाओं की विशेषज्ञता की कार्यात्मकता में विस्तारित अनुमति श्रेणी के अंतर्गत कोई कमी पाई जाती है और इसके आधार पर यदि भारतीय चिकित्सा पद्धति हेतु चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड द्वारा अधिनियम की धारा 28 के खंड (एफ), उप-धारा

(1) निर्धारित मानदंडों के अनुसार न्यूनतम अनिवार्य मानकों को पूरा न करने के कारण कोई कार्रवाई शुरू की जाती है, इस तरह के निर्णय भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा प्रवेश के लिए आयुष प्रवेश केंद्रीय परामर्श शुरू होने से साठ दिन पहले, संबंधित कॉलेज या संस्थान को सूचित किया जाएगा;

(ii) ऐसे मामले में, ऐसे स्नातकोत्तर विभाग या विशेषता के लिए विस्तारित अनुमति की स्थिति वापस ले ली जाएगी, और 'वार्षिक अनुमति' श्रेणी से संबंधित सभी नियम और विनियम लागू होंगे; ऐसे संस्थान उप-विनियमन (5) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के बाद ही फिर से 'विस्तारित अनुमति' का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं;

(जे) किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड के पास वर्ष में किसी भी समय मूल्यांकन, निरीक्षण या यात्रा के लिए संस्थानों या स्नातकोत्तर विभागों या विशिष्टताओं का फिर से पुनःनिरीक्षण करने की शक्ति होगी।

(के) जो संस्थान छात्रों को प्रवेश नहीं देने की अनुमति मांग रहे हैं, या स्नातकोत्तर विभाग, स्पेशियलिटी, या संस्थान जिसे भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा लगातार तीन शैक्षणिक सत्रों के लिए छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति से इनकार कर दिया गया है, को बंद माना जाएगा; यदि ऐसा संस्थान या स्नातकोत्तर विभाग इसे पुनः आरंभ करना चाहता है, तो उसे अधिनियम की धारा 29 के तहत नई स्थापना प्रक्रिया से गुजरना होगा;

(एल) (i) दोषों को सुधारने का प्रावधान मौजूदा पूर्ण रूप से स्थापित संस्थानों या स्नातकोत्तर विभागों या विशिष्टताओं पर लागू नहीं होगा;

(ii) चूंकि ये न्यूनतम आवश्यक मानक हैं, इसलिए अधिनियम की धारा 28 के तहत पूरी तरह से स्थापित मौजूदा चिकित्सा संस्थानों या स्नातकोत्तर विभागों को "दोषों को सुधारने" का कोई मौका नहीं दिया जाएगा;

(iii) अनुमति देने से इनकार करने या सीटों की कटौती आदि का आदेश जारी करने से पहले, ऐसे चिकित्सा संस्थानों को सुनवाई का एक अवसर भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा दिया जाएगा।

(एम) यदि कोई कॉलेज या संस्थान भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड के निर्णय से व्यथित है, तो वह भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा दिए गए ऐसे निर्णय के खिलाफ, तीस दिनों के भीतर अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (3) के अनुसार आयोग में अपील कर सकता है;

अध्याय-VII

स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम की शिक्षा के न्यूनतम मानक

[डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (एमडी) और मास्टर ऑफ सर्जरी (एमएस)]

17. सामान्य विचार:- स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन-एमडी और मास्टर ऑफ सर्जरी-एमएस) का उद्देश्य संबंधित स्नातकोत्तर कार्यक्रम के फोकस और दक्षताओं के साथ विशेषज्ञों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, उद्यमियों को तैयार करना है, अर्थात्:-

(1) सिद्ध मारुतव आदिपद्दई अरिवियल (सिद्ध चिकित्सा के मूल सिद्धांत) -

(ए) सिद्ध के बुनियादी सिद्धांतों और सैद्धान्तिक सिद्धांतों को समझने की क्षमता जिसमें छियानवे तत्व, ज्ञानमीमांसा, तत्वमीमांसा, शाश्वत अस्तित्व आदि और इसके अनुप्रयोग शामिल हैं;

(बी) समसामयिक वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध मूल सिद्धांतों को स्थापित करने में प्रवीणता;

(सी) प्राचीन सिद्ध साहित्य की विभिन्न टिप्पणियों को समझने और उन्हें बुनियादी सिद्धांतों की समझ के लिए उचित रूप से लागू करने की क्षमता;

(डी) सिद्ध अनुसंधान प्रोटोकॉल विकसित करने में कुशल ;

(ई) ताड़ के पत्ते की पांडुलिपियों सहित प्राचीन पांडुलिपियों को पढ़ने, शब्दावली के साहित्यिक अर्थ को समझने और परिभाषित करने और सामग्री का वर्णन करने में सक्षम;

(एफ) उचित समझ और अनुप्रयोगों के लिए बुनियादी सिद्धांतों के वैज्ञानिक और प्रैक्टिकल पहलुओं को लिखने और औचित्यकरण की क्षमता;

(जी) सिद्ध मारुतव आदिपद्दई अरिवियल में स्नातकोत्तर डिग्री धारक सिद्ध मारुतव आदिपद्दई अरिवियल सिद्ध मूल सिद्धांत में विशेषज्ञ होगा, यानी सिद्ध बुनियादी सिद्धांतों और उसके अनुप्रयोगों का महत्वपूर्ण मूल्यांकन विशेषज्ञ।

(2) उडल कूरुगल (ह्यूमन एनाटॉमी) -

(ए) मानव शरीर की संरचना और उसके प्रैक्टिकल पहलुओं को उचित रूप से समझना;

(बी) मानव शरीर को व्यवस्थित रूप से डिस्सेक्ट करने में सक्षम;

(सी) मानव शरीर में वर्मा बिंदुओं का पता लगाने में सक्षम;

(डी) मानव शरीर के ऊतकों के संदर्भ में एझू उदलकट्टुकल (सप्त धातु) को समझने की क्षमता; सर्जिकल एनाटॉमी का प्रदर्शन करने में कुशल;

(ई) सर्जिकल शरीर रचना विज्ञान, एप्लाइड एनाटॉमाइन सर्जरी, प्रसूति और स्त्री रोग का प्रदर्शन करने के लिए कुशल;

(एफ) सिद्ध मूल बातें और अवधारणाओं के शारीरिक दृष्टिकोण का विश्लेषण और औचित्य साबित करना; जहां भी लागू हो;

(जी) शरीर रचना संग्रहालय के लिए शवों को लेप करने और अंगों और नमूनों के अनुभाग की तैयारी की क्षमता;

(एच) अंगों और नमूनों के प्लास्टिनेशन में कौशल दिखाएं;

(आई) 3 डी शरीर रचना विज्ञान आभासी विच्छेदन तालिका और ई-विच्छेदन सॉफ्टवेयर की तरह उन्नत शरीर रचना विज्ञान एड्स को समझने और प्रदर्शित करने में सक्षम; और

(जे) उडल कूरुगल में स्नातकोत्तर डिग्री धारक उडल कूरुगल (यानी सिद्ध एनाटोमिस्ट) का विशेषज्ञ होगा।।

(3) उडल तत्वम (ह्यूमन फिजियोलॉजी)

(ए) मानव शरीर के शारीरिक कार्यों को समझने और प्रदर्शित करने की क्षमता;

(बी) सिद्ध मूल सिद्धांतों के शारीरिक पहलुओं को समझना, मूल्यांकन करना और आकलन करना, जैसे कि छियानवे तत्व, तीन हास्य सिद्धांत, पांच तत्व सिद्धांत, मानव शरीर के पांच आवरण, सात भौतिक घटक, चौदह प्राकृतिक आग्रह, आदि;

(सी) मानव शरीर की जैव रसायन और सिद्ध-जीव विज्ञान के ज्ञान को समझने और लागू करने में सक्षम;

(डी) शरीर के गठन या स्वभाव की विशेषताओं का आकलन और प्रदर्शन करने में सक्षम और;

(ई) फिजियोलॉजी परीक्षण या प्रयोग आयोजित करने या प्रदर्शित करने की क्षमता;

(एफ) समसामयिक वैज्ञानिक तर्ज पर सिद्ध फिजियोलॉजी को सहसंबंधित और अनुवाद करने में सक्षम;

(जी) उडल तत्वम में स्नातकोत्तर डिग्री धारक उडल तत्वम (सिद्ध फिजियोलॉजिस्ट) में विशेषज्ञ या पेरारिगनर होगा।

(4) गुणपाडम - मरूंदियल (मटेरिया मेडिका, फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्नॉसी) -

(ए) हर्बल, धातु, खनिज और पशु मूल के कच्चे माल की पहचान और प्रमाणीकरण करने में सक्षम;

(बी) कच्ची औषधियों का शुद्धिकरण व्यवस्थित ढंग से करने और उसकी वैज्ञानिक व्याख्या करने में सक्षम;

(सी) प्रमाणित प्राचीन सिद्ध साहित्य और इसकी वैज्ञानिक भावना की प्रासंगिकता में गुणपाडम (सिद्ध दवाओं के औषधीय गुण) की व्याख्या करने में सक्षम;

(डी) सिद्ध औषधियों की (औषध विज्ञान) को समसामयिक आधार पर समझना और व्याख्या करना;

(ई) फाइटोकेमिकल और फार्माकोग्नॉस्टिक प्रयोगों का संचालन या प्रदर्शन करने की क्षमता;

(एफ) पशु अध्ययन सहित औषधीय प्रयोगों का संचालन और प्रदर्शन करने की क्षमता

(जी) मिलावट और स्थानापन्न की पहचान करने में कुशल;

(एच) विवादास्पद कच्चे माल को साफ़ करने और स्थानापन्न दवाओं का सुझाव देने की क्षमता;

(आई) नई दवाओं के सिद्ध औषधीय गुणों को परिभाषित करने में सक्षम;

(जे) पारंपरिक और वैज्ञानिक मापदंडों पर कच्ची दवाओं की गुणवत्ता परीक्षण करने में सक्षम होना;

(के) टिशू कल्चर, जैव सूचना विज्ञान, नेटवर्क फार्माकोलॉजी, स्टेम सेल प्रयोग आदि और मरूंदियल (फार्माकोलॉजी) से संबंधित अन्य उभरते क्षेत्रों का ज्ञान प्राप्त करें;

(एल) दवा मानकीकरण अध्ययन करने में सक्षम;

(एम) गुणपदम मरूंदियल में स्नातकोत्तर डिग्री धारक गुणपदम मरूंदियल (यानी सिद्ध फार्माकोलॉजिस्ट) का विशेषज्ञ होगा, जो कच्चे माल (जड़ी-बूटियों, धातुओं, खनिजों और पशु स्रोतों) की पहचान, शुद्धिकरण और जैविक क्रियाओं में विशेषज्ञ होगा।

(5) गुणपाडम - मरूनदगवियल (मटेरिया मेडिका, फार्मास्यूटिक्स और क्लिनिकल फार्मेसी)

(ए) मरूनदगवियल में मौलिक और प्रैक्टिकल ज्ञान;

(बी) रसायन विज्ञान और रासायनिक प्रौद्योगिकी के प्रकाश में दवा प्रसंस्करण विधियों को समझने की क्षमता;

(सी) सिद्ध फॉर्मूलेशन में प्रयुक्त कच्चे माल की प्रामाणिकता का मूल्यांकन करने की क्षमता;

(डी) सिद्ध शास्त्रीय दवाओं को आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से तैयार करने की क्षमता;

(ई) दवा निर्माण, नए खुराक रूपों और नई दवा विकास या उत्पाद विकास पर क्लासिक और समकालीन ज्ञान प्राप्त करना;

(एफ) मरूनदगवियल में अनुसंधान की आवश्यकता और क्षेत्रों की पहचान करने की क्षमता;

(जी) दवा मानकीकरण, गुणवत्ता परीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता आश्वासन विधियों और संबंधित उपकरणों या यंत्रों या उपस्कर से परिचित होना;

(एच) सामग्री और परिचालन प्रबंधन, नैदानिक फार्मेसी और फार्मेसी प्रैक्टिस की समझ और अनुप्रयोग;

(आई) दवा और दवा डोजियर की तैयारी के लिए क्षमता से संबंधित मानक डेटाबेस का ज्ञान पूरा करना, दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों और प्रासंगिक कृत्यों से परिचित;

(जे) नई दवाएं या दवाओं का संयोजन बनाने और तैयार करने की क्षमता; फार्माकोविजिलेंस की आवश्यकता के साथ-साथ इसका ज्ञान और व्यापकता प्राप्त करें।

(के) फार्मेसी और नैदानिक फार्मेसी के वितरण में अनुभव प्राप्त करना;

(एल) नई दवाओं या संयोजनों को तैयार करने और तैयार करने की क्षमता; और

(एम) गुणपाडम - मरूनदगवियल में स्नातकोत्तर डिग्री धारक सिद्ध फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और क्लिनिकल फार्मेसी में विशिष्ट गुणपाडम - मरूनदगवियल (यानी सिद्ध फार्मास्युटिकल विशेषज्ञ) में विशेषज्ञ होगा।

(6) नोइ नाडल (पैथोलॉजी एंड लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक्स) -

(ए) सिद्ध रोगविज्ञान को समझने और नैदानिक निदान और पूर्वानुमान की पुष्टि में सिद्ध बुनियादी सिद्धांतों को लागू करने की क्षमता;

(बी) बुनियादी विकृति विज्ञान, प्रणालीगत विकृति विज्ञान, रोग प्रक्रिया, पैथोफिज़ियोलॉजी को समझने और सिद्ध परिप्रेक्ष्य में व्याख्या या लागू करने की क्षमता;

(सी) सिद्ध पारंपरिक निदान विधियों और उपकरणों में विशेषज्ञ बनना, जिनमें नाड़ी परिसोदनई, एनवागई थेरवु, मणिक्कडई नूल, आदि;

(डी) शरीर के गठन या स्वभाव की विशिष्टताओं का आकलन और प्रदर्शन करने और सिद्धजेनोमिक्स के अनुप्रयोग को समझने में सक्षम;

(ई) निदान और रोग का निदान करने की भविष्यवाणी में पंचपक्षी शास्त्रम और मारुथुवा ज्योतिडाविईल के ज्ञान का अनुवाद करने में सक्षम;

(एफ) सिद्ध शरीर विज्ञान, पैथोफिज़ियोलॉजी, सिद्ध जीव विज्ञान, आणविक जीव विज्ञान, और सिद्ध जीनोमिक्स के माध्यम से पैथोलॉजी का वर्णन करने की क्षमता;

(जी नैदानिक निदान की पुष्टि के लिए उचित जांच, हेमेटोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, जैव रासायनिक, माइक्रोबायोलॉजिकल, इमेजिंग तकनीक, हिस्टोपैथोलॉजी और इसी तरह की जांच करने की क्षमता;

एच) सिद्ध सिद्धांतों के संदर्भ में परिणामों की व्याख्या करने की क्षमता;

(आई) नोइ नाडल के स्नातकोत्तर शिक्षण और प्रशिक्षण की सीमा तक नैदानिक जांच या परीक्षणों पर हस्ताक्षर करने और प्रमाणित करने के लिए अधिकृत हैं;

(जे)नोई नादल के स्नातकोत्तर शिक्षण और प्रशिक्षण की सीमा तक नैदानिक सुविधाओं के साथ नैदानिक प्रयोगशाला स्थापित करने और प्रबंधित करने के लिए अधिकृत हैं; और

(के) नोइ नाडल में स्नातकोत्तर डिग्री धारक नोइ नाडल (यानी सिद्ध रोगविज्ञानी) में विशेषज्ञ होगा, जो पैथोलॉजी और प्रयोगशाला निदान में विशिष्ट है।

(7) नंजु मरूतुवम् (क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी) -

(ए) जहरीली स्थितियों, काटने या डंक का निदान करने और चिकित्सा प्रबंधन लागू करने की क्षमता;

(बी) वर्तमान संदर्भ में इडुमारुन्थु की पहचान करने और उपचारात्मक उपाय सुझाने की क्षमता;

(सी) निदान, आपातकालीन देखभाल और प्रबंधन के संदर्भ में समकालीन वैज्ञानिक ज्ञान को जहरीली स्थितियों में लागू करने में सक्षम होना;

(डी) उचित एंटीडोट्स की तैयारी में सक्षम बनना;

(ई) चिकित्सा न्यायशास्त्र को समझने में सक्षम;

(एफ) सिद्ध फॉर्मूलेशन या दवाओं का सुरक्षा अध्ययन करने में सक्षम;

(जी) फार्माकोविजिलेंस से निपटने की क्षमता;

(एच) जहर के कारण नैदानिक स्थितियों और उनकी जटिलताओं से निपटने में सक्षम;

(आई) विशेषता से संबंधित स्थितियों में नैदानिक अनुसंधान करने में सक्षम; और

(जे) नंजु मरूतुवम् में स्नातकोत्तर डिग्री धारक नंजु मरूतुवम् (यानी सिद्ध क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजिस्ट) में विशेषज्ञ होगा, जो सिद्ध नंजु मरूतुवम् और मेडिकल न्यायशास्त्र में विशिष्ट होगा।

(8) नोइ अनुगाविधी मरूतुवम् (सिद्ध डायटेटिक्स, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ) -

(ए) पुनर्स्थापनात्मक, प्रोत्साहनात्मक और निवारक स्वास्थ्य देखभाल के संदर्भ में सिद्ध सिद्धांतों के आधार पर जीवन शैली प्रबंधन की सलाह देने और समसामयिक आधार पर समझाने में सक्षम;

(बी) स्वास्थ्य और कल्याण को बनाए रखने के लिए नियमित सफाई विधियों पर सलाह देने की क्षमता;

(सी) निवारक दवाएं और निवारक उपाय लिखने में सक्षम;

(डी) महामारी विज्ञान अनुसंधान के लिए अनुसंधान प्रोटोकॉल विकसित करने में सक्षम होना;

(ई) सिद्ध पोषण, पारंपरिक भोजन, कार्यात्मक भोजन और पाक चिकित्सा सहित सिद्ध आहार विज्ञान में विशेषज्ञ बनना;

(एफ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और संबंधित नियामक दिशानिर्देशों में अद्यतन ज्ञान;

(जी) क्षेत्र सर्वेक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने और पब्लिक हेल्थ उपायों को अपनाने की क्षमता;

(जी) क्षेत्र सर्वेक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने और पब्लिक हेल्थ उपायों को विकसित करने की क्षमता

(एच) सिद्ध के माध्यम से ग्रहों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने की जरूरतों और तरीकों को समझने में सक्षम;

(आई) वैज्ञानिक तरीके से स्थानिक, महामारी और महामारी स्थितियों में सिद्ध हस्तक्षेपों के साथ प्रबंधन करने में सक्षम; और

(जे) नोई अनुगविधि मरूतुवम् में स्नातकोत्तर डिग्री धारक नोई अनुगविधि मरूतुवम् (यानी सिद्ध आहार विज्ञान, जीवन शैली प्रबंधन, निवारक चिकित्सा और पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ) में विशेषज्ञ होगा।

(9) पोथु मरूतुवम् (जनरल मेडिसिन)-

(ए) सिद्ध निदान विधियों को लागू करके सामान्य मामलों का नैदानिक रूप से निदान करने की क्षमता;

(बी) नैदानिक जांच रिपोर्ट की व्याख्या और सहसंबंध करने, निदान पर पहुंचने और रोगी का इलाज करने की क्षमता;

(सी; तीव्र और पुरानी दोनों तरह की सामान्य नैदानिक स्थितियों के लिए उपचार प्रदान करने की क्षमता;

(डी) सामान्य मामलों के लिए उपचार की दिशा तय करने में कुशल;

(ई) खुराक और उचित प्रशासन विधियों का निर्धारण करने में कुशल;

(एफ) निदान और उपचार में शरीर रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान के ज्ञान और अनुभव को लागू करने की क्षमता;

(जी) प्रभावित बीमारी और निर्धारित दवाओं के संबंध में आहार और जीवनशैली में संशोधन निर्धारित करने में सक्षम;

(एच)आपातकालीन चिकित्सा प्रदान करने की क्षमता;

(आई) नैदानिक अनुसंधान करने में सक्षम; और

(जे) पोथु मरूतुवम् में स्नातकोत्तर डिग्री धारक पोथु मरूतुवम् (सिद्ध सामान्य चिकित्सा विशेषज्ञ) में विशेषज्ञ होगा।

(10) वर्मा मरूतुवम् (वर्मा मेडिसिन)-

(ए) शरीर रचना विज्ञान, वर्मा संकेतों और रोगसूचकता को लागू करके रोग की स्थिति की पहचान करने और वर्म चिकित्सा के लिए उपयुक्त प्रदान करने की क्षमता;

(बी) सिद्ध वर्मा उपचार तकनीकों के साथ वर्मम विकारों का इलाज करने की क्षमता, जिसमें इलाकु मुराई, अडंगल मुराई आदि शामिल हैं, और वैज्ञानिक रूप से समझाते हैं;

(सी) वर्मम उपचार तकनीकों को थोक्कनम और अन्य बाहरी उपचार प्रक्रियाओं के साथ एकीकृत करने में सक्षम,

(डी) वर्मा मेनुपुलेशन के माध्यम से मांसपेशियों, न्यूरोलॉजिकल, रुमेटोलॉजिकल, ट्रामैटिक स्थितियों और खेल चोटों के प्रबंधन में कौशल हासिल करना

(ई) उपशामक, दर्द प्रबंधन, पुनर्वास प्रबंधन और वर्मा उपचार उपायों या तकनीकों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में कुशल;

(एफ) चिकित्सा आपात स्थिति में सहायता प्रदान करने में सक्षम ;

(जी) संबंधित क्षेत्र में नैदानिक अनुसंधान करने में सक्षम;

(एच) वर्मा मरूतुवम् में स्नातकोत्तर डिग्री धारक वर्मा मरूतुवम् (यानी सिद्ध वर्मम विशेषज्ञ) में विशेषज्ञ होगा।

(11) पुरा मरूतुवम् (एक्सर्टनल मेडिसिन) -

(ए) एक्सर्टनल मेडिसिन या दवा के लिए उपयुक्त नैदानिक स्थितियों की पहचान करने की क्षमता;

(बी) एक्सर्टनल मेडिसिन प्रक्रियाओं और सफाई उपचारों से गुजरने के लिए फिटनेस प्रमाणित करने में सक्षम होना;

(सी) नैदानिक स्थितियों के लिए उपयुक्त थोक्कनम और सफाई उपचारों सहित बत्तीस प्रकार के बाहरी उपचारों का चयन, योजना और प्रशासन करने की क्षमता;

(डी) एक्सर्टनल मेडिसिन प्रक्रियाओं की जटिलताओं का प्रबंधन करने में सक्षम;

(ई) एक्सर्टनल मेडिसिन और आंतरिक (विशेष) चिकित्सा को एकीकृत करने में सक्षम;

(एफ) अस्पताल में पुरा मरूतुवम् थेरेपी अनुभाग को व्यवस्थित रूप से बनाए रखने और मानव संसाधनों का प्रबंधन करने में सक्षम;

(जी) पुरा मरूतुवम् के लिए उपकरण, उपस्कर या प्रक्रियाएं विकसित करने में सक्षम;

(एच) पुरा मरूतुवम् के माध्यम से कायाकल्प चिकित्सा, और पुनर्वास प्रबंधन करने की क्षमता;

(आई) संबंधित क्षेत्र में नैदानिक अनुसंधान करने में सक्षम;

(जे) पुरमरुन्थुगल तैयार करने की क्षमता ;

(के) सभी आयु समूहों के लिए पुरा मरूतुवम् करने की क्षमता; और

(एल) पुरा मरूतुवम् में स्नातकोत्तर डिग्री धारक पुरा मरूतुवम् (सिद्ध बाहरी थेरेपी विशेषज्ञ) में विशेषज्ञ होगा।

(12) सिद्धर योग मरूतुवम् (सिद्धर यौगिक साइंस) -

(ए) योग चिकित्सा के लिए उपयुक्त नैदानिक स्थितियों की पहचान करने और शरीर रचना और क्रिया ज्ञान लागू करने और योग चिकित्सा का अनुभव करने में सक्षम;

(बी) शरीर और मन के स्वास्थ्य और कल्याण को बनाए रखने के लिए सामान्य व्यक्तियों के लिए विशिष्ट योग प्रदर्शित करने और निर्धारित करने की क्षमता;

(सी) कायाकल्प, दीर्घायु और कल्याण के लिए योग की सलाह देने में सक्षम;

(डी) निवारक, प्रोत्साहन और पुनर्स्थापनात्मक स्वास्थ्य देखभाल के लिए योग लागू करना;

(ई) पब्लिक हेल्थ के लिए योग लागू करना;

(एफ) योग और उपचार को एकीकृत करने के लिए अन्य विशेषज्ञों के साथ सहयोग करने में सक्षम;

(जी) योगम से जुड़ी जैविक घटनाओं को समसामयिक आधार पर समझाने में सक्षम;

(एच) संबंधित क्षेत्र में नैदानिक अनुसंधान करने में सक्षम;

(आई) सिद्धर योग मरूतुवम् में स्नातकोत्तर डिग्री धारक सिद्धर योग मरूतुवम् (सिद्धर योग विशेषज्ञ) में विशेषज्ञ होगा।

(13) सिद्धर अरुवई मरूतुवम् (सिद्ध सर्जरी) -

(ए) प्राप्त शिक्षण और प्रशिक्षण के अनुसार सर्जिकल स्थितियों में सर्जरी करने की क्षमता;

(बी) सर्जिकल स्थितियों का निदान करने, विशेषता के लिए विशिष्ट आवश्यक नैदानिक परीक्षणों का सुझाव देने और करने और नैदानिक परीक्षणों के परिणामों की व्याख्या करने की क्षमता;

(सी) अरुवई, अग्नि और करम की तीन प्रमुख श्रेणियों के तहत पच्चीस प्रकार की सिद्ध सर्जिकल और पैरा-सर्जिकल प्रक्रियाएं करने की क्षमता;

(डी) नैदानिक सर्जरी करने और सर्जिकल और पैरा-सर्जिकल जटिलताओं का प्रबंधन करने की क्षमता;

(ई) कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, और पल नोइकल का निदान और प्रबंधन करने में सक्षम;

(एफ) ऑपरेशन थियेटर को उचित रूप से बनाए रखने में सक्षम;

(जी) ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद की देखभाल में कुशल;

(एच) सिद्ध सर्जरी करने के लिए वर्तमान आवश्यकता के अनुसार उपकरण या यंत्रों को विकसित करने की क्षमता;

(आई) संबंधित क्षेत्र में नैदानिक अनुसंधान करने में सक्षम;

(जे) अरुवई मरूतुवम् में स्नातकोत्तर डिग्री धारक सिद्धर अरुवई मरूतुवम् (यानी सिद्ध सर्जन) में विशेषज्ञ होगा, जो नेत्र विज्ञान, कान-नाक-गले और दंत चिकित्सा की स्थिति से संबंधित सिद्धर अरुवई मरूतुवम् प्रक्रियाओं में विशिष्ट होगा।

(14) मगलिर और सूल मरूतुवम् (गाईनेकॉलोजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स)

(ए) प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल प्रदान करने की क्षमता;

(बी) प्रसव कराने और जटिलताओं का प्रबंधन करने में सक्षम;

(सी) स्त्री रोग और प्रसूति स्थितियों का निदान करने और उपचार प्रदान करने में सक्षम;

(डी) शिक्षण और प्रशिक्षण और विशेषता से संबंधित अन्य चिकित्सीय प्रक्रियाओं के अनुसार स्त्री रोग और प्रसूति सर्जरी करने में सक्षम;

(ई) स्पेशियलिटी से संबंधित नैदानिक परीक्षण करने की क्षमता;

(एफ) प्राप्त शिक्षण और प्रशिक्षण के अनुसार गर्भाधान और गर्भनिरोधक उपायों को निर्धारित करने की क्षमता;

(जी) भ्रूण के सामान्य विकास और सामान्य प्रसव को सुविधाजनक बनाने के लिए दवाएं और उपाय लिखने में सक्षम;

(एच) संबंधित क्षेत्र में नैदानिक अनुसंधान करने में सक्षम;

(आई) मगालिर और सूल मरूतुवम् में स्नातकोत्तर डिग्री धारक मगलिर और सूल मरूतुवम् (यानी सिद्ध (गाईनेकॉलोजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स) के विशेषज्ञ होंगे, जो स्त्री रोग और प्रसूति संबंधी स्थितियों और संबंधित सर्जिकल प्रक्रियाओं के प्रबंधन में विशिष्ट होंगे ।

(15) कुजंतइ मरूतुवम् (पिडियाट्रिक्स)-

(ए) 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों में बाल विकारों का प्रबंधन करने की क्षमता;

(बी) 'सामान्य बच्चे' को समझने में सक्षम;

(सी) टीकाकरण अनुसूची और सिद्ध प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने वाले उपायों के कार्यान्वयन में क्षमता;

(डी) बच्चों में बाहरी दवा या थेरेपी देने की क्षमता;

(ई) विशेष रूप से विकलांग और विशेष बच्चों का इलाज करने में सक्षम;

(एफ) संबंधित क्षेत्र में नैदानिक अनुसंधान करने में सक्षम;

(जी) स्पेशियलिटी से संबंधित नैदानिक परीक्षण करने की क्षमता;

(एच) सिद्ध सिद्धांतों के आधार पर बढ़ते बच्चों के लिए आहार निर्धारित करने में कुशल;

(आई) कुजंतइ मरूतुवम् में स्नातकोत्तर डिग्री धारक कुजंतइ मरूतुवम् (सिद्ध पिडियाट्रिक्स विशेषज्ञ) में विशेषज्ञ होगा।

(16) तोल मरूतुवम् (डर्माटोलॉजी) -

(ए) सिद्ध निदान विधियों और समसामयिक तर्ज पर त्वचा विकारों का निदान करने में सक्षम;

(बी) तीव्र और पुरानी त्वचा विकारों के इलाज की क्षमता;

(सी) उचित बाहरी उपचार प्रक्रियाओं या बाहरी दवाओं को लागू करने में सक्षम;

(डी) विशेषता से संबंधित नैदानिक परीक्षण करने की क्षमता;

(ई) संबंधित क्षेत्र में नैदानिक अनुसंधान करने में सक्षम;

(एफ) नई संस्थाओं के प्रबंधन के लिए उपचारात्मक उपाय विकसित करने में सक्षम;

(जी) निदान में उपयुक्त उपकरणों और तरीकों को संभालने में सक्षम;

(एच) उम्र बढ़ने और कॉस्मेटिक संबंधी त्वचा के मुद्दों के लिए सिद्ध हस्तक्षेप को निर्धारित या प्रशासित करने में प्रवीणता; और;

(आई) तोल मरूतुवम् में स्नातकोत्तर डिग्री धारक तोल मरूतुवम् (सिद्ध त्वचा विशेषज्ञ) में विशेषज्ञ होगा।

18. शिक्षा का माध्यम - शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी या तमिल या हिंदी या भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत शामिल कोई भी मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषा होगी। ऐसे मामलों में जहां स्नातकोत्तर विभाग या विशेषता विभिन्न राज्यों के छात्रों को स्वीकार करती है, अंग्रेजी या हिंदी की आम भाषा का उपयोग किया जाएगा।

19. स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश का तरीका - (1) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में स्नातकोत्तर डिग्री (एमडी और एमएस) कार्यक्रम में प्रवेश के लिए स्नातकोत्तर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षानामक एक समान प्रवेश परीक्षा होगी और इसे भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा नामित प्राधिकारी द्वारा संचालित किया जाएगा; बशर्ते कि स्नातकोत्तर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाविदेशी राष्ट्रीय उम्मीदवारों के लिए लागू नहीं होगी।

(2)किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड या चिकित्सा संस्थान से सिद्ध मरूथवा अरिग्नर (बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी) (बीएसएमएस) की डिग्री रखने वाला और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या केंद्रीय पंजीकरण (जैसा लागू हो) में मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र रखने वाला व्यक्ति, स्नातकोत्तर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा(एआईएपीजीईटी) के लिए उपस्थित होने के लिए पात्र होगा; स्नातकोत्तर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाउत्तीर्ण करने के बाद, वह योग्यता के अनुसार स्नातकोत्तर डिग्री (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन या मास्टर ऑफ सर्जरी) कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र हो जाएगा।

(3) स्थायी पंजीकरण के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अलावा, स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रवेश के मामले में, संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के परिषद या बोर्ड से स्नातकोत्तर कार्यक्रम की पूरी अवधि के लिए अस्थायी पंजीकरण की आवश्यकता होगी;

(4) स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र बनने के लिए, उम्मीदवार को उक्त शैक्षणिक वर्ष के लिए आयोजित स्नातकोत्तर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षामें न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगाः

बशर्ते कि,-

(ए) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अंक 40 प्रतिशत होंगे;

(बी) विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के तहत निर्दिष्ट बेंचमार्क विकलांगता उम्मीदवार के लिए न्यूनतम अंक 40 प्रतिशत होंगे

(5) स्नातकोत्तर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षामें प्राप्त अंकों या स्कोर के आधार पर योग्य उम्मीदवारों की एक अखिल भारतीय कॉमन मेरिट सूची के साथ-साथ राज्य या केंद्र शासित प्रदेशवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी और संबंधित श्रेणियों के भीतर के आने वाले उम्मीदवार को उक्त मेरिट सूची से केवल काउंसलिंग के माध्यम से स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा।

(6) सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान और निजी संस्थान में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय कोटा के लिए सीट मैट्रिक्स पंद्रह प्रतिशत होगी और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कोटा के लिए पचासी प्रतिशत होगी:

बशर्ते कि,-

(ए) दोनों सरकारी और निजी (केंद्रीय अधिनियम के तहत स्थापित) सभी डीम्ड विश्वविद्यालयों में प्रवेश के उद्देश्य से अखिल भारतीय कोटा सौ प्रतिशत होगा;

(बी) विश्वविद्यालय और संस्थान जिनके पास पहले से ही अखिल भारतीय कोटा सीटें पंद्रह प्रतिशत से अधिक है वे उस कोटा को बनाए रखना जारी रखेंगे;

(सी) सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में वार्षिक स्वीकृत छात्र प्रवेश क्षमता का पांच प्रतिशत दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के प्रावधानों के अनुसार निर्दिष्ट दिव्यांगता वाले उम्मीदवार द्वारा भरा जाएगा;

(7) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, ट्रस्ट, सोसायटी, अल्पसंख्यक संस्थान, निगम या कंपनी द्वारा स्थापित संस्थानों सहित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी सिद्ध शैक्षणिक संस्थानों में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कोटा की काउंसलिंग (आनलाइन) के लिए नामित प्राधिकारी संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रासंगिक नियमों और विनियमों के अनुसार संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश होगा, जैसा भी मामला हो।

(8) सभी सरकारी और निजी केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित डीम्ड विश्वविद्यालयों की सौ प्रतिशत सीटों के लिए स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग (आनलाइन) अखिल भारतीय आयुष केंद्रीय परामर्श समिति द्वारा आयोजित की जाएगी, जो इस हेतु भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा नामित प्राधिकारी है।

(9) केंद्र सरकार द्वारा स्थापित सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और सिद्ध चिकित्सा संस्थानों में अखिल भारतीय कोटा के तहत सीटों के लिए स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग आयुष प्रवेश केंद्रीय परामर्श समिति द्वारा आयोजित की जाएगी, जो इस संबंध में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा नामित प्राधिकरण है।

(10) विदेशी नागरिकों को छोड़कर प्रबंधन कोटा सहित सभी सीटों पर केवल ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा।

(11) केंद्रीय या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश काउंसलिंग के अलावा किसी भी माध्यम से सीधे प्रवेश को अमान्य माना जाएगा।

(12) संस्थान सत्यापन के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रवेश के लिए कट-ऑफ तारीख को या उससे पहले भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप, मोड और समय में दाखिल छात्रों की सूची प्रस्तुत करेंगे; ऐसा न करने पर परीक्षा प्रकोष्ठ की सिफारिश पर एमएआरबीआईएसएम द्वारा प्रतिदिन एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

(13) परामर्श प्राधिकारी आवंटित छात्रों का डेटा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप, मोड और समयसीमा में प्रस्तुत करेंगे।

(14) कोई भी उम्मीदवार जो इन विनियमों में निर्दिष्ट न्यूनतम पात्रता अंक प्राप्त करने में विफल रहा है, उसे उक्त शैक्षणिक वर्ष में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(15) कोई भी प्राधिकारी या संस्थान इन विनियमों और प्रवेश के संबंध में आयोग के संबंधित दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदंडों या प्रक्रिया के उल्लंघन में किसी भी उम्मीदवार को स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रवेश नहीं देगा।

(16) इन विनियमों और आयोग के संबंधित दिशानिर्देशों में उक्त मानदंड या प्रक्रिया के उल्लंघन में किया गया कोई भी प्रवेश अमान्य होगा और उसे भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।

(17) जो प्राधिकारी या संस्थान इन विनियमों में निर्धारित मानदंडों या प्रक्रिया के उल्लंघन में किसी भी छात्र को प्रवेश देता है, वह अधिनियम और उसके तहत विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार परिणाम भुगतने के लिए उत्तरदायी होगा।

(18) सिद्ध में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में विदेशी राष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश के लिए प्रवेश प्रक्रिया और अन्य आवश्यकताएं भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट निर्देशों या दिशानिर्देशों के अनुसार होंगी।

20. वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता और छात्र-गाइड अनुपात – (1) प्रत्येक स्नातकोत्तर डिग्री प्रोग्राम (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन-एमडी और मास्टर ऑफ सर्जरी-एमएस) में वार्षिक छात्र सेवन क्षमता प्रति वर्ष बारह सीटों से अधिक नहीं होगी,

(2) छात्र-स्नातकोत्तर गाइड अनुपात की उपलब्धता के अधीन यानी प्रोफेसर के लिए 3: 1 (एक प्रोफेसर के लिए तीन छात्र); एसोसिएट प्रोफेसर या रीडर के लिए 2: 1 (एक एसोसिएट प्रोफेसर या रीडर के लिए दो छात्र); और सहायक प्रोफेसर या व्याख्याता के लिए 1: 1 (एक सहायक प्रोफेसर या व्याख्याता के लिए एक छात्र)

21. पाठ्यक्रम की अवधि और उपस्थिति पद्धति- (1) सिद्ध में स्नातकोत्तर कार्यक्रम [सिद्ध मरुथुवा पेरारिगनर (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और मास्टर ऑफ सर्जरी)] की अवधि, परीक्षा या मूल्यांकन अवधि सहित तीन वर्ष (छत्तीस महीने) होगी और स्नातकोत्तर कार्यक्रम का नाम अध्याय-III के अनुसार होगा।

(2) पाठ्यक्रम पूरा करने की अधिकतम अवधि उस बैच के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार शैक्षणिक पाठ्यक्रम शुरू होने की तिथि से छह वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट आधार आधारित केंद्रीकृत बायोमेट्रिक, या आईरिस डिटेक्शन या फेस रिकग्निशन बायोमेट्रिक उपस्थिति पद्धति को संस्थान द्वारा स्नातकोत्तर छात्रों की उपस्थिति के लिए बनाए रखा जाएगा।

(4) स्नातकोत्तर छात्रों के लिए नीचे उल्लिखित अवकाश नीति लागू होगी, -

(ए) प्रति शैक्षणिक वर्ष बारह दिनों तक की आकस्मिक छुट्टियाँ;

(बी) शैक्षणिक गतिविधियों जैसे सेमिनार, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अभिविन्यास कार्यक्रमों, संगोष्ठी आदि में भाग लेने के लिए यात्रा के दिनों सहित "ऑन ड्यूटी" माना जाएगा; और

(सी) संबंधित केंद्रीय या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के नियमों के अनुसार मातृत्व, पितृत्व और अन्य अवकाश;

(5) छात्र को विश्वविद्यालय परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र बनने के लिए कुल शैक्षणिक गतिविधियों में न्यूनतम अस्सी प्रतिशत में भाग लेना होगा और इनमें विभाग या संस्थान द्वारा निर्धारित व्याख्यान, प्रैक्टिकल या नैदानिक, प्रदर्शनात्मक शिक्षण, ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्यशालाएं, सेमिनार, नैदानिक मामले की प्रस्तुति, समूह चर्चा, जर्नल क्लब आदि सहित शैक्षणिक गतिविधियां शामिल होंगी।

(6) अपेक्षित उपस्थिति प्राप्त करना स्नातकोत्तर छात्र की जिम्मेदारी होगी। उपस्थिति की कमी के मामले में, पाठ्यक्रम की अवधि आनुपातिक रूप से बढ़ाई जाएगी

(7) छात्र अस्पताल, विभाग या प्रयोगशालाओं और अध्ययन के दौरान सौंपे गए अन्य कर्तव्यों में भाग लेगा

(8) स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों में अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है।

22. अध्ययन का पैटर्न और विषय -

(1) स्नातकोत्तर कार्यक्रम आम तौर पर हर साल अगस्त के पहले कार्य दिवस पर शुरू होगा।

(2) स्नातकोत्तर कार्यक्रम आयोग द्वारा निर्धारित एक ओरिएन्टेशन कार्यक्रम (सामान्य और विशेषता-विशिष्ट) के साथ शुरू होगा।

(3) तीन साल (छत्तीस महीने) के स्नातकोत्तर कार्यक्रम में छह सेमेस्टर होंगे, और प्रत्येक सेमेस्टर छह महीने की अवधि का होगा।

(4) प्रत्येक सेमेस्टर में नोशनल लर्निंग घंटे 750 घंटे से कम नहीं होंगे जो विशेष रूप से शिक्षण, प्रैक्टिकल या नैदानिक प्रशिक्षण, अनुभवात्मक शिक्षा और शोध प्रबंध अनुसंधान गतिविधियों को पूरा करने के लिए हैं। पूरे स्नातकोत्तर कार्यक्रम के कुल नोशनल लर्निंग घंटे 4500 घंटे (यानी 750 घंटे x 6 सेमेस्टर) से कम नहीं होंगे।

(5) (ए) प्रत्येक सेमेस्टर में 750 नोशनल लर्निंग घंटे 25 क्रेडिट में संरचित होते हैं और प्रत्येक क्रेडिट में 30 घंटे होंगे; स्नातकोत्तर कार्यक्रम में मुख्य विषय और ऐच्छिक शामिल होंगे।

(बी) पूरे स्नातकोत्तर कार्यक्रम के 4500 कुल नोशनल लर्निंग घंटे 150 क्रेडिट (यानी 25 क्रेडिट x 6 सेमेस्टर) में संरचित हैं;

(सी) प्रत्येक क्रेडिट में 1: 2: 3 के अनुपात में शिक्षण, प्रैक्टिकल प्रशिक्षण और अनुभवात्मक शिक्षा होगी अर्थात 05 घंटे का शिक्षण, 10 घंटे का प्रैक्टिकल प्रशिक्षण और 15 घंटे का अनुभवात्मक अधिगम;

(6) स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रत्येक सेमेस्टर में मुख्य विषय और ऐच्छिक शामिल होंगे जैसा कि नीचे दी गई तालिका में विस्तृत है।

(7) (ए) मुख्य विषय (कोर विषयों) को मॉड्यूल के रूप में पढ़ाया जाएगा

(बी) प्रत्येक मॉड्यूल में एक या अधिक क्रेडिट हो सकते हैं;

(सी) प्रत्येक माड्यूल के अंत में छात्रों को रचनात्मक मूल्यांकन से गुजरना होगा

(8) (ए) ऐच्छिक की दो श्रेणियाँ होंगी अर्थात् डोमेन विशिष्ट ऐच्छिक और क्षमता वृद्धि ऐच्छिक;

(बी) प्रत्येक स्नातकोत्तर छात्र प्रत्येक सेमेस्टर में डोमेन विशिष्ट श्रेणी से एक ऐच्छिक और क्षमता वृद्धि श्रेणी से एक ऐच्छिक अर्हता प्राप्त करेगा और पूरी तरह से एक स्नातकोत्तर छात्र पूरे स्नातकोत्तर क्र.सं डिग्री कार्यक्रम के तीन वर्षों के दौरान न्यूनतम 12 ऐच्छिक (डोमेन विशिष्ट श्रेणी से छह ऐच्छिक और क्षमता वृद्धि श्रेणी से छह ऐच्छिक) अर्हता प्राप्त करेगा;

(सी) ऐच्छिक पाठ्यक्रम आयोग द्वारा विनिदष्ट समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन आयोजित किए जाएंगे।

(9) पढ़ाए जाने वाले विषय और अन्य कार्यकलाप (सेमेस्टरवार) नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित होंगे,

तालिका

सेमेस्टर वार विषय और गतिविधियाँ

क्र. सं	सेमेस्टर	**पाठ्यक्रम की अवधि (36 महिने)**	**विषय और गतिविधियाँ**	**क्रेडिट की संख्या**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1	सेमेस्टर-1	1-6 महीने	ओरिएंटेशन प्रोग्राम (कॉमन)	3
			ओरिएंटेशन प्रोग्राम (विशेषता के लिए विशिष्ट)	1
			मुख्य विषय: रिसर्च मेथोडोलॉजी (मॉड्यूल)	9
			मुख्य विषय: बायोस्टैटिस्टिक्स (मॉड्यूल)	8
			ऐच्छिक: डोमेन विशिष्ट (कोई भी)	2
			ऐच्छिक: क्षमता वृद्धि (कोई भी)	2
			उप योग	**25**
योगात्मक मूल्यांकन-1				
2	सेमेस्टर-2	7-12 महीने	सारांश और सारांश प्रस्तुत करना	5
			मुख्य विषय: संबंधित विशेषता की एप्लाइड मूल बातें (मॉड्यूल)	16
			ऐच्छिक: डोमेन विशिष्ट (कोई भी)	2
			ऐच्छिक: क्षमता वृद्धि (कोई भी)	2
			उप योग	**25**
Summative Assessment-2				
3	सेमेस्टर-3	**13-18 महीने**	शोध प्रबंध गतिविधियाँ	5
			विशेषता के मुख्य विषय (मॉड्यूल)	16
			ऐच्छिक: डोमेन विशिष्ट (कोई भी)	2
			ऐच्छिक: क्षमता वृद्धि (कोई भी)	2

			उप योग	**25**
4	सेमेस्टर-4	19-24 महीने	शोध प्रबंध गतिविधियाँ	5
			विशेषता के मुख्य विषय (मॉड्यूल)	16
			ऐच्छिक: डोमेन विशिष्ट (कोई भी)	2
			ऐच्छिक: क्षमता वृद्धि (कोई भी)	2
			उप योग	**25**
5	सेमेस्टर-5	25-30 महीने	शोध प्रबंध गतिविधियाँ	5
			विशेषता के मुख्य विषय (मॉड्यूल)	16
			ऐच्छिक: डोमेन विशिष्ट (कोई भी)	2
			ऐच्छिक: क्षमता वृद्धि (कोई भी)	2
			उप योग	**25**
6	सेमेस्टर-6	31-36 महीने	शोध प्रबंध गतिविधियाँ और शोध प्रबंध प्रस्तुत करना	5
			विशेषता के मुख्य विषय (मॉड्यूल)	16
			ऐच्छिक: डोमेन विशिष्ट (कोई भी)	2
			ऐच्छिक: क्षमता वृद्धि (कोई भी)	2
			उप योग	**25**
			महायोग	**150**
योगात्मक मूल्यांकन-3				

(10) पाठ्यक्रम अधिनियम में प्रावधान के अनुसार योग्यता आधारित होगा।

(11) पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम में शिक्षण एवं प्रशिक्षण की विधि का विवरण दिया जायेगा।

(12) कार्यक्रमों अर्थात् गुणपाडम - मरूंदियल और गुणपाडम - मरूनदगवियल के छात्र आयोग द्वारा समय-समय पर प्रकाशित संबंधित पाठ्यक्रम में यथा विनिदष्ट अवधि, निर्देशों, दिशा-निर्देशों आदि के लिए उद्योग पोस्टिंग (औषध विनिर्माण उद्योग) प्राप्त कर सकते हैं।

23. परीक्षा और मूल्यांकन- (1) मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन के संदर्भ में किया जाएगा।

(2) स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम में तीन योगात्मक मूल्यांकन (विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित या परीक्षाएं) होंगी।

(3) (ए) विश्वविद्यालय पहले सेमेस्टर पाठ्यक्रम के लिए पहले सेमेस्टर के अंत में पहला योगात्मक मूल्यांकन करेगा, दूसरे सेमेस्टर पाठ्यक्रम के लिए दूसरे सेमेस्टर के अंत में दूसरा योगात्मक मूल्यांकन, और तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के लिए छठे सेमेस्टर के अंत में तीसरा योगात्मक मूल्यांकन;

(बी) तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे सेमेस्टर को एक ब्लॉक अवधि के रूप में रखा गया है ताकि छात्रों द्वारा अनुसंधान कार्यकलापों, नैदानिक प्रदर्शन, औद्योगिक एक्सपोजर और अन्य बाहरी पोस्टिंग या गतिविधियों जैसे कार्यकलाप बिना किसी बाधा के किए जा सकें।

(4) दूसरे सेमेस्टर के अंत में दूसरे योगात्मक मूल्यांकन के लिए उपस्थित होने से पहले, छात्र को निर्धारित अवधि के भीतर सारांश जमा करना अनिवार्य है।

(5) छठे सेमेस्टर के अंत में तीसरे योगात्मक मूल्यांकन के लिए उपस्थित होने से पहले, छात्र को,-

(ए) स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के पहले और दूसरे सेमेस्टर के सभी मुख्य विषयों में उत्तीर्ण होना होगा;

(बी) इन विनियमों में निर्दिष्ट न्यूनतम बारह ऐच्छिक (क्षेत्र विशिष्ट श्रेणी से छह ऐच्छिक और क्षमता वृद्धि श्रेणी से छह ऐच्छिक) पारित किए जाएंगे।

(सी) शोध प्रबंध प्रस्तुत करना होगा;

(डी) प्रीप्रिंट रिपॉजिटरी सर्वर जैसे कि बायोरेक्सिव या मेडरेक्सिव में शोध प्रबंध का कम से कम एक प्रीप्रिंट प्रकाशित करें या किसी प्रतिष्ठित इंडैक्स्ड शोध पत्रिका (यूजीसी-केयर, पबमेड, वेब ऑफ साइंस, साइंस साइटेशन इंडेक्स या स्कोपस) में न्यूनतम एक शोध पत्र प्रकाशित करें या स्वीकृत कराएं; और

(ई) राष्ट्रीय स्तर और उससे ऊपर के संगोष्ठी (सेमिनार) में कम से कम एक पेपर प्रस्तुत करे।

(6) विश्वविद्यालय सामान्यतः प्रत्येक वर्ष जनवरी और जुलाई माह में योगात्मक परीक्षाएँ आयोजित करेगा।

(7) रचनात्मक मूल्यांकन: (ए) पाठ्यक्रम में निर्दिष्ट प्रत्येक मॉड्यूल के अंत में संबंधित स्नातकोत्तर विभाग द्वारा रचनात्मक मूल्यांकन (मॉड्यूलर आधारित) किया जाएगा।

(बी) सेमेस्टर के अंत में, सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत (एसजीपीए) की गणना इन नियमों में निर्दिष्ट गणना विधि के अनुसार की जाएगी;

(सी) पहले सेमेस्टर के सेमेस्टर ग्रेड बिंदु औसत को पहले योगात्मक मूल्यांकन के लिए माना जाएगा; सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट दूसरे योगात्मक मूल्यांकन के लिए दूसरे सेमेस्टर का औसत और तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे सेमेस्टर के औसत सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत को तीसरे योगात्मक मूल्यांकन के लिए माना जाएगा।

(8) सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत का न्यूनतम 60 प्रतिशत प्राप्त करना विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित योगात्मक मूल्यांकन में उपस्थित होने के लिए पात्रता मानदंड होगा, जैसा कि नीचे निर्दिष्ट है, -

(ए) पहले योगात्मक मूल्यांकन में उपस्थित होने के लिए पहले सेमेस्टर का न्यूनतम साठ प्रतिशत सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत।

(बी) दूसरे योगात्मक मूल्यांकन में उपस्थित होने के लिए दूसरे सेमेस्टर का न्यूनतम साठ प्रतिशत सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत।

(सी) तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे सेमेस्टर का औसत 'सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत' विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित तीसरे योगात्मक मूल्यांकन में उपस्थित होने के लिए पात्र बनने के लिए साठ प्रतिशत होगा; और

(डी) (ए), (बी) और (सी) में निर्दिष्ट सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत की कमी के कारण अपात्र छात्र, उसी सेमेस्टर के शिक्षण और प्रशिक्षण में भाग लेकर आवश्यक सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत प्राप्त करने के बाद ही बाद की परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र हो जाएंगे; ऐसे मामले में, स्नातकोत्तर कार्यक्रम की अवधि आनुपातिक रूप से बढ़ाई जाएगी।

(9) योगात्मक मूल्यांकन के लिए विषयों या पेपरों की संख्या और अंकों का वितरण नीचे दी गई **तालिका** के अनुसार होगा, -

तालिका

योगात्मक मूल्यांकन, सेमेस्टर, विषय, पेपरों की संख्या और अंकों का वितरण

विषय	सेमेस्टर	पेपर की संख्या	अधिकतम अंक	
			थ्योरी	मौखिक परीक्षा सहित प्रैक्टिकल या नैदानिक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रिसर्च मेथोडोलॉजी	पहला	एक	100	----
बायोस्टैटिस्टिक्स	पहला	एक	100	----
एप्लाइड बेसिक्स ऑफ स्पेशियलिटी	दूसरा	एक	100	200
स्पेशियलिटी विशिष्ट विषय	छठा	चार	400	400

[नोट: व्यावहारिक या नैदानिक परीक्षा के आयोजन, प्रश्न पत्र प्रारूप, खाका आदि जैसे विवरण समय-समय पर आयोग द्वारा प्रकाशित पाठ्यक्रम के अनुसार होंगे]

(10) प्रत्येक सेमेस्टर के लिए सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत की गणना निम्नानुसार होगी, -

चरण 1: प्रत्येक विषय में मॉड्यूल-वार ग्रेड प्वाइंट की गणना:-

$$\frac{\text{(एक मॉड्यूल में उपस्थिति वाले नोशनल क्रेडिट घंटों की संख्या) X (मॉड्यूलर मूल्यांकन में प्राप्त अंक)}}{\text{(मॉड्यूल में नोशनल क्रेडिट घंटों की कुल संख्या) X (मॉड्यूल के अधिकतम अंक)}} \times 100$$

चरण 2: प्रत्येक विषय के लिए सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत की गणना:-

(एक सेमेस्टर में मॉड्यूल-वार ग्रेड प्वाइंट का औसत)

(11) सफल घोषित होने के लिए (ए) प्रथम, द्वितीय और तृतीय योगात्मक परीक्षाओं में सफल घोषित होने के लिए, छात्र को थ्योरी में न्यूनतम पचास प्रतिशत (प्रत्येक पेपर में अलग से) और प्रैक्टिकल या नैदानिक में न्यूनतम पचास प्रतिशत, जिसमें मौखिक परीक्षा, जहां भी लागू हो, भी शामिल है, उत्तीर्ण करना होगा।

(बी) तीसरे योगात्मक मूल्यांकन में, छात्र को थ्योरी परीक्षाओं के सभी पेपरों का पचास प्रतिशत (प्रत्येक पेपर में न्यूनतम चालीस प्रतिशत) और मौखिक परीक्षा सहित प्रैक्टिकल या नैदानिक में पचास प्रतिशत अलग-अलग सुरक्षित करना होगा।

(12) पैंसठ प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विषय में प्रथम श्रेणी और पचहत्तर प्रतिशत और इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विषय में डिस्टिंक्शन प्रदान की जाएगी।

(13) यदि कोई छात्र थ्योरी या प्रैक्टिकल/क्लिनिकल, या दोनों में से किसी भी योगात्मक मूल्यांकन में विफल रहता है, तो छात्र को जहां भी लागू हो, प्रैक्टिकल परीक्षाओं सहित उस मूल्यांकन के सभी विषयों में उपस्थित होना होगा।

(14) असफल छात्र विश्वविद्यालय द्वारा हर छह महीने में आयोजित की जाने वाली आगामी परीक्षाओं में शामिल होंगे।

(15) स्नातकोत्तर डिग्री, शोध प्रबंध स्वीकार किए जाने और छात्र द्वारा तीसरा योगात्मक मूल्यांकन उत्तीर्ण करने के बाद प्रदान की जाएगी।

24. परीक्षकों की नियुक्ति- (1) सेमेस्टर- I और सेमेस्टर- II में प्रत्येक विषय के लिए, योगात्मक परीक्षा या मूल्यांकन दो परीक्षकों द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिनमें से एक किसी अन्य संस्थान से बाहरी परीक्षक होगा और दूसरा आंतरिक परीक्षक के रूप में उसी संस्थान से होगा।

(2) पहले और दूसरे योगात्मक मूल्यांकन की थ्योरी की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए दोहरा मूल्यांकन होगा और दोहरे मूल्यांकन पद्धति का कार्यान्वयन आयोग द्वारा प्रकाशित दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

(3) छठे सेमेस्टर योगात्मक मूल्यांकन या परीक्षा चार परीक्षकों की एक टीम द्वारा आयोजित की जाएगी, अर्थात, किसी अन्य संस्थान के दो बाहरी परीक्षक (कम से कम एक बाहरी परीक्षक दूसरे राज्य से होगा, यदि सिद्ध स्नातकोत्तर संस्थान एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उपलब्ध हैं) और एक ही संस्थान से दो आंतरिक परीक्षक।

(4) तीसरे मूल्यांकन की थ्योरी की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन सभी चार परीक्षकों द्वारा किया जाएगा, और सभी चार मूल्यांकनों के औसत को अंतिम अंक माना जाएगा, और इसी तरह मौखिक परीक्षा सहित प्रैक्टिकल या नैदानिक परीक्षाओं के लिए सभी चार परीक्षकों द्वारा परीक्षा आयोजित की जाएगी और सभी चार परीक्षकों के औसत अंकों को मौखिक परीक्षा सहित प्रैक्टिकल या नैदानिक के अंतिम अंक माना जाएगा।

(5) उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं होगा।.

25. योग्य स्नातकोत्तर परीक्षक- (1) संबंधित स्पेशियलिटी में न्यूनतम पांच वर्षों के स्नातकोत्तर शिक्षण के साथ एक स्नातकोत्तर शिक्षक और जिसने कम से कम एक स्नातकोत्तर शोध प्रबंध का मार्गदर्शन किया हो और शोध प्रबंध स्वीकार कर लिया गया हो, उसे थ्योरी मूल्यांकन, मौखिक परीक्षा सहित प्रैक्टिकल या नैदानिक संचालन करने के लिए स्नातकोत्तर परीक्षक के रूप में पात्र माना जाएगा।

(2) योग्य स्नातकोत्तर परीक्षक सारांश और शोध प्रबंध के मूल्यांकन के लिए भी पात्र होंगे।

(3) एक ही बाहरी परीक्षक को लगातार तीन परीक्षाओं (पूरक परीक्षाओं को छोड़कर) से अधिक के लिए एक ही परीक्षा केंद्र पर परीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

26. शोध प्रबंध- (1) प्रत्येक स्नातकोत्तर छात्र विभाग के एक योग्य संकाय (स्नातकोत्तर मार्गदर्शक) की देखरेख में अनुसंधान विषय पर एक शोध प्रबंध कार्य करेगा और स्नातकोत्तर की डिग्री के पुरस्कार के लिए आंशिक पूर्ति में शोध प्रबंध प्रस्तुत करेगा।

(2) (ए) प्रत्येक स्नातकोत्तर संस्थान के पास एक अनुमोदित स्नातकोत्तर गाइड आवंटन नीति होगी, और नीति शोध प्रबंध गतिविधियों के लिए स्नातकोत्तर गाइड के निष्पक्ष आवंटन की सुविधा प्रदान करेगी;

(बी) संस्थान प्रत्येक अनुमोदित स्नातकोत्तर गाइड के लिए इन विनियमों में संबंधित स्नातकोत्तर विभाग, स्पेशियलिटी, या स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के लिए निर्दिष्ट अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों को अधिसूचित करेगा, और वह अनुसंधान के उन क्षेत्रों में आवंटित स्नातकोत्तर छात्रों का मार्गदर्शन करना जारी रखेगा;

(सी) गाइड आवंटन इन विनियमों में निर्दिष्ट विभाग में छात्र-गाइड अनुपात के भीतर होगा;

(डी) इंटर-डिपार्टमेंटल, इंटर-डिसिप्लिनरी और ट्रांस-अनुशासनात्मक अनुसंधान के मामलों में, न्यूनतम स्नातकोत्तर डिग्री के साथ एक सह-मार्गदर्शक का चयन संबंधित या सहयोगी स्पेशियलिटी या इकाई से किया जाएगा;

(ई) उसी स्नातकोत्तर विभाग या स्पेशियलिटी से सह-मार्गदर्शन आवंटन की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसे सहयोगात्मक अनुसंधान में अन्य विभाग से अनुमति दी जाएगी।

(3) (ए) शोध प्रबंध अभिनव और अनुवादात्मक होगा, और अनुसंधान सिद्ध चिकित्सा विज्ञान के अतिरिक्त होगा और सिद्ध प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए सहायक होगा;

(बी) शीर्षक विषय स्पेशियलिटी के दायरे में होगा और इन विनियमों में निर्दिष्ट संबंधित विभाग के अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों से होगा;

(सी) शोध प्रबंध का शीर्षक अधिमानतः आयोग द्वारा आयोजित योग्यता परीक्षा के परिणामों के अनुरूप होना चाहिए और यह योग्यता परीक्षा नैदानिक अभ्यास, शिक्षण, अनुसंधान, तकनीकी विकास या उद्यमिता के प्रति एक छात्र की योग्यता का परीक्षण करने के लिए है;

(डी) शोध प्रबंध का शीर्षक सटीक होगा और अध्ययन के उद्देश्यों और विधियों को प्रतिबिंबित करेगा;

(ई) शोध प्रबंध के चयनित शीर्षक के लिए सारांश संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट विनिर्देशों और प्रारूप के अनुसार तैयार किया जाएगा।

(4) (ए) विनिर्देशों के अनुसार तैयार सारांश विभागीय समीक्षा के अधीन होगा; विभागीय समीक्षा के बाद, पूरा सारांश संबंधित विभाग के प्रमुख को प्रस्तुत किया जाएगा;

(बी) विभाग का प्रमुख विभाग के सभी सारांश को संस्थान के प्रमुख को अग्रेषित करेगा;

(सी) संस्थान का प्रमुख सभी सारांशों को अनुमोदन के लिए संस्थागत अनुसंधान समीक्षा समिति, संस्थागत अनुसंधान समिति या संस्थागत वैज्ञानिक समिति को अग्रेषित करेगा; (डी) उपरोक्त समिति द्वारा सुझाए गए सुधार या संशोधन संबंधित विभागाध्यक्षों को भेजे जाएंगे;

(ई) सुझावों को शामिल करके सही या संशोधित सारांश को छात्र द्वारा संबंधित विभागों के प्रमुखों को और विभाग के प्रमुख से संस्थान के प्रमुख को फिर से प्रस्तुत किया जाएगा;

(एफ) संस्था के प्रमुख सारांश को अग्रेषित करेंगे जिसके लिए नैतिक मंजूरी (नैदानिक अध्ययन या पशु अध्ययन) की आवश्यकता होती है संबंधित संस्थागत नैतिकता समितियों (आईईसी) मानव विषयों के लिए या पशु अध्ययन के लिए संस्थागत पशु नैतिकता समिति (आईएईसी), जैसा भी मामला हो;

(जी) उपरोक्त समितियों द्वारा सुझाए गए सुधार या संशोधन संबंधित विभागों को भेजे जाएंगे;

(एच) छात्र द्वारा संबंधित समिति के सुझावों को शामिल करके सही या संशोधित सारांश को संबंधित विभाग प्रमुख को फिर से प्रस्तुत किया जाएगा, जो इसे संस्थान के प्रमुख को भेज देगा;

(आई) सभी चरणों में सारांश की प्रस्तुति सॉफ्ट कॉपी में होगी; छात्र, मार्गदर्शक, विभाग प्रमुख और संस्थान के प्रमुख द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अंतिम सारांश की एक हार्ड कॉपी संबंधित विभाग में रखी जाएगी।

(5) (ए) सारांश की सॉफ्ट कॉपी, सभी पहलुओं में पूरी की गई और प्रासंगिक संस्थागत अनुसंधान और नैतिक समितियों से अनुमोदन प्राप्त करके, संस्थान के प्रमुख द्वारा द्वितीय सेमेस्टर के पंजीकरण के दौरान स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के 9 वें महिने के अंतिम कार्य दिवस या उससे पहले विश्वविद्यालय को भेज दी जाएगी;

(बी) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दूसरे सेमेस्टर योगात्मक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए निर्धारित समय के भीतर सारांश जमा करना एक अनिवार्य मानदंड है;

(सी) यदि छात्र खंड (ए) के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर शोध प्रबंध और सारांश का शीर्षक जमा करने में विफल रहता है, तो स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के दूसरे सेमेस्टर के लिए उसका कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा, और दूसरी योगात्मक परीक्षा में बैठने से पहले सारांश जमा किया जाएगा। ऐसा न करने पर वह दूसरी योगात्मक परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं होगा, और दूसरे सेमेस्टर को अगले छह महीने और इसी तरह आगे बढ़ाया जाएगा।

(डी) एक बार जब छात्र ने सारांश जमा कर दिया, तो संस्थानों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को निर्धारित समय में पूरा करना अनिवार्य है; संस्थान सारांश अनुमोदन प्रक्रिया के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेगा।

(6) (ए) शोध प्रबंध शीर्षक और सारांश की प्राप्ति के बाद, विश्वविद्यालय पंजीकृत संख्या आवंटित करके शोध प्रबंध और सारांश के शीर्षक को पंजीकृत करेगा।

(बी) विश्वविद्यालय संबंधित स्नातकोत्तर संस्थान को शोध प्रबंध शीर्षकों और सारांश की पंजीकृत सूची सूचित करेगा और उसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा; इसे संस्थान द्वारा संबंधित कॉलेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा;

(सी) एक बार जब शोध प्रबंध का शीर्षक विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकृत हो जाता है, तो छात्र को विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना शोध प्रबंध का शीर्षक बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(7) शोध प्रबंध गतिविधि और सारांश के लिए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकरण के बाद ही शोध प्रबंध अनुसंधान गतिविधि शुरू की जाएगी;

(बी) विश्वविद्यालय से पंजीकरण अधिसूचना प्राप्त करने के बाद, छात्र, संबंधित गाइड के मार्गदर्शन में, अनुसंधान गतिविधि की घटनाओं का एक कैलेंडर तैयार करता है और इसे विभाग के प्रमुख को प्रस्तुत करता है; अध्ययन की प्रगति की समीक्षा करते समय इसे संस्थागत अनुसंधान समीक्षा समिति, संस्थागत अनुसंधान समिति या संस्थागत वैज्ञानिक समिति द्वारा सत्यापित किया जाएगा;

(सी) संस्थागत अनुसंधान समीक्षा समिति, संस्थागत अनुसंधान समिति, या संस्थागत वैज्ञानिक समिति समय-समय पर (अधिमानतः तीसरे, चौथे और पांचवें सेमेस्टर के अंत में) शोध प्रबंध गतिविधि की निगरानी निम्न दृष्टि से करेगी:

(i) छात्र द्वारा प्रस्तुत अनुसंधान गतिविधि के कैलेंडर के संबंध में अनुसंधान गतिविधि की प्रगति हो रही है;

(ii) अनुसंधान की गुणवत्ता और अनुमोदित सारांश के अनुसार विधियों और मानकों का अनुपालन।

(8) (ए) अनुसंधान या शोध प्रबंध गतिविधि के पूरा होने पर, विभाग के प्रमुख के माध्यम से एक गाइड की सिफारिश के साथ, स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के 30 वें से 32 वें महीने तक शोध प्रबंध की पूर्व-प्रस्तुति की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें संस्थागत अनुसंधान समीक्षा समिति, संस्थागत अनुसंधान समिति, या संस्थागत वैज्ञानिक समिति संपूर्ण अध्ययन की समीक्षा करती है;

(बी) संस्थागत अनुसंधान समीक्षा समिति, संस्थागत अनुसंधान समिति, या संस्थागत वैज्ञानिक समिति सुधार या संशोधन को मंजूरी दे सकती है या सुझाव दे सकती है, और इसे विभाग के प्रमुख और मार्गदर्शन के माध्यम से छात्र को सूचित किया जाएगा;

(सी) संस्थागत अनुसंधान समीक्षा समिति, संस्थागत अनुसंधान समिति, या संस्थागत वैज्ञानिक समिति द्वारा सुझाए गए संशोधनों या सुधारों को शामिल करने के बाद, मसौदा शोध प्रबंध को गाइड और विभागाध्यक्ष के माध्यम से विनियमन 29 में उल्लिखित साहित्यिक चोरी जांच सेल को भेजा जाएगा;

(डी) साहित्यिक चोरी की जांच के बाद, यदि साहित्यिक चोरी जांच सेल को पता चलता है कि साहित्यिक चोरी अनुमेय सीमा यानी, पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं, है, तो साहित्यिक चोरी जांच सेल निर्धारित प्रारूप **(अनुलग्नक-ए)** में साहित्यिक चोरी क्लीयरेंस प्रमाणपत्र जारी करेगा;

(ई) यदि साहित्यिक चोरी पंद्रह प्रतिशत से अधिक है तो साहित्यिक चोरी जांच सेल द्वारा साहित्यिक चोरी जांच रिपोर्ट के साथ मसौदा शोध प्रबंध को संबंधित विभाग को वापस भेजा जाएगा;

(एफ) साहित्यिक चोरी जांच रिपोर्ट की समीक्षा विभागीय अकादमिक अखंडता समिति द्वारा की जाएगी जिसमें समिति के अध्यक्ष के रूप में विभाग प्रमुख, संबंधित विभाग से एक संकाय सदस्य और दूसरे विभाग से एक संकाय सदस्य शामिल होंगे; यदि विभागीय अकादमिक अखंडता समिति संतुष्ट है, तो समिति साहित्यिक चोरी क्लीयरेंस प्रमाणपत्र जारी करने के लिए निर्धारित प्रारूप **(अनुलग्नक-बी)** में साहित्यिक चोरी सेल को सिफारिश करेगी; यदि समिति संतुष्ट नहीं है, तो छात्र को साहित्यिक चोरी जांच सेल को मसौदा शोध प्रबंध को संशोधित करने और पुनः जमा करने के लिए निर्देशित किया जाएगा;

(जी) पुनः प्रस्तुत मसौदा शोध प्रबंध को ऊपर उल्लिखित समान प्रक्रिया से गुजरना होगा;

(एच) अंतिम शोध प्रबंध, साहित्यिक चोरी क्लीयरेंस प्रमाण पत्र सहित प्रमाणपत्रों के साथ, सॉफ्ट कॉपी में, स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के 30वें से 32वें महीने तक विभाग के प्रमुख के माध्यम से संस्थान के प्रमुख को प्रस्तुत किया जाएगा;

(आई) छात्र, मार्गदर्शक, विभाग प्रमुख और संस्थान प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित शोध प्रबंध की एक हार्ड कॉपी विभाग में रखी जाएगी।

(जे) साहित्यिक चोरी से संबंधित प्रक्रियाओं को निम्नलिखित छवि में दिखाया गया है, -

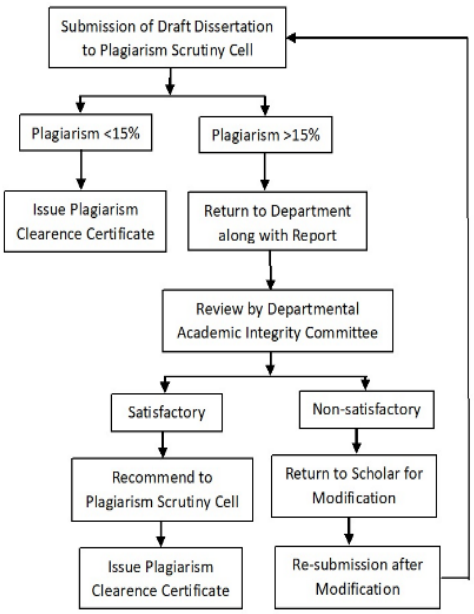

(9) पृष्ठों, शब्दों, फ़ॉन्ट प्रकार, लाइन स्पेसिंग इत्यादि के संदर्भ में प्रारूप और विनिर्देश भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार होंगे।

(10) (ए) संस्थागत अनुसंधान समीक्षा समिति, संस्थागत अनुसंधान समिति, या संस्थागत वैज्ञानिक समिति, जैसा भी मामला हो, द्वारा अनुमोदित सभी शोध प्रबंध संस्थान के प्रमुख द्वारा विश्वविद्यालय को सॉफ्ट कॉपी में भेजे जाएंगे;

(बी) छठे सेमेस्टर के दौरान स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के 33 वें महीने के दौरान शोध प्रबंध विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किए जाएंगे (33 वें महीने की गणना, आयोग द्वारा जारी शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार पाठ्यक्रम के शुरू होने के महीने से की जाएगी);

(सी) संस्थान के प्रमुख को नीचे उल्लिखित कार्यक्रमों की तिथियों को पहले से ही सूचित करना होगा।

(i) पूर्व प्रस्तुत की तिथि;

(ii) विभाग को शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की तिथि;

(iii) विभागों द्वारा संस्था प्रमुख को प्रस्तुत करने की तिथि;

(iv) संस्थान के प्रमुख द्वारा संबद्ध विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करने की तिथि;

(डी) किसी भी छात्र को पाठ्यक्रम या कार्यक्रम के 30वें महीने से पहले शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और छात्र पाठ्यक्रम के तीन साल पूरे करने के लिए शोध प्रबंध जमा करने के बाद संस्थान में अपना नियमित अध्ययन जारी रखेगा।

(11) (ए) शोध प्रबंध का मूल्यांकन या आकलन तीन परीक्षकों द्वारा किया जाएगा;

(बी) शोध प्रबंध के मूल्यांकन परिणाम नीचे दी गई **तालिका** में उल्लिखित स्वीकृत या अस्वीकृत के अनुसार घोषित किए जाएंगे।

तालिका

शोध प्रबंध और परिणाम का मूल्यांकन

मूल्यांकनकर्ता-I	मूल्यांकनकर्ता-II	मूल्यांकनकर्ता-III	परिणाम और टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)
स्वीकृत	स्वीकृत	स्वीकृत	स्वीकृत
स्वीकृत	स्वीकृत	अस्वीकृत	स्वीकृत
स्वीकृत	अस्वीकृत	अस्वीकृत	चौथे मूल्यांकनकर्ता को भेजा गया (यदि चौथे मूल्यांकनकर्ता द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो शोध प्रबंध स्वीकृत माना जाएगा। यदि अस्वीकार कर दिया जाता है, तो शोध प्रबंध अस्वीकृत माना जाएगा और शोध प्रबंध को पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी)
अस्वीकृत	अस्वीकृत	अस्वीकृत	अस्वीकृत (शोध प्रबंध को पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता है)

(12) छठे सेमेस्टर के अंत में आयोजित तीसरी विश्वविद्यालय योगात्मक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए छात्रों के लिए शोध प्रबंध प्रस्तुत करना पूर्व-आवश्यकता होगी। छात्र द्वारा प्रस्तुत करने में देरी की स्थिति में, छात्र शोध प्रबंध जमा करने तक तीसरे योगात्मक मूल्यांकन या परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र नहीं होगा। शोध प्रबंध की मूल्यांकन प्रक्रिया में देरी के मामले में, उन छात्रों के परीक्षा परिणाम उनके शोध प्रबंध के अनुमोदन तक रोक दिए जाएंगे।

(13) सभी स्वीकृत शोध प्रबंध या तो शीर्षक या सार या पूर्ण शोध प्रबंध के रूप में संस्थागत वेबसाइट, विश्वविद्यालय की वेबसाइट और अन्य संबंधित डेटाबेस जैसे शोधगंगा, आदि पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

(14) एक बार सारांश के साथ-साथ भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की शोध प्रबंध प्रबंधन पद्धति के पोर्टल चालू हो जाने पर, सारांश प्रस्तुत करने और अनुमोदन, अनुसंधान प्रगति की निगरानी, शोध प्रबंध प्रस्तुत करने और मूल्यांकन इत्यादि की प्रक्रिया भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के पोर्टल के माध्यम से होगी।

27. स्नातकोत्तर गाइड पात्रता- (1) एक स्नातकोत्तर शिक्षक तीन साल के स्नातकोत्तर शिक्षण के बाद शोध प्रबंध कार्य के लिए संबंधित स्पेशियलिटी के स्नातकोत्तर छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए पात्र होगा। संबद्ध विश्वविद्यालय पात्र स्नातकोत्तर शिक्षकों को स्नातकोत्तर गाइड अनुमोदन पत्र जारी करेगा।

(2) स्नातकोत्तर गाइड द्वारा निर्देशित होने वाले स्नातकोत्तर छात्रों और स्नातकोत्तर डॉक्टरेट छात्रों सहित छात्रों की अधिकतम संख्या किसी भी समय दस से अधिक नहीं होगी।

(3) सह-मार्गदर्शक सहयोग के संबंधित अनुसंधान क्षेत्र में स्नातकोत्तर होना चाहिए।

(4) संविदा के आधार पर नियुक्त शिक्षण स्टाफ, छात्रों को उनके शोध प्रबंध के मार्गदर्शन करने के लिए पात्र नहीं होगा।

(5) एक प्रतिनियुक्त प्रोफेसर को स्नातकोत्तर शोध प्रबंधों का मार्गदर्शन करने के लिए छात्रों को आवंटित नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष से कम न हो।

28. अनुसंधान समितियाँ - सभी स्नातकोत्तर संस्थान आवश्यकता के अनुसार नीचे उल्लिखित अनुसंधान समितियों का गठन करेंगे, -

(1) (ए) प्रत्येक स्नातकोत्तर संस्थान एक संस्थागत अनुसंधान समिति, एक संस्थागत अनुसंधान समीक्षा समिति, या एक संस्थागत वैज्ञानिक समिति का गठन करेगा।

(बी) पांच स्नातकोत्तर कार्यक्रमों तक एक साझा संस्थागत अनुसंधान समिति होगी। पांच से अधिक स्नातकोत्तर कार्यक्रम के मामले में, दो संस्थागत अनुसंधान समितियां होंगी, नामत

(i) संकल्पनात्मक और प्रायोगिक अध्ययन के लिए संस्थागत अनुसंधान समिति;

(ii) नैदानिक अध्ययन के लिए संस्थागत अनुसंधान समिति;

(सी) समिति क्रियाकलाप करेगी, अर्थात्

(i) शोध प्रबंध प्रस्तावों की जांच करना और शोध प्रबंध या अनुसंधान गतिविधियों की निगरानी करना;

(ii) सुनिश्चित करना कि चयनित विषय इन विनियमों में आयोग द्वारा निर्दिष्ट अनुसंधान के सूचीबद्ध प्रमुख क्षेत्रों के भीतर हैं;

(iii) इंटर डिसिप्लिनरी या ट्रांस-डिसिप्लिनरी अध्ययन के मामले में, सहयोगी विभाग, संस्थान या संगठन से सह-मार्गदर्शन सुनिश्चित करना;

(iv) संस्थागत अनुसंधान समिति, संस्थागत अनुसंधान समीक्षा समिति, या संस्थागत वैज्ञानिक समिति की सभी गतिविधियों का समन्वय इन्टीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग द्वारा किया जाएगा।

(v) संस्थागत जांच समिति की संरचना नीचे दी गई **तालिका** में विस्तृत होगी।

तालिका

संस्थागत अनुसंधान समिति की संरचना

1	संस्थान प्रमुख	अध्यक्ष
2	स्नातकोत्तर समन्वयक या डीन-स्नातकोत्तर अध्ययन या डीन-अनुसंधान	सदस्य
3	स्नातकोत्तर विभागों के प्रमुख	सदस्य
4	बायोस्टैटिस्टिशियन	सदस्य
5	अनुसंधान परिषदों या अन्य चिकित्सा या सिद्ध या फार्मेसी संस्थानों से दो बाहरी सदस्य (एक बेसिक विज्ञान से और एक चिकित्सा विज्ञान से)	सदस्यों
6	इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग के प्रमुख	सदस्य सचिव

नोट: 1. प्रत्येक स्नातकोत्तर विभाग से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा;

2. बाहरी सदस्य स्नातकोत्तर विभागों के प्रासंगिक क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे।

(2) मानव विषयों के लिए संस्थागत आचार समिति: मानव विषयों के लिए संस्थागत आचार समिति का गठन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

(3) पशु अध्ययन के लिए संस्थागत पशु आचार समिति: संस्थागत पशु आचार समिति का गठन जानवरों पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के उद्देश्य से समिति के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा और जानवरों पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के उद्देश्य से समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

(4) संस्थान की नैदानिक अनुसंधान गतिविधियों के समन्वय के लिए अस्पताल में नैदानिक अनुसंधान सेल होगा। सेल में अनुसंधान समन्वय कर्मचारियों को उचित स्थान प्रदान करने, रिकॉर्ड, दस्तावेज, अनुसंधान दवाएं आदि रखने के लिए पर्याप्त जगह (न्यूनतम पचास वर्ग मीटर) होनी चाहिए और कंप्यूटर, प्रिंटर और इंटरनेट सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। यह सेल रैंडमाइजेशन, बाइंडिंग, रिसर्च ऑडिट आदि की सुविधा और क्लिनिकल रिसर्च से संबंधित गतिविधियों में सहायता भी करता है।

(5) उप-विनियम (1) से (4) में उल्लिखित सभी गठित समितियां इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग के तहत कार्य करेंगी और उनके पास स्पष्ट रूप से परिभाषित मानक संचालन प्रक्रियाएं होंगी। समितियाँ अनुसंधान प्रस्तावों की समीक्षा और अनुमोदन करने के अलावा अध्ययनों की निगरानी भी करेंगी और अनुसंधान के मानकों का पालन भी सुनिश्चित करेंगी।

29. साहित्यिक चोरी जांच कक्ष और कार्य - (1) प्रत्येक स्नातकोत्तर संस्थान साहित्यिक चोरी जांच सॉफ्टवेयर से सुसज्जित एक साहित्यिक चोरी जांच सेल स्थापित करेगा और साहित्यिक चोरी जांच में प्रशिक्षित एक समन्वयक को नामांकित करेगा।

(2) साहित्यिक चोरी जांच सेल एकीकृत स्वास्थ्य और अनुवाद अनुसंधान विभाग के तहत कार्य करेगा।

(3) साहित्यिक चोरी जांच सेल यह जांच करेगा कि शोध प्रबंध में साहित्यिक चोरी अनुमेय सीमा के भीतर है या नहीं।

(4) सिद्ध साहित्य की टिप्पणियों सहित तमिल पद्य, कविता या उद्धरण का उल्लेख करना साहित्यिक चोरी नहीं माना जाएगा।

30. अनुसंधान के क्षेत्र - प्रत्येक विभाग या विशेषता के अंतर्गत नीचे सूचीबद्ध अनुसंधान के क्षेत्र उस संबंधित विशेषता के लिए अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्र होंगे। शोध प्रबंध विषय उस विशेष विशेषता के लिए निर्दिष्ट अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों में से किसी एक के लिए प्रासंगिक होंगे। यह चयनित क्षेत्रों में अनुदैर्ध्य (लॉगिट्यूडिनल) अनुसंधान की सुविधा प्रदान करता है और अनुवाद संबंधी अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दे सकता है। नए उभरते क्षेत्रों के आधार पर सूची को समय-समय पर भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

(1) सिद्ध मरूतुवम् मूलतत्तुवम (बेसिक प्रिंसीपल्स आफ सिद्धा मेडिसिन) -

(ए)विभिन्न टिप्पणियों का तुलनात्मक अध्ययन या आलोचनात्मक विश्लेषण;

(बी)विभिन्न प्राचीन साहित्य से एक अवधारणा पर साहित्य का संकलन और तुलना, परिकल्पनाओं का निर्माण और उनका सत्यापन;

(सी) पांडुलिपियों की समीक्षा और मूल्यांकन;

(डी) विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से सिद्ध मूल सिद्धांतों या अवधारणाओं का सत्यापन;

(ई)सिद्ध मूल सिद्धांतों के लिए प्रदर्शनात्मक तरीकों या तकनीकों का विकास;

(एफ)विभिन्न मूल अवधारणाओं के मूल्यांकन के लिए उपकरण, स्कोर या तरीकों का विकास;

(जी)सिद्ध मूल सिद्धांतों की अनुप्रयोग विधियाँ;

(एच) अनुसंधान अध्ययन के लिए सिद्ध में अनुसंधान पद्धति का विकास;

(आई) सिद्ध मरूतुवम् मूलतत्तुवम के विशेष संदर्भ में भारतीय ज्ञान को समझने के लिए प्रयुक्त अनुसंधान पद्धति का आलोचनात्मक अध्ययन और इसके लिए उपकरण बनाना;

(जे) समकालीन तर्ज पर अलावाइगल जैसे प्राचीन उपकरणों का अनुप्रयोग;

(के) सिद्ध मरूतुवम् मूलतत्तुवम के लिए शिक्षण विधियों, प्रौद्योगिकी और उपकरणों का विकास;

(एल)सिद्धर और उनका योगदान, समीक्षात्मक समीक्षा;

(एम)'अंडाथिलुल्लाथेपिंडम'; पिंडतिलुल्लाथेअंडम' पर अध्ययन और इसके वैज्ञानिक अन्वेषण;

(एन) सिद्ध मूल सिद्धांतों और समकालीन अवधारणाओं का तुलनात्मक अध्ययन।

(2) उडल कूरुगल (एनाटॉमी) -

(ए) सिद्ध वर्मम में शरीर रचना विज्ञान;

(बी) सिद्ध बाहरी उपचार विधियों में लागू शरीर रचना;

(सी) योग या सिद्ध योग विज्ञान में लागू शरीर रचना;;

(डी) सिद्ध सर्जिकल और पैरा-सर्जिकल प्रक्रियाओं पर सर्जिकल एनाटॉमी से संबंधित अध्ययन;

(ई) कोम्बू कटटल (बोन सेटिंग) में एप्लाइड एनाटॉमी;

(एफ) छियाणवे तत्व या सिद्ध मौलिक सिद्धांतों और अवधारणाओं से संबंधित शरीर रचना विज्ञान ;

(जी) सात उडरकट्टुगल या हिस्टोलॉजिकल अध्ययनों पर शरीर रचना विज्ञान से संबंधित अध्ययन;

(एच) अंगथिपथम और एनाटॉमी संबंधी प्राचीन साहित्य पर आलोचनात्मक समीक्षा और अध्ययन;

(आई) उडल कूरुगल से संबंधित अर्थों सहित शब्दावली का विकास;

(जे) समकालीन भ्रूणविज्ञान के संदर्भ में करुवलार्ची को समझना;

(के) मानव शवों को संरक्षित करने की प्राचीन पद्धति और आधुनिक प्रैक्टिस के साथ तुलनात्मक अध्ययन;

(एल) नैदानिक अभ्यास में एनाटॉमी, एक एकीकृत अध्ययन;

(एम) सिद्ध उडल कूरुगल अवधारणाओं का पता लगाने के लिए नमूनों का विकास;

(एन) मानव शरीर रचना के लिए शिक्षण विधियों, प्रौद्योगिकी और उपकरणों का विकास।

(3) उडल तत्वम (फिजियोलॉजी) -

(ए)फिजियोलॉजी दृष्टिकोण और इसके वैज्ञानिक अन्वेषणों से छियानवे तत्वों से संबंधित अध्ययन;

(बी) समकालीन विज्ञान के संदर्भ में सिद्ध फिजियोलॉजी अवधारणाओं की खोज;

(सी) जैविक उपकरणों की तर्ज पर सिद्ध शरीर विज्ञान अवधारणाओं की खोज;

(डी) पांच तत्वों-छह स्वाद-तीन हास्य-सात फीजिकल घटकों और वैज्ञानिक अन्वेषणों के बीच प्रभावशाली संबंध को समझना;

(ई)फिजियोलॉजिकल और जैव रासायनिक दृष्टिकोण से स्वास्थ्य और भोजन (वातम् - पितम् - कफम् या सत्व-रजो-थमो उनावु) के बीच संबंध;

(एफ) एज़ू उदरकट्टुगल के पोषण का स्पष्टीकरण और इसकी वैज्ञानिक व्याख्याएँ;

(जी)चौदह प्राकृतिक आग्रहों और फिजियोलॉजिकल कार्यों पर उनके प्रभाव पर अध्ययन;

(एच) एनवागई थेरवु: फिजियोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिक अध्ययन;

(आई) विभिन्न व्यवसायों में यक्कई इलक्कनम के शारीरिक पहलुओं या यक्कई इलक्कनम के अनुप्रयोग पर वैज्ञानिक अध्ययन;

(जे) न्यूरो-फिजियोलॉजी सहित फिजियोलॉजिकल कार्यों पर योग, सरापायर्ची और ध्यानम का प्रभाव;

(के)शरीर के रसायन विज्ञान और जैविक घटनाओं में थोक्कनम और वर्मम का प्रभाव;

(एल) शरीर के रसायन विज्ञान और जैविक घटनाओं में कलिचल, वानदी, नसियम (सिद्ध में जैव-सफाई के तरीके) का प्रभाव;

(एम) नाल ओलुक्कम -काला ओलुक्कम और फिजियोलॉजिकल कार्यों पर इसका प्रभाव;

(एन) कायाकर्पम: उम्र बढ़ना, मस्तिष्क के न्यूरो-साइको-इलेक्ट्रोबायोलॉजिकल इंडिक्स और प्रतिरक्षा;

(ओ) उडल तत्वम अवधारणाओं के लिए विकास और सत्यापन पैमाने, उपकरण, या यंत्र;

(पी) उडल तत्वम के लिए शिक्षण विधियों, प्रौद्योगिकी और उपकरणों का विकास।

(4) गुणपाडम - मरूंदियल (मटेरिया मेडिका और फार्माकोलॉजी) -

(ए) दवाओं पर सुवई, गुणम, थनमई, विपाकम, प्रभावम पर अध्ययन और इसके वैज्ञानिक अन्वेषण; और इसका आकलन या अनुमान लगाने के लिए उपकरणों का विकास;

(बी) नई दवाओं के सुवाई, गुणम, थनमई, विपाकम, प्रभवम और इसके वैज्ञानिक अन्वेषणों का निर्धारण;

(सी) पारंपरिक और समकालीन तरीकों के माध्यम से दवाओं की पहचान और प्रमाणीकरण;

(डी) कच्चे माल की खरीद पर वैज्ञानिक अध्ययन;

(ई) पारंपरिक तरीकों के माध्यम से दवाओं के शुद्धिकरण पर वैज्ञानिक अध्ययन;

(एफ) एक ही दवा की विभिन्न शुद्धिकरण विधियों पर तुलनात्मक अध्ययन;

(जी) नई शुद्धिकरण विधियों का विकास और इसकी वैज्ञानिक खोज;

(एच) प्रयोगात्मक अध्ययनों के माध्यम से एकल दवाओं का मानकीकरण या गुणवत्ता, प्रभावकारिता और एकल दवा की सुरक्षा का आकलन;

(आई) एकल दवाओं के फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स पर प्रायोगिक अध्ययन;

(जे) इन-सिलिको या कम्प्यूटेशनल अध्ययन के माध्यम से नेटवर्क फार्माकोलॉजी;

(के) अच्छी खेती, संग्रह, या भंडारण प्रथाएं और उनका वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य;

(एल) स्थानापन्नों और मिलावटों का वैज्ञानिक सत्यापन;

(एम) लुप्तप्राय औषधीय पौधों के समकक्ष विकल्पों की पहचान;

(एन) फार्माकोएपिडेमियोलॉजी या एथनोफार्माकोलॉजी पर अध्ययन;

(ओ) फार्माकोग्नॉसी और फाइटोकेमिस्ट्री अध्ययन;

(पी) उलोगंगल, कारासरंगल, पाषाणंगल, उपरसंगल और थोगई चरक्कुगल के वर्गीकरण पर अध्ययन और इसकी वैज्ञानिक जांच;

(क्यू) पादप डेरिवेटिव, वैप्पु चरक्कुगल और पशु डेरिवेटिव पर अध्ययन;

(आर) गुणपाडम - मरूंदियल के लिए शिक्षण विधियों, प्रौद्योगिकी और उपकरणों का विकास।

(5) गुणपाडम - मरूनदगवियल (मटेरिया मेडिका और फार्मास्यूटिक्स) -

(ए)सिद्ध क्लासिक दवाओं या धातु या खनिज आधारित सिद्ध दवाओं की गुणवत्ता, प्रभावकारिता और सुरक्षा: प्रयोगात्मक अध्ययन;

(बी) सिद्ध पेरुमारुन्थुगल का भौतिक-रासायनिक लक्षण वर्णन;

(सी) पेरुमरुनथुगल और वैज्ञानिक औचित्य तैयार करने के लिए नवीन तकनीक या तरीके;

(डी)प्रायोगिक अध्ययन के माध्यम से मरुन्थलवु, अनुपानम, थुनैमरुन्थु, मरुन्थिर्कनपथियम, ओर मरुन्थुन्नुमकालम सहित मरुन्थुप्रयोगम का वैज्ञानिक प्रमाणीकरण;

(ई)) परपम, चेंदुराम, चुन्नम आदि जैसी सिद्ध उच्च श्रेणी की दवाओं की रसायन विज्ञान और रासायनिक प्रौद्योगिकी को समझना;

(एफ) प्रयोगात्मक अध्ययन या नई धातु या खनिज आधारित सिद्ध चिकित्सा, परिकल्पना और प्रयोगों के निर्माण के माध्यम से नए खुराक रूपों की खोज;

(जी) पारंपरिक तरीकों के माध्यम से सिद्ध दवाओं की गुणवत्ता मूल्यांकन, समकालीन तरीकों के साथ तुलना और इस तरह के मूल्यांकन के लिए तकनीक या प्रौद्योगिकी का विकास;

(एच) ऐगमूल प्रयोगम्, मुप्पु प्रयोगम्, मारण प्रयोगम्, द्रावगा प्रयोग, और सेयनीर प्रयोगम् पर वैज्ञानिक अध्ययन और औषधि प्रसंस्करण में उनकी वैज्ञानिक भूमिका;

(आई) नटपु चरक्कू और पकाई चरक्कु अवधारणाओं का वैज्ञानिक अध्ययन और फार्मास्यूटिक्स में उनका प्रभाव;

(जे) समान संकेतों के लिए विभिन्न तरीकों से तैयार की गई दवा पर तुलनात्मक अध्ययन;

(के) सिद्ध औषधियों का फार्माकोविजिलेंस पहलू;

(एल) वैप्पु चरक्कुगल: वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से क्षेत्र और संभावनाएं;

(एम) सिद्ध चिकित्सा की कार्रवाई का तंत्र;

(एन) सिद्ध औषधियों का नैनो रसायन;

(ओ) रसवा थम : वैज्ञानिक अन्वेषण;

(पी) गुणपाडम - मरूनदगवियल के लिए शिक्षण विधियों, प्रौद्योगिकी और उपकरणों का विकास;

(क्यू) फार्मेसी वितरण के लिए फार्मास्युटिकल उपकरण और प्रौद्योगिकियों और उपकरणों का विकास।

(6) नोइ नाडल और नोइ मुदल नाडल (पैथोलॉजी) -

(ए) निदान और पूर्वानुमान के मूल्यांकन में सिद्ध मूल सिद्धांतों के प्रैक्टिकल पहलू;

(बी) सिद्ध निदान विधियों और उपकरणों का मानकीकरण;

(सी) सिद्ध सिद्धांतों पर आधारित नवीन नैदानिक उपकरणों या उपकरणों या प्रौद्योगिकी का विकास;

(डी) सिद्ध जांच की संवेदनशीलता, विशिष्टता और सकारात्मक और नकारात्मक उत्पादक मूल्यों को निर्धारित करने के लिए ब्लाइंडिड नैदानिक अध्ययन;

(ई) पंचापची षष्ठीराम के माध्यम से किसी विशेष बीमारी का उसके एटिओलॉजी के साथ सहसंबंध, दस्तावेज़ीकरण, या भविष्यवाणी, और पूर्वानुमान;

(एफ) मरुथुवा जोतिडवियल के माध्यम से किसी विशेष बीमारी का उसके एटिओलॉजी के साथ सहसंबंध, दस्तावेज़ीकरण या भविष्यवाणी और पूर्वानुमान;

(जी) नैदानिक निदान में थन्निलाई वलार्ची और वेट्टुनिलाई वलार्ची के प्रैक्टिकल पहलू;

(एच) विभिन्न रोगों में मुथथोडममिगुगुनम और कुराइगुनम के प्रैक्टिकल पहलू;

(आई) समसामयिक संदर्भ में असाथ्यकुरिगुनंगल, असाथ्य नाड़ी, या असाथ्य नीरक्कुरी और नैक्कुरी के प्रैक्टिकल पहलू;

(जे) विभिन्न प्रकार की देगि और जीनोमिक्स के साथ उनके सहसंबंध का आकलन करने के लिए प्रश्नावली का सत्यापन;

(के) उनावथिसेयाल मारुपादु और ह्यूमरल परिवर्तन: अवधारणा, इसके प्रभावों को समझना, और इसके मूल्यांकन के लिए वस्तुनिष्ठ मापदंडों को विकसित करना;

(एल) निदान और पूर्वानुमान में मणिक्कडई नूल और इसकी वैज्ञानिक पुष्टि।

(एम) आण्विक जीव विज्ञान पहलुओं में सिद्ध विकृति।

(एन) नाडी, नीरक्कुरी, नैक्कुरी, ना, निरम, मोली, विली, मलम और स्परिसम के माध्यम से फिजियोलॉजिकल और पैथालॉजिकल चर की ह्यमोरल स्थिति का आकलन करने के लिए एक प्रश्नावली का सत्यापन;

(ओ) अमृत निलई पर आधारित किसी भी चिकित्सा प्रक्रिया के लिए सफलता दर या पूर्वानुमान का दस्तावेजीकरण करना;

(पी) नए एटिऑलॉजिकल कारक और उनका प्रभाव: वैज्ञानिक मान्यताएँ;

(क्यू) विभिन्न रोगों में देखे गए विशिष्ट, गैर-विशिष्ट, टीपिकल और अटीपिकल नेइक्कुरी पैटर्न पर अध्ययन और उनका वैज्ञानिक प्रमाणीकरण;

(आर) विभिन्न रोगों से प्रभावित रोगियों में सरम पैटर्न का अवलोकन;

(एस)नादीनादाई की विभिन्न धारणाओं के माध्यम से क्षेत्र-वार पैथालॉजिज का निर्धारण ;

(टी) जैव-सफाई विधियों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण- तीन ह्यमरस पर कझिचल, छठ्ठी, या नासियाम;

(यू) इसके विभिन्न चरणों के साथ-साथ गर्भावस्था जैसी विशेष फिजियोलॉजिकल स्थिति का निदान करना;

(वी) आण्विक जीव विज्ञान के संदर्भ में सिद्ध पैथोफिजियोलॉजी: प्रयोगात्मक अध्ययन

(डब्ल्यू) सूक्ष्मजीव और मानव जैविक घटनाओं पर उनका प्रभाव और इसकी रोकथाम;

(एक्स) सिद्ध सिद्धांतों के संदर्भ में समकालीन नैदानिक परीक्षण रिपोर्टों की व्याख्या के लिए पद्धति का विकास;

(वाई) नोई नाडाल के लिए शिक्षण विधियों, प्रौद्योगिकी और उपकरणों का विकास।

(7) नोइ अनुगाविधी सहित रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टेटिस्टिकस (प्रिंसिपल्स एडं डिसिपिलिन्स ऑफ डिसिज़ प्रिवेंशन एडं पब्लिक हेल्थ) -

(ए) स्वास्थ्य संवर्धन और उद्देश्य मापदंडों के विकास में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में नाल ओलुक्कम, काला ओलुक्कम, या थिनई ओलुक्कम की वैज्ञानिक प्रासंगिकता;

(बी) सिद्ध आहार विज्ञान पर संकल्पनात्मक, नैदानिक और वैज्ञानिक अध्ययन।

(सी) सिद्ध आहार के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देना: वैज्ञानिक अध्ययन;

(डी) 'उनावे मरुन्थु'; मरून्दे उन्नावु ' अवधारणा की वैज्ञानिक खोज;

(ई) सिद्ध में जैव-सफाई प्रक्रियाएं और स्वास्थ्य संवर्धन में उनकी वैज्ञानिक प्रासंगिकता;

(एफ) 'थिरिथोडासमानपोरुल' पर वैज्ञानिक अध्ययन और स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव;

(जी) सिद्ध पारंपरिक खाद्य पदार्थों या पाक औषधियों का पोषण और औषधीय महत्व;

(एच) संचारी और गैर-संचारी रोगों में नोई अनुगाविधि ओझुक्कम की भूमिका;

(आई) निवारक, पुनर्स्थापनात्मक और उपचारात्मक पहलुओं के रूप में जीवनशैली विनियमों और योग का एकीकरण;

(जे) निवारक और प्रचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल, बुढ़ापा रोधी, या प्रजनन स्वास्थ्य में कायाकार्पम की भूमिका;

(के) रोग की रोकथाम और पब्लिक हेल्थ के पारंपरिक तरीकों की वैज्ञानिक अन्वेषण;

(एल) जल शुद्धिकरण के पारंपरिक तरीके और आधुनिक तकनीकों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण;

(एम) सिद्ध द्वारा परिभाषित रोगों की व्यापकता को समझने के लिए महामारी विज्ञान सर्वेक्षण या अनुसंधान;

(एन) सिद्ध प्रतिरक्षा बूस्टर: वैज्ञानिक अध्ययन।

(ओ) पब्लिक हेल्थ में नोई अनुगविधि सिद्धांतों पर वैज्ञानिक अध्ययन;

(पी) अट्टंगयोगम प्रथाओं और वैज्ञानिक मान्यताओं के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य;

(क्यू) सिद्ध कीटाणुनाशक;

(आर) नोई अनुगविधि से संबंधित नवीन तकनीकों या प्रौद्योगिकियों का विकास ;

(एस) वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, या मिट्टी प्रदूषण के प्रबंधन के लिए नवीन तकनीकें;

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम;

(टी) नोइ अनुगविधि सिद्धांतों के प्रभाव के निर्धारण के लिए उपकरणों और पैमानों के साथ उद्देश्य मापदंडों का विकास या उडल वनमई की अवधारणा का पता लगाना

(यू) नोई अनुगविधि ओझुक्कम के विशेष संदर्भ में शिक्षण विधियों, प्रौद्योगिकी और उपकरणों का विकास।

(8) सट्टम सारंध मरूतुवमुम नंजु मरूतुवमुम (फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी) -

(ए) विषाक्तता की स्थिति के चिकित्सा प्रबंधन पर नैदानिक अध्ययन;

(बी) सिद्ध एंटीडोट्स का औषधीय मूल्यांकन;

(सी) सिद्ध में विषाक्तता का आपातकालीन चिकित्सा प्रबंधन: प्रयोगात्मक अध्ययन;

(डी) फार्माकोविजिलेंस;

(ई) पोरुन्था उनावु और उनावु नंजु और प्रबंधन पर अध्ययन;

(एफ) धातु और खनिज औषधियों के विषहरण विधियों (विडमुरीवु) पर वैज्ञानिक अध्ययन;

(जी) अकार्बनिक उत्तेजक जहर (धातु और खनिज) और उनका निष्कासन: प्रयोगात्मक अध्ययन;

(एच) सिद्ध फॉर्मूलेशन के सुरक्षा पहलू: प्रयोगात्मक अध्ययन;

(आई) नंजु की के त्वचाविज्ञान अभिव्यक्तियों का निदान और प्रबंधन;

(जे) नशीली दवाओं की लत और सिद्ध प्रबंधन: नैदानिक अध्ययन;

(के) इडुमरुन्थु, और कानाक्कडी का प्रबंधन, और इसका प्रबंधन;

(एल) सिद्ध सिद्धांतों के आधार पर विषाक्त पदार्थों या ज़हर को हटाने के लिए नवीन विधियाँ;

(एम) फोरेंसिक चिकित्सा पर अध्ययन;

(एन) विषाक्तता का निदान करने के लिए वस्तुनिष्ठ मापदंडों, मूल्यांकन पैमानों, उपकरणों या यंत्रों का विकास;

(ओ) नोई अनुगविधि ओझुक्कम के विशेष संदर्भ में शिक्षण विधियों, प्रौद्योगिकी और उपकरणों का विकास।

(9) मरूतुवम् (मेडिसिन) -

(ए) सामान्य नैदानिक स्थितियों पर नैदानिक अनुसंधान;

(बी) सिद्ध औषधियों के साथ तीव्र नैदानिक स्थितियों का आपातकालीन प्रबंधन;

(सी) असाध्य रूप से बीमार रोगियों का सिद्ध चिकित्सा प्रबंधन;

(डी) सिद्ध उपशामक देखभाल;

(ई) संक्रामक रोगों का सिद्ध प्रबंधन;

(एफ) सिद्ध में वृद्धावस्था देखभाल;

(जी) सिस्टैमैटिक बीमारियों, ऑटोइम्यून विकारों या कैंसर का नैदानिक प्रबंधन;

(एच) सिद्ध के माध्यम से आनुवंशिक विकारों का प्रबंधन;

(आई) उपचार में पथियाम की भूमिका को मान्य करने के लिए अध्ययन;

(जे) चयापचय संबंधी विकार या चयापचय सिंड्रोम और सिद्ध प्रबंधन;

(के) जीवनशैली संबंधी विकारों या गैर-संचारी रोगों का प्रबंधन;

(एल) चयनित बीमारी के लिए उपचार प्रोटोकॉल या उपचार के तरीके का मानकीकरण;

(एम) आंतरिक और बाह्य चिकित्सा के साथ संयुक्त चिकित्सा की नैदानिक दक्षता;

(एन) मरूतुवम् के विशेष संदर्भ में शिक्षण विधियों, प्रौद्योगिकी और उपकरणों का विकास।

(10) वर्मम पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम (वर्मम, एक्सर्टनल थेरेपी एडं स्पेशल मेडिसिन): वर्मा मरूतुवम् (वर्मा मेडिसिन) -

(ए) वर्मम चोटों और प्रबंधन पर नैदानिक अध्ययन;

(बी) थोक्कनम में वर्मम का अनुप्रयोग और इसकी नैदानिक प्रभावशीलता: एकीकृत अनुसंधान;

(सी) वर्मम के साथ न्यूरो- मस्कुलोस्केलेटल विकारों का प्रबंधन;

(डी) खेल चोटों के लिए वर्मा थेरेपी;

(ई) दर्द प्रबंधन या उपशामक देखभाल में वर्मम;

(एफ) कायाकल्प में वर्मम;

(जी) वर्मम इलक्कल मुराईकल, अदंगल मुराईकल, थडावल मुराईकल, पिन्नल मुराईकल, थट्टू मुराईकल, चविट्टू मुराईकल, अमरथल मुराईकल, या थिरावु मुराईकल और वर्मम दवाओं को वैज्ञानिक रूप से प्राधिकृत करना;

(एच) चिकित्सा आपात स्थिति में वर्मम;

(आई) वर्मम के विभिन्न वर्गीकरणों पर आलोचनात्मक अध्ययन;

(जे) वर्मम बिंदुओं और वर्मम चोटों की उचित समझ के लिए उपकरणों या पैमानों का विकास;

(के) न्यूरो- मस्कुलोस्केलेटल विकारों में वर्मम और फिजियोथेरेपी: एकीकृत अनुसंधान;

(एल) वर्मम उपचार प्रक्रियाओं के तंत्र को स्पष्ट करना;

(एम) दवाओं और वर्मम के साथ संयुक्त चिकित्सा की नैदानिक दक्षता: एकीकृत अनुसंधान;

(एन) वर्मा थेरेपी के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं का विकास;

(ओ) वर्मम मरूतुवम् के विशेष संदर्भ में शिक्षण विधियों, प्रौद्योगिकी और उपकरणों का विकास;

(पी) वर्मम और एनाटॉमी: एकीकृत अनुसंधान।

(11) वर्मम पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम (वर्मम, एक्सर्टनल थेरेपी एडं स्पेशल मेडिसिन): पुरा मरूतुवम् (बाह्य चिकित्सा) -

(ए) पुरा मरूतुवम् मुराईकल या पुरमरुन्थुकल का नैदानिक अनुप्रयोग और इसका वैज्ञानिक तर्क;

(बी) आंतरिक दवाओं और बाहरी उपचार का एकीकरण: इसके लाभ का पता लगाने के लिए नैदानिक अध्ययन;

(सी) बाहरी उपचार के लिए उपकरणों या यंत्रों का विकास;

(डी) पुरा मरूतुवम् प्रक्रियाओं के तंत्र को स्पष्ट करना;

(ई) कायाकल्प के लिए पुरा मरूतुवम्;

(एफ) पुनर्वासात्मक स्वास्थ्य या वृद्धावस्था देखभाल में पुरा मरूतुवम् का अनुप्रयोग;

(जी) पुरा मरूतुवम् प्रक्रियाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं का विकास;

(एच) पुरा मरूतुवम् पर प्राचीन साहित्य का संकलन और आलोचनात्मक समीक्षा;

(आई) सिद्ध बाह्य चिकित्सा और फिजियोथेरेपी के साथ एकीकृत दृष्टिकोण;

(जे) संशोधित पुरा मरूतुवम् प्रक्रियाएं और वैज्ञानिक अन्वेषणों के साथ इसके लाभ;

(के) थोक्कनम और वर्मम का एकीकरण;

(एल) न्यूरोमस्कुलर स्थितियों में पुरा मरूतुवम् पर अध्ययन;

(एम) रूमेटिक स्थितियों में पुरा मरूतुवम् पर अध्ययन;

(एन) आर्थोपेडिक और रुमेटोलॉजिकल स्थितियों को पूर्व दशा में लाने में पुरा मरूतुवम् पर अध्ययन;

(ओ) बीमारी की रोकथाम या स्वास्थ्य संवर्धन में पुरा मरूतुवम्;

(पी) पुरा मरूतुवम् के विशेष संदर्भ में शिक्षण विधियों, प्रौद्योगिकी और उपकरणों का विकास।

(12) वर्मम पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम (वर्मम, एक्सर्टनल थेरेपी एडं स्पेशल मेडिसिन): सिद्धर योग मरुथुवम (सिद्धर यौगिक साइंस) -

(ए) निवारक स्वास्थ्य देखभाल, प्रचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल, पुनर्स्थापनात्मक स्वास्थ्य देखभाल, या पुनर्वास स्वास्थ्य देखभाल के लिए योग;

(बी) विभिन्न जीवनशैली विकारों या गैर-संचारी रोगों के इलाज में योग पर नैदानिक अध्ययन;

(सी) अंतःस्रावी विकारों के लिए चिकित्सीय योग: एकीकृत या सहयोगी अनुसंधान;

(डी) चयापचय संबंधी विकारों के लिए योग: एकीकृत या सहयोगी अनुसंधान;

(ई) योग और न्यूरोफिज़ियोलॉजी: एकीकृत या सहयोगी अनुसंधान;

(एफ) वृद्धावस्था के लिए योग : एकीकृत या सहयोगी अनुसंधान;

(जी) मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग : एकीकृत या सहयोगी अनुसंधान;

(एच) सामान्य और नैदानिक स्थितियों में प्राणायामम् या सरापायर्ची और ध्यानम् ;

(आई) योगम के माध्यम से नैदानिक सुधार निर्धारित करने के लिए वस्तुनिष्ठ मापदंडों का विकास;

(जे) चिकित्सीय योग प्रक्रियाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं का विकास;

(के) कायाकल्प और दीर्घायु के लिए योगम;

(एल) सिद्धर योगम और आलोचनात्मक समीक्षा पर प्राचीन साहित्य का संग्रह और संकलन;

(एम) पब्लिक हेल्थ के लिए योगम;

(एन) मानव शरीर में योग के लाभों का आकलन करने के लिए मूल्यांकन पैमाने या उपकरणों का विकास;

(ओ) योगम के माध्यम से तनाव प्रबंधन: एकीकृत या सहयोगी अनुसंधान;

(पी) सिद्धर योग मरूतुवम् के विशेष संदर्भ में शिक्षण विधियों, प्रौद्योगिकी और उपकरणों का विकास;

(क्यू) मानव शरीर में अट्टांगयोगम् के प्रभावों पर अध्ययन।

(13) कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरूतुवम् सहित अरूवइ (सर्जरी इंक्लुडिंग आप्थॉमोलॉजी, ईएनटी, डेन्टिस्ट्री एंड डर्माटोलॉजी) शामिल हैं -

(ए) सिद्ध सर्जिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से सर्जिकल स्थितियों का प्रबंधन: नैदानिक अनुसंधान;

(बी) सिद्ध पैरा-सर्जिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से सर्जिकल स्थितियों का प्रबंधन नैदानिक अनुसंधान;

(सी) सिद्ध सर्जिकल और पैरा-सर्जिकल प्रक्रियाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं का मानकीकरण और विकास;

(डी) विभिन्न सर्जिकल और पैरा-सर्जिकल प्रक्रियाओं के लिए उपकरणों और उपस्करों का विकास;

(ई) समकालीन तर्ज पर छब्बीस प्रकार के पारंपरिक सिद्ध सर्जिकल उपकरणों का मानकीकरण;

(एफ) मौजूदा सर्जिकल प्रथाओं में संशोधन या नई विधियों या प्रौद्योगिकी की खोज;

(जी) व्यवहार में न आने वाली क्लासिक सर्जिकल प्रक्रियाओं की खोज और स्थापना;

(एच) सर्जिकल स्थितियों में करणूल चिकित्साई: नैदानिक अनुसंधान;

(आई) सिद्ध सर्जिकल इन्टरवेंशन के साथ आंख, कान, नाक, गले और दंत रोगों का प्रबंधन;

(जे) सर्जिकल स्थितियों में नैदानिक प्रौद्योगिकी का विकास;

(के) सिद्ध सर्जिकल और पैरा-सर्जिकल प्रक्रियाओं के संदर्भ में प्री-ऑपरेटिव और पोस्ट-ऑपरेटिव प्रक्रियाओं का मानकीकरण;

(एल) नए संकेतों और मानकीकरण के लिए सिद्ध पैरा-सर्जिकल प्रक्रियाओं का विकास;

(एम) सिद्धर अरुवई मरूतुवम् के लिए शिक्षण विधियों, प्रौद्योगिकी और उपकरणों का विकास;

(14) सूल और मगलिर मरूतुवम् (ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गाईनेकॉलोजी)

(ए) सिद्ध में प्रसवपूर्व देखभाल, प्रसव देखभाल और प्रसवोत्तर देखभाल की नैदानिक दक्षता;

(बी) स्त्री रोग संबंधी विकारों में सिद्ध दवाओं की प्रभावकारिता, सुरक्षा और तंत्र को मान्य करने के लिए नैदानिक अध्ययन;

(सी) सिद्ध में गर्भधारण-पूर्व स्वास्थ्य देखभाल और गर्भधारण-पूर्व परामर्श;

(डी) महिला बांझपन के लिए सिद्ध प्रबंधन: नैदानिक अनुसंधान

(ई) एंडोमेट्रियोसिस, पॉलीसिस्टिक डिम्बग्रंथि रोग या सिंड्रोम, या गर्भाशय, डिम्बग्रंथि और स्तन कैंसर के लिए सहायक सिद्ध उपचार का सिद्ध प्रबंधन: नैदानिक अनुसंधान;

(एफ) स्त्री रोग संबंधी विकारों में पुरा मरूतुवम् का अनुप्रयोग और इसका मानकीकरण;

(जी) स्त्री रोग संबंधी विकारों के प्रबंधन में योग का एकीकरण;

(एच) प्रजनन स्वास्थ्य पर अध्ययन;

(आई) सिद्ध में लैक्टोगॉग्स पर अध्ययन;

(जे) भ्रूण के सामान्य विकास और सामान्य प्रसव को सुविधाजनक बनाने के लिए सिद्ध दवाओं और उपायों की वैज्ञानिक मान्यता;

(के) स्पेशियलिटी संबंधी अंतःस्रावी विकार और प्रबंधन;

(एल) स्त्री रोग संबंधी विकारों का प्रबंधन: नैदानिक अनुसंधान;

(एम) स्त्री रोग संबंधी प्रक्रियाओं और इसके मानकीकरण के लिए उपकरणों का विकास; (एन) मासिक धर्म संबंधी अनियमितताएं; महिला यौन रोग;

(ओ) स्त्रीरोग संबंधी प्रक्रियात्मक प्रबंधन जैसे कि वेजाइनल डूश का मानकीकरण;

(पी) मगलिर और सूल मरूतुवम् के लिए शिक्षण विधियों, प्रौद्योगिकी और उपकरणों का विकास।

(15) कुजंतइ मरूतुवम् (पिडियाट्रिक्स) -

(ए) अठारह वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए सिद्ध प्रतिरक्षा बूस्टर;

(बी) सिद्ध औषधियों और प्रक्रियात्मक इन्टरवेंशन के साथ बाल रोगों का प्रबंधन-नैदानिक अध्ययन;

(सी) विशेष बच्चों, स्पास्टिक बच्चों, ऑटिज़्म और ध्यान कमी हाइपरएक्टिविटी विकार के लिए सिद्ध प्रबंधन;

(डी) बच्चों में मायोपैथी का सिद्ध प्रबंधन;

(ई) बाल चिकित्सा उपचार में थोक्कनम, वर्मम, या पुरा मरूतुवम् का एकीकरण: सहयोगात्मक अनुसंधान;

(एफ) बाल विकारों के प्रबंधन में योग का एकीकरण;

(जी) सिद्ध स्मृति वर्धक;

(एच) बच्चों की वृद्धि और विकास के लिए सिद्ध औषधियाँ और उपाय;

(आई) बाल चिकित्सा और प्रबंधन में आहार संबंधी एलर्जी;

(जे) बच्चों में पोषण संबंधी विकार और प्रबंधन;

(के) बचपन का मोटापा और प्रबंधन;

(एल) किशोर स्वास्थ्य-सिद्ध औषधियाँ और उपाय;

(एम) एक सामान्य बच्चे के पैरामीटर;

(एन) गैजेट की लत और व्यवहार संबंधी समस्याएं और प्रबंधन;

(ओ) वैक्सीन सहायक;

(पी) आनुवंशिक, जन्मजात और संज्ञानात्मक विकार और प्रबंधन;

(क्यू) बच्चों में एनीमिया और प्रबंधन;

(आर) बच्चों में कृमि संक्रमण और प्रबंधन;

(एस) आवर्ती संक्रमण और प्रबंधन;

(टी) सामाजिक और निवारक चिकित्सा का बाल चिकित्सा दायरा: वैज्ञानिक अध्ययन;

(यू) कुजंतइ मरूतुवम् के लिए शिक्षण विधियों, प्रौद्योगिकी और उपकरणों का विकास।

तोल मरूतुवम् (डर्माटोलॉजी) -

(ए)) त्वचा विकारों का प्रबंधन: एक नैदानिक अध्ययन;

(बी) त्वचा विकारों के लिए एक्सर्टनल मेडिसिन या दवाएं;

(सी) त्वचा विकारों के निदान के लिए मूल्यांकन पैमानों या उपकरणों या प्रौद्योगिकियों का विकास;

(डी) त्वचा विकारों के प्रबंधन के लिए सिद्ध संदर्भ में नवीन तकनीकों का विकास;

(ई) त्वचा विकारों में विषहरण प्रक्रियाएं और उनकी वैज्ञानिक मान्यता;

(एफ) त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के उपाय;

(जी) चयापचय, स्व-प्रतिरक्षित, पोषण, संवहनी, एट्रोफिक, अंतःस्रावी शिथिलता, संक्रमण, जन्मजात, वंशानुगत, एलर्जी, और विष के कारण त्वचा विकारों का प्रबंधन;

(एच) त्वचा विकारों पर प्राचीन साहित्य का संग्रह, संकलन और आलोचनात्मक समीक्षा;

(आई) चुनौतीपूर्ण त्वचा विकारों जैसे स्क्लेरोडर्मा, इचिथियोसिस, केलोइड, मेलेनोमा, हेमांगीओमा आदि के लिए उपचार प्रक्रियाओं का विकास;

(जे) तोल मरूतुवम् के लिए शिक्षण विधियों, प्रौद्योगिकी और उपकरणों का विकास;

(के) सिद्ध सौंदर्य प्रसाधन और इसकी नैदानिक दक्षता और सुरक्षा;

(एल) सिद्ध हेयर टॉनिक की प्रभावकारिता।

[**नोट:** संस्था द्वारा संचालित सभी स्नातकोत्तर कार्यक्रम में से प्रति वर्ष केवल एक छात्र को "शिक्षण विधियों, प्रौद्योगिकी और उपकरणों के विकास" के जोर क्षेत्र में शोध प्रबंध विषय का चयन करने की अनुमति दी जाएगी।

31. स्नातकोत्तर छात्रों के लिए वजीफा - केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के संस्थानों से संबंधित स्नातकोत्तर छात्रों के लिए, वजीफे का भुगतान संबंधित सरकारों के तहत अन्य चिकित्सा पद्धतियों के बराबर किया जाएगा, और चिकित्सा पद्धतियों के बीच कोई विसंगति नहीं होगी।

32. स्नातकोत्तर शिक्षण संकाय की योग्यताएं एवं अनुभव-

(1) आवश्यक योग्यता- (ए) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त संबंधित स्पेशियलिटी या विषय में सिद्ध में स्नातकोत्तर डिग्री होना, और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की दूसरी अनुसूची में शामिल होना या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 35 के तहत मान्यता प्राप्त होना; और

संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद के साथ एक वैध पंजीकरण या भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए आचार एवं पंजीयन बोर्ड, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी एक वैध केंद्रीय या राष्ट्रीय पंजीकरण प्रमाण पत्र; हालाँकि, पंजीकरण प्रमाणपत्र गैर-चिकित्सा योग्यता वाले शिक्षकों के लिए लागू नहीं है।

(बी) नीचे दी गई **तालिका** के कॉलम दो में उल्लिखित स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए, सिद्ध चिकित्सा में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की गई हो और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की दूसरी अनुसूची में शामिल हो या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 2020 की धारा 35 के तहत मान्यता प्राप्त हो, कॉलम तीन में यथा उल्लिखित संबंधित विशेषज्ञता के लिए, इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए पात्र माना जाएगा और यह स्थिति तब तक बरकरार रहेगी जब तक कॉलम दो में उल्लिखित संबंधित विशेषज्ञता से पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक उपलब्ध नहीं हो जाते।

तालिका

स्नातकोत्तर विशिष्टताओं के लिए योग्य शिक्षक

क्र.सं.	स्नातकोत्तर स्पेशियलिटी या कार्यक्रम	संबंधित स्पेशियलिटी / संबद्ध विषय
(1)	(2)	(3)
1	सिद्ध मारुतव आदिपद्दई अरिवियल (बेसिक प्रिंसीपल्स आफ सिद्धा मेडिसिन)	मरूतुवम्, नोइ नाडल
2	वर्मा मरूतुवम् (वर्मा मेडिसिन)	सिरेप्पमरूतुवम, वर्मा मरूतुवम्
3	पुरा मरूतुवम् (एक्सर्टनल मेडिसिन)	सिरेप्पमरूतुवम, पुरा मरूतुवम्

4	सिद्धर योग मरूतुवम् (सिद्धर यौगिक साइंस)	सिरेप्पमरूतुवम, सिद्धर योग मरूतुवम्
5	नोइ अनुगाविधी मरूतुवम् (सिद्धा डायट्रिक्स, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, प्रिवेंटिव मेडिसिन एडं पब्लिक हेल्थ)	मरूतुवम्, कुजंतइ मरूतुवम्, सिद्धर योग मरूतुवम्
6	सिद्धर अरुवई मरूतुवम् (सिद्ध सर्जरी)	मरूतुवम्, सिरेप्पमरूतुवम, पुरा मरूतुवम्
7	मगलिर और सूल मरूतुवम् (सिद्धा गाईनेकॉलोजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स)	कुजंतइ मरूतुवम् (पिडियाट्रिक्स)
8	गुणपाडम - मरूंदियल (मटेरिया मेडिका, फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्नॉसी)	गुणपाडम
9	गुणपाडम - मरूनदगवियल (मटेरिया मेडिका, फार्मास्यूटिक्स और क्लिनिकल फार्मेसी)	गुणपाडम
10	उडल कूरुगल (ह्यूमन एनाटॉमी)	मरूतुवम्, वर्मा मरूतुवम्, सिद्धर योग मरूतुवम्
11	उडल तत्वम (ह्यूमन फिजियोलॉजी)	नोइ नाडल, मरूतुवम्, सिद्धर योग मरूतुवम्
12	तोल मरूतुवम् (डर्माटोलॉजी)	मरूतुवम्, सिरेप्पमरूतुवम, कुजंतइ मरूतुवम्

नोट: संबंधित विशेषज्ञता या संबद्ध विषय के प्रावधान को इन विनियमों के प्रारंभ होने की तारीख से पांच वर्षों के लिए अनुमति दी जा सकती है।

(2) अनुभव- (ए) (i) संस्थान के प्रमुख (प्रिंसिपल या डीन या निदेशक) के पद के लिए योग्यता और अनुभव वही योग्यता और अनुभव होंगे जो इन विनियमों में प्रोफेसर के पद के लिए निर्धारित है और न्यूनतम तीन साल का प्रशासनिक अनुभव (उप प्राचार्य या विभागाध्यक्ष या उप चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा अधीक्षक आदि) होना चाहिए;

(ii) उसे संस्था के प्रमुख के रूप में शामिल होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा आयोजित 'शैक्षिक प्रशासन' पर संस्थानों के प्रमुख (प्रिंसिपल या डीन या निदेशक) के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम पूरा करना होगा;

(iii) संस्था के प्रमुख का पद संभालने के लिए आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर शिक्षा प्रशासन पर अभिविन्यास कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करना एक अनिवार्य आवश्यकता है। ऐसा न करने पर, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा संस्थान के प्रमुख के पद के लिए उनके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा।

(बी) प्रोफेसर के पद के लिए: (i) संबंधित विषय में नियमित शिक्षक के रूप में दस साल का कुल शिक्षण अनुभव या संबंधित विषय में नियमित आधार पर एसोसिएट प्रोफेसर या रीडर के रूप में पांच साल का शिक्षण अनुभव; या

(ii) संबंधित विषय में स्नातकोत्तर शिक्षण में नियमित शिक्षक के रूप में दस वर्षों का कुल शिक्षण अनुभव, या संबंधित विषय में नियमित आधार पर एसोसिएट प्रोफेसर या रीडर के रूप में स्नातकोत्तर शिक्षण में पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव; या

(iii) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय संस्थानों या परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला

के अनुसंधान परिषद में नियमित नियुक्ति पर पूर्णकालिक शोधकर्ता के रूप में कुल दस वर्षों का शोध अनुभव; संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री योग्यता के बाद, -

(ए) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण; और

(बी) इंडैक्स्ड पत्रिकाओं में प्रकाशित न्यूनतम पांच शोध पत्र (यूजीसी-केयर, पबमेड, वेब ऑफ साइंस, साइंस साइटेशन इंडेक्स, स्कोपस में इंडैक्स्ड); या

इंडैक्स्ड पत्रिकाओं में प्रकाशित न्यूनतम तीन शोध पत्र (यूजीसी-केयर, पबमेड, वेब ऑफ साइंस, साइंस साइटेशन इंडेक्स, स्कोपस में इंडैक्स्ड) और सिद्ध से संबंधित एक प्रकाशित पुस्तक या मैनुअल; या

किसी भी प्रमुख अनुसंधान परियोजना के लिए अन्वेषक (स्वीकृत पत्र के अनुसार परियोजना की अवधि तीन वर्ष और उससे अधिक)।

(सी) एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए: (i) संबंधित विषय में नियमित शिक्षक के रूप में पांच साल का कुल शिक्षण अनुभव; या

(ii) संबंधित विषय में स्नातकोत्तर शिक्षण में नियमित शिक्षक के रूप में पांच वर्षों का कुल शिक्षण अनुभव; या

(iii) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की अनुसंधान परिषद या विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय संस्थानों या परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में नियमित नियुक्ति पर पूर्णकालिक शोधकर्ता के रूप में कुल पांच साल का शोध अनुभव; संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री योग्यता रखने के बाद, -

(ए) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण; और

(बी) इंडैक्स्ड पत्रिकाओं में प्रकाशित न्यूनतम तीन शोध पत्र (यूजीसी-केयर, पबमेड, वेब ऑफ साइंस, साइंस साइटेशन इंडेक्स, स्कोपस में इंडैक्स्ड); या

इंडैक्स्ड पत्रिकाओं में प्रकाशित न्यूनतम एक शोध पत्र (यूजीसी-केयर, पबमेड, वेब ऑफ साइंस, साइंस साइटेशन इंडेक्स, स्कोपस में इंडैक्स्ड) और सिद्ध से संबंधित एक प्रकाशित पुस्तक या मैनुअल; या

किसी भी प्रमुख अनुसंधान परियोजना के लिए अन्वेषक (स्वीकृत पत्र के अनुसार परियोजना की अवधि तीन वर्ष और उससे अधिक); या

लघु अनुसंधान परियोजना के लिए अन्वेषक (स्वीकृत पत्र के अनुसार परियोजना की अवधि तीन वर्ष से कम)

(डी) सहायक प्रोफेसर के पद के लिए: किसी शिक्षण अनुभव की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, उसे भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा।

(ई) नियमित पूर्णकालिक डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएचडी) कार्यक्रम के दौरान अर्जित वास्तविक शोध अनुभव, यानी, शामिल होने की तिथि से थीसिस जमा करने की तिथि तक और तीन साल से अधिक अनुभव, शिक्षण अनुभव के रूप में मान्य नहीं होगा, और पीएचडी सीट आवंटन पत्र, पूर्णकालिक पीएचडी कार्यक्रम में शामिल होने का प्रमाण और विश्वविद्यालय में थीसिस जमा करने का प्रमाण इस संबंध में साक्ष्य के रूप में माना जाएगा।

(एफ) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातक सिद्ध शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2022 में उल्लिखित योग्यता और अनुभव वाले एक योग शिक्षक को प्रत्येक स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थान में पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाएगा। वह अस्पताल में वर्मम पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम विभाग के तहत काम करेगा और उसे एक अद्वितीय शिक्षक कोड जारी नहीं किया जाएगा।

(जी) इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग के लिए: (i)सिद्ध में स्नातकोत्तर डिग्री योग्यता के साथ एक प्रोफेसर (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन-एमडी या मास्टर ऑफ सर्जरी-एमएस), अधिमानतः स्नातकोत्तर डॉक्टरेट डिग्री (पीएचडी) के साथ उप-विनियमन (2) के खंड (बी) में उल्लिखित अनुभव के साथ पूर्णकालिक, नियमित आधार पर नियुक्त किया जाएगा और वह विभाग का प्रमुख होगा। उन्हें भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा अद्वितीय शिक्षक कोड प्रदान किया जाएगा और वह संस्था के प्रमुख पद के लिए पात्र होंगे।

(ii) इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग में बायोकैमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिनल बॉटनी या बॉटनी और पब्लिक हेल्थ के विषयों में शिक्षण कर्मचारी होंगे, जिन्हें पूर्णकालिक, नियमित आधार पर नियुक्त किया जाएगा और जिनकी योग्यता, अनुभव और पदोन्नति भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातक सिद्ध शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2022 में निर्दिष्ट अनुसार होगी। उन्हें भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा अद्वितीय शिक्षक कोड प्रदान किया जाएगा, और वे विभाग के प्रमुख या संस्थान के प्रमुख (प्रिंसिपल या डीन या निदेशक) का पद धारण करने के पात्र नहीं हैं।

(iii) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातक सिद्ध शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2022 में उल्लिखित योग्यता और अनुभव रखने वाले एक बायोस्टैटिस्टिशियन को इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग में पूर्णकालिक या अंशकालिक पर नियुक्त किया जाएगा और भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा अद्वितीय शिक्षक कोड प्रदान नहीं किया जाएगा।

(3) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा शिक्षक की अस्थायी नियुक्ति या शिक्षण संकाय की अस्थायी पदोन्नति स्वीकार्य नहीं होगी। हालाँकि, सरकारी संस्थानों के मामले में, निम्नलिखित शर्तों के साथ संविदात्मक नियुक्तियों की अनुमति दी जा सकती है

(ए) एक स्टॉप गैप व्यवस्था होगी;

(बी) विशेष विभाग में किसी विशेष पद के लिए दो वर्ष से अधिक नहीं होगा;

(सी) राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।

(4) अद्वितीय शिक्षक कोड- (ए) इन विनियमों के अनुसार प्रत्येक पात्र शिक्षक को भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा अद्वितीय शिक्षक कोड प्रदान किया जाएगा।

(बी) अद्वितीय शिक्षक कोड प्राप्त करने की प्रक्रिया और अद्वितीय शिक्षक कोड को वापस लेने का विवरण भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातक सिद्ध शिक्षा के लिए न्यूनतम मानक) विनियम, 2022 के प्रावधानों के अनुसार होगा।

(5) शिक्षक की सेवानिवृत्ति की आयु- शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु केंद्र, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के आदेश के अनुसार होगी, और पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले सेवानिवृत्त शिक्षकों को पूर्णकालिक नियमित शिक्षक के रूप में पैंसठ वर्ष की आयु तक फिर से नियोजित किया जा सकता है ।

(6) शिक्षक की उपस्थिति- (ए) प्रत्येक शिक्षक की उपस्थिति प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के कार्य दिवसों के दौरान उपस्थिति की संख्या के पचहत्तर प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(बी) शिक्षण कर्मचारियों की उपस्थिति की गणना "शिक्षण दिवस" के संदर्भ में की जाएगी जैसा कि एनसीआईएसएम - एमईएस विनियम 2024 में निर्दिष्ट है।

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "शिक्षण दिवस" का अर्थ है कि एक पूर्णकालिक नियमित शिक्षक ने बारह महीने की अवधि में कॉलेज और उसके शिक्षण अस्पताल में भाग लिया या कर्तव्य निभाया, जिसमें उसे नियुक्त किया गया है, आयोग द्वारा लागू उपस्थिति प्रणाली के आधार पर।

(7) अनुमति पत्र जारी करने से पहले शिक्षण कर्मचारियों की कार्यमुक्ति और प्रतिस्थापन, शिक्षण कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति और परामर्शदाताओं और शिक्षण कर्मचारियों के अनुभव एनसीआईएसएम- एमईएस विनियम 2024 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार होंगे।

(8) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना उन सभी पात्र उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य अपेक्षा होगी, जो सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालयों अथवा संस्थानों में पहली बार शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश कर रहे हैं, चाहे उनका संवर्ग कुछ भी हो ।

(9) संकाय विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम: प्रत्येक शिक्षण संकाय को तीन साल में एक बार भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा संचालित चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी या गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम से गुजरना होगा।

33. ट्यूशन शुल्क - राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या विश्वविद्यालय द्वारा गठित संबंधित शुल्क निर्धारण समिति या शुल्क नियामक समिति या गवर्निंग समिति द्वारा निश्चित और निर्धारित ट्यूशन शुल्क केवल तीन साल की पाठ्यक्रम अवधि के लिए लिया जाएगा और परीक्षा में असफल होने या किसी अन्य कारण से अध्ययन की विस्तारित अवधि के लिए कोई ट्यूशन शुल्क नहीं लिया जाएगा।

34. पाठ्यक्रम प्रारंभ होने और प्रवेश की अंतिम तिथि- (1) प्रथम वर्ष का स्नातकोत्तर कार्यक्रम सामान्यतः प्रत्येक वर्ष के अगस्त से शुरू होगा और स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश की अंतिम तिथि सामान्यतः प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की 31 जुलाई या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट अनुसार होगी।

(2) प्रत्येक संस्थान नीचे दी गई **तालिका** में निर्दिष्ट शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार शैक्षणिक गतिविधियों या कार्यक्रमों का संचालन करेगा।

तालिका

स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों के लिए अस्थायी शैक्षणिक कैलेंडर

(डॉक्टर ऑफ मेडिसिन-एमडी या मास्टर ऑफ सर्जरी-एमएस)

(कार्यक्रम की कुल अवधि - 36 महीने)

क्र.सं	शैक्षणिक गतिविधि या आयोजन	समयसीमा
(1)	(2)	(3)
1	कार्यक्रम का शुभारंभ	अगस्त माह का पहला कार्य दिवस
2	स्नातकोत्तर ओरिएंटेशन प्रोग्राम	15-20 कार्य दिवस
3	स्नातकोत्तर शोध प्रबंध गतिविधि के लिए गाइड आवंटन	अक्टूबर (तीसरा महीना)
4	विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम योगात्मक मूल्यांकन	जनवरी (छठा महीना) (पहले सेमेस्टर के अंत में) (जनवरी का तीसरा और चौथा सप्ताह)
5	सारांश प्रस्तुत करना	अप्रैल (9 वां महीना)

6	विश्वविद्यालय द्वारा द्वितीय योगात्मक मूल्यांकन	जुलाई (12 वां महीना) (दूसरे सेमेस्टर के अंत में) (जुलाई का तीसरा और चौथा सप्ताह)
7	पहली प्रगति समीक्षा	जनवरी (अठारहवां महीना)
8	दूसरी प्रगति समीक्षा	जुलाई (चौबीसवां महीना)
9	तीसरी प्रगति समीक्षा	जनवरी (तीसवां महीना)
10	शोध प्रबंध कार्य का पूर्व-प्रस्तुतीकरण	जनवरी से मार्च (30-32 महीने)
11	विभाग द्वारा संस्था के प्रमुख को शोध प्रबंध प्रस्तुत करना	जनवरी से मार्च (30-32 महीने)
12	संस्था के प्रमुख द्वारा विश्वविद्यालय को शोध प्रबंध प्रस्तुत करना	अप्रैल (33 महीना)
13	विश्वविद्यालय द्वारा तृतीय योगात्मक मूल्यांकन	जुलाई (36 वां महीना) (छठे सेमेस्टर के अंत में) (जुलाई का तीसरा और चौथा सप्ताह)

नोट: विश्वविद्यालय परीक्षा का अंतिम दिन (अर्थात तीसरा योगात्मक मूल्यांकन) स्नातकोत्तर कार्यक्रम का अंतिम कार्य दिवस माना जाएगा।

35. अनुमति प्रक्रिया पूरी होने की तिथि- स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए सिद्ध संस्थाओं को अनुमति प्रदान करने अथवा न देने की प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष सिद्ध स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों में विद्याथयों के प्रवेश के लिए आयुष केन्द्रीय परामर्श समिति द्वारा आयोजित काउंसलिंग के शुरू होने से 60 दिन पहले भारतीय चिकित्सा पद्धति मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा पूरी की जाएगी।

अध्याय VIII

नए स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन-एम.डी. या मास्टर ऑफ सर्जरी-एम.एस.) की शुरुआत, स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थान की स्थापना और मौजूदा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में छात्र प्रवेश क्षमता में वृद्धि

36. (1) किसी आवेदन के संबंध में व्यक्ति या आवेदक द्वारा प्रस्तुत (आवेदन) नई योजनाओं के जवाब में भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड से अनुमति प्राप्त किए बिना, कोई भी व्यक्ति या आवेदक कोई नया चिकित्सा संस्थान शुरू नहीं करेगा, कोई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू नहीं करेगा, या छात्र प्रवेश क्षमता, सीटें या प्रवेश क्षमता नहीं बढ़ाएगा।

(2) नए चिकित्सा संस्थानों की शुरुआत, स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों की शुरुआत और छात्र प्रवेश क्षमता में वृद्धि भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 2020 की धारा 29 के अनुसार होगी।

37. सामान्य बातें- (1) नई योजनाओं के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि हर साल भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।

(2) किसी व्यक्ति (विश्वविद्यालय, समाज, ट्रस्ट, या किसी अन्य निकाय, लेकिन इसमें केंद्र सरकार शामिल नहीं है) द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रस्तुत आवेदन इन विनियमों में भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट निर्धारित आवेदन और प्रसंस्करण शुल्क के साथ, इन विनियमों के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप, सिद्ध में एक नए स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान की स्थापना के लिए

(फॉर्म-ए), एक नया स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू करने के लिए **(फॉर्म-बी)**, और सीटें या छात्र प्रवेश क्षमता या प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए **(फॉर्म-सी)** में प्रस्तुत किए जाएंगे।

(3) अधूरे आवेदन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(4) अंतिम तिथि के बाद आवेदन वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है।

(5) अंतिम तिथि से पहले आवेदन वापस लेने की स्थिति में आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

(6) स्थानीय भाषा में कोई भी दस्तावेज़ हिंदी और/या अंग्रेजी की प्रतिलेख में प्रस्तुत किया जाएगा;

(7) यह समझा जाता है कि, आवेदन जमा करने से पहले, आवेदक ने भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 2020 और संबंधित विनियमों को पढ़ और समझ लिया है।

38. पूर्व-आवश्यकताएँ- (1) एक चिकित्सा संस्थान की स्थापना के लिए **(फॉर्म-डी)**, एक नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम या कार्यक्रम शुरू करने के लिए **(फॉर्म-ई)**, और सीटें या छात्र प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए **(फॉर्म-एफ)** इन विनियमों के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में आवेदन के समय संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से एक अनिवार्यता प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) संबंधित विश्वविद्यालय से सहबद्धता की सहमति इन विनियमों के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप **(फॉर्म-जी)** में शैक्षणिक वर्ष या सहबद्धता के वर्षों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए एक नए चिकित्सा संस्थान की स्थापना, एक नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने, सीटें या छात्र प्रवेश क्षमता बढ़ाने, और जैसा भी मामला हो, के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

(3) एक ही ट्रस्ट, सोसायटी या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किन्हीं दो सिद्ध मेडिकल कॉलेजों के बीच की दूरी पच्चीस किलोमीटर से कम नहीं होगी ।

(4) (ए) एक स्टैंडअलोन स्नातकोत्तर संस्थान के मामले में, आवेदन, प्रस्ताव या योजना प्रस्तुत करते समय, उसके पास पूरी तरह कार्यात्मक साठ बिस्तरों वाला सिद्ध अस्पताल होगा जिसने उचित पंजीकरण के साथ स्थापना के बाद अस्तित्व के न्यूनतम चौबीस महीने (यानी, कार्यक्षमता के दो वर्ष) पूरे कर लिए हो;

(बी) अस्पताल ने आवेदन जमा करते समय साठ छात्र प्रवेश क्षमता वाले कॉलेज या संस्थान से जुड़े शिक्षण अस्पताल के लिए बताए गए बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन, कार्यक्षमता, उपस्कर और उपकरणों आदि सहित सुविधाओं के संदर्भ में एनसीआईएसएम - एमईएस विनियम 2024 में निर्दिष्ट सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा किया हो।

(सी) अस्पताल को चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया जाए जैसा कि एनसीआईएसएम - एमईएस विनियम 2024 के अध्याय- VIII में उल्लिखित है।

(5) अस्पताल की दो वर्षों की कार्यक्षमता के लिए निम्नलिखित पर विचार किया जाएगा:

(ए) अस्पताल के नाम पर एक स्वतंत्र खाते में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किसी अन्य वाणिज्यिक बैंक में सलाहकारों और अन्य अस्पताल कर्मचारियों के वेतन को दर्शाने वाले बैंक लेनदेन;

(बी) अस्पताल की कार्यक्षमता को दर्शाने वाले बैंक लेनदेन, जैसे दवाओं और अस्पताल उपभोग्य सामग्रियों की आवधिक खरीद, प्रासंगिक करों का भुगतान, अस्पताल की आय, आदि;

(सी) अच्छी तरह से प्रलेखित (भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक) अस्पताल रिकॉर्ड, जिसमें बाह्य-रोगी विभागों और अंतःरोगी विभागों में रोगी की उपस्थिति, अस्पताल के रखरखाव को दर्शाने वाले दस्तावेज़ और स्थानीय या संबंधित अधिकारियों से आवश्यक अनुमतियों का नवीनीकरण शामिल है;

(डी) आवेदन के समय अस्पताल के पास कम से कम प्रवेश स्तर का अस्पतालों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से प्रमाणन होना चाहिए;

39. किसी स्नातक कालेज या संस्थान में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम शुरू करने के लिए आवेदन करने की पात्रता-

(1) यह भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 2020 की धारा 28 के तहत एक पूर्ण रूप से स्थापित स्नातक कालेज या संस्थान होना चाहिए।

(2) कॉलेज या संस्थान ने बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और कार्यक्षमता के संदर्भ में एनसीआईएसएम - एमईएस विनियम 2024 में निर्दिष्ट सभी आवश्यकताओं को पूरा किया हो।

(3) कॉलेज या संस्थान को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या तत्कालीन भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद द्वारा सिद्ध (बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी) में स्नातक पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति दी गई होगी और पहली अनुमति के बाद कम से कम चार वर्ष और छह महीने पूरे किए हों;

(4) कॉलेज या संस्थान को आयोग द्वारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के स्वामित्व या प्रबंधन के लिए खंड (3) में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने से छूट दी गई है;

(5) साठ या सौ या एक सौ पचास या दो सौ की छात्र प्रवेश क्षमता वाला कॉलेज या संस्थान

'विस्तारित अनुमति श्रेणी' के अंतर्गत होंगे और उन्हें आवेदन या प्रस्ताव या योजना जमा करने के समय भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा की गई रेटिंग प्रक्रिया में ग्रेड "ए" या "बी" का दर्जा दिया गया हो।

(6) विभागवार पूर्वापेक्षाएँ.-

(ए) पोथु मरूतुवम् (जनरलमेडिसिन)में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम शुरू करने के लिए मरूतुवम् अंतः रोगी विभाग में औसत बिस्तर अधिभोग साठ प्रतिशत से कम नहीं होगा;

(बी) वर्मा मरूतुवम् (वर्मा मेडिसिन), पुरा मरूतुवम् (बाह्य चिकित्सा), या सिद्धर योग मरूतुवम् (सिद्धर यौगिक साइंस) में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम शुरू करने के लिए वर्मम पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम अंतः रोगी विभाग में औसत बिस्तर अधिभोग साठ प्रतिशत से कम नहीं होगा;

(सी) कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरूतुवम् सहित अरूवइ अंतः रोगी विभाग में प्रमुख ऑपरेशन थिएटर और माइनर ऑपरेशन थिएटर सुविधाओं जिसमें सिद्धर अरुवई मरूतुवम् (सिद्ध सर्जरी) में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम शुरू करने के लिए अरुवई, अग्नि, और कारम श्रेणियां के तहत प्रति दिन औसतन न्यूनतम दस सिद्ध सर्जिकल और पैरा-सर्जिकल प्रक्रियाएं निष्पादित की जाती हैं, के साथ औसत बिस्तर अधिभोग साठ प्रतिशत से कम नहीं होगा;

(डी) सूल और मगलिर मरूतुवम् अंतः रोगी विभाग में औसत बिस्तर अधिभोग साठ प्रतिशत से कम नहीं होगा और सूल और मगलिर (सिद्ध स्त्री रोग और प्रसूति) में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम की शुरुआत के लिए प्रति माह न्यूनतम दस प्रसव का औसत;

(ई) कुजंतइ मरूतुवम् में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम शुरू करने के लिए कुजंतइ मरूतुवम्- अंतःरोगी विभाग में औसत बिस्तर अधिभोग साठ प्रतिशत से कम नहीं होगा;

(एफ) नंजु मरूतुवम् (क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी) में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम शुरू करने के लिए नंजु मरूतुवम् बाह्य रोगी विभाग में प्रतिदिन कम से कम तीस रोगी आते हों और नंजु मरूतुवम् अंतः रोगी विभाग में औसत बिस्तर अधिभोग साठ प्रतिशत से कम नहीं होगा;

(जी) नोई अनुगाविधी मरूतुवम् (सिद्धा डायट्रिक्स, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, प्रिवेंटिव मेडिसिन एडं पब्लिक हेल्थ) में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम की शुरुआत के लिए नोई अनुगाविधि मरूतुवम् बाह्य रोगी विभाग में प्रतिदिन पचास व्यक्तियों की औसत उपस्थिति;

(एच) गुणपाडम - मरूंदियल (मटेरिया मेडिका, फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्नॉसी) में स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू करने के लिए मरूतुवा तावरवियल (मेडिसिनल बॉटनीऔर फार्माकोग्नॉसी) प्रयोगशाला, गुणपदम मरूंदियल (मटेरिया मेडिका और फार्माकोलॉजी) प्रयोगशाला के अलावा फाइटोकेमिस्ट्री प्रयोगशाला, गुणपदम मरूंदियल विभाग में संग्रहालय और उन्नत गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला होना चाहिए;

(आई) गुणपाडम - मरूनदगवियल (मटेरिया मेडिका, फार्मास्यूटिक्स और क्लिनिकल फार्मेसी) में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम शुरू करने के लिए गुणपदम मरूनदगवियल विभाग में उन्नत गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला के अलावा, गुणपदम मरूनदगवियल (मटेरिया मेडिका और फार्मास्यूटिक्स) प्रैक्टिकल प्रयोगशाला या शिक्षण फार्मेसी और संग्रहालय होना चाहिए;

(जे) नोई नाडाल (पैथोलॉजी) में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम शुरू करने के लिए नोइ नाडल और नोइ मुदल नाडल विभाग में नोइ नाडल और नोइ मुदल नाडल (पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक्स) प्रैक्टिकल प्रयोगशाला, नुनुयिरियाल (माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला) प्रैक्टिकल प्रयोगशाला और संग्रहालय के अलावा आणविक जीवविज्ञान प्रयोगशाला होना चाहिए;

(के) सिद्ध मारुतव आदिपद्दई अरिवियल (बेसिक प्रिंसीपल्स आफ सिद्धा मेडिसिन) में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम शुरू करने के लिए सिद्ध मरूतुवम् मूलतत्तुवम विभाग में उन्नत भाषा प्रयोगशाला होनी चाहिए;

(एल) उडल कूरुगल (ह्यूमन एनाटॉमी) में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम शुरू करने के लिए उडल कूरुगल विभाग में डिस्सेक्शन हॉल और प्रैक्टिकल प्रयोगशाला के अलावा वर्चुअल डिस्सेक्शन टेबल और ई-डिस्सेक्शन सॉफ्टवेयर होना चाहिए;

(एम) उडल तत्वम (ह्यूमन फिजियोलॉजी) में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम शुरू करने के लिए उडल तत्वम विभाग में उडल तत्वम (फिजियोलॉजी) प्रैक्टिकल प्रयोगशाला, उयिर वेधियल

(जैव रसायन प्रयोगशाला) प्रैक्टिकल प्रयोगशाला होनी चाहिए;

(एन) तोल मरूतुवम् (डर्माटोलॉजी) में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम शुरू करने के लिए तोल मरूतुवम् बाह्य रोगी विभाग में प्रति दिन साठ रोगियों की औसत उपस्थिति होनी चाहिए।

(7) शिक्षण अस्पताल के पास कम से कम राष्ट्रीय अस्पताल प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच) से प्रवेश स्तर की मान्यता होनी चाहिए।

40. स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थान स्थापित करने के लिए आवेदन करने की पात्रता- इन विनियमों के तहत आवेदन करने के लिए, एक सोसायटी, ट्रस्ट, विश्वविद्यालय, संस्थान या कोई अन्य निकाय पात्र होगा यदि,

(1) आवेदक का उद्देश्य भारतीय चिकित्सा पद्धति में शिक्षा प्रदान करना होगा;

(2) न्यूनतम आवश्यक भूमि और अन्य विशिष्टताओं इन विनियमों के विनियम 12 में उल्लिखित अनुसार होंगी;

(3) भूमि के लिए पट्टा समझौता करने वाले संस्थानों के मामले में, संस्थान को पट्टे की अवधि के अंतिम तीन वर्षों के लिए प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि संस्थान हर साल एक नोटरीकृत शपथपत्र प्रस्तुत नहीं करता है जिसमें उल्लेख किया गया हो कि पट्टे की समाप्ति से पहले पट्टा नवीनीकृत किया जाएगा और बाद में पट्टे की अवधि की समाप्ति से पहले नवीनीकृत पट्टा समझौते को प्रस्तुत करना होगा;

(4) पूरी तरह से स्थापित कार्यशील सिद्ध अस्पताल, जिसमें साठ बिस्तरों के साथ राष्ट्रीय अस्पताल प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच) से कम से कम प्रवेश स्तर की मान्यता प्राप्त की गई हो, जिसमें बिस्तर अधिभोग साठ प्रतिशत से कम न हो और जिसे भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय सिद्ध महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम, 2024 में निर्दिष्ट साठ छात्र प्रवेश क्षमता वाले एक स्नातक कॉलेज या संस्थान से जुड़े शिक्षण अस्पताल के लिए उल्लिखित सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों के साथ स्थापित किया गया हो।

(5) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के मानदंडों के अनुसार अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों, कर्मचारियों, स्थान, उपकरण और अन्य बुनियादी ढांचे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में सक्षम हो;

(6) एक शपथपत्र प्रस्तुत किया गया हो कि स्नातकोत्तर विभागों के लिए नामित भूमि और भवन विशेष रूप से स्नातकोत्तर विभागों या विशिष्टताओं के लिए बनाए रखा जाएगा और कोई अन्य पाठ्यक्रम, कॉलेज या कार्यक्रम संचालित नहीं किए जाएंगे;

(7) एक शपथपत्र प्रस्तुत किया गया हो कि केवल स्नातकोत्तर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा में योग्य छात्रों को, केवल योग्यता के आधार पर केंद्र, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा; विदेशी नागरिकों और भारत सरकार द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों को छोड़कर,

(8) एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया हो कि स्नातकोत्तर डिग्री और शिक्षक-छात्र अनुपात का नाम इन विनियमों में निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार बनाए रखा जाएगा;

(9) इन विनियमों में निर्दिष्ट तरीके से बुनियादी ढांचे और जनशक्ति स्थापित करने की स्थिति में हो।

41. मौजूदा स्नातकोत्तर कार्यक्रम में सीटें या छात्र प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए आवेदन करने की पात्रता - आवेदन करने के लिए, एक सोसायटी या ट्रस्ट या विश्वविद्यालय या संस्थान या कोई अन्य निकाय पात्र होगा यदि, -

(1) स्नातकोत्तर विभाग या स्पेशियलिटी आवेदन या प्रस्ताव या योजना प्रस्तुत करते समय 'विस्तारित अनुमति श्रेणी' के अंतर्गत हो और भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या नामित प्राधिकारी द्वारा की गई रेटिंग प्रक्रिया में ग्रेड "ए" या "बी" का दर्जा दिया गया हो।

(2) इन विनियमों के विनियम 38 के तहत उप-विनियम (1) और (2) में निर्दिष्ट पूर्व-आवश्यकताओं को पूरा किया हो।

(3) सिद्ध में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या तत्कालीन भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद या केंद्र सरकार द्वारा अनुमति दी गई हो (जिसमें प्रवेश क्षमता बढ़ाई जानी है) और पहली अनुमति के बाद तीन साल पूरे किए गए हो;

(4) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के स्वामित्व या प्रबंधन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उप-विनियम (3) में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने से छूट दी गई हो;

(5) एक शपथ पत्र प्रस्तुत किय गया हो कि स्नातकोत्तर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा में योग्य छात्रों को, योग्यता के आधार पर केंद्रीय या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश काउंसलिंग के माध्यम से ही प्रवेश दिया जाएगा, विदेशी नागरिकों, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों को छोड़कर ।

(6) एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया हो कि सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए शिक्षक-छात्र अनुपात इन विनियमों में निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार बनाए रखा जाएगा;

(7) इन विनियमों में निर्दिष्ट तरीके से बुनियादी ढांचे और जनशक्ति स्थापित करने की स्थिति में हो;

42. आवेदन की विधि - (1) इन विनियमों में निर्दिष्ट पूर्व-आवश्यकताओं और पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाला आवेदक, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट मोड (ऑनलाइन या ऑफलाइन या दोनों) और समय-सीमा के अनुसार आवेदन या प्रस्ताव या योजना प्रस्तुत कर सकता है।

(2) प्रत्येक स्नातकोत्तर स्पेशियलिटी या कार्यक्रम के लिए अलग आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे;

(3) गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क और प्रसंस्करण शुल्क लागू करों के साथ, जैसा कि नीचे दी गई **तालिका** में दिखाया गया है, का भुगतान ऑनलाइन मोड (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) के माध्यम से भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के खाते में "भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग निधि" के पक्ष में किया जाएगा;

तालिका

आवेदन शुल्क और प्रसंस्करण शुल्क

मद	**शुल्क विवरण रुपये में**	
	आवेदन शुल्क	**प्रसंस्करण शुल्क**
(1)	**(2)**	**(3)**
स्नातकोत्तर संस्थान जहां स्नातक कार्यक्रम अस्तित्व में है		
स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम प्रारंभ करना	प्रति स्पेशियलिटी दो लाख रुपये	प्रति स्पेशियलिटी दस लाख रुपये
मौजूदा स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम में छात्र प्रवेश क्षमता बढ़ाना	प्रति स्पेशियलिटी दो लाख रुपये	प्रति सीट पांच लाख रुपये
स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थान		
स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थान शुरू करना	दो लाख रुपये	दस लाख रुपये
स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम प्रारंभ करना	प्रति स्पेशियलिटी दो लाख रुपये	प्रति स्पेशियलिटी दस लाख रुपये
मौजूदा स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम में छात्र प्रवेश क्षमता बढ़ाना	प्रति स्पेशियलिटी दो लाख रुपये	प्रति सीट पांच लाख रुपये

(4) इन विनियमों में निर्दिष्ट सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट समय सीमा और मोड (ऑनलाइन या ऑफलाइन या दोनों) के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

43. आवेदन पर कार्रवाई करना - सभी प्राप्त आवेदन निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा जांच के अधीन होंगे:

(1) आवेदक पात्रता

(2) पूर्व-आवश्यकताएँ

(3) इन विनियमों में निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों की पूर्ति

(4) लागू करों के साथ आवेदन शुल्क और प्रसंस्करण शुल्क

(5) सहायक दस्तावेज़

(6) अस्पताल डेटा

(7) राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किसी अन्य वाणिज्यिक बैंक में आधिकारिक बैंक खातों (अस्पताल और कॉलेज के लिए अलग खाता) में लेनदेन

(8) भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट कोई अन्य।

44. आशय पत्र जारी करना- (1) जांच के बाद, आवेदनों को निम्नलिखित श्रेणियों के तहत संसाधित किया जाएगा,

(ए) न्यूनतम आवश्यक मानकों और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने वाले आवेदन: (i) इन विनियमों में निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों और अन्य अपेक्षित मानदंडों को पूरा करने वाले आवेदक संस्थानों का भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा निरीक्षण या दौरा किया जाएगा;

(ii) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड संस्थान द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए डेटा और निरीक्षण या दौरा के दौरान आगंतुकों द्वारा की गई टिप्पणियों का सत्यापन करेगा और यदि संतुष्ट पाया गया, तो संस्थान को अधिनियम की धारा 29 के तहत आशय पत्र जारी किया जाएगा;

(iii) यदि निरीक्षण या दौरा के दौरान कोई कमी पाई जाती है, तो उसे सूचित किया जाएगा और उप-विनियम (2) में उल्लिखित गैर-सुधार योग्य कमियों को छोड़कर सुधार के लिए एक अवसर दिया जाएगा;

(iv) सुधार के लिए अवसर दिए गए संस्थानों द्वारा प्रस्तुत आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ अनुपालन रिपोर्ट, निर्दिष्ट कमियों के लिए जांच के अधीन होगी और यदि संतुष्ट पाया जाता है तो आवेदन को मंजूरी दे दी जाएगी और आशय पत्र जारी किया जाएगा; यदि संतुष्ट नहीं पाया जाता है या भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट नियत तिथि के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो आवेदन अस्वीकृत और निरस्त कर दिया जाएगा।

(बी) कमियों वाले आवेदन: (i) कमियां पाए गए आवेदनों को सुधार के लिए आवेदक को सूचित किया जाएगा;

(ii) निर्दिष्ट अवधि के भीतर संस्थानों द्वारा प्रस्तुत सहायक दस्तावेजों के साथ अनुपालन रिपोर्ट की भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा एक बार फिर से जांच की जाएगी; संतोषजनक पाए जाने पर संस्थान का निरीक्षण किया जाएगा या दौरा किया जाएगा;

(iii) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड कॉलेज द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट और आगंतुकों द्वारा की गई टिप्पणियों की जांच करेगा; संतोषजनक पाए जाने पर संस्थान को आशय पत्र जारी किया जाएगा; यदि संतोषजनक नहीं पाया गया तो आवेदन अस्वीकृत एवं निरस्त कर दिया जाएगा।

(2) गैर-सुधार योग्य कमियाँ: हालाँकि, गंभीर प्रकृति की कमियाँ जैसे इन विनियमों में निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों में कमियाँ जैसे अस्पताल की कार्यक्षमता, भूमि की उपलब्धता या विवाद, प्रचालित अस्पताल की अपर्याप्त समय अवधि, राज्य सरकार से अनिवार्यता प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता, विश्वविद्यालय से संबद्धता की सहमति की अनुपलब्धता, कॉलेज और अस्पताल के निर्माण क्षेत्र में कमी आदि दोषों को सुधारने का अवसर नहीं दिया जाएगा और ऐसे आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

(3) मौजूदा कॉलेजों पर लागू छूट नीति नए आवेदनों के लिए लागू नहीं होगी जब तक कि भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए।

(4) आशय पत्र केवल उस विशेष वर्ष के लिए वैध होगा।

45. अनुमति पत्र जारी करना -(1) जिन संस्थानों को आशय पत्र प्राप्त हुआ है, उन्हें सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा करके अनुपालन रिपोर्ट; इन विनियमों में निर्दिष्ट शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों और अस्पताल कर्मचारियों का विवरण और भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर आयोग को निश्चित सुरक्षा जमा राशि प्रस्तुत करनी होगी और सुरक्षा जमा राशि इस प्रकार होगी:

(ए) एक नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम या कार्यक्रम शुरू करने के लिए: प्रति स्पेशियलिटी पचास लाख रुपये;

(बी) सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए: प्रति सीट पांच लाख रुपये;

बशर्ते कि यह केंद्र या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शासित कॉलेजों या संस्थानों पर लागू नहीं होगा यदि वे अपने योजना बजट में नियमित रूप से धन प्रदान करने का वचन देते हैं जब तक कि उनके द्वारा बताए गए समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार अपेक्षित सुविधाएं पूरी तरह से प्रदान नहीं की जाती हैं।

(2) सुरक्षा जमा का भुगतान ऑनलाइन भुगतान मोड (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) के माध्यम से भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के खाते में "भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग निधि" के पक्ष में किया जाएगा।

(3) संबंधित स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू होने के तीन साल बाद निर्धारित सुरक्षा जमा राशि बिना ब्याज के कॉलेज या संस्थान के खाते में वापस कर दी जाएगी। भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के कारण कॉलेज या संस्थान के खिलाफ कोई वित्तीय शिकायत लंबित नहीं होनी चाहिए या जुर्माना राशि लंबित नहीं होनी चाहिए।

(4) सभी आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने पर भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड निरीक्षण या दौरा करेगा;

(5) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड अनुपालन रिपोर्ट और निरीक्षण या दौरा के दौरान आगंतुकों द्वारा की गई टिप्पणियों की जांच करेगा और यदि पाया जाता है कि आवेदक सभी अपेक्षित न्यूनतम मानकों को पूरा कर रहा है, तो संस्थान को अनुमति पत्र जारी किया जाएगा;

(6) आवेदक को आवेदन या प्रस्ताव या योजना जमा करने की अंतिम तिथि से छह महीने के भीतर भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा आवेदन या प्रस्ताव या योजना के अनुमोदन या अस्वीकृति के बारे में सूचित किया जाएगा।

(7) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड को पारदर्शिता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से आवेदन, सत्यापन, मूल्यांकन और रेटिंग के लिए उपर्युक्त प्रणाली को बदलने का अधिकार होगा।

46. अपील- अधिनियम 2020 की धारा 29 के अनुसार, पीड़ित आवेदक निम्नलिखित स्थितियों में नीचे निर्दिष्ट तरीके से अपील कर सकते हैं: (1) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा अनुमति से इनकार करने के मामले में और या किसी योजना को प्रस्तुत करने के छह महीने के भीतर कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है, तो पीड़ित आवेदक अस्वीकृति के संचार के पंद्रह दिनों के भीतर या छह महीने की समाप्ति अवधि के बाद के पंद्रह दिनों के भीतर, जैसा भी मामला हो, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग में पहली अपील कर सकता है;

(2) पहली अपील ऑनलाइन या ऑफलाइन या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट तरीके से प्रस्तुत की जा सकती है;

(3) अपील प्राप्त होने पर, आयोग अपील की जांच करेगा और पीड़ित आवेदक को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा;

(4) यदि आयोग को पता चलता है कि आवेदक सभी न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, तो आयोग आवेदन पर विचार करने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड को निर्देश दे सकता है;

(5) यदि आवेदक न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा नहीं कर रहा है, तो आयोग आवेदन को अस्वीकार और निरस्त कर देगा;

(6) किसी भी मामले में आयोग अपील प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर आवेदक को निर्णय के बारे में सूचित करेगा।

(7) आयोग द्वारा अस्वीकृति के मामले में या ऐसी अपील की प्राप्ति की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर आयोग द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, पीड़ित आवेदक केंद्र सरकार (आयुष मंत्रालय) के समक्ष सात दिन के भीतर दूसरी अपील कर सकता है।

47. अनुमति का नवीनीकरण- (1) एक बार जारी किया गया अनुमति पत्र एक वर्ष (अर्थात 12 महीने) के लिए वैध होगा और वार्षिक आधार (पहला नवीनीकरण और दूसरा नवीनीकरण) पर नवीनीकृत किया जाएगा जब तक कि स्थापना के तहत स्नातकोत्तर विभाग या स्पेशियलिटी पूरी तरह से स्थापित स्थिति प्राप्त न कर ले, जैसा कि उप-विनियमन (7) के नीचे दी गई तालिका में उल्लेख किया गया है।।

(2) अनुमति पत्र जारी करने वाले संस्थान इन विनियमों में निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों की पूर्ति के संबंध में अनुपालन (स्नातकोत्तर विभाग या स्पेशियलिटी वार) प्रस्तुत करेंगे। अनुमति पत्र की समाप्ति से छह महीने पहले संस्थान द्वारा अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

(3) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड निरीक्षण या दौरा करेगा और कॉलेज द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट और निरीक्षण या दौरा के दौरान आगंतुकों द्वारा की गई टिप्पणियों की जांच करेगा और न्यूनतम आवश्यक मानकों की पूर्ति पर, संस्थान, अनुमति का पहला नवीनीकरण जारी करेगा, जैसा कि उप-विनियमन (7) के नीचे दी गई तालिका में उल्लेख किया गया है।

(4) पहले नवीनीकरण के लिए उल्लिखित विधि का पालन अनुमति के दूसरे नवीकरण के लिए किया जाएगा।

(5) दूसरे नवीनीकरण के बाद, स्नातकोत्तर विभाग या स्पेशियलिटी को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 2020 की धारा 28 के तहत 'पूर्ण रूप से स्थापित स्नातकोत्तर विभाग या स्पेशियलिटी' के रूप में माना जाएगा, जब तक कि भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (एफ) के तहत भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड द्वारा अन्यथा कार्रवाई नहीं की जाती है।

(6) संस्थान की स्थापना के किसी भी चरण में न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा न करने और वार्षिक लक्ष्य प्राप्त न करने की स्थिति में, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड किसी विशेष स्नातकोत्तर विभाग या स्पेशियलिटी या उस विशेष शैक्षणिक सत्र के लिए स्पेशियलिटी के लिए प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर देगा।

(7) पूरी तरह से स्थापित स्नातकोत्तर विभाग या स्पेशियलिटी भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा रेटिंग के लिए पात्र है।

तालिका

स्नातकोत्तर विभाग या स्पेशियलिटी की अनुमति और श्रेणी

क्र.सं	धारा 28 और धारा 29	अनुमति/अनुमति का नवीनीकरण	श्रेणी	बैच
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	29	आशय पत्र	विचाराधीन	कोई प्रवेश नहीं
2		अनुमति पत्र	संस्थान स्थापना के अंतर्गत	पहला बैच
3		अनुमति का प्रथम नवीनीकरण		दूसरा बैच
4		अनुमति का दूसरा नवीनीकरण		तीसरा बैच
5	28	विस्तारित अनुमति या वार्षिक अनुमति	पूर्णतः स्थापित स्नातकोत्तर विभाग या स्पेशियलिटी। रेटिंग के लिए हकदार	चौथा बैच

अध्याय IX

स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थानों में स्नातकोत्तर विभागों की रेटिंग जहां स्नातक पाठ्यक्रम अस्तित्व में है और स्टैंडअलोन स्नातकोत्तर संस्थान

48. स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थानों में स्नातकोत्तर विभागों की रेटिंग जहां स्नातक पाठ्यक्रम अस्तित्व में है और स्टैंडअलोन स्नातकोत्तर संस्थान हैं (1) स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थानों में "विस्तारित अनुमति" स्थिति रखने वाले प्रत्येक पूर्णतः स्थापित स्नातकोत्तर विभाग, जहां एक स्नातक कार्यक्रम अस्तित्व में है और स्टैंडअलोन स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थानों को हर साल रेटिंग दी जाएगी।

(2) स्नातकोत्तर संस्थानों के मामले में जहां स्नातक पाठ्यक्रम अस्तित्व में है, रेटिंग पूरी तरह से स्थापित स्नातक संस्थान और पूरी तरह से स्थापित स्नातकोत्तर विभागों के लिए अलग से की जाएगी।

(3) स्नातक कालेजों और स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थानों में पूरी तरह से स्थापित स्नातकोत्तर विभागों या विशिष्टताओं को पृथक रूप से रेटिंग दी जाएगी (यानी स्नातकोत्तर विभाग या स्पेशियलिटी वार रेटिंग)।

(4) निम्नलिखित स्नातकोत्तर संस्थान या स्नातकोत्तर विभाग या स्पेशियलिटी रेटिंग के लिए पात्र नहीं होंगे:

(क) अधिनियम की धारा 29 के तहत स्थापना से गुजर रहे हों;

(ख) "वार्षिक अनुमति" श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत हों;

(ग) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा अनुमति से इनकार कर दिया गया हो;

(घ) अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (1) के खंड (एफ), में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा किए गए उपाय किए गए हों।

(5) रेटिंग प्रक्रिया भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड, या धारा 28 के तहत भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा नामित किसी भी एजेंसी द्वारा यूनानी सिद्ध और सोवा-रिग्पा बोर्ड द्वारा प्रमुख क्षेत्रों और गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से निर्धारित मानकों पर आधारित प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी।

(6) ऐसे मामले में, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित एक समिति के माध्यम से स्वतंत्र रेटिंग एजेंसियों की पहचान करेगा और भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड रेटिंग एजेंसियों की सूची बनाएगा;

(7) स्वतंत्र रेटिंग एजेंसियों की सूची को भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा समय-समय पर भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के समक्ष रखा जाएगा ताकि सूची को अंतिम रूप देने और "एमएआरबीआईएसएम-इम्पेनल्ड रेटिंग एजेंसियों" का ड्रा करने के लिए और संबंधित वित्तीय निहितार्थों के लिए भी आयोग की मंजूरी मिल सके;

(8) ऐसे स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थानों या स्नातकोत्तर विभागों या विशेषज्ञताओं पर, जो रेटिंग के लिए पात्र हैं जैसा कि उप-नियम (1) में उल्लेखित है, यह अनिवार्य होगा कि वे ऐसी रेटिंग एजेंसियों को पहुंच प्रदान करें।;

(9) स्नातकोत्तर विभागों या विशेषज्ञताओं की रेटिंग उन मानकों के आधार पर की जाएगी जो संस्थानों द्वारा न्यूनतम आवश्यक मानकों के अतिरिक्त बनाए गए हैं, जैसा कि इन नियमों में उल्लेखित है;

(10) संस्थान द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर (पिछले महीने से संबंधित डेटा के लिए प्रति माह की दसवीं तिथि तक) अपलोड किया गया डेटा (स्व-प्रकटीकरण) रेटिंग और अन्य उद्देश्यों के लिए मान्य माना जाएगा;

(11) 'संस्था द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन डेटा' और रेटिंग के लिए भौतिक सत्यापन या मूल्यांकन के बीच वेटेज का अनुपात 70:30 होगा;

(12) रेटिंग के लिए मूल्यांकन के बाद, विस्तारित अनुमति श्रेणी के तहत पृथक स्नातकोत्तर विभाग या स्पेशियलिटी को स्नातकोत्तर विभाग या स्पेशियलिटी द्वारा प्राप्त मूल्यांकन स्कोर के आधार पर ग्रेड 'ए', ग्रेड 'बी', ग्रेड 'सी' या ग्रेड 'डी' में वर्गीकृत किया जाएगा।

(13) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड काउंसलिंग शुरू होने से पहले स्नातकोत्तर विभागों या स्नातकोत्तर संस्थानों की विशिष्टताओं का मूल्यांकन और रेटिंग, आयोग की वेबसाइट या सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध कराएगा।

(14) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की वेबसाइट पर मूल्यांकन और रेटिंग के ऐसे डेटा को अपलोड करने के लिए प्रारूप और प्रक्रिया तैयार करेगा;

(15) ग्रेड 'ए' प्राप्त स्नातकोत्तर विभाग 'ए' ग्रेड प्राप्त करने के वर्षों के दौरान भर्ती हुए छात्रों से केंद्र, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंधित शुल्क निर्धारण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शुल्क से पांच प्रतिशत अधिक विकास शुल्क लेने का हकदार है।

(16) ग्रेड 'ए' या 'बी' वाला एक स्नातक कॉलेज भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी नए स्नातकोत्तर कार्यक्रम को शुरू करने के लिए पात्र होगा।

(17) स्नातक संस्थान के मामले में जहां स्नातकोत्तर कार्यक्रम पहले से मौजूद हैं, सभी मौजूदा स्नातकोत्तर विभागों या विशिष्टताओं में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी नए स्नातकोत्तर कार्यक्रम को शुरू करने के लिए 'ए' या 'बी' ग्रेड होना चाहिए।

(18) 'ए' या 'बी' ग्रेड के साथ सभी मौजूदा स्नातकोत्तर कार्यक्रम रखने वाला स्टैंडअलोन स्नातकोत्तर संस्थान केवल भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी नए स्नातकोत्तर कार्यक्रम को शुरू करने के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा।

(19) 'ए' या 'बी' ग्रेड वाले स्नातकोत्तर विभाग या स्पेशियलिटी केवल संबंधित विभाग या स्पेशियलिटी में छात्र प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे;

(20) किसी भी ग्रेड का कॉलेज या संस्थान या स्नातकोत्तर विभाग या स्पेशियलिटी, यदि धारा 28 की उप-धारा (1) के खंड (एफ), में प्रावधानों के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा कार्रवाई की जाती है, तो यह माना जाएगा कि ग्रेड वापस ले लिया गया है, और ग्रेड वापस लेने के लिए कोई संचार नहीं भेजा जाएगा; यदि ऐसा कोई कॉलेज, संस्थान या विभाग ग्रेड का उपयोग करना जारी रखता है, तो ऐसे संस्थानों पर भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(21) चिकित्सा संस्थानों या स्नातकोत्तर विभागों को संस्थान द्वारा प्राप्त रेटिंग स्कोर के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा, जैसा कि नीचे दी गई **तालिका** में बताया गया है;

रेटिंग स्कोर	**ग्रेड**
(1)	**(2)**
75 और उससे अधिक	ए
50-74	बी
25-49	सी
24 तक	डी

तालिका: रेटिंग स्कोर और ग्रेड

(22) वार्षिक रेटिंग शुल्क का भुगतान लागू करों के साथ ऑनलाइन (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) के माध्यम से भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के खाते में भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग निधि के पक्ष में किया जाएगा और शुल्क विवरण निम्नानुसार हैं।

(ए) स्नातकोत्तर संस्थान, जहां स्नातक पाठ्यक्रम अस्तित्व में है, के लिए रेटिंग शुल्क (छात्रों की प्रवेश क्षमता के अनुसार) जैसा कि एनसीआईएसएम - यूजी एमईएस विनियम, 2024, और स्नातकोत्तर विभागों के लिए निर्धारित शुल्क को अलग-अलग भुगतान किया जाएगा।

(i) स्नातकोत्तर विभागों या विशिष्टताओं की संख्या पाँच तक: एक लाख रुपये;

(ii) स्नातकोत्तर विभागों या विशिष्टताओं की संख्या छह से दस तक: दो लाख रुपये;

(iii) स्नातकोत्तर विभागों या विशेषज्ञताओं की संख्या ग्यारह से पंद्रह तक: तीन लाख रुपये;

(iv) स्नातकोत्तर विभागों या विशेषज्ञताओं की संख्या सोलह या उससे अधिक: चार लाख रुपये

(बी) स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थान एनसीआईएसएम - यूजी एमईएस विनियम, 2024 में उल्लिखित मूल शुल्क का भुगतान साठ बिस्तर वाले अस्पतालों के लिए अर्थात दो लाख पचास हजार रुपये के साथ-साथ स्नातकोत्तर विभागों या विशिष्टताओं के लिए उल्लिखित विशिष्ट रेटिंग शुल्क के साथ विनियमन48, उप-विनियमन (22) के खंड

(ए) के उप-खंड (i) से (iv) में उल्लिखित विशिष्ट रेटिंग शुल्क का भुगतान करेंगे। जैसा लागू हो; और संपूर्ण रेटिंग शुल्क विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं।

तालिका

सिद्ध स्नातकोत्तर संस्थानों की रेटिंग के लिए शुल्क

संस्था	स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की संख्या और वार्षिक रेटिंग शुल्क रुपये में			
	5 तक	6 से 10	11 से 15	16 और ऊपर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
स्नातक संस्थानों में स्नातकोत्तर विभाग	₹. 1,00,000/-	₹. 2,00,000/-	₹. 3,00,000/-	₹. 4,00,000/-
स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थान	₹. 3,50,000/- (2,50,000*+1,00,000)	₹. 4,50,000/- (2,50,000*+2,00,000)	₹. 5,50,000/- (2,50,000*+3,00,000)	₹. 6,50,000/- (2,50,000*+4,00,000)
* स्टैंड अलोन स्नातकोत्तर संस्थानों में साठ बिस्तर वाले अस्पताल के लिए				

अध्याय- X

स्नातकोत्तर डॉक्टरेट डिग्री (पीएचडी) शिक्षा

के न्यूनतम आवश्यक मानक

49. सामान्य विचार.- (1) संबंधित विषय में या अनुशासन या इंट्रा-डिसिप्लिनरी या इंटर-डिसिप्लिनरी या मल्टी-डिसिप्लिनरी या ट्रांस-डिसिप्लिनरी क्षेत्रों में किए गए शोध कार्य को प्रदान की गई स्नातकोत्तर डॉक्टरेट की डिग्री को समान माना जाएगा

(2) स्नातकोत्तर डॉक्टरेट डिग्री कार्यक्रम, कार्यक्रम में प्रवेश की तिथि से न्यूनतम तीन वर्ष और अधिकतम छह वर्ष की अवधि के लिए होगा; बशर्ते कि डिग्री प्रदान करने वाले संस्थानों या विश्वविद्यालयों के स्टेचू या अध्यादेश के अनुसार पुन: पंजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से अधिकतम अतिरिक्त दो वर्ष दिए जा सकते हैं (स्नातकोत्तर डॉक्टरेट डिग्री कार्यक्रम की कुल अवधि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कार्यक्रम में प्रवेश की तिथि से आठ वर्ष से अधिक नहीं होगी);

(3) महिला उम्मीदवारों और विकलांग व्यक्तियों (चालीस प्रतिशत से अधिक विकलांगता) को अधिकतम अवधि में पीएचडी के लिए दो और वर्षों की छूट की अनुमति दी जा सकती है; इसके अलावा, महिला उम्मीदवारों को डॉक्टरेट डिग्री प्रोग्राम की पूरी अवधि में एक बार 240 दिनों तक मातृत्व अवकाश या चाइल्डकेयर अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

(4) सिद्ध में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम (डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी-एमडी या मास्टर ऑफ सर्जरी-एमएस) पूरा होने के बाद ही स्नातकोत्तर डॉक्टरेट डिग्री कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा।

(5) पीएचडी कार्यक्रम पर विचार नहीं किया जाएगा यदि, –

(ए) पीएचडी विद्वान और पीएचडी पर्यवेक्षक अनुसंधान अवधि के दौरान अलग-अलग स्थानों पर हैं;

(बी) पीएचडी विद्वान का कार्यस्थल और पीएचडी के लिए पंजीकृत शोध स्थान अलग-अलग हैं।

(6) जिन लोगों ने इन विनियमों की अधिसूचना से पहले स्नातकोत्तर डॉक्टरेट डिग्री कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया है, वे अपने पंजीकरण के समय प्रचलित प्रावधानों के अनुसार अपने कार्यक्रम को जारी रखेंगे।

(7) स्नातकोत्तर डॉक्टरेट डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा।

(8) स्नातकोत्तर डॉक्टरेट डिग्री कार्यक्रमों के लिए अनुसंधान स्थल सिद्ध संस्थान में एक स्वतंत्र स्नातकोत्तर विभाग, एक अनुसंधान प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर विभाग, राष्ट्रीय संस्थानों या केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र होंगे। एक स्नातक सिद्ध शिक्षण संस्थान पीएचडी कार्यक्रम के लिए अनुसंधान स्थल के रूप में नहीं माना जाएगा।

(9) इंटर-डिसिप्लिनरी और ट्रांस-डिसिप्लिनरी और बहु-विषयक अनुसंधान के लिए, पर्याप्त अनुसंधान सुविधा के साथ संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय का स्नातकोत्तर संस्थान, या राष्ट्रीय महत्व का संस्थान या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र द्वारा स्थापित उत्कृष्टता का कोई केंद्र। राज्य या केंद्र सरकार आदि द्वारा स्थापित सरकारी या स्वायत्त संगठनों के अनुसंधान संस्थानों को अनुसंधान स्थल माना जाएगा।

अध्याय-XI

दंड और अनुशासनात्मक कार्रवाइयां

50. (1) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी विनियमों, निर्देशों, अनुदेशों का अनुपालन और समय-सीमा का पालन संस्थानों की जिम्मेदारी होगी।

(2) गैर-अनुपालन कार्रवाई में शामिल है, अर्थात्, -

(ए) भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए स्वायत्त बोर्ड या राष्ट्रीय आयोग द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों, दिशानिर्देशों और किसी भी अन्य प्रकार के संचार का अनुपालन न करना;

(बी) संस्थानों की कोई भी गतिविधियां, जो स्नातकोत्तर सिद्ध चिकित्सा शिक्षा के उद्देश्यों के अनुसार नहीं हैं जैसे फीस पर छात्रों का शोषण, उपस्थिति के कदाचार आदि प्रथाएं;

(सी) बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन, नैदानिक सामग्री, प्रैक्टिकल सामग्री, अनुसंधान सुविधाओं और अन्य संस्थागत कार्यक्षमता आदि की पूर्ति न होना जो इन विनियमों के अनुरूप नहीं हैं;

(डी) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के मूल्यांकन और रेटिंग या किसी भी अन्य गतिविधियों के लिए निरीक्षण या दौरा प्रक्रिया में असहयोग या किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की गई हो;

(ई) स्वायत्त बोर्डों या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग को झूठी जानकारी या मनगढ़ंत डेटा या जानकारी या साक्ष्य प्रदान करना;

(एफ) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के मूल्यांकनकर्ताओं या अधिकारियों या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा नामित अधिकारियों को प्रभावित करने, दबाव डालने, रिश्वत देने या धमकी देने का कोई भी प्रयास करना;

(3) जैसा कि (2) में उल्लिखित किसी भी गैर-अनुपालन या चिकित्सा संस्थान द्वारा जानबूझकर गैर-अनुपालन कार्य या चूक के प्रयास के लिए, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या तो चिकित्सा संस्थान को दंडित करेगा या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (1) के खंड (एफ) में उल्लिखित ऐसे उपाय और/या ऐसी घटनाओं की आगे की जांच करेगा, अर्थात्, -

(ए) चिकित्सा संस्थान द्वारा किए गए प्रत्येक गैर-अनुपालन पर एक करोड़ रुपये से अधिक का मौद्रिक जुर्माना नहीं लगाया जाएगा;;

(बी) चेतावनी जारी करना;

(सी) किसी भी नई योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया को उस शैक्षणिक वर्ष के लिए या उतने वर्षों के लिए रोकना, जो निर्धारित किया जा सकता है;

(डी) अगले शैक्षणिक वर्ष में चिकित्सा संस्थान द्वारा प्रवेश दी जाने वाली सीटों की संख्या कम करना;

(ई) अगले या बाद के शैक्षणिक वर्षों में एक या अधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश रोकना;

(एफ) मान्यता वापस लेने के लिए भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग की सिफारिश करना;

(जी) पांच शैक्षणिक वर्षों तक की अवधि के लिए चिकित्सा संस्थानों की रेटिंग को रोकना और वापस लेना।

(4) यदि संस्थान की ओर से किसी व्यक्ति या एजेंसी के माध्यम से भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति के राष्ट्रीय आयोग पर दबाव डालने का कोई प्रयास किया जाता है, तो चिकित्सा संस्थान के आवेदन या अनुरोध की प्रोसेसिंग तत्काल रोक दी जाएगी या अनुमति वापस ले ली जाएगी, छात्र प्रवेश क्षमता में कमी या आर्थिक दंड लगाया जाएगा।

(5) आगे भी यह बताया गया है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग उस समय लागू आपराधिक कानून के अनुसार झूठी जानकारी प्रस्तुत करने, या झूठे दस्तावेजों के निर्माण के लिए आपराधिक कार्यवाही भी शुरू कर सकता है।

(6) जहां आयोग को पता चलता है कि एक स्नातकोत्तर छात्र, जिसे संबंधित संस्थान में भौतिक उपस्थिति के साथ तीन साल का अध्ययन करना आवश्यक है, धोखाधड़ी या गलत बयानी से या आवश्यक उपस्थिति को पूरा किए बिना शारीरिक रूप से अनुपस्थित रहकर या गलत जानकारी प्रदान करके स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त कर रहा है। या तो संबंधित संस्थान के साथ मिलीभगत से या अन्यथा या इन विनियमों के तहत निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किए बिना या समय-समय पर आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित ऐसे किसी भी दिशानिर्देश के तहत, ऐसे स्नातकोत्तर छात्र को उसके स्नातकोत्तर अध्ययन के अस्थायी निलंबन और अस्थायी रूप से दंडित किया जाएगा। राज्य पंजीकरण या राष्ट्रीय पंजीकरण को कम से कम एक वर्ष के लिए निलंबित करना और न्यूनतम पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाना; दूसरी बार दोषी पाए जाने पर उसकी स्नातकोत्तर की पढ़ाई कम से कम दो साल के लिए अस्थायी रूप से निलंबित कर दी जाएगी और राज्य पंजीकरण या राष्ट्रीय पंजीकरण को कम से कम दो साल के लिए अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाएगा और न्यूनतम दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, और तीसरी बार दोषी ठहराए जाने की स्थिति में और इसके बाद दोषी पाए जाने पर स्नातकोत्तर अध्ययन से उसका प्रवेश स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा और साथ ही राज्य या राष्ट्रीय पंजीकरण को कम से कम पांच साल के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।

पहली अनुसूची

(विनियम 7 और 14 देखें)

गुणपाडम-मरूंदियल (मटेरिया मेडिका और फार्माकोलॉजी) के स्नातकोत्तर विभाग के तहत फाइटोकेमिस्ट्री प्रयोगशाला के लिए न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताएँ

क्रम संख्या	उपस्कर, उपकरण, रसायन और अभिकर्मक
(1)	(2)
I. उपस्कर और उपकरण	
1.	स्पेक्ट्रोफोटोमीटर
2.	हाई-पर्फोर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी

3.	गैस क्रोमैटोग्राफी
4.	नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोमीटर
5.	पराबैंगनी-दृश्यमान स्पेक्ट्रोफोटोमीटर
6.	सेंट्रीफ्यूज
7.	रोटरी इवैपोरेटर
8.	माइक्रोस्कोप
9.	पीएच मीटर
10.	आटोक्लेव
11.	ओखल और मूसल
12.	फ़्रीज़ ड्रायर (लियोफ़िलाइज़र)
13.	इन्क्यूबेटर
14.	शेकर
15.	वॉटर बॉथ
16.	फ्रैक्शन कलेक्टर
17.	माइक्रोबैलेंस
18.	होमोजिनिज़ेर
19.	हीटिंग मेंटल
20.	डिजिटल थर्मामीटर
II. ग्लासवेयर	
21.	बीकर
22.	फ्लास्क (एर्लेनमेयर, राउंड बॉटम)
23.	टैस्ट ट्यूब्स
24.	वायल्स
25.	पिपेट और पिपेटर्स
26.	ब्यूरेट्स
27.	ग्रेजुएटेड सिलेंडर
28.	सेपेरेटरी फ़नल
29.	कंडेन्सर्स

30.	क्रोमैटोग्राफी कॉलम
31.	पेट्री डिशेस
32.	डेसिकेटर्स
33.	फ़िल्टर फ्लास्क और बुचनर फ़नल
34.	माइक्रोस्कोप स्लाइड और कवर स्लिप
35.	ड्राईंग ओवन ग्लासवेयर
36.	वॉच ग्लासिस
37.	रिएक्शन ट्यूब
38.	किड़ाहल फ्लास्क
39.	सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन उपकरण
40.	नेस्लर ट्यूब्स
41.	थिन लेयर वाली क्रोमैटोग्राफी किट
III. रसायन, अभिकर्मक आदि	
	ए सॉल्वैंट्स:
42	मेथनॉल
43	इथेनॉल
44	एसीटोन
45	क्लोरोफ़ार्म
46	हेक्सेन
47	डायथाइल
48	टोलीन
49	ईथाइल एसीटेट
50	पानी (डिस्टिल्ड या डीआयोनाइज़्ड)
	बी अभिकर्मक:
51	फोलिन-सियोकाल्टेयू अभिकर्मक (पूर्णतः फेनोलिक सामग्री निर्धारण के लिए)
52	ड्रैगेंडोर्फ अभिकर्मक (एल्कलॉइड के लिए)
53	वैनिलिन अभिकर्मक (फ्लेवोनोइड्स के लिए)
54	अनिसलडिहाइड-सल्फ्यूरिक एसिड अभिकर्मक (टेरपेनोइड्स के लिए)

55	मोलिश अभिकर्मक (कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए)
56	लिबरमैन-बर्चर्ड अभिकर्मक (स्टेरोल्स के लिए)
57	एर्लिच अभिकर्मक (इंडोल एल्कलॉइड के लिए)
58	शिनोडा टेस्ट अभिकर्मक (फ्लेवोनोइड्स के लिए)
59	साल्कोव्स्की अभिकर्मक (टेरपेनोइड्स का पता लगाने के लिए)
60	आयोडीन सोल्यूशन (स्टार्च)
61	फ़्लोरोग्लुसीनोल
62	फेलिंग सोल्यूशन
63	वैगनर
	ग.स्टैंडर्ड:
64	विश्लेषणात्मक तकनीकों में अंशांकन के लिए ज्ञात यौगिकों के मानक सोल्यूशन (जैसे, एचपीएलसी, जीसी)
	घ.अम्ल और क्षार:
65	हाइड्रोक्लोरिक एसिड
66	सल्फ्यूरिक एसिड
67	नाइट्रिक एसिड
68	एसीटिक एसिड
69	सोडियम हाइड्रॉक्साइड
	ई. क्रोमैटोग्राफी सामग्री:
70	सिलिका जेल (कॉलम क्रोमैटोग्राफी के लिए)
71	सेफैडेक्स (जेल निस्पंदन क्रोमैटोग्राफी के लिए)
72	टीएलसी प्लेटें (पतली परत क्रोमैटोग्राफी के लिए)
73	विभिन्न क्रोमैटोग्राफ़िक तकनीकों के लिए अवशोषक और एलुएंट्स
	च.विविध:
74	हाइड्रोजन पेरोक्साइड (ऑक्सीडेटिव एंजाइम ऐसेज के लिए)
75	मेटल केलेशन के लिए एथिलीनडायमिनेटेट्राएसिटिक एसिड
76	एंटीऑक्सीडेंट ऐसेज के लिए 2,2-डिफेनिल-1-पिक्रिलहाइड्राजाइल

नोट: इस अनुसूची में निर्दिष्ट आइटम न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताएं हैं। हालांकि, विभाग पाठ्यक्रम, शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान की आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं या सुविधाओं को बढ़ा सकता है।

दूसरी अनुसूची

(विनियम 7 और 14 देखें)

नोइ नाडल नोइ मुदल नाडल (पैथोलॉजी) के स्नातकोत्तर विभाग के तहत आणविक जीवविज्ञान प्रयोगशाला के लिए न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताएं

क्रम संख्या	उपस्कर, उपकरण, रसायन और अभिकर्मक
(1)	(2)
I. उपस्कर और उपकरण	
1.	माइक्रोपिपेट
2.	पीसीआर मशीन
3.	पराबैंगनी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर
4.	हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज (हाई वाल्यूम)
5.	हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज (स्माल वाल्यूम)
6.	पराबैंगनी ट्रांसिल्यूमिनेटर
7.	होरिजोन्टल जेल इलैक्ट्रोफोरिसिस सिस्टम (जेल के लिए बिजली की आपूर्ति)
8.	मल्टी टेम्परेचर वॉटर बॉथ
9.	37-डिग्रीइनक्यूबेटर
10.	माइक्रोस्कोप
11.	वॉटर प्यूरिफायर (मिलिपोर वॉटर सिस्टम)
12.	प्रयोगशाला हुड या कल्चर हुड
13.	वे- बैंलेस
14.	वोर्टक्सर
15.	थर्मोमिक्सर
16.	रेफ्रिजरेटर
17.	वैक्यूम कंसेन्टर्स
18.	न्यूटेटर, रॉकिंग प्लेटफॉर्म, ऑर्बिटल शेकर
19.	इमेजिंग सिस्टम (केमिलुमिनसेंस, फ्लूरोसिन, फॉस्फोइमेज)

20.	आटोक्लेव
21.	लैमिनायर के साथ स्टेराइल कमरा
22.	कॉल्ड रूम
23.	- 20 डिग्री सेल्सियस फ्रीजर
II.. उपभोग्य	
24.	मिडिया
25.	अगारोज
26.	ऐथिडियम ब्रोमाइड
27.	आणविक भार मार्कर
28.	टिप्स और एपेंडॉर्फ्स
29.	नाइट्रोसेल्युलोज मैम्ब्रेन्स
30.	डीएनए और आरएनए आईसोलेसन किट
31.	एंजाइम्स
32.	एक्रिलामाइड
33.	अभिकर्मक
34.	पेट्री डिश
35.	एंटीबायोटिक्स
36.	जैल डाई
37.	स्टेराईल ट्यूब
38.	प्लास्टिक के बर्तन
39.	आइस बकेट
40	ग्लासवेअर
41.	रसायन
42.	किट

नोट: इस अनुसूची में निर्दिष्ट आइटम न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताएं हैं। हालांकि, विभाग पाठ्यक्रम, शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान की आवश्यकता के अनुसार सुविधाओं में वृद्धि कर सकता है।

तीसरी अनुसूची

(विनियम 7 और 14 देखें)

केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के लिए न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताएँ

क्रम संख्या	आवश्यकताएँ या सुविधाएँ
(1)	(2)
1	भौतिक रासायनिक परीक्षण
2	फाइटोकेमिकल परीक्षण:-
	जैविक परीक्षण
	अकार्बनिक परीक्षण
	पाउडर का फ्लोरोसेंस विश्लेषण
	क्रोमैटोग्राफी -थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, नंबुरी फेज्ड स्पॉट टेस्ट और कॉलम क्रोमैटोग्राफी
3	फार्माकोग्नॉस्टिक अध्ययन:-
	प्रमाणीकरण
	माइक्रोसोपिक अध्ययन
	सेक्शन माइक्रोस्कोपी
	पाउडर माइक्रोस्कोपी
	माइक्रोटोम सेक्शन
	मल्टीपल स्टेर्निंग और पर्मानेंट स्लाइड प्रिपेयरेशन
	डिजिटल माइक्रोस्कोपी
	मात्रात्मक माइक्रोस्कोपी (स्टोमेटा नंबर, स्टोमेटल इंडेक्स, पैलिसेड नंबर, वेन आइलेट नंबर)
4	माइक्रोबायोलोजिकल टैस्ट:-
	माइक्रोबियल सीमाएं (कुल बैक्टीरिया की गिनती, कुल फंगल गिनती, विशिष्ट रोगजनकों के लिए परीक्षण)
	एंटी-माइक्रोबियल अध्ययन (एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल)
	माइक्रोबियल संस्कृति (पानी, नैदानिक स्वाब)
5	इनविट्रो अध्ययन:-
	एंटीऑक्सीडेंट
	इम्यूनोमॉड्यूलेटरी
	एंटी-माइक्रोबियल
6	मात्रात्मक अध्ययन

	फ्लेम फोटोमेट्री (कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम आदि)
	पराबैंगनी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री (कार्बोहाइड्रेट, फ्लेवोनोइड, प्रोटीन, फिनोल आदि)
	टिट्रीमीट्रिक मात्रात्मक अध्ययन (जस्ता, तांबा, सीसा आदि)
7	स्थिरता अध्ययन:-
	दीर्घकालिक
	एक्सलरेटिड

नोट: 1. इस अनुसूची में निर्दिष्ट आइटम न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताएं हैं। हालांकि, संस्थान शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान की आवश्यकता के अनुसार सुविधाओं में वृद्धि कर सकता है

2. उन्नत उपकरणों, उपकरणो,उच्च प्रदर्शन पतली परत क्रोमैटोग्राफी, उच्च प्रदर्शन तरल क्रोमैटोग्राफी, सेल लाइन सुविधा, जेनेटिक (डीएनए) फिंगर प्रिंटिंग, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा ऑप्टिकल उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्स-रे विवर्तन, ऊर्जा फैलाने वाले एक्स-रे विश्लेषण, गतिशील प्रकाश प्रकीर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, गैस क्रोमैटोग्राफी / मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आदि के साथ अध्ययन के लिए, संस्थान के पास राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड, प्रत्यायित प्रयोगशालाएं या अनुसंधान और विकास केन्द्र के साथ समझौता ज्ञापन हो सकता है अथवा ऐसी सुविधाएं संस्थान में ही स्थापित की जा सकती हैं

चौथी अनुसूची

(विनियम 7 और 14 देखें)

पशु घर और पशु प्रयोग प्रयोगशाला के लिए न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताएँ

क्रम संख्या	आवश्यकताएं
(1)	(2)
1	सुरक्षा और विषाक्तता अध्ययन सुविधा
2	व्यवहार और न्यूरो-फार्माकोलॉजिकल अध्ययन सुविधा
3	ऐंठन अध्ययन सुविधा
4	विरोधी भड़काऊ और एनाल्जेसिक अध्ययन सुविधा
5	एंटी-पायरेटिक अध्ययन सुविधा
6	एंटी-एलर्जी, एंटीहिस्टामाइन और एंटी-अस्थमा अध्ययन सुविधा
7	इम्यूनो -मॉड्यूलेटरी, एंटीऑक्सीडेंट अध्ययन सुविधा
8	घाव भरने की पढ़ाई की सुविधा
9	डायरिया रोधी अध्ययन सुविधा

10	मूत्रवर्धक अध्ययन सुविधा
11	एंटीडायबिटिक अध्ययन सुविधा
12	मोटापा-रोधी अध्ययन सुविधा
13	अंग स्नान या ऊतक स्नान के साथ परख
14	इलेक्ट्रोकोनवल्सियोमीटर
15	मेटाबोलिक केज
16	हिस्टामिन कक्ष
17	सॉफ्टवेयर के साथ डिजिटल रोटारोड उपकरण
18	सॉफ्टवेयर के साथ डिजिटल एक्टिमीटर (गतिविधि केज)
19	प्लेथिस्मोग्राफी

नोट: इस अनुसूची में निर्दिष्ट आइटम न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताएं हैं। हालांकि, संस्थान शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान की आवश्यकता के अनुसार सुविधाओं में वृद्धि कर सकता है।

पांचवी अनुसूची

(विनियम 7 और 14 देखें)

गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला के लिए न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताएं

[**नोट:** 1. विभाग स्नातकोत्तर शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एनसीआईएसएम-यूजी एमईएस विनियम, 2024की दसवीं अनुसूची के तहत निर्धारित मदों के अलावा गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला में इस पांचवीं अनुसूची में उल्लिखित उपकरणों, को बनाए रखेगा,

2. विभाग शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला में उनकी आवश्यकता के अनुसार मदों में वृद्धि कर सकता है]

क्रम संख्या	**आवश्यकताएं**
(1)	**(2)**
1	सॉफ्टवेयर के साथ प्रतिदीप्ति उलटा माइक्रोस्कोप
2	पराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रोफोटोमीटर
3	माइक्रो कंट्रोलर-आधारित लौ फोटोमीटर
4	रोटा बाष्पीकरण करनेवाल
5	स्थिरता कक्ष
6	फ्रीज ड्रायर
7	सॉफ्टवेयर, कैमरा और प्रक्षेपण सुविधा के साथ ट्रिनोकुलर माइक्रोस्कोप

8	पोलारिमीटर
9	कक्षीय मिलाते हुए इनक्यूबेटर
10	कार्बन डाइऑक्साइड इनक्यूबेटर
11	ऑप्टिक अब्बे रेफ्रेक्टोमीट
12	लामिना वायु प्रवाह
13	वॉटर स्टील
14	कक्षीय शेकर
15	टैबलेट काउंटर -छोटा आकार
16	विश्लेषणात्मक संतुलन डिजिटल उच्च परिशुद्धता (0.0001g-220g)
17	इनक्यूबेटर
18	स्पष्टता परीक्षण उपकरण
19	आर्द्रता नियंत्रण ओवन
20	कार्ल फिशर उपकरण
21	दानेदार चलनी सेट
22	थर्मामीटर
23	निस्पंदन उपकरण
24	सक्शन पंप
25	सोनिकेटर
26	रियोमीटर
27	पोटेंशियोमीटर
28	कंडक्टिवीटी मीटर
29	क्लेवेंजर का उपकरण
30	कांच के बने पदार्थ, अभिकर्मक, और आवश्यकतानुसार रसायन

छठी अनुसूची

(विनियम 8 और 14 देखें)

नैदानिक कौशल या सिमुलेशन प्रयोगशाला के लिए न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताएं

[**नोट:** 1. स्नातकोत्तर विभाग स्नातकोत्तर शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए एनसीआईएसएम-यूजी एमईएस विनियम, 2024 की चौदहवीं अनुसूची में निर्धारित संबंधित विभाग विशिष्ट मैनिकिन, सिमुलेटर और उपकरणों के अलावा इन नियमों में छठी अनुसूची में उल्लिखित क्लिनिकल कौशल या सिमुलेशन प्रयोगशाला में विभाग विशिष्ट मैनिकिन, सिमुलेटर और उपकरणों को बनाए रखेगा।.

2. विभाग शिक्षण और प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार चिकित्सा मैनिकिन या सिमुलेटर की संख्या और किस्मों में वृद्धि कर सकता है]

क्रम संख्या	**आवश्यक मैनिकिन या सिमुलेटर या उपकरण**
(1)	**(2)**
ए. मरूतुवम् विभाग	
1	डिकुबिटस के लिए नर्सिंग ट्रेनर
2	रक्त का नमूना
3	राइल की ट्यूब सम्मिलन ट्रेनर
4	रक्त आधान ट्रेनर
5	मूत्र कैथीटेराइजेशन (पुरुष)
6	मूत्र कैथीटेराइजेशन (महिला)
7	लम्बर पंचर ट्रेनर
8	पैरासेन्टेसिस ट्रेनर
9	फुफ्फुस टैपिंग ट्रेनर
बी. वर्मम पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम् विभाग	
1	छाती गुदाभ्रंश ट्रेनर
2	डिकुबिटस के लिए नर्सिंग ट्रेनर
3	कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन ट्रेनर
4	रक्त का नमूना
5	राइल की ट्यूब सम्मिलन ट्रेनर
6	रक्त आधान ट्रेनर
7	ऑक्सीजन थेरेपी
8	मूत्र कैथीटेराइजेशन (पुरुष)

9	मूत्र कैथीटेराइजेशन (महिला)
10	साइकोमेट्रिक तराजू और उपकरण
सी. कन, काद, मूक्कू, तोंदइ पल तथा तोल मरूतुवम् सहित अरूवइ विभाग	
1	छाती गुदाभ्रंश ट्रेनर
2	डिकुबिटस के लिए नर्सिंग ट्रेनर
3	कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन ट्रेनर
4	रक्त का नमूना
5	रक्त आधान ट्रेनर
6	ऑक्सीजन थेरेपी
7	एंडोट्रैचियल इंटुबैषेण ट्रेनर
8	स्तन गांठ की जांच
9	सूजन की जांच
10	अपवर्तन ट्रेनर
11	दृश्य तीक्ष्णता प्रशिक्षण
12	डिजिटल टोनोमेट्री
13	एपिलेशन
14	नेत्र सिंचाई
15	आंखों की दवा का टपकाना
16	नेत्र पट्टी
17	आंख, कान, नाक, दंत और गले के अनुप्रयोगों के लिए मैनिकिन सिर (त्रि-आयामी मॉडल)
18	ओटोस्कोपी
डी. सूल तथा मगलिर मरूतुवम् विभाग	
1	छाती गुदाभ्रंश ट्रेनर
2	डिकुबिटस के लिए नर्सिंग ट्रेनर
3	कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन ट्रेनर
4	रक्त का नमूना
5	राइल की ट्यूब सम्मिलन ट्रेनर
6	रक्त आधान ट्रेनर

7	ऑक्सीजन थेरेपी
8	मूत्र कैथीटेराइजेशन (महिला)
9	एंडोट्रैचियल इंटुबैषेण ट्रेनर
10	लम्बर पंचर ट्रेनर
इ. कुजंतइ मरूतुवम् विभाग	
1	शिशु गुदाभ्रंश ट्रेनर
2	डिकुबिटस के लिए नर्सिंग ट्रेनर
3	बाल कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन ट्रेनर और वायुमार्ग प्रबंधन
4	रक्त का नमूना
5	राइल की ट्यूब सम्मिलन ट्रेनर
6	रक्त आधान ट्रेनर
7	ऑक्सीजन थेरेपी
8	मूत्र कैथीटेराइजेशन (पुरुष)
9	मूत्र कैथीटेराइजेशन (महिला)
10	बाल चिकित्सा इंट्रा-वेनस जलसेक की स्थापना और ड्रिप दर की गणना
11	लम्बर पंचर ट्रेनर
12	खुफिया भागफल, आत्मकेंद्रित, ध्यान घाटे की सक्रियता विकार, एकाग्रता, अवसाद, चिंता, मानसिक मंदता का आकलन करने के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण बैटरी
13	बाल चिकित्सा पुरारुथुवम प्रक्रियाओं का अभ्यास या प्रदर्शन करने के लिए पूर्ण शरीर (बाल चिकित्सा) मैनीकिन और त्रि-आयामी मैनीकिन
एफ. नोइ नाडल नोइ मुदल नाडल विभाग	
1	छाती गुदाभ्रंश ट्रेनर
2	स्पिरोमेट्री
3	कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन ट्रेनर
4	लम्बर पंचर ट्रेनर
5	राइल की ट्यूब सम्मिलन ट्रेनर
6	रक्त आधान ट्रेनर
7	ऑक्सीजन थेरेपी
8	मूत्र कैथीटेराइजेशन (पुरुष)

9	मूत्र कैथीटेराइजेशन (महिला)
जी. सट्टम सारंध मरूतुवमुम नंजु मरूतुवमुम	
1	छाती गुदाभ्रंश ट्रेनर
2	डिकुबिटस के लिए नर्सिंग ट्रेनर
3	कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन ट्रेनर
4	रक्त का नमूना
5	राइल्स ट्यूब इंसरशन टे[a]नर
6	रक्त आधान ट्रेनर
7	ऑक्सीजन थेरेपी
8	मूत्र कैथीटेराइजेशन (पुरुष)
9	मूत्र कैथीटेराइजेशन (महिला)
10	ऑटोप्सी सिम्युलेटर या डिजिटल ऑटोप्सी

सातवीं अनुसूची

(नियम 4, 10 और 14 देखें)

न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताएं: अभ्यास के प्रोफेसर के लिए आवश्यक (स्नातकोत्तर विभाग या विशेषता या कार्यक्रम वार)

क्रम संख्या (1)	स्नातकोत्तर विभाग (2)	अंशकालिक आधार पर अभ्यास के प्रोफेसर की आवश्यक संख्या और योग्यता (3)
1	मरूतुवम् (मेडिसिन)	एक (एमडी-जनरल मेडिसिन)
2	वर्मम पुरेमरूतुवम् सिरेप्पमरूतुवम् (वर्मम्, एक्सटर्नल थेरेपी एंड स्पेशल मेडिसिन)	
	वर्मा मरूतुवम् (वर्मा मेडिसिन)	प्रत्येक एक (वर्मा प्रैक्टिशनर या एमडी (सिद्ध), एमडी-शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास के साथ विशेषज्ञ)
	पुरेमरूतुवम् एक्सटर्नल थेरेपी	एक (मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी)
	सिद्धर योगा मरूतुवम् (सिद्धर योगिक सांइस)	एक (एमएससी-योग)
3	कुजंतइ मरूतुवम् (पीडियाट्रिक्स)	एक (एम.एससी - नैदानिक मनोविज्ञान)
4	सट्टम सारंध मरूतुवमुम नंजु मरूतुवमुम (फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी)	एक (एमडी- फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी)

5	नोइ अनुगाविधी सहित रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टेटिस्टिकस (प्रिंसिपल्स एडं डिसिपिलिन्स ऑफ डिसिज़ प्रिवेंशन एडं पब्लिक हेल्थ)	प्रत्येक एक (मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, अनुसंधान निकायों जैसे केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद या राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान/भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद) के वैज्ञानिक)
6	कन, काद, मुक्कू, तोदंइ, पल तथा तोल मरूतुवम् सहित अरूवइ (नेत्र विज्ञान, ईएनटी, दंत चिकित्सा और त्वचाविज्ञान सहित सर्जरी)	एक (एमडी योग्यता के साथ सिद्ध चिकित्सक, सिद्ध शल्य चिकित्सा और पैरा-सर्जिकल प्रक्रियाओं में अनुभवी)
7	सूल और मगलिर मरूतुवम् (ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गाईनेकॉलोजी)	एक (एमएस- प्रसूति एवं स्त्री रोग)
8	नोइ नाडल नोइ मुदल नाडल	प्रत्येक एक (एमडी-पैथोलॉजी, एमडी-रेडियोडायग्नोसिस)
9	गुणपाडम मरूंदियल (मटेरिया मेडिका और फार्माकोलॉजी)	प्रत्येक एक (एम. फार्म- फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नॉसी/फाइटोकेमिस्ट्री में मास्टर डिग्री)
10	गुणपाडम मरूनदगवियल (मटेरिया मेडिका और फार्मास्यूटिक्स)	प्रत्येक एक (एम. फार्मास्यूटिक्स, एम.एससी - रसायन विज्ञान या नैनो विज्ञान / नैनो प्रौद्योगिकी, एमडी सिद्ध के साथ व्यवसायी, सिद्ध दवाओं के उच्च क्रम की तैयारी में व्यापक अनुभव या एमडी सिद्ध के साथ सिद्ध फार्मा उद्योग से विशेषज्ञ)
11	सिद्ध मरूतुवा मूलतत्वम (सिद्ध चिकित्सा के मूल सिद्धांत)	आवश्यकता के अनुसार
12	उडल कुरूगल (एनॉटमी)	आवश्यकता के अनुसार
13	उडल तत्वम (शरीर क्रिया-विज्ञान)	आवश्यकता के अनुसार
14	तोल मरूतुवम् (त्वचाविज्ञान)	एक (एमडी-त्वचाविज्ञान)
15	एकीकृत स्वास्थ्य और अनुवाद संबंधी अनुसंधान	वैज्ञानिक सिद्ध में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद या किसी प्रतिष्ठित सिद्ध अनुसंधान और विकास विभाग से सेवानिवृत्त हुए

नोट: प्रत्येक विभाग सिद्ध चिकित्सा संस्थानों में शिक्षण के अलावा अन्य क्षेत्र में कम से कम दस साल का अनुभव रखने वाले अभ्यास के प्रोफेसरों को संलग्न करेगा, जैसे कि उद्योग या अनुसंधान संस्थान से एक व्यक्ति या तकनीकी सलाहकार या अंशकालिक आधार पर प्रसिद्ध चिकित्सक कॉलम (3) में दिए गए विवरण के अनुसार। यदि आवश्यक हो तो संस्थान या विभाग विभाग या विशेषज्ञता से संबंधित क्षेत्र में अधिक संख्या में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नियुक्त कर सकता है।

अनुलग्नक -क

(विनियम 26 देखें)

विभागीय अकादमिक अखंडता समिति

साहित्यिक चोरी क्लीयरेंस प्रमाणपत्र जारी करने हेतु अनुशंसा

विभागीय अकादमिक अखंडता समिति ने मसौदा शोध प्रबंध की साहित्यिक चोरी की जाँच पर रिपोर्ट की समीक्षा की है जिसका शीर्षक है

..... द्वारा प्रस्तुत डॉ..... (रिसर्च स्कॉलर) का..... बैच विश्वविद्यालय पंजीकरण संख्या..... डॉ..... की देखरेख या मार्गदर्शन से_____ विभाग..... (तारीख) और पाया कि आवश्यक संशोधन या सुधार किए गए थे, और साहित्यिक चोरी अनुमेय सीमा के भीतर है। इसलिए, विभागीय अकादमिक अखंडता समिति ने साहित्यिक चोरी निकासी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए शोध प्रबंध की सिफारिश की है।

अध्यक्ष

विभागाध्यक्ष

(नाम और हस्ताक्षर)

स्थान:

तिथि:

अनुलग्नक -ख

(विनियम 26 देखें)

साहित्यिक चोरी जांच सेल

साहित्यिक चोरी क्लीयरेंस प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है प्रस्तुत शोध प्रबंध का प्रारूप शीर्षक..... डॉ..... द्वारा .....बैच..... विश्वविद्यालय पंजीकरण संख्या ....., ... डॉ. के मार्गदर्शन में.....विभाग..... साहित्यिक चोरी से मुक्त है।

समन्वयक

साहित्यिक चोरी जांच सेल

स्थान:

तिथि:

फार्म- ए

सिद्ध में एक नया स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान स्थापित करने की अनुमति के लिए आवेदन

(विनियम 37 देखें)

क्रम संख्या (1)	**विवरण** (2)	**ब्यौरा** (3)
भाग- I: आवेदकों का विवरण		
1	आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में)	

2	पिन कोड सहित पूरा पता	
3	आधिकारिक टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर	
4	आधिकारिक ई-मेल आईडी	
5	आवेदक की स्थिति, वह राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश या विश्वविद्यालय या ट्रस्ट या सोसायटी है	
6	ट्रस्ट या सोसायटी की संरचना	
7	आवेदक निकाय के ट्रस्ट या सोसायटी का पंजीकरण या निगमन (पंजीकरण संख्या, तिथि और अन्य विवरण)	
8	संस्थान का प्रकार (सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त या निजी या डीम्ड विश्वविद्यालय)	
9	क्या सिद्ध में कोई अन्य सिद्ध मेडिकल कॉलेज या स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान है जो उसी ट्रस्ट या सोसायटी या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित है?	हां/नहीं
	यदि हां, तो दो कॉलेजों या संस्थानों के बीच की दूरी का उल्लेख करें	
	इसकी प्रिंट कॉपी के साथ कॉलेज का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम लिंक प्रदान करें	
10	वित्तीय क्षमता: यदि आवेदक एक ट्रस्ट या सोसायटी है तो पिछले तीन वर्षों की बैलेंस शीट प्रदान की जाएगी। प्रस्तुत किए जाने वाले वित्तीय संसाधनों का विवरण।	
11	वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट (पिछले तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें)	
12	परियोजना के वित्तपोषण के साधन: आवेदक का योगदान (प्रमाण संलग्न करें)	
	अनुदान (प्रमाण संलग्न करें)	
	दान (प्रमाण संलग्न करें)	
	इक्विटी (प्रमाण संलग्न करें)	
	सावधि ऋण (प्रमाण संलग्न करें)	
	अन्य स्रोत, यदि कोई हो (प्रमाण संलग्न करें)	
भाग- II: शुल्क विवरण		
13	आवेदन शुल्क लेनदेन आईडी	
	प्रोसेसिंग शुल्क लेनदेन आईडी	
	भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट कोई अन्य शुल्क	
भाग-III: अनिवार्य आवश्यकता का विवरण		

14	योजना या प्रस्ताव के लिए राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी 'अनिवार्यता प्रमाणपत्र' या 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' की तिथि	
15	अनिवार्यता प्रमाणपत्र या अनापत्ति प्रमाणपत्र की वैधता	.....से -----तक
16	संबद्ध विश्वविद्यालय का नाम और पता	
	योजना या प्रस्ताव के लिए सहबद्धता की सहमति की तिथि	
	योजना या प्रस्ताव के लिए सहबद्धता की सहमति के वर्ष	.....से -----तक
भाग-IV: सिद्ध में प्रस्तावित स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान का विवरण		
17	प्रस्तावित स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान का नाम	
18	पिन कोड सहित पूरा पता	
19	प्रस्तावित स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान के संस्था प्रमुख (प्रिंसिपल या निदेशक या डीन) का नाम	
20	आधिकारिक टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर	
21	आधिकारिक ई-मेल आईडी	
22	संस्थान और संबद्ध शिक्षण अस्पताल का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम लिंक उसकी प्रिंट प्रति के साथ प्रदान करें	
23	प्रस्तावित स्नातकोत्तर स्पेशियलिटिज या कार्यक्रम (नाम निर्दिष्ट करें)	
24	भूमि का कुल क्षेत्रफल	
25	भूमि लीज पर है या स्वयं की है	
	यदि यह पट्टे पर है, तो पट्टे के वर्ष	
	आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से दो वर्ष पहले, भूमि की कर भुगतान रसीद	
	भारमुक्ति प्रमाण पत्र	
26	भूमि की श्रेणी (टियर I और टियर II) - स्थानीय प्राधिकारी से प्रमाण संलग्न करें	
27	संबंधित प्राधिकारियों से प्रासंगिक भवन निर्माण की अनुमति	
28	स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित और वास्तुकार द्वारा समर्थित भवन योजना की सही प्रति संलग्न करें	
भाग-V: स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान की स्थापना का विवरण		
29	**प्रशासनिक क्षेत्र**	
30	**शैक्षणिक क्षेत्र**	

	ए. स्नातकोत्तर विभाग	
	स्नातकोत्तर विभाग विवरण ((जैसा लागू हो))	
	(1) इन्टीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग	
	स्नातकोत्तर विभाग विवरण (जैसा लागू हो)	
	(2) सिद्ध मरूतुवा मूलतत्वम विभाग	
	(3) उडल कुरूगल विभाग	
	(4) उडल तत्वम विभाग	
	(5) गुणपाडम मरूंदियल विभाग	
	(6) गुणपाडम मरूनदगवियल विभाग	
	(7) नोइ नाडल नोइ मुदल नाडल विभाग	
	(8) सट्टम सारंध मरूतुवमुम नंजु मरूतुवमुम विभाग	
	(9) नोइ अनुगाविधी सहित रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टेटिस्टिकस	
	(10) मरूतुवम	
	(11) वर्मम, पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम्	
	(12) कन, काद, मुक्कू, तोंदई, पल तथा तोल मरूतुवम् सहित अरूवइ	
	(13) सूल और मगलिर मरूतुवम्	
	(14) कुजंतइ मरूतुवम्	
	(15) तोल मरूतुवम्	
	बी.स्नातकोत्तर क्लॉसरूम	
	सी.विभागवार सेमिनार हॉल	
	डी.कॉमन सेमिनार हॉल	
	ई. सेंट्रल लाइब्रेरी	
	एफ.विभागीय पुस्तकालय	
	जी.डिजिटल लाइब्रेरी	
	एच.बहुउद्देशीय हॉल या परीक्षा हॉल या योग हॉल	
	आई. नैदानिक कौशल या सिमुलेशन प्रयोगशाला	

	जे. छात्र जन-सुविधाएं	
	के. स्नातकोत्तर छात्रों के लिए कॉमन रूम (पुरुष और महिला के लिए अलग-अलग)	
	एल. शिक्षण संकाय के लिए कॉमन रूम (पुरुष और महिला के लिए अलग-अलग)	
	एम. कैंटीन	
	एन. हर्बल गार्डन	
	ओ. अन्य आवश्यकताएँ	
	(1) मानव संसाधन एवं विकास सेल कक्ष	
	(2) फार्माकोविजिलेंस कक्ष	
	(3) कॉलेज या इंस्टीट्यूशन काउंसिल रूम	
	(4) छात्र सहायता और मार्गदर्शन सेल, शिकायत निवारण कक्ष और यौन उत्पीड़न समिति के लिए कक्ष	
	(5) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल कक्ष	
31	**प्रयोग क्षेत्र**	
	ए. केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला	
	बी.गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला	
	सी.स्वीकृत पशु गृह एवं पशु प्रयोग प्रयोगशाला	
32	कॉलेज की वेबसाइट	
33	बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली	
34	छात्रावास (लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग)	
35	केंद्रीय वर्कशॉप	
36	सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना	
37	क्लोज़्ड सर्किट टेलीविज़न	
38	कालेज के मानव संसाधन:-	
	शिक्षण कर्मचारी	
	गैर-शिक्षण कर्मचारी	
भाग-VI: स्नातकोत्तर संस्थान का बैंकिंग विवरण		
39	खाते का नाम	

	कॉलेज या संस्थान के नाम पर खाता संख्या	
	बैंक का नाम	
	आईएफएससी कोड सहित बैंक की शाखा का नाम	
भाग-VII: स्नातकोत्तर संस्थान से संबद्ध शिक्षण अस्पताल का विवरण		
40	प्रस्तावित संस्थान से संबद्ध अस्पताल का नाम	
41	अस्पताल की स्थापना की तिथि	
42	अस्पताल का पंजीकरण प्रमाणपत्र (प्रतिलिपि संलग्न करें)	
43	मौजूदा अस्पताल के स्वामित्व का प्रमाण (प्रतिलिपि संलग्न करें)	
44	पंचायत लाइसेंस	
45	अस्पताल भवन अधिभोग प्रमाण पत्र	
46	अस्पताल भवन पूर्णता प्रमाण पत्र	
47	प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र	
48	अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र	
49	जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन समझौता	
50	स्थानीय या संबंधित अधिकारियों से आवश्यक अनुमति का नवीनीकरण और वैधता अवधि (प्रमाण संलग्न करें)	
51	राष्ट्रीय अस्पताल प्रत्यायन बोर्ड प्रमाणपत्र (स्तर, वैधता और तिथि) (प्रमाण संलग्न करें)	
52	एक्स-रे यूनिट या इमेजिंग अनुभाग के लिए अनुमति	
53	**क्लिनिकल जोन**	
	अंत:रोगी विभाग और बिस्तर की संख्या:-	
	(1) मरूतुवम् अंतःरोगी विभाग	
	(2) वर्मम, पुरेमरूतुवम् और **सिरेप्पमरूतुवम्** (ए) वर्मा मरूतुवम् अंतःरोगी विभाग (बी) पुरा मरूतुवम् अंतःरोगी विभाग	
	(3) कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरूतुवम् सहित अरूवइ अंतःरोगी विभाग	
	(4) **सूल और मगलिर मरूतुवम्** अंतःरोगी विभाग	
	(5) कुजंतइ मरूतुवम् अंतःरोगी विभाग	
	(6) नंजु मरूतुवम् अंतःरोगी विभाग	

	(7) तोल मरूतुवम् अंतःरोगी विभाग	
54	बाह्य रोगी विभाग:-	
	(1) मरूतुवम् बाह्य रोगी विभाग	
	(2) वर्मम, पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम् बाह्य रोगी विभाग जिसमें लघु चिकित्सा कक्ष भी शामिल है	
	(3) अरुवई जिसमें कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पाल और तोल मरूतुवम् बाह्य रोगी विभाग ,जिसमें लघु प्रक्रिया कक्ष भी शामिल है	
	(4) जांच सह प्रक्रिया कक्ष सहित सूल और मगलिर मरूतुवम् बाह्य रोगी विभाग	
	(5) कुजंतइ मरूतुवम् बाह्य रोगी विभाग	
	(6) नोइ अनुगाविधी मरूतुवम् बाह्य रोगी विभाग	
	(7) नंजु मरूतुवम् बाह्य रोगी विभाग	
	(8) तोल मरूतुवम् बाह्य रोगी विभाग	
	(9) अवसरा मरूतुवम् बाह्य रोगी विभाग	
	(10) स्क्रीनिंग बाह्य रोगी विभाग	
	(11) स्पेशियलिटी बाह्य रोगी विभाग (यदि कोई हो, निर्दिष्ट करें)	
55	आवेदन की तिथि से पिछले दो वर्षों में बाह्य रोगी विभाग में आने वाले मरीजों की कुल संख्या	
56	आवेदन की तिथि से पिछले दो वर्षों में प्रतिदिन बाह्य रोगी विभाग के रोगियों की औसत संख्या	
57	आवेदन की तिथि से पिछले दो वर्षों में औसत बिस्तर अधिभोग	
58	नैदानिक प्रयोगशाला	
59	रेडियोलॉजी या इमेजिंग अनुभाग	
60	फार्मेसी या ड्रग स्टोर या डिस्पेंसरी	
61	वर्मम, पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम् थेरेपी या प्रक्रिया अनुभाग	
62	अरुवई मारुतुवा पिरिवु (ऑपरेशन थिएटर और माइनर ऑपरेशन थिएटर)	
63	मगाप्पेरु अराई या प्रसाद अराई या लेबर रूम	
64	फिजियोथेरेपी अनुभाग	
65	सिद्धर योगम थेरेपी अनुभाग	
66	अस्पताल में मानव संसाधन	
	ए.आवेदन जमा करने से पहले दो साल के लिए मौजूदा और कार्यमुक्त अस्पताल कर्मचारी	

	(नाम, पदनाम, अनुभाग या इकाई, योग्यता, अनुभव, नियुक्ति आदेश, कार्यभार ग्रहण पत्र और तिथि, कार्यमुक्ति पत्र और तिथि, राज्य पंजीकरण प्रमाण पत्र या लागू मामलो में शिक्षक कोड के विवरण के साथ), जोन-वार,-	
	(1) प्रशासन क्षेत्र	
	(2) स्वागत एवं पंजीकरण क्षेत्र	
	(3) बाह्य रोगी विभाग क्षेत्र	
	(4) अंत:रोगी विभाग क्षेत्र	
	(5) डायग्नोस्टिक क्षेत्र	
	(6) प्रक्रियात्मक प्रबंधन क्षेत्र	
	(7) सेवा क्षेत्र	
	बी.आधुनिक मेडिकल स्टाफ विवरण	
67	अस्पताल रिकॉर्ड (जो लागू हो उस पर निशान लगाएं)	कम्प्यूटरीकृत या मैनुअल
	भाग-VIII: अस्पताल का बैंकिंग विवरण	
68	खाते का नाम	
	अस्पताल के नाम पर खाता संख्या	
	बैंक का नाम	
	बैंक की शाखा का नाम और भारतीय वित्तीय पद्धति कोड	
	आवेदन जमा करने की तिथि से दो साल या 24 महीने पहले तक निम्नलिखित विवरण आवश्यक हैं: -	
	ए. अस्पताल के कर्मचारियों को भुगतान किए गए वेतन का विवरण (माहवार)	
	बी. दवाओं की खरीद का विवरण (इंडेंट और भुगतान प्रमाण संलग्न करें)	
	सी.अस्पताल उपभोग्य सामग्रियों की खरीद का विवरण (इंडेंट और भुगतान प्रमाण संलग्न करें)	
	डी. प्रासंगिक करों के भुगतान का विवरण (प्रति संलग्न करें)	
	ई. अस्पताल की आय का विवरण (प्रति संलग्न करें)	
	एफ. कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) विवरण	
69	क्या अस्पताल चरणबद्ध रूप से स्थापित या विकसित किया गया है	हां या नहीं
	यदि हाँ तो चरणवार विवरण उपलब्ध करायें	

	चरण या स्टेज	अवधि		निर्माण की स्थापना का विवरण	प्रदर्शन या कार्यक्षमता
		से	को		
	पहला				
	दूसरा				
	तीसरा				
	चौथी				

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा नाम

स्थानः

तिथि:

अनुलग्नकों की सूचीः

1. ट्रस्टियों के नाम के साथ उपविधि या ज्ञापन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या ट्रस्ट डीड की प्रमाणित प्रति।

2. ट्रस्ट या सोसायटी के पंजीकरण या निगमन के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।

3. पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित बैलेंस शीट।

4. स्वामित्व/पट्टा समझौता विलेख के प्रमाण के रूप में कुल उपलब्ध भूमि के स्वामित्व विलेख की प्रमाणित प्रति।

5. उपलब्ध स्थलों के भूमि उपयोग को दर्शाने वाली ज़ोनिंग योजनाओं की प्रमाणित प्रति।

6. अस्पताल पंजीकरण प्रमाणपत्र और इसकी वैधता अवधि के साथ मौजूदा अस्पताल के स्वामित्व का प्रमाण।

7. लागू शैक्षणिक सत्र के लिए एक नया स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान स्थापित करने के लिए प्रस्तावित स्थल पर संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी 'अनिवार्यता प्रमाणपत्र' या 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' की प्रमाणित प्रति।

8. लागू शैक्षणिक सत्र के लिए एक नए स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान की स्थापना के लिए किसी केंद्रीय या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के तहत स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी 'सहबद्धता की सहमति' की प्रमाणित प्रति।

9. राष्ट्रीय अस्पताल प्रत्यायन बोर्ड द्वारा जारी संलग्न शिक्षण अस्पताल का मान्यता प्रमाण पत्र।

10. आवेदक के वित्तीय ट्रैक रिकॉर्ड के संबंध में स्वतंत्र पूछताछ करने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग को अधिकृत करने वाले आवेदक के बैंकरों को संबोधित प्राधिकार पत्र।

11.शपथ पत्र जिसमें कहा गया है कि नए स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान और संबद्ध शिक्षण अस्पताल के लिए निर्दिष्ट भूमि और भवन विशेष रूप से यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति के राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सिद्ध स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के संचालन के लिए हैं।

12. शपथ पत्र जिसमें कहा गया है कि छात्रों को केवल स्नातकोत्तर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाकी योग्यता के आधार पर और काउंसलिंग (केंद्र या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जैसा भी मामला हो) के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा और भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट स्वीकृत छात्र प्रवेश क्षमता से अधिक नहीं दिया जाएगा।

13. शपथ पत्र जिसमें कहा गया है कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम, कोर्स या कार्यक्रम का नाम, बुनियादी ढांचे, सुविधाएं और छात्र-शिक्षक अनुपात सहित मानव संसाधन भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के विनिर्देशों के अनुसार बनाए रखा जाएगा।

14. शपथ पत्र जिसमें कहा गया है कि प्रस्तावित नए स्टैंडअलोन स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान के किसी भी क्लास या स्टैंडर्ड या पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण में पहले से ही छात्र को प्रवेश नहीं दिया गया है।

15. शपथ पत्र जिसमें कहा गया है कि संस्थान भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के पक्ष में तीन साल की अवधि के लिए वैध निश्चित सुरक्षा जमा राशि जमा करने की स्थिति में है।

16. आवेदन शुल्क और प्रेषित प्रसंस्करण शुल्क का प्रमाण।

17. कॉलेज और अस्पताल के आधिकारिक बैंक खाते के पिछले दो वर्षों के बैंक लेनदेन की प्रतिलिपि:

18. पिछले दो वर्षों के लिए अस्पताल कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति की प्रतिलिपि

19. आवेदन पत्र के विभिन्न भागों के अनुसार अनुलग्नक और अन्य विवरण संलग्न करें:-

ए. सर्वे क्रमांक सहित भूमि का वितरण।

बी. भूमि की श्रेणी जैसे टियर I और टियर II शहर (X और Y श्रेणियां), उत्तर-पूर्वी राज्य, पहाड़ी क्षेत्र और अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र के लिए स्थानीय अधिकारियों से प्राप्त प्रमाण पत्र।

सी. बाधा-मुक्त प्रमाण पत्र।

डी. भूमि और अस्पताल भवन के लिए कर भुगतान की रसीद।

ई. बिल्डिंग प्लान स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित और वास्तुकार द्वारा समर्थित।

एफ. वास्तुकार द्वारा प्राधिकृत क्षेत्र विवरण प्रमाणपत्र।

जी. अस्पताल की स्थापना के लिए पंचायत लाइसेंस।

एच. अस्पताल भवन अधिभोग प्रमाणपत्र।

आई. अस्पताल भवन पूर्णता प्रमाण पत्र।

जे. अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र।

के.आपदा प्रबंधन प्रमाणपत्र (यदि कोई हो)।

एल. प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र।

एम. अस्पताल में रेडियोलॉजी यूनिट की अनुमति।

एन. बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन समझौता।

ओ. कॉलेज और अस्पताल भवन अधिभोग प्रमाण पत्र।

पी. कॉलेज एवं अस्पताल भवन पूर्णता प्रमाण पत्र।

20. भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

(नोट: सभी प्रतियां स्वप्रमाणित होंगी)

फार्म-बी

(विनियम 37 देखें)

आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सिद्ध में नए स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति के लिए आवेदन

(नोट: प्रत्येक स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए अलग आवेदन जमा किया जाएगा)

क्रम संख्या	ब्योरेवार विवरण	विवरण
	आवेदक का मूल विवरण	
1	आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में)	
2	पिन कोड के साथ पूरा पता, आधिकारिक टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर और आधिकारिक ई-मेल आईडी	
3	आवेदक की स्थिति, वह राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश या विश्वविद्यालय या ट्रस्ट या सोसायटी है	
4	ट्रस्ट या सोसायटी का पंजीकरण या निगमन (संख्या, तिथि और अन्य विवरण)।	
5	सिद्ध मेडिकल कॉलेज या सिद्ध स्नातकोत्तर संस्थान का नाम और पता	
6	राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' की तिथि।	
7	i. संबद्ध विश्वविद्यालय का नाम और पता ii. विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रथम सम्बद्धता की तिथि iii. विश्वविद्यालय द्वारा जारी नई योजना या प्रस्ताव के लिए प्रथम सहबद्धता की तिथि	
8	**ए. स्नातक कार्यक्रम संचालित करने वाले और पहली बार स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू करने के लिए आवेदन करने वाले कॉलेज या संस्थान के लिए**	
	स्नातक कार्यक्रम के लिए छात्रों के पहले बैच के प्रवेश का महीना और वर्ष	
	स्नातक कार्यक्रम के छात्रों के पहले बैच के पाठ्यक्रम पूरा होने का महीना और वर्ष	
	क्या आवेदन या योजना या प्रस्ताव जमा करते समय कॉलेज या संस्थान को स्नातक कार्यक्रम के लिए 'विस्तारित अनुमति' के तहत वर्गीकृत किया गया है?	
	क्या आवेदन या योजना या प्रस्ताव जमा करते समय संस्थान को स्नातक कार्यक्रम के लिए ग्रेड 'ए' या ग्रेड 'बी' के रूप में दर्जा दिया गया है (यदि हां, तो ग्रेड निर्दिष्ट करें)	
	प्रस्तावित नये स्नातकोत्तर कार्यक्रम का नाम	
	छात्र-स्नातकोत्तर गाइड अनुपात के अनुसार प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए आवेदन की गई सीटों की संख्या	
9	**बी. स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू करने के लिए पहली बार आवेदन करने वाले नए स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थान के लिए**	
	प्रस्तावित नये स्नातकोत्तर कार्यक्रम का नाम	

	छात्र-स्नातकोत्तर गाइड अनुपात के अनुसार प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए आवेदन की गई सीटों की संख्या	
10	**सी. उन कॉलेज या संस्थानों के लिए जो पहले से ही स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं और अतिरिक्त रूप से नए स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू करने के लिए आवेदन कर रहे हैं**	
	क्या संस्थान को आवेदन या योजना या प्रस्ताव जमा करते समय मौजूदा स्नातक कार्यक्रम और प्रत्येक स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए विस्तारित अनुमति या वार्षिक अनुमति दी गई है?	
	क्या संस्थान को आवेदन या योजना या प्रस्ताव जमा करने के समय मौजूदा स्नातक कार्यक्रम और मौजूदा प्रत्येक स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए ग्रेड 'ए' या ग्रेड 'बी' के रूप में दर्जा दिया गया है?	
	प्रस्तावित नये स्नातकोत्तर कार्यक्रम का नाम	
	छात्र-स्नातकोत्तर गाइड अनुपात के अनुसार प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए आवेदन की गई सीटों की संख्या	
11	राष्ट्रीय अस्पताल प्रत्यायन बोर्ड द्वारा शिक्षण अस्पताल को मान्यता (स्तर, तिथि और वैधता विवरण)	
12	निम्न का विवरण : (ए) अतिरिक्त वित्तीय आवंटन - (बी) अतिरिक्त स्थान, उपस्कर और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए प्रावधान - (सी) अतिरिक्त स्टाफ की भर्ती का प्रावधान -	
13	शुल्क विवरण:-	
	आवेदन शुल्क लेनदेन आईडी	
	प्रोसेसिंग शुल्क लेनदेन आईडी	
14	कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी	

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा नाम

पद का नाम

कार्यालय मुहर

स्थानः

तिथि:

अनुलग्नकों की सूचीः

1. निर्धारित प्रारूप में नया स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू करने के लिए संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' या 'अनिवार्यता प्रमाणपत्र' की सत्यापित प्रति।

2. निर्धारित प्रारूप में नया स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू करने के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी 'सहबद्धता की स्वीकृति' या 'सहबद्धता की सहमति' की सत्यापित प्रति।

3. मेडिकल कॉलेज या संस्थान के वित्तीय ट्रैक रिकॉर्ड की स्वतंत्र जांच करने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग को अधिकृत करने वाले आवेदक के बैंकर्स को संबोधित प्राधिकार पत्र।

4. कॉलेज या संस्थान की मान्यता की सत्यापित प्रति, यदि भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या तत्कालीन केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा पहले से ही अनुमोदित या अनुमति दी गई हो।

5. शपथ पत्र जिसमें कहा गया है कि छात्रों को केवल स्नातकोत्तर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षामेरिट के आधार पर और केवल काउंसलिंग (केंद्र या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश काउंसलिंग) के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा।

6. शपथ पत्र जिसमें कहा गया है कि कार्यक्रम का नाम और छात्र-शिक्षक अनुपात संबंधित नियमों के अनुसार बनाए रखा जाएगा।

7. एक वचनबंध जिसमें कहा गया है कि संस्थान 'भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग निधि' के पक्ष में तीन साल की अवधि के लिए वैध निश्चित सुरक्षा जमा राशि जमा करने में सक्षम है।

8. एक वचनबंध जिसमें कहा गया हो कि संस्थान ने इन विनियमों में उल्लिखित सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा किया है।

9. जमा की गई प्रोसेसिंग फीस के साथ आवेदन शुल्क का प्रमाण।

10. भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

ध्यान दें: सभी प्रतियां स्व-सत्यापित होंगी।

फार्म-सी

(विनियम 37 देखें)

आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सिद्ध में मौजूदा स्नातकोत्तर कार्यक्रम में सीटों की संख्या या छात्र प्रवेश क्षमता या प्रवेश क्षमता बढ़ाने की अनुमति के लिए आवेदन

क्रम संख्या	विवरण	ब्यौरा
(1)	(2)	(3)
1	आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में)	
2	पिन कोड सहित पूरा पता	
	आधिकारिक टेलीफोन नंबर और आधिकारिक मोबाइल नंबर	
	आधिकारिक ई-मेल आईडी	
3	आवेदक की स्थिति, वह राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश या विश्वविद्यालय या ट्रस्ट या सोसायटी है	
4	ट्रस्ट या सोसायटी का पंजीकरण या निगमन (पंजीकरण संख्या, तिथि और अन्य विवरण)	
5	सिद्ध मेडिकल कॉलेज या सिद्ध स्नातकोत्तर संस्थान का नाम और पता	

6	सीटों या छात्र प्रवेश क्षमता या प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए लागू स्नातकोत्तर कार्यक्रम का नाम	
7	छात्र-स्नातकोत्तर गाइड अनुपात के अनुसार सीटों या छात्र प्रवेश क्षमता या प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए आवेदन की गई सीटों की संख्या निर्दिष्ट करें	
8	अनुमति की स्थिति की श्रेणी: जिस स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए आवेदन या योजना या प्रस्ताव जमा करने के समय सीटों की संख्या में वृद्धि के लिए आवेदन किया है, उसकी विस्तारित अनुमति या वार्षिक अनुमति श्रेणी	
9	स्नातकोत्तर कार्यक्रम जिसके लिए सीटों की संख्या में वृद्धि के लिए आवेदन किया है, को आवेदन या योजना या प्रस्ताव जमा करते समय ग्रेड 'ए' या ग्रेड 'बी' के रूप में दर्जा दिया गया है।	
10	सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी 'अनिवार्यता प्रमाणपत्र' या 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' की तिथि।	
11	संबद्ध विश्वविद्यालय का नाम और पता मौजूदा स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए पहली सहबद्धता की तिथि, जिसमें सीटों की संख्या में वृद्धि के लिए आवेदन किया है, मौजूदा स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए सहबद्धता की तिथि, जिसमें सीटों की संख्या में वृद्धि के लिए आवेदन किया है	
12	स्नातकोत्तर कार्यक्रम जिसमें सीटों की संख्या में वृद्धि के लिए आवेदन किया है, उसके लिए छात्रों के पहले बैच के प्रवेश का महीना और वर्ष,	
13	स्नातकोत्तर कार्यक्रम जिसमें सीटों की संख्या में वृद्धि के लिए आवेदन किया है, उसके छात्रों के पहले बैच के पाठ्यक्रम पूरा होने का महीना और वर्ष,	
14	मौजूदा स्नातकोत्तर कार्यक्रम जिसके लिए सीटों की संख्या में वृद्धि के लिए आवेदन किया है, उसके लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या पूर्ववर्ती केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद या केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित सीटों की संख्या और मान्यता की तिथि,	
15	निम्न का विवरण: ए. अतिरिक्त वित्तीय आवंटन बी.छात्र प्रवेश क्षमता में वृद्धि के संबंध में अतिरिक्त स्थान, उपस्कर और अन्य ढांचागत सुविधाएं सी.छात्र प्रवेश क्षमता में वृद्धि के संबंध में अतिरिक्त स्टाफ (शिक्षण स्टाफ, गैर-शिक्षण स्टाफ और अस्पताल स्टाफ) की भर्ती	

16	शुल्क विवरण:-	
	आवेदन शुल्क लेनदेन आईडी	
	प्रोसेसिंग शुल्क लेनदेन आईडी	
17	कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी	

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा नाम

पद का नाम

स्थान:

तिथि:

संलग्नकों की सूची:

1. संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी 'अनिवार्यता प्रमाणपत्र' या 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' की सत्यापित प्रति।

2. जिस मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कॉलेज या संस्थान संबद्ध है, निर्धारित प्रारूप में उससे 'सहबद्धता की सहमति' की प्रमाणित प्रति।

3. मेडिकल कॉलेज या संस्थान के वित्तीय ट्रैक रिकॉर्ड के संबंध में स्वतंत्र पूछताछ करने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग को अधिकृत करने वाले आवेदक के बैंकर्स को संबोधित प्राधिकार पत्र।

4. भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए तत्कालीन केंद्रीय परिषद से कॉलेज या संस्थान की मान्यता को मंजूरी देने वाले पत्र की सत्यापित प्रति, यदि पहले से ही स्नातक डिग्री और स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालन की अनुमति है ।

5. शपथ पत्र जिसमें कहा गया है कि छात्रों को स्नातकोत्तर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाकी योग्यता के आधार पर और केवल काउंसलिंग (जैसा भी मामला हो) के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा और भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड द्वारा स्वीकृत छात्र प्रवेश क्षमता से अधिक नहीं दिया जाएगा।

6. शपथ पत्र जिसमें कहा गया है कि छात्र प्रवेश क्षमता में वृद्धि के संबंध में छात्र-शिक्षक अनुपात के अनुसार मानव संसाधन बनाए रखा जाएगा।

7. आवेदन शुल्क और प्रेषित प्रसंस्करण शुल्क का प्रमाण।

8. अन्य अनुलग्नक-

ए. ट्रस्टियों के नाम के साथ उपविधि या ज्ञापन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या ट्रस्ट डीड की प्रमाणित प्रति और ट्रस्ट या सोसायटी के पंजीकरण/निगमन प्रमाणपत्र की नवीनीकृत प्रति।

बी. स्वामित्व या पट्टा समझौता विलेख के प्रमाण के रूप में भूमि दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति।

सी. मौजूदा शिक्षण अस्पताल के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में पहला अस्पताल पंजीकरण प्रमाणपत्र या नवीनीकृत प्रमाणपत्र।

डी. अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र।

ई. आपदा प्रबंधन प्रमाणपत्र (यदि कोई हो)।

एफ. प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र.

जी. बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन समझौता।

एच. कॉलेज या संस्थान का भवन पूर्णता प्रमाण पत्र और भवन अधिभोग प्रमाण पत्र।

आई. अस्पताल भवन पूर्णता प्रमाण पत्र और भवन अधिभोग प्रमाण पत्र।

जे. स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित और वास्तुकार द्वारा समर्थित बिल्डिंग प्लान।

के. वास्तुकार द्वारा प्राधिकृत क्षेत्र विवरण प्रमाणपत्र।

एल. मौजूदा स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए उपस्कर, उपकरण आदि के खरीद बिल।

एम. पिछले एक वर्ष के बिलों के साथ तैयार या खरीदी गई दवाओं की सूची।

एन.पिछले एक वर्ष के बिलों सहित खरीदी गई कच्ची औषधियों की सूची।

ओ. पिछले एक वर्ष (कॉलेज और अस्पताल) के लिए आशय रजिस्टर।

पी. पिछले एक वर्ष (कॉलेज और अस्पताल) का स्टॉक रजिस्टर।

क्यू. अस्पताल का समेकित डेटा: पिछले एक वर्ष के लिए रोगी डेटा (बाह्य रोगी विभाग, अंतः रोगी विभाग और बिस्तर अधिभोग)

आर. अस्पताल भवन सहित भूमि, भवन के लिए भुगतान की गई कर रसीद।

एस. एक वचन पत्र प्रस्तुत करें कि संस्थान 'भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग निधि' के पक्ष में तीन साल की अवधि के लिए वैध निश्चित सुरक्षा जमा जमा करने में सक्षम है।

टी. एक वचन पत्र प्रस्तुत करें कि संस्थान ने इन विनियमों में उल्लिखित सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा किया है।

9. समय-समय पर भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट दस्तावेजों के अन्य संलग्नक।

नोट: सभी प्रतियां स्व-सत्यापित होंगी।

फार्म-डी

(विनियम 38 देखें)

(राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, जो भी लागू हो, द्वारा जारी किया जाएगा)

अनिवार्यता प्रमाणपत्र या अनापत्ति प्रमाणपत्र

एक नया स्टैंडअलोन सिद्ध स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान स्थापित करने के लिए

संदर्भ सं.....

दिनांक.....

आवेदक का मूल विवरण		
1	आवेदक का नाम (पते सहित)	
2	संस्थान का प्रकार (सरकारी या सहायता प्राप्त या निजी या डीम्ड विश्वविद्यालय)	
3	प्रस्तावित स्टैंड-अलोन सिद्ध स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान का नाम	
	प्रस्तावित संस्थान का पता	

4	क्या आवेदक पहले से ही सिद्ध मेडिकल कॉलेज या सिद्ध स्नातकोत्तर संस्थान चला रहा है	हां या नहीं
5	यदि हां, तो निकटतम कॉलेज या संस्थान और प्रस्तावित कॉलेज या संस्थान के बीच की दूरी क्या है (यदि दूरी 25 या 25 किमी से कम है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र या अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा)	
अन्य विवरण		
6	राज्य में पहले से मौजूद सिद्ध संस्थानों की संख्या	
7	राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या अनुपात में डॉक्टर (सभी पद्धतियों के पंजीकृत प्रैक्टिसनर)।	
8	राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या अनुपात में डॉक्टर (पंजीकृत सिद्ध चिकित्सा प्रैक्टिसनर)।	
9	नए सिद्ध मेडिकल कॉलेज की स्थापना के प्रस्तावित क्षेत्र में नैदानिक सामग्री (मरीजों) की उपलब्धता की संभावना	ख़राब या पर्याप्त
10	अस्पताल की पंजीकरण संख्या	
11	जो छात्र राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उनके राज्य में प्रवेश प्राप्त करने पर राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, यदि कोई हों, को निर्दिष्ट करना होगा।	

अनिवार्यता प्रमाणपत्र या अनापत्ति प्रमाणपत्र

यह अनिवार्यता प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र ---------- (आवेदक का नाम) को---------- ---------- (प्रस्तावित कॉलेज या संस्थान का पता) में ---------- ---------- (प्रस्तावित संस्थान का नाम) की स्थापना के लिए और स्नातकोत्तर कार्यक्रम ---------- -------- (स्पेशियलिटी के अनुसार) संचालित करने के लिए जारी किया जाता है।

यह प्रमाणपत्र उपरोक्त विवरण, तथ्यों और निम्नलिखित नियमों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।

यह प्रमाणपत्र, प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि से लगातार दो शैक्षणिक सत्रों के लिए वैध है।

अनिवार्यता प्रमाणपत्र या अनापत्ति प्रमाणपत्र निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर जारी किया जाता है:

1. भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड से उचित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही संस्थान भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा स्वीकृत छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार छात्रों को प्रवेश देगा।

2. संस्थान उसी परिसर में कोई अन्य पाठ्यक्रम या कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा जब तक कि भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा अन्यथा अनुमति न दी जाए।

3. संस्थान राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग द्वारा निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और कार्यक्षमता के संदर्भ में सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखेगा। जैसा कि भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।

4. संस्थान राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग द्वारा बनाए गए विनियमन, दिशानिर्देशों और नीति के अनुसार स्नातकोत्तर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षापात्र छात्रों को प्रवेश देगा।

5. संस्थान हर समय स्वायत्त बोर्ड, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, भारत सरकार और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करेगा।

6. संस्थान को अन्य सोसायटी या ट्रस्ट में बदलने की स्थिति में, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, जैसा भी मामला हो, से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

7. यदि आवेदक संस्थान भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुसार बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और अन्य सुविधाओं को तैयार करने या बनाए रखने में विफल रहता है, तो भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा नए प्रवेश रोक दिए जाएंगे और विश्वविद्यालय भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड की अनुमति से स्नातकोत्तर कार्यक्रम में पहले से ही प्रवेश पाने वाले छात्रों की जिम्मेदारी लेगा।

8. आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यक मानकों का अनुपालन न करने के कारण भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा संस्था को अनुमति देने से इनकार करने या स्थायी अस्वीकृति जारी करने की स्थिति में, जिन छात्रों को भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड की अनुमति से पहले ही संस्थान में प्रवेश मिल चुका है राज्य सरकार उनकी जिम्मेदारी लेगी।

(सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

पूरा नाम

पद का नाम

कार्यालय मुहर

तिथि:

स्थानः

फार्म-ई

(विनियम 38 देखें)

(राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, जो भी लागू हो, द्वारा जारी किया जाएगा)

नए स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम शुरू करने के लिए

अनिवार्यता प्रमाणपत्र या अनापत्ति प्रमाणपत्र

संदर्भ सं..... दिनांक.....

आवेदक का मूल विवरण		
1	आवेदक का नाम (पते सहित)	
2	संस्थान का प्रकार (सरकारी या सहायता प्राप्त या निजी या डीम्ड विश्वविद्यालय)	
3	सिद्ध मेडिकल कॉलेज या स्टैंड-अलोन सिद्ध स्नातकोत्तर संस्थान का नाम	
	सिद्ध मेडिकल कॉलेज या स्टैंड-अलोन सिद्ध स्नातकोत्तर संस्थान का पता	
4	शुरू किये जाने वाले नये स्नातकोत्तर कार्यक्रम का नाम	
5	उस विभाग का नाम जिसमें नया स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू किया जाना है	

6	स्वीकृत छात्र प्रवेश क्षमता के साथ संस्थान में पहले से मौजूद स्नातकोत्तर कार्यक्रम (कार्यक्रमों) का नाम, यदि कोई हो	
7	अस्पताल की पंजीकरण संख्या	

अनिवार्यता प्रमाणपत्र या अनापत्ति प्रमाणपत्र

यह अनिवार्यता प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र ---------- (संस्थान का नाम) को ---------- ---------- (संस्थान का पता) में नए स्नातकोत्तर कार्यक्रम ---------- ------ (स्पेशियलिटी के अनुसार) शुरू करने के लिए जारी किया जाता है।

यह प्रमाणपत्र उपरोक्त विवरण, तथ्यों और निम्नलिखित नियमों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए जारी किया जाता है।

यह प्रमाणपत्र, प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि से लगातार दो शैक्षणिक सत्रों के लिए वैध है।

प्रमाणपत्र निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर जारी किया जाता है:

1. कॉलेज या संस्थान भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड से उचित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा स्वीकृत छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार छात्रों को प्रवेश देगा।

2. कॉलेज या संस्थान भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा दी गई अनुमति के अलावा एक ही परिसर में कोई अन्य पाठ्यक्रम या कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा।

3. कॉलेज या संस्थान भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और कार्यक्षमता के संदर्भ में सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखेगा।

4. कॉलेज या संस्थान राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग द्वारा बनाए गए विनियम, दिशानिर्देशों और नीति के अनुसार स्नातकोत्तर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा योग्यता के आधार पर छात्रों को प्रवेश देंगे।

5. संस्थान हर समय स्वायत्त बोर्ड, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, भारत सरकार और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करेंगे।

6. यदि आवेदक राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम मानकों के अनुसार बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और अन्य सुविधाओं को तैयार करने या बनाए रखने में विफल रहता है, तो चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड द्वारा नए प्रवेश रोक दिए जाएंगे और विश्वविद्यालय भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड की अनुमति से कॉलेज या संस्थान में पहले से ही प्रवेश पाने वाले छात्रों की जिम्मेदारी लेगा।

7. आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यक मानकों का अनुपालन न करने के कारण भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा संस्था को अनुमति देने से इनकार करने या स्थायी अस्वीकृति जारी करने की स्थिति में, जिन छात्रों को भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड की अनुमति से पहले ही कॉलेज या संस्थान में प्रवेश मिल चुका है, राज्य सरकार उनकी जिम्मेदारी लेगी।

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

पूरा नाम

पद का नाम

कार्यालय मुहर

तिथि:

स्थानः

फार्म-एफ

(विनियम 38 देखें)

(राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, जो भी लागू हो, द्वारा जारी किया जाएगा)

आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सिद्ध में मौजूदा स्नातकोत्तर कार्यक्रम में सीटों की संख्या या प्रवेश क्षमता या छात्र प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए अनिवार्यता प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र

संदर्भ सं..... दिनांक.....

आवेदक का मूल विवरण		
1	आवेदक का नाम	
2	पता	
3	उस कॉलेज या संस्थान का नाम और पता जिसमें आवेदक छात्र प्रवेश क्षमता बढ़ाना चाहता है	
4	मौजूदा स्नातकोत्तर कार्यक्रम का नाम जिसमें आवेदक छात्र प्रवेश क्षमता बढ़ाना चाहता है	
5	सीट वृद्धि विवरण	छात्र प्रवेश क्षमता को --- से ---- तक बढ़ाना
6	कालेज या संस्थान की स्थापना का वर्ष	
अन्य विवरण		
7	राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या अनुपात में डॉक्टर (सभी पद्धतियों के पंजीकृत चिकित्सा प्रैक्टिसनर)।	
8	राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या अनुपात में डॉक्टर (पंजीकृत सिद्ध चिकित्सा प्रैक्टिसनर)।	
9	सिद्ध मेडिकल कॉलेज की स्थापना के प्रस्तावित क्षेत्र में नैदानिक सामग्री (मरीजों) की उपलब्धता का दायरा	ख़राब या पर्याप्त

अनिवार्यता प्रमाणपत्र या अनापत्ति प्रमाणपत्र

यह अनिवार्यता प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र ---------- (आवेदक का नाम) को ---------- (कॉलेज या संस्थान का पता) में ----------
---(कॉलेज या संस्थान का नाम) में मौजूदा संचालित स्नातकोत्तर कार्यक्रम ----------
(स्नातकोत्तर कार्यक्रम या स्पेशियलिटी का नाम) में सीटों की संख्या या छात्र प्रवेश क्षमता या प्रवेश क्षमता -------- से ----
-- तक बढ़ाने के लिए जारी किया जाता है।

यह प्रमाणपत्र उपरोक्त विवरण/तथ्यों/शर्तों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।

यह प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि से लगातार दो शैक्षणिक सत्रों के लिए वैध है।

अनिवार्यता प्रमाणपत्र या अनापत्ति प्रमाणपत्र निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर जारी किया जाता है:

1. कॉलेज या संस्थान भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड से उचित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा स्वीकृत छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार छात्रों को प्रवेश देगा।

2. कॉलेज या संस्थान उसी परिसर में कोई अन्य कॉलेज, पाठ्यक्रम या कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा जब तक कि भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा अन्यथा अनुमति न दी जाए।

3. कॉलेज या संस्थान छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और कार्यक्षमता के संदर्भ में सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखेगा।

4. कालेज समय-समय पर भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा बनाए गए विनियम, दिशानिर्देशों और नीति के अनुसार स्नातकोत्तर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षापात्र छात्रों को प्रवेश देगा।

5. कॉलेज या संस्थान को हर समय स्वायत्त बोर्ड, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, भारत सरकार और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा।

6. यदि आवेदक राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुसार बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और अन्य सुविधाओं को बनाने या बनाए रखने में विफल रहता है, तो चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड द्वारा नए प्रवेश रोक दिए जाते हैं और विश्वविद्यालय भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड की अनुमति से कॉलेज या संस्थान में पहले से ही प्रवेश पाने वाले छात्रों की जिम्मेदारी लेगा।

7. आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यक मानकों के लिए कॉलेज द्वारा अनुपालन न करने के कारण भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा कॉलेज या संस्थान को अनुमति देने से इनकार करने या स्थायी अस्वीकृति जारी करने के मामले में, राज्य सरकार उन छात्रों की जिम्मेदारी लेगी जो भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड की अनुमति से पहले ही कॉलेज या संस्थान में प्रवेश ले चुके हैं।

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

पूरा नाम

पद का नाम

कार्यालय मुहर

तिथि:

स्थानः

फॉर्म-जी

(विनियम 38)

सहबद्धता की सहमति

(संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाएगा)

(नए सिद्ध कॉलेज की स्थापना के लिए या सिद्ध मेडिकल कॉलेज में मौजूदा स्नातक कार्यक्रम में छात्र प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए आवेदन जमा करने की पूर्व-आवश्यकता)

क्र.सं.	**विश्वविद्यालय विवरण**	
1	विश्वविद्यालय का नाम	
2	पता	

3	विश्वविद्यालय का प्रकार	केंद्र या राज्य या डीम्ड-सरकारी या डीम्ड-निजी या निजी राज्य
4	सम्पर्क विवरण	
5	संपर्क किए जाने वाला व्यक्ति (नाम एवं पदनाम)	
	आधिकारिक मोबाइल नंबर	
	आधिकारिक ई-मेल आईडी	
6	स्थापना वर्ष	
7	मौजूदा संकाय	
8	प्रत्यायन यदि कोई हो	
9	आज तक विश्वविद्यालय से संबद्ध सिद्ध, यूनानी और सोवा-रिग्पा कॉलेजों या संस्थानों की संख्या।	

सहबद्धता की सहमति

विश्वविद्यालय स्थानीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर ----------(कॉलेज या स्टैंडअलोन स्नातकोत्तर संस्थान का नाम) को स्नातकोत्तर संस्थान स्थापित करने के लिए और स्नातकोत्तर कार्यक्रम ---------- ---------- (विशेषता-वार नाम) शुरू करने के लिए छात्र प्रवेश क्षमता ---------- (विशेषता-वार सीटें) के साथ या पहले से मौजूद स्नातकोत्तर कार्यक्रम ---------- --(विशेषता का नाम) में सीटों की संख्या या छात्र प्रवेश क्षमता या प्रवेश क्षमता में ..... से ..... तक वृद्धि करने के लिए सहबद्धता की सहमति जारी करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत है।

सहबद्धता की सहमति .....शैक्षणिक वर्ष(वर्षों) के लिए जारी की जाती है।

सहबद्धता की सहमति निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर जारी की जाती है:

1. कॉलेज या संस्थान भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और कार्यक्षमता के संदर्भ में सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखेगा।

2. कॉलेज या संस्थान स्नातकोत्तर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाके पात्र छात्रों को केवल परामर्श प्रक्रिया (केंद्र या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, जैसा भी मामला हो) के माध्यम से भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा संबंधित विनियमों और दिशानिर्देश में यथा निर्दिष्ट के अनुसार प्रवेश देगा।

3. कॉलेज या संस्थान भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के अनुसार शिक्षण और प्रशिक्षण के निर्धारित घंटों का संचालन सुनिश्चित करेगा।

4. कॉलेज या संस्थान को हर साल काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से कम से कम तीन महीने पहले सहबद्धता की निरंतरता प्राप्त करनी होगी।

5. अन्य विश्वविद्यालय से सहबद्धता बदलने या डीम्ड स्थिति के लिए आवेदन करने की स्थिति में वर्तमान संबद्ध विश्वविद्यालय से पूर्व 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्राप्त किया जाएगा।

6. वर्तमान विश्वविद्यालय से असहबद्धता की स्थिति में, मौजूदा बैच अंतिम छात्र को डिग्री प्रदान किए जाने तक वर्तमान विश्वविद्यालय के साथ जारी रहेंगे।

रजिस्ट्रार

(मुहर सहित हस्ताक्षर)

स्थानः

तिथि:

परिशिष्ट "ए"

(विनियम 19 देखें)

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 2 के खंड (य ग) में संदर्भित "विनिर्दिष्ट दिव्यांगता" से संबंधित अनुसूची में निम्नानुसार प्रावधान है:-

1. शारीरिक दिव्यांगता-

क. गतिक विकलांगता (वात रोग अथवा तंत्रिका तंत्र अथवा दोनों की यातना के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की अपने अथवा वस्तुओं की विशिष्ट गतिविधियों से जुडे संचलन को कार्यान्वित करने की अक्षमता) निम्न को सम्मिलित करते हुए -

(ए) "कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति" से तात्पर्य है व्यक्ति जो कि कुष्ठ रोग से मुक्त हो चुका है परंतु निम्नलिखित से ग्रसित है-

(i) हाथ और पैरों में संवेदन की क्षति तथा संवेदन की क्षति तथा नेत्रों तथा पलकों में आंशिक पक्षाघात परंतु स्पष्ट विकृति न हो;

(ii) स्पष्ट विकृति तथा आंशिक पक्षाघात परंतु उनके हाथों तथा पैरों में पर्याप्त गतिशीलता हो जिससे उन्हें सामान्य आर्थिक कार्यों में लगाने हेतु सक्षम बनाया जा सके;

(iii) चरम शारीरिक विकृति एवं बढ़ी उम्र जो व्यक्ति को किसी लाभदायक व्यवसाय को करने से रोके, तथा अभिव्यक्ति "कुष्ठ रोग से मुक्त' का अर्थ तद्नुसार लगाया जाएगा;

(बी) "प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात" से तात्पर्य है गैर प्रगतिशील स्नायुविज्ञान विषयक परिस्थिति का समूह जो कि शारीरिक संचलन तथा मांसपेशीय समन्वय को प्रभावित करता है, मस्तिष्क के एक अथवा अधिक विशिष्ट भागों की क्षति के कारण होता है. प्रायः जन्म के पूर्व, के दौरान अथवा तुरंत बाद होता है;

(सी) "बौनापन" से तात्पर्य है एक चिकित्सीय अथवा अनुवांशिक स्थिति जिसमें एक वयस्क की ऊंचाई 4 फीट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) अथवा इससे कम हो;

(डी) "मांसपेशीय डिस्ट्राफी" से तात्पर्य है अनुवांशिक मांसपेशीय रोग का समूह जो मानव शरीर को चलाने वाली मांसपेशियों को कमजोर करता है तथा एक से अधिक डिस्ट्राफी वाले व्यक्यिों के जीन्स में त्रुटिपूर्ण एवं लुप्त रचना होती है जो कि स्वस्थ मांसपेशीय हेतु उनके लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने से उन्हें रोकती है। इसके लक्षण है प्रोग्रेसिव स्केलेटल मसल्स की कमजोरी, मांसपेशीय प्रोटीन में कमियां, तथा मांसपेशीय सेल एवं टिश्यूज का समाप्त हो जाना;

(ई) "तेजाब के प्रहार से पीड़ित" से तात्पर्य है तेजाब अथवा उसके समान संक्षारक पदार्थ फेंक कर किये गए आक्रामक हमले के कारण विकृत एक व्यक्ति ।

बी. दृष्टि क्षति-

(ए) "नेत्रहीनता" से तात्पर्य है एक ऐसी स्थिति जिसमें एक व्यक्ति, सबसे अच्छे सुधार के पश्चात् निम्न में से कोई एक स्थिति रखता हो -

(i) दृष्टि की पूर्णतः अनुपस्थिति; अथवा

(ii) सबसे अच्छे सुधार के साथ अच्छे नेत्र में 3/60 से कम अथवा 10/200 (स्नेल्लेन) से कम दृश्य तीक्ष्णता; अथवा

(iii) दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 10 डिग्री से कम के कोण के सामने हो।

(बी) "निम्न दृष्टि" से तात्पर्य है, एक ऐसी स्थिति जिसमें एक व्यक्ति निम्न में से कोई एक स्थिति रखता हो:-

(i) सबसे अच्छे सुधार के साथ अच्छे नेत्र में 6/18 से अनधिक अथवा 20/60 से 3/60 अथवा 10/200 (स्नेल्लेन) से कम दृश्य तीक्ष्णता।

(ii) दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 40 डिग्री से 10 डिग्री तक कम के कोण के सामने हो।

सी. श्रवण क्षति-

(ए) "बहरा" एक व्यक्ति से तात्पर्य है वह व्यक्ति जिसके दोनो कानों की उच्चारण आवृत्ति श्रवण क्षमता 70डीबी से कम हो।

(बी) "कम सुनाई देना" से तात्पर्य है जिसके दोनो कानों की उच्चारण आवृत्ति श्रवण क्षमता 60 डीबी से 70डीबी कम हो।

घ. "वाक एवं भाषा विकलांगता" से तात्पर्य है स्वरयंत्रछिद्रीकरण अथवा वाचाघात जो कि वाक् तथा भाषा को प्रभावित करने वाली जैविक अथवा तंत्रिका संबंधित स्थिति जिसके कारण स्थाई विकृत पैदा हो।

2 बौद्धिक विकलांगताएं, दोनों बौद्धिक कार्यप्रणाली की स्थिति जिसमें (तर्क, सीखने, समस्या समाधान करने) और अनुकूल व्यवहार जो प्रत्येक दिन की सीमाओं को शामिल करता है सामाजिक तथा प्रायोगिक कौशल, की चारित्रिक स्थिति व सीमाएं जिसमें शामिल है

(ए) "विशिष्ट ज्ञार्नाजन विकलांगता" विजातीय परिस्थिति समूह जिसमे बोलने अथवा लिखने में अथवा भाषा प्रसंस्करण की कमी पायी जाती है जिससे भाषा की बोध गम्यता, बोलने, लिखने, वर्तनी अथवा गणतीय गणना तथा ऐसी परिस्थितियां जिसमें अवधारणात्मक विकलांगताएं, वाक् विकार (डिस्लेक्सिया), डिस्याफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया तथा विकासात्मक मूकरोग शामिल हैं:

(बी) "आत्म विमोह स्पैक्ट्रम विकृति" से तात्पर्य है विकासात्मक तंत्रिका शोथ परिस्थिति से है जो कि जीवन के प्रथम तीन वर्ष के दौरान प्रकट होती है तथा किसी व्यक्ति की संवाद, रिश्ते को समझने तथा अन्य संबंधित मामलों में तथा अक्सर असामान्य अथवा रूढ़िवादी रिवाजों अथवा व्यवहार से जुड़ा होता है।

3. मानसिक व्यवहार, "मानसिक बीमारी' से तात्पर्य है विचार, मनोदशा, अवधारणा, उन्मुखीकरण अथवा स्मृति जो कि स्थूल रूप से निणर्य लेती है, व्यवहार, वास्तविकता पहचानने की क्षमता अथवा जीवन की सामान्य मांगों को पूर्ण करने की क्षमता, किन्तु इसमें वह परिस्थितिक बाधा शामिल नहीं है जो किसी व्यक्ति के मानसिक विकास को अवरोधित अथवा अधूरा विकास करती है, तथा जिसे विशेष रूप से बौद्धिक उप समानता द्वारा वर्गीकृत किया जाता है।

4. निम्न के कारण उत्पन्न विकलांगता :-

(ए) चिरकालिक तंत्रिका संबंधी स्थितियां, जैसे कि-

(i) “बहुल ऊतक दृढन” से तात्पर्य है शोथ, माइलिन तंत्रिका कोशिका जो कि अक्षतंतु के चारों ओर स्थित है मस्तिष्क तथा मेरूदण्ड में की क्षति के कारण तंत्रिका तंत्र के रोग जिससे मस्तिष्क तथा मेरूदण्ड की एक दूसरे से संवाद करने कि क्षमता पर विघटनकारी प्रभाव पड़ते हैं;

(ii) "पार्किनसेनिज्म रोग” से तात्पर्य है मांसपेशियों में कठोरता और धीमी, प्रभावशाली गतिशीलता, मध्यम वर्ग और बुजुर्ग लोगों से जुडी मस्तिष्क की बुनियादी गंडिका का अधःपतन का रोग तथा तंत्रिका संचरण डोपामीन का विघटन।

(बी) रक्त विकृतियां -

(i) "हीमोफीलिया" से तात्पर्य है एक अंतर्निहित रोग जिससे पुरूष प्रभावित होते हैं किन्तु महिला द्वारा यह रोग अपने पुरूष बच्चों को प्रेषित की जाती है। जिसे सामान्य रक्त जमाव क्षमता की कमी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जिससे नवजातों में भयंकर रक्त श्राव हो सकता है।

(ii) "थैलिसिमिया" से तात्पर्य हिमोग्लोबिन की मात्रा की अनुपस्थिति की वंशानुगत विकारों का एक समूह।

(iii) "सिक्कल सैल रोग" से तात्पर्य है रक्त संबंधी विकृति जो कि संबंधित ऊतक और अंग क्षति के कारण रक्तलाप्तता, विदारक घटनाएं तथा विभिन्न जटिलताओं की स्थिति है। यह हीमोग्लोबीन में पुर्नजीवित लाल रक्त कोशिकाओं के ऊतक कोशिकाओं के विनाश की कोशिका कला को संदर्भित करता है ।

5. मूक बधिरता सहित बहुल विकलांगताएं (ऊपर निर्दिष्ट विकलांगों में से एक से अधिक) बधिरता, अंधता सहित जो ऐसी परिस्थिति से तात्पर्य है जिसमें एक व्यक्ति को श्रवण और दृष्टि क्षति का संयोजन हो सकता है जिसमें गंभीर संचार, विकास और शैक्षणिक समस्याएं हो सकती हैं।

6. अन्य कोई वर्गीकरण जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई हों।

परिशिष्ट “बी”

(विनियम 19 देखें)

स्नातकोत्तर कार्यक्रम (सिद्ध में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और मास्टर ऑफ सर्जरी) में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के तहत "निर्दिष्ट दिव्यांगता" वाले छात्रों के प्रवेश के संबंध में दिशानिर्देश।

1. "विकलांगता का प्रमाणपत्र, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (1) में संख्या सा.का.नि. 591 (अ) दिनांक 15 जून, 2017 में प्रकाशित दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के अनुसार जारी किया जाएगा।

2. किसी व्यक्ति में 'विनिर्दिष्ट विकलांगता' की सीमा, "भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप खण्ड -(ii) में संख्या का.आ. 76 (अ) दिनांक 04 जनवरी, 2018 में प्रकाशित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अंतर्गत शामिल किए गए किसी व्यक्ति में विशिष्ट विकलांगता की सीमा आंकने के उद्देश्य के लिए दिशानिर्देशों" के अनुसार आंकी जाएगी।

3. विशिष्ट विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से विकलांगता की न्यूनतम डिग्री 40%(विकलांगता तल चिन्ह) होनी चाहिए।

4. "शारीरिक रूप से विकलांग' (पीएच) शब्द के बजाए 'विकलांग व्यक्ति' (पीडब्ल्यूडी) शब्द का प्रयोग किया जाएगा।

तालिका

क्र.सं.	**दिव्यांगता श्रेणी**	**दिव्यांगताओं का प्रकार**	**निर्दिष्ट दिव्यांगता**	**दिव्यांगता की रेंज**		
				(5)		
				स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के लिए पात्र, किन्तु पीडब्ल्यूडी कोटा के लिए पात्र नहीं	**स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के लिए पात्र, किन्तु पीडब्ल्यूडी कोटा के लिए पात्र**	**स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के लिए पात्र नहीं**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**			
1.	शारीरिक दिव्यांगता	ए. विनिर्दिष्ट विकलांगताओं सहित गतिक विकलांगता (ए से एफ)	(ए) कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति*	40% से कम दिव्यांगता	40-80% दिव्यांगता 80% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को भी, मामले के आधार पर, अनुमति प्राप्त होगी तथा उनकी कार्य करने	80% से अधिक
			(बी) प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात**			
			(सी) बौनापन			
			(डी) मांसपेशीय डिस्ट्राफी			

			(ई) तेजाब के प्रहार से पीड़ित		की क्षमता का निर्धारण सहयोगी सयंत्र की सहायता से किया जाएगा, यदि इसका प्रयोग किया जा रहा है, तो देखें कि क्या यह 80% के नीचे लाया गया है तथा क्या उन्हें संतोषजनक रूप से कोर्स करने तथा उसे पूरा करने हेतु यथा अपेक्षित पर्याप्त गतिक क्षमता प्राप्त हो चुकी है।	
			(एफ) अन्य *** जैसे अंगविच्छेदन, पोलियोम्येलाइटिस आदि			
			• ऊंगलियों, हाथों में संवेदन की क्षति, अंगविच्छेद और आंखों की अंतर्ग्रस्तता पर ध्यान दिया जाना चाहिए तथा तद्नुरूपी अनुशंसाएं देखी जानी चाहिए। ** दृष्टि, श्रवण की संज्ञानात्मक कार्य की क्षति पर ध्यान दिया जाना चाहिए और तदनुरूपी अनु शंसाएं देखी जानी चाहिए। ***सिद्ध में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के लिए पात्र माने जाने के लिए दोनों हाथों का, अक्षुण्ण संवेदनओं, पर्याप्त शक्ति और गति के रेंज के साथ साथ अक्षुण्ण होना आवश्यक है।			
		(बी) दृष्टि क्षति (*)	(ए) नेत्रहीनता	40% से कम दिव्यांगता (अर्थात श्रेणी '0 (10%)', 'I (20%)' और 'II (30%)'	-	40% के बराबर या इससे अधिक दिव्यांगता (अर्थात श्रेणी III और उससे ऊपर)
			(बी) निम्न दृष्टि			
		(सी) श्रवण क्षति @	(ए) बहरा	40% से कम दिव्यांगता	-	40% के बराबर या उससे कम दिव्यांगता
			(बी) कम सुनाई देना			

			(*) 40% से अधिक की दृष्टि क्षति/ दृष्टि विकलांगता वाले व्यक्तियों को सिद्ध में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम करने के लिए पात्र बनाया जा सकता है और इस शर्त के अधीन आरक्षण दिया जा सकता है कि दृष्टि विकलांगता को आधुनिक निम्न दृष्टि सहायक उपकरण जैसे कि टेलीस्कोप / मैग्नीफायर इत्यादि की सहायता से 40% के तल चिन्ह से कम के स्तर तक लाया जाए। @ 40% से अधिक की श्रवण विकलांगता वाले व्यक्तियों को सिद्ध में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम करने के लिए पात्र बनाया जा सकता है और इस शर्त के अधीन आरक्षण दिया जा सकता है कि श्रवण विकलांगता को सहायक उपकरणों की सहायता से 40% के तल चिन्ह से कम के स्तर तक लाया जाए। इसके अलावा, व्यक्ति के पास 60% से अधिक का वाक् विवेक स्कोर होना चाहिए।			
		(डी) वाक् एवं भाषा विकलांगताएं $	आर्गनिक/तंत्रीय कारण	40% से कम दिव्यांगता	-	40% के बराबर या उससे अधिक दिव्यांगता
		$ यह प्रस्ताव दिया जाता है कि सिद्ध में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश हेतु वाक् बुद्धिमता प्रभावित (एस आई ए) स्कोर 3 से अधिक नहीं होगा (जो कि 40% से कम होगी) ताकि सिद्ध में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र हुआ जा सके। इस स्कोर से अधिक के व्यक्ति सिद्ध में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे। 40% तक वाचाघात लब्धि वाले व्यक्ति सिद्ध में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम करने के लिए पात्र हो सकते हैं, लेकिन इससे अधिक वाले व्यक्ति सिद्ध में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम करने के लिए पात्र नहीं होंगे और न ही उन्हें कोई आरक्षण प्राप्त होगा।			
2.	बौद्धिक दिव्यांगता		(ए) विशिष्ट ज्ञानार्जन विकलांगताएं (बोधात्मक विकलांगता, डिस्लेक्सिया डिस्केलकुलिया डिस्प्राक्सिया और विकासात्मक एल्फासिया) #	# वर्तमान में एसपीएलडी की गंभीरता का आंकने के लिए कोई मात्राकरण पैमाना नहीं है, इसलिए 40% का कट ऑफ, मनमाना है और इसके लिए अधिक साक्ष्य की आव यकता है।		
				40% से कम दिव्यांगता	40% के बराबर या इससे अधिक विकलांगता-परंतु चयन, रिमेडिएशन सहायता प्राप्त प्रौद्योगिकी/ उपकरणों / विशेषज्ञ पैनल द्वारा किए गए अवसंरचनात्मक परिवर्तनों की सहायता से मूल्यांकन की गई	80% से अधिक या गंभीर स्वरूप या पर्याप्त संज्ञानात्मक/ बौद्धिक विकलांगता

					ज्ञानार्जन सक्षमता पर आधारित होगा।	
			(बी) आत्म-विमोह स्पैकट्रम विकृति	विकलांगता का अभाव या मामूली विकलांगता अस्परजर सिंड्रोम (आईएसएए के अनुसार 40% - 60% विकलांगता), जहां व्यक्ति को विशेषज्ञ पैनल द्वारा सिद्ध में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के लिए उपयुक्त माना जाता है।	मानसिक बीमारी की मौजूदगी या सीमा स्थापित करने की उद्देश्य परक पद्धति के अभाव के कारण वर्तमान में संस्तुत नहीं किया गया। तथापि, आरक्षण/कोटे के लाभ पर विकलांगता आंकने की बेहतर पद्धतियां विकसित कर लिए जाने के पश्चात विचार किया जा सकता है।	60% के बराबर या उससे अधिक दिव्यांगता या संज्ञानात्मक/बौद्धिक दिव्यांगता की उपस्थिति और/या यदि व्यक्ति को विशेषज्ञ पैनल द्वारा सिद्ध में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम में पढ़ने के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है।
3.	मानसिक व्यवहार		मानसिक रोग	विकलांगता का अभाव या मामूली विकलांगताः 40% से कम (आईडीईएएस के अंतर्गत)	मानसिक बीमारी की मौजूदगी या सीमा स्थापित करने की उद्देश्य परक पद्धति के अभाव के कारण वर्तमान में संस्तुत नहीं किया गया। तथापि, आरक्षण/कोटे के लाभ पर, विकलांगता आंकने की बेहतर पद्धतियां विकसित कर लिए जाने के पश्चात् विचार किया जा सकता	40% के बराबर या इससे अधिक विकलांगता या यदि व्यक्ति को अपनी ड्यूटियां करने के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। 'मेडिसिन में प्रैक्टिस करने के लिए फिटनेस' की परिभाषा के लिए मानक तैयार किए जाए जिनका जैसे कि भारत के अलावा अन्य देशों के अनेक संस्थानों द्वारा इस्तेमाल किए जाता है।

					है।	
4.	आगे उल्लेखित के कारण विकलांगता	(ए) चिरकालिक तंत्रिका संबंधी स्थितियां	(i) बहुल ऊतक दृढ़न	40% से कम दिव्यांगता	40-80% दिव्यांगता	80% से अधिक
			(ii)पार्किंनसेनिज्म			
		(बी) रक्त विकृतियां	(i) हीमोफीलिया	40% से कम दिव्यांगता	40-80% दिव्यांगता	80% से अधिक
			(ii) थैलेसीमिया			
			(iii) सिक्कल सैल रोग			
5.	मूक बधिरता नेत्रहीनता सहित बहुल विकलांगताएं		उपरोक्त में से एक से अधिक विनिर्दिष्ट विकलांगताएं	उपर्युक्त में किसी की मौजूदगी के संबंध में अलग अलग मामलों की अनुशंसाओं में निर्णय लेते समय उपर्युक्त सभी नामतः बहुल विकलांगता के एक घटक के रूप में दृष्टि श्रवण, वाक् और भाषा विकलांगता, बौद्धिक विकलांगता और मानसिक विकलांगता पर विचार किया जाना चाहिए जब किसी व्यक्ति में एक से अधिक असमर्थकारी स्थिति मौजूद है, उत्पन्न होने वाली विकलांगता की संगणना करने के लिए, भारत सरकार द्वारा जारी की गई संबंधित राजपत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचित संयोजनकारी फार्मूले की अनुशंसा की जाती है ए + बी (90-ए) 90 (जहां ए = विकलांगता के % का उच्च मूल्य और बी = विकलांगता के % का निम्न मूल्य जो भिन्न-भिन्न विकलांगताओं के लिए परिकलित किया गया हो।) इस फार्मूले का इस्तेमाल बहुल विकलांगताओं वाले मामलों में किया जाए और व्यक्ति विशेष में मौजूद विशिष्ट विकलांगताओं के अनुसार प्रवेश और/या आरक्षण के संबंध में अनुशंसा की जाए।		

नोट : शारीरिक विकलांग श्रेणी के अन्तर्गत चयन के लिए, अभ्यर्थी को उनकी काउंसलिंग की निश्चित तिथि से पूर्व भारत सरकार के संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किसी एक विकलांगता मूल्याकन बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

सच्चिदानंद प्रसाद, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./534/2024-25]

[**नोट:** यदि भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकोत्तर संस्थानों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, मूल्यांकन और रेटिंग और स्नातकोत्तर सिद्ध शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2024 के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण के बीच कोई विसंगति पाई जाती है, तो अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।]

THE NATIONAL COMMISSION FOR INDIAN SYSTEM OF MEDICINE

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2024

F. No. BUSS/Siddha PG Regl./2023.–In exercise of the powers conferred by section 55 of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 (14 of 2020) and in supersession of the Indian Medicine Central Council (Post-graduate Siddha Education) Regulations, 2016, the Establishment of New Medical College, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity by a Medical College Regulations, 2019 and the Indian Medicine Central Council (Post-Graduate Diploma Course in Siddha) Regulations, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the National Commission for Indian System of Medicine, hereby makes the following regulations, namely:–

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Essential Standards, Assessment and Rating for Postgraduate Institutions and Minimum Standards of Postgraduate Siddha Education) Regulations, 2024.

(2) Save as otherwise provided, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

CHAPTER-I

PRELIMINARY

2. Definitions.- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 (14 of 2020)

(b) "Annexure" means an annexure annexed to these regulations;

(c) "Appendix" means an appendix appended to these regulations;

(d) "applicant" means a person namely a society, trust, University, or any legal person but does not include the Central Government, who makes an application to MARBISM to establish a new medical institution or start any Postgraduate course or increase number of seats;

(e) "assessment" of an institution means the act of verifying the availability of minimum essential standards as specified in these regulations in terms of the infrastructure, human resources, and functionality of an institution and its attached teaching hospital by the MARBISM every year;

(f) "attached teaching hospital" means a Siddha hospital that offers standard healthcare services, attached to a Siddha Medical Institution for the purpose of teaching and training to the students of the Siddha system of medicine;

(g) "Doctor of Philosophy" means doctoral degree awarded or granted to a research work carried out for not less than three years of duration after postgraduation, either in the subject concerned or in inter-disciplinary, intra-disciplinary, trans-disciplinary or multi-disciplinary research areas;

(h) "extended permission" means the permission extended to fully established Siddha medical institutions fulfilling the criteria for extended permission status as laid down in these regulations and such institutions are

allowed to participate in the counselling process for admitting students to Postgraduate programmes as per the sanctioned student intake capacity without waiting for permission from the MARBISM every year unless otherwise denied or specified or communicated by the MARBISM;

(i) "fully established institute" means the institute with either extended permission or yearly permission from the year after second renewal of permission granted by the MARBISM;

(j) "NCISM-UG MES Regulations, 2024" means the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Essential Standards, Assessment, and Rating for Undergraduate Siddha Colleges and Attached Teaching Hospitals) Regulations, 2024

(k) "letter of intent" means preliminary approval along with conditions and timelines issued by the MARBISM to the applicant through the procedure specified in these regulations to establish a new Siddha medical institution, or to start any new Postgraduate programme recognised by the National Commission for Indian System of Medicine or to increase student intake capacity in existing Postgraduate programmes;

(l) "letter of permission" means approval granted to the applicant by the MARBISM through the procedure determined in these regulations to establish a new Siddha medical institution or to start any new Postgraduate programme recognised by the National Commission for Indian System of Medicine or to increase student intake capacity in existing programmes and to admit the students as per the sanctioned student intake capacity specified by the MARBISM;

(m) "MARBISM" means the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine;

(n) "minimum essential standards" means the mandatory minimum requirements in terms of infrastructure, human resources, functionality, quality, and standards that are essential and below the minimum essential standards, which is unacceptable;

(o) "Postgraduate education" means that include Postgraduate degree programmes (Doctor of Medicine-M.D. and Master of Surgery-M.S.), doctoral degree programme (Doctor of Philosophy-Ph.D.), and super-specialty degree programme (Doctorate of Medicine-D.M.);

(p) "Postgraduate degree" in Siddha means a Postgraduate degree namely "Siddha Maruthuva Perarignar (Doctor of Medicine-M.D.) and (Master of Surgery-M.S.)" of three years duration, granted or awarded after the graduation in Siddha;

(q) "Professor of Practice" means a person having a minimum of ten years of experience in the field other than teaching in Siddha colleges, like a person from an industry or research institute, a technical consultant, a renowned practitioner or a scientist and the like;

(r) "PSER, 2016" means the Indian Medicine Central Council (Postgraduate Siddha Education) Regulations, 2016;

(s) "rating" of Postgraduate department means, a score or measurement of how good a Postgraduate department is; rating of a fully established Postgraduate department through a rating procedure carried out by the MARBISM or any designated rating agency based on the standards and parameters laid down by the Board of Unani, Siddha and Sowa-Rigpa and rating shall be on the basis of infrastructure, human resources, and functionality over and above the minimum essential standards specified in these regulations;

(t) "renewal of permission" means permission renewal (i.e., first and second renewal) granted or issued by the MARBISM to a new Postgraduate institution or department or specialty undergoing establishment under section 29 of the Act through the procedure mentioned in these regulations during the following academic years after the issuance of a letter of permission for admitting students as per the sanctioned student intake capacity specified by the MARBISM, and such renewal of permission shall be mandatory until it attains the fully established institution or department or specialty status under section 28 of the Act;

(u) "standalone Postgraduate institution" means a teaching institution with an attached teaching hospital dedicated for conducting Postgraduate programme only;

(v) "sanctioned intake capacity" means number of seats sanctioned by the MARBISM to a Postgraduate programme for admission of students based on infrastructure, human resources and functionality of the institution or department and the teaching hospital;

(w) "yearly permission" means fully established medical institutions or Postgraduate departments that are not fulfilling the criteria for extended permission status as laid in these regulations, and such institutions shall participate in the counselling process for admitting students to Postgraduate programmes as per the sanctioned student intake capacity only after obtaining permission from the MARBISM every year;

(2) The words and expressions used herein and not defined but defined in the Act, rules or regulations made thereunder shall have the same meanings as respectively assigned to them in the Act, rules or regulations.

CHAPTER-II

GENERAL

3. General considerations.— (1) The Postgraduate medical education in Siddha shall produce competent specialists in respective specialties with profound knowledge, skill, attitude, value and ethics;

(2) Every institution shall have to maintain minimum essential infrastructural standards, qualified and skilled human resources and a functional education ecosystem as specified in these regulations.

4. Acamedic hierarchy.— (1) The academic hierarchy of the postgraduation programmes shall be in the descending order from super specialty degree (D.M.) to doctoral degree (Ph.D.) to Postgraduate degree (M.D. or M.S.) to Postgraduate diploma (P.G. Diploma).

(2) (a) The Siddha Postgraduate medical institution shall appoint Professor of Practice on a part-time basis in the concerned subject with the qualification as mentioned in the **Seventh Schedule** in these regulations; such Professors shall not be provided with the unique teacher code by the MARBISM;

(b) he or she shall have a minimum of ten years of experience in the concerned field other than teaching in Siddha colleges, like a person from an industry or research institute, a technical consultant, a renowned practitioner, or a scientist and the like.

(3) (a) On and from the date of publication of these regulations, the Postgraduate diploma programme shall stand abolished, and no Postgraduate diploma course or programme shall be conducted by any Siddha Medical College or Institution and students admitted already in the Postgraduate diploma course or programme, before the commencement of these regulations, if any, shall continue and complete the course as per the provisions under the Indian Medicine Central Council (Post-Graduate Diploma Course in Siddha) Regulations, 2015;

(b) The seats in existing Postgraduate diploma programmes permitted by the MARBISM that are recognised in the Indian Medicine Central Council (Post-Graduate Diploma Course in Siddha) Regulations, 2015, may be converted to the Postgraduate degree programme seats of the parent department in the ratio of 2:1, i.e., every two Postgraduate diploma seats may be converted to one Postgraduate degree seat subject to the availability of student-Postgraduate guide ratio as specified in regulation 20 for Postgraduate degree programmes.

(4) (a) Each institution shall install online platforms or systems such as Learning Management Systems, Hospital Information and Management Systems (compatible with Ayushman Bharat Health Account, Health Professional Registry, Health Facility Registry, and Unique Health Identification Number), Aadhaar enabled biometric attendance system or iris detection or face recognition attendance system and the like as directed by the commission, Closed-Circuit Television Systems, and any other system specified by the National Commission for Indian System of Medicine from time to time and shall align or interface to the online platforms or information technology system run by the commission or central server designated by the Commission and shall provide real time data or relevant data to the Commission and its autonomous boards as required;

(b) biometric attendance data shall be made available to the concerned regulatory body or the Commission or autonomous Boards of the Commission on real time basis throughout the year through any agency as designated or assigned by the Commission;

(c) all Siddha medical institutions shall connect with centralised Aadhar Enabled Biometric Attendance System for marking attendance of teaching staff, non-teaching staff, hospital staff and Postgraduate students and the Commission or autonomous Boards of the Commission shall be the authority to access and analyse attendance data online from centralised Aadhar Enabled Biometric Attendance System;

(d) the authentication of the patients in the hospital shall be made through the Ayushman Bharat Health Account number.

(5)(a) Teachers shall be accommodated in respective departments with adequate space and privacy in a separate room or cubicle for each teacher;

(b) the minimum area for the room or cubicle for the Professor, associate Professor, and assistant Professor shall be fifteen, thirteen, and ten square meters, respectively;

(c) an open seating arrangement for multiple teachers in a common room, hall, or department shall not be permitted;

(d) every teacher shall be provided with a computer, printer, and internet facility;

(e) the departments and associated sections or units shall have proper ventilation and lighting;

(f) each Postgraduate department shall accommodate teaching staff, non-teaching staff, a departmental library, departmental computer, printer, internet access, and e-facility to display video, images, charts, information, etc.

(6) There shall be a hostel for girls and boys separately for Postgraduate students (preferably single accommodation) along with a mess facility within the campus provided with adequate furniture, reading room, recreational facility, and security services.

(7) Each institution shall offer teaching and training to Postgraduate students as per the course curriculum and syllabus prescribed by the Commission and shall ensure that all the stakeholders of the institution, all the departments, sections, and units of the institution, function in coordination and collaboration with each other to provide a comprehensive or inclusive education ecosystem to the Postgraduate students for pursuing their studies, training, and research work in an appropriate academic environment and the institution shall be ready to impart education over and above the minimum essential standards prescribed by the Commission in these regulations.

(8) The hospital attached to the institution shall be a fully functional hospital that shall remain open for twenty-four hours a day every week and shall be ready to treat or attend any type of patient at any point in time with its manpower and infrastructure.

(9) The fully functional hospital attached to the institution shall offer clinical training to medical students and provide medical services to the public at out-patient departments, in-patient departments, including consultation, diagnosis (clinical and investigational), treatment (medical, procedural, surgical and maternity), preventive, promotive and rehabilitative health care, medical advice, medical counselling, nursing care, emergency care, medicine dispensing, public outreach activities with proper documentation, etc., and maintaining the hospital management system, and hospital related expenses shall be reflected in the official bank account of the hospital.

(10) In order to maintain the quality standards, the instruments, equipment, chemicals, reagents, furniture, electronic appliances etc with Bureau of Indian Standards certification may be used to the extent of availability.

(11) Each Postgraduate institution irrespective of the Postgraduate programmes being conducted, shall establish the Department of Integrative Health and Translational Research. The Central Research Laboratory, Quality Testing Laboratory, Animal House and Animal Experimentation Laboratory, and Research committees such as Institutional Research Committee, Institutional Ethics committee for Human Subjects, Institutional Animal Ethics Committee, Clinical Research Cell, and Plagiarism Scrutiny Cell shall function under this Department.

(12) In the case of multiple Postgraduate degree programmes under the same department (i.e., Postgraduate programmes of Varma Maruthuvam, Pura Maruthuvam and Siddhar Yoga Maruthuvam under the Department of Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam) mentioned in these regulations, it shall not be mandatory for the Postgraduate institution or department to conduct all three programmes, it may be one or two or all three Postgraduate programmes as per the requirements of the institution.

CHAPTER-III

POSTGRADUATE DEGREE PROGRAMMES

5. (1) On and from the date of publication of these regulations, there shall be sixteen Postgraduate degree programmes in Siddha and the list of Postgraduate degree programmes or specialties, nomenclature of Postgraduate degree programmes, nomenclature of Postgraduate specialists with equivalent modern terminologies, and respective departments in which Postgraduate degree programmes are to be conducted shall be as provided in the **Table** below to sub-regulation (9).

(2) The nomenclature of the Postgraduate degree in the degree certificate shall be as per the third column of the said **Table** in the following pattern, namely:—

(a) Siddha Maruthuva Perarignar (Doctor of Medicine) M.D. (Pothu Maruthuvam)

(b) Siddha Maruthuva Perarignar (Master of Surgery) M.S. (Siddhar Aruvai Maruthuvam)

(3) On and from the publication of these regulations, no Postgraduate degree programme shall be in the name of Gunapadam (Pharmacognosy, Pharmacology, and Pharmaceutics) as per the PSER, 2016 and the Postgraduate degree programme in Gunapadam (Pharmacognosy, Pharmacology and Pharmaceutics) shall be conducted as two separate individual Postgraduate degree programmes namely:—

(a) Gunapadam Marunthiyal (Materia Medica, Pharmacology and Pharmacognosy) under the Department of Gunapadam Marunthiyal (Materia Medica and Pharmacology); and

(b) Gunapadam Marunthakaviyal (Materia Medica, Pharmaceutics and Clinical Pharmacy) under the department of Gunapadam Marunthakaviyal (Materia Medica and Pharmaceutics); and (a) and (b) shall be applicable only from the academic session 2025-2026 onwards.

(4) The Postgraduate institutions already conducting Gunapadam (Pharmacognosy, Pharmacology and Pharmaceutics) shall apply to the MARBISM under section 28 to continue either with Gunapadam Marunthiyal (Materia Medica, Pharmacology and Pharmacognosy) or Gunapadam Marunthakaviyal (Materia Medica and Pharmaceutics) or continue with both programmes under specified department from 2025-2026 onwards by

fulfilling all minimum essential standards specific to the concerned programme or department in terms of infrastructure, human resources, and functionality as specified in these regulations. The institutions desire to start such programmes for the first time, such institutions shall apply to the MARBISM under section 29.

(5) Already admitted students in the Gunapadam (Pharmacognosy, Pharmacology, and Pharmaceutics) [M.D. (Siddha) Materia Medica and Pharmacology] Postgraduate degree programme shall continue and complete the course or programme as per the provisions under the PSER, 2016 and concerned curriculum and syllabus.

(6) The Postgraduate degree holder with the old nomenclature 'Gunapadam' shall be the eligible teachers for the two new Postgraduate programmes as specified in sub-regulation (3) namely, the Gunapadam Marunthiyal (Materia Medica, Pharmacognosy and Pharmacology), and the Gunapadam Marunthakaviyal (Materia Medica, Pharmaceutics and Clinical Pharmacy) and the status shall be continued till the availability of adequate Postgraduate degree holders from aforesaid two new specialties for teaching purposes.

(7) The nomenclature of Postgraduate degree programme in Pura Maruthuvam (External Therapy), Nanju Maruthuvam (Toxicology), Siddhar Yoga Maruthuvam (Siddhar's Yogic Science), Aruvai Maruthuvam (Surgery), Siddha Maruthuva Adippadai Ariviyal (Fundamental Principles of Siddha Medicine), Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology) and Noi Naadal (Pathology and Diagnostic Methods) under the PSER, 2016 are renamed as Pura Maruthuvam (External Medicine), Nanju Maruthuvam (Clinical Toxicology), Siddhar Yoga Maruthuvam (Siddhar Yogic Science), Siddhar Aruvai Maruthuvam (Siddha Surgery), Siddha Maruthuva Adippadai Ariviyal (Basic Principles of Siddha Medicine), Magalir and Sool Maruthuvam (Gynaecology and Obstetrics) and Noi Naadal (Pathology and Laboratory Diagnosis) respectively in these regulations.

(8) The renames of Postgraduate degree programmes as mentioned in sub-regulation (7) and newly introduced Postgraduate degree programmes [Udal Koorugal (Human Anatomy), Udal Thathuvam (Human Physiology), Noi Anugavidhi Maruthuvam (Siddha Dietetics, Lifestyle Management, Preventive Medicine and Public Health)] and Thol Maruthuvam (Dermatology) as per **Table** below to sub-regulation (9) shall be applicable only with effect from the date of publiction of these regulations.

(9) The nomenclature and equivalent modern terminologies of the Postgraduate degree programmes under the PSER, 2016 shall be continued as it is, for the batches admitted under the said Regulations.

(10) The Postgraduate degree programme in Thol Maruthuvam (Dermatology) under the Department of Maruthuvam shall be conducted by an independent department, namely, the Department of Thol Maruthuvam (Dermatology) with effect from the date of publiction of these regulations with the qualified teachers in accordance with regulation 32 as mentioned in these regulations.

Table

Postgraduate Degree Programmes or Specialties, Nomenclature of

Postgraduate Degree Programme, Nomenclature of Specialists and Respective Departments

Sl. No.	**Postgraduate Degree Programme or Specialty and Equivalent terms**	**Nomenclature of Postgraduate Degree Programme** [See sub-regulation (2) of regulation 5]	**Nomenclature of Specialists with Equivalent Modern Terminology**	**Department in which Postgraduate Degree Programme shall be conducted.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
		SIDDHA MARUTHUVA PERARIGNAR (DOCTOR OF MEDICINE)		
1	Pothu Maruthuvam (General Medicine)	M.D (Pothu Maruthuvam)	Pothu Maruthuva Perarignar (Siddha General Medicine Specialist)	Maruthuvam (Medicine)
2	Varma Maruthuvam (Varma Medicine)	M.D (Varma Maruthuvam)	Varma Maruthuva Perarignar (Siddha Varmam Specialist)	Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam, External

3	Pura Maruthuvam (External Medicine)	M.D (Pura Maruthuvam)	Pura Maruthuva Perarignar (Siddha External Medicine or External Therapy Specialist)	Therapy and Special Medicine)
4	Siddhar Yoga Maruthuvam (Siddhar Yogic Science)	M.D (Siddhar Yoga Maruthuvam)	Siddhar Yoga Maruthuva Perarignar (Siddhar Yogam Specialist)	
5	Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics)	M.D (Kuzhanthai Maruthuvam)	Kuzhanthai Maruthuva Perarignar (Siddha Paediatrician)	Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics)
6	Nanju Maruthuvam (Clinical Toxicology)	M.D (Nanju Maruthuvam)	Nanju Maruthuva Perarignar (Siddha Clinical Toxicologist)	Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum (Forensic Medicine and Toxicology)
7	Noi Anugavidhi Maruthuvam (Siddha Dietetics, Lifestyle Management, Preventive Medicine and Public Health)	M.D (Noi Anugavidhi Maruthuvam)	Noi Anugavidhi Maruthuva Perarignar (Siddha Dietetics, Lifestyle Management, Preventive Medicine and Public Health Specialist)	Noi Anugavidhi including Research Methodology and Medical Statistics (Principles and Disciplines of Disease Prevention and Public Health)
8	Thol Maruthuvam (Dermatology)	M.D (Thol Maruthuvam)	Thol Maruthuvam Perarignar (Siddha Dermatologist)	Thol Maruthuvam (Dermatology)
9	Gunapadam Marunthiyal (Materia Medica, Pharmacology and Pharmacognosy)	M.D (Gunapadam Marunthiyal)	Gunapadam Marunthiyal Perarignar (Siddha Pharmacologist)	Gunapadam Marunthiyal (Materia Medica and Pharmacology)
10	Gunapadam Marunthakaviyal (Materia Medica, Pharmaceutics and Clinical Pharmacy)	M.D (Gunapadam Marunthakaviyal)	Gunapadam Marunthakaviyal Perarignar (Siddha Pharmaceutical Specialist)	Gunapadam Marunthakaviyal (Materia Medica and Pharmaceutics)
11	Noi Naadal (Pathology and Laboratory Diagnosis)	M.D (Noi Naadal)	Noi Naadal Perarignar (Siddha Pathologist)	Noi Naadal and Noi Mudhal Naadal (Pathology)
12	Siddha Maruthuva Adippadai Ariviyal (Basic Principles of Siddha Medicine)	M.D (Siddha Maruthuva Adippadai Ariviyal)	Siddha Maruthuva Adippadai Ariviyal Perarignar (Siddha Basic Principles Specialist)	Siddha Maruthuva Moolathathuvam (Basic Principles of Siddha Medicine)
13	Udal Koorugal (Human Anatomy)	M.D (Udal Koorugal)	Udal Koorugal Perarignar (Siddha Anatomist)	Udal Koorugal (Anatomy)
14	Udal Thathuvam (Human Physiology)	M.D (Udal Thathuvam)	Udal Thathuvam Perarignar (Siddha Physiologist)	Udal Thathuvam (Physiology)
		SIDDHA MARUTHUVA PERARIGNAR		

		(MASTER OF SURGERY)		
15	Siddhar Aruvai Maruthuvam (Siddha Surgery)	M.S (Siddhar Aruvai Maruthuvam)	Siddhar Aruvai Maruthuva Perarignar (Siddha Surgeon)	Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam (Surgery including Ophthalmology, E.N.T, Dentistry and Dermatology)
16	Magalir and Sool Maruthuvam (Siddha Gynaecology and Obstetrics)	M.S (Magalir and Sool Maruthuvam)	Magalir and Sool Maruthuva Perarignar (Siddha Gynaecologist and Obstetrician)	Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology)

CHAPTER-IV

MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS FOR POSTGRADUATE INSTITUTIONS, WHERE UNDERGRADUATE COURSE OR PROGRAMME IS IN EXISTENCE

6. General .- (1) To run a Postgraduate degree programme along with an undergraduate programme, there shall be an independent Postgraduate department in the concerned subject.

(2) The college or institution conducting both undergraduate programme and Postgraduate programmes shall fulfil all minimum essential standards in terms of infrastructure, human resources, and functionality, equipment and instruments as specified in NCISM-UG MES Regulations, 2024, for undergraduate teaching and training in accordance with student intake capacity and minimum essential standards mentioned in these regulations including additional requirements specified for the Postgraduate institution and concerned Postgraduate department in which Postgraduate programmes are conducted.

(3) In case of any action taken against an undergraduate institution by the MARBISM under clause (f) of sub-section (1) of section 28 of the Act, similar action shall be applicable to the corresponding Postgraduate department or programme.

(4) If any Postgraduate department fails to maintain the minimum essential standards specified in these regulations, the MARBISM shall deny permission for admission in the concerned Postgraduate degree programme or specialty or take such measures as per clause (f) of sub-section (1) of section 28 of the Act.

7. Department-wise Minimum Essential Standards for Postgraduate Teaching and Training.- In addition to the minimum essential requirement mentioned under the NCISM-UG MES Regulations, 2024, the infrastructural facilities in respect of each Postgraduate department as under shall be maintained in the department in which Postgraduate programme is conducted, namely:—

(i) Postgraduate Department of Siddha Maruthuva Moolathathuvam (Basic Principles of Siddha Medicine) shall have upgraded facilities at Postgraduate level in the already existing Language laboratory for undergraduates for Tamil and other languages. Additional computer systems to the existing undergraduate Language laboratory shall be made available for the Postgraduate students in the ratio of 1:1 as per the sanctioned student intake capacity. The minimum area required for this Postgraduate department shall be fifty square metres.

(ii) Postgraduate Department of Udal Koorugal (Anatomy) shall be provided with three-dimensional virtual dissection table and e-dissection software. This department also facilitates practice of surgical techniques through cadaveric surgery for Postgraduate students of Siddhar Aruvai Maruthuvam (Siddha Surgery) and Magalir and Sool Maruthuvam (Siddha Gynaecology and Obstetrics). The minimum area required for this Postgraduate department shall be fifty square metres.

(iii) Postgraduate Department of Udal Thathuvam (Physiology) shall have additionally digital spirometry, personality assessment scales, trichoscope, digital skinfold calliper, auto measuring tool for height, weight, and body mass index calculator and naadi recording equipment (if any related to siddha) along with relevant software, accessories. The minimum area required for this Postgraduate department shall be fifty square metres.

(iv) Postgraduate Department of Gunapadam Marunthiyal (Materia Medica and Pharmacology) shall be provided with Phytochemistry Laboratory and relevant equipment and instruments as per the **First Schedule,** and Green house. The minimum area required for this Postgraduate department shall be fifty square metres and for the Phytochemistry Laboratory and Green house, it shall be fifty square metres each.

(v) Postgraduate Department of Gunapadam Marunthakaviyal (Materia Medica and Pharmaceutics) shall have petrographic microscope, programmable muffle furnace, and upgraded and advanced facilities as per the **Fifth Schedule** additionally for Postgraduate training and research in the already existing Quality Testing Laboratory for undergraduates. The minimum area required for this Postgraduate department shall be fifty square metres.

(vi) Postgraduate Department of Noi Naadal and Noi Mudhal Naadal (Pathology) shall have Molecular Biology Laboratory and advanced diagnostic facilities as per the **Second Schedule.** The already existing Noi Naadal and Noi Mudhal Naadal Practical Laboratory shall be provided with facilities to carry out immunology and histopathology related tests for Postgraduate students including chemiluminescence. The minimum area required for this Postgraduate department shall be fifty square metres and for Molecular Biology Laboratory, it shall be fifty square metres.

(vii) Postgraduate Department of Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum (Forensic Medicine and Toxicology) shall have advanced poison detection facility in Sattam Saantha Maruthuvamum Nanju Maruthuvam Laboratory. An exclusive Out-Patient Department (Nanju Maruthuvam) for Postgraduate teachers and Postgraduate students with minimum of thirty patients per day and additional In-Patient Department beds in the student- bed ratio of 1:4 (i.e., four beds for one student) shall be made available. Seating arrangement in the ward and accommodation for night duty Postgraduate students shall be provided. Average bed occupancy shall not be less than sixty per cent. in Nanju Maruthuvamum In-Patient Department. The minimum area required for this Postgraduate department shall be fifty square metres and for Nanju Maruthuvam (Clinical Toxicology) out-patient department shall be twenty-five square metres.

(viii) Postgraduate Department of Noi Anugavidhi including Research Methodology and Medical Statistics (Principles and Disciplines of Disease Prevention and Public Health) shall have an exclusive Out-Patient Department for Postgraduate teachers and Postgraduate students with minimum of fifty persons per day. Exclusive departmental vehicle for field visits, advanced facilities for Postgraduate training and research in the already existing nutrition laboratory for undergraduates, facilities to administer rejuvenation procedures and physiotherapy to normal individuals with day care facility shall be made available for this department. The space required for this Postgraduate department shall be a minimum of fifty square metres and for Noi Anugavidhi Maruthuvam (Siddha Dietetics, Lifestyle Management, Preventive Medicine and Public Health) out-patient department shall be a minimum of twenty-five square metres.

(ix) Postgraduate Department of Maruthuvam (Medicine) shall have an exclusive Out-Patient Department for Postgraduate teachers and Postgraduate students with minimum of sixty patients per day and additional In-Patient Department beds in the student-bed ratio of 1:4 (i.e., four beds for one student). Seating arrangement in the ward and accommodation for night duty Postgraduate students shall be provided. Average bed occupancy shall not be less than sixty per cent. in Maruthuvam In-Patient Department. The space required for the Postgraduate teaching department shall be a minimum of twenty-five square metres and for Maruthuvam (Medicine) out-patient department shall be a minimum of twenty-five square metres.

(x) Postgraduate Department of Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine) shall have an exclusive three Out-Patient Departments for Postgraduate teachers and Postgraduate students, one each for Varma Maruthuvam (attached with minor therapy or procedure room), Pura Maruthuvam (attached with minor therapy or procedure room) and Siddhar Yoga Maruthuvam (attached with minor yoga room) respectively with minimum of sixty patients per day separately and additional In-Patient Department beds for Varma Maruthuvam and Pura Maruthuvam separately in the student-bed ratio of 1:4 (i.e. four beds for one student). Seating arrangement in the ward and accommodation for night duty Postgraduate students shall be made available. Average bed occupancy shall not be less than sixty per cent. in Varma maruthuvam, Pura Maruthuvam and Sirappumaruthuvam In-Patient Department. Fully established physiotherapy facility in the hospital shall be extended to this department. No In-Patient Department beds for Siddhar Yoga Maruthuvam Postgraduate degree programme. The space required for the Postgraduate teaching department shall be a minimum of twenty-five square metres for each programme under this department and the minimum requirement of space for out-patient department of Varma Maruthuvam (Varma Medicine) attached with minor therapy or procedure room, Pura Maruthuvam (External Medicine) attached with minor therapy or procedure room and Siddhar Yoga Maruthuvam (Siddhar Yogic Science) attached with minor yoga room shall be fifty square metres each.

(xi) Postgraduate Department of Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam (Surgery including Ophthalmology, E.N.T, Dentistry and Dermatology) shall have an exclusive Out-Patient Department (attached with minor procedure room) for Postgraduate teachers and Postgraduate students with advanced diagnostic facilities with minimum of sixty patients per day, and additional In-Patient Department beds in the student-bed ratio of 1:4 (i.e. four beds for one student). Seating arrangement in the ward and accommodation for night duty Postgraduate students shall be made available. Average bed occupancy shall not be less than sixty per cent. in Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam In-Patient Department. The space required for the Postgraduate teaching department shall be a minimum of twenty-five square metres and for the Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam (Surgery

including Ophthalmology, E.N.T, Dentistry and Dermatology) out-patient department (attached with minor procedure room) shall be a minimum of fifty square metres. The Postgraduate department in the hospital shall attend the cases of Kan, Kathu, Mookku, Thondai and Pal but not Thol or Skin (Dermatology) related clinical conditions, if the institution is conducting Postgraduate programme in Thol Maruthuvam.

(xii) Postgraduate Department of Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology) shall have an exclusive Out-Patient Department (attached with examination cum procedure room) for Postgraduate teachers and Postgraduate students with minimum of sixty patients per day, and an exclusive Operation Theatre for Sool and Magalir Maruthuvam to carry out Sool and Magalir Maruthuvam related surgeries. Additional In-Patient Department beds in the student-bed ratio of 1:4 (i.e. four beds for one student) shall be made available. Seating arrangement in the ward and accommodation for night duty Postgraduate students shall be provided. Average bed occupancy shall not be less than sixty per cent. in Sool and Magalir Maruthuvam In-Patient Department. A minimum of ten deliveries per month shall be conducted. The area required for the Postgraduate teaching department shall be a minimum of twenty-five square metres and Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology) out-patient department (attached with examination cum procedure room) shall be a minimum of fifty square metres.

(xiii) (a) Postgraduate department of Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics) shall have an exclusive Out-Patient Department for Postgraduate teachers and Postgraduate students with minimum of sixty patients per day, and additional In-Patient Department beds in the student-bed ratio of 1:4 (i.e. four beds for one student). Seating arrangement in the ward and accommodation for night duty Postgraduate students shall be made available. Average bed occupancy shall not be less than sixty per cent. in Kuzhanthai Maruthuvam In-Patient Department. Immunisation providing facility shall be made available in this department. The space required for the Postgraduate teaching department shall be a minimum of twenty-five square metres and for Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics) out-patient department shall be a minimum of twenty-five square metres;

(b) the out-patient department shall be provided with paediatric ear-nose-throat kit, caliper for measuring skinfold thickness, tape for measuring mid arm and head circumferences, magnifying lens for skin examination, rectal thermometer, and toys of different colour, shape, illumination and sounds;

(c) demarcated area for breast-feeding adjacent to Kuzhanthai Maruthuvam out-patient department shall be made available;

(d) the Neonatal Care Room in the hospital shall be functioning under the Department of Kuzhanthai Maruthuvam. If the institution is conducting postgraduate programme in Magalir and Sool Maruthuvam (Gynaecology and Obstetrics), the neonatal care room attached with labour room which is already existing or functioning in the hospital (as per clause (b) of sub-regulation (4) of regulation 55 in NCISM-UG MES Regulations, 2024) shall be upgraded as Neonatal Intensive Care Unit with facilties such as (i) radiant warmer with open care access with multi-channel monitor, time sensor, heat sensor, oxygen and suction facility and adjustable baby tilt (ii) phototherapy unit with two surface expandable to three to four surfaces (iii) infusion pump (two numbers) (iv) facility for intra-venous cannulation, blood sampling, drip infusion (v) continuous positive airway pressure (vi) warm chain box for baby transport etc.

(e) the institution with this Postgraduate department shall adapt at least two schools with schooling from nursery to tenth standard. The department shall run 'child development clinic' to assess health, growth and psychological development periodically. At-least two such assessments shall be done per year with proper health records of the child. The minimum space requirement for child development clinic shall be twenty-five square metres.

(xiv) Postgraduate Department of Thol Maruthuvam (Dermatology) shall have an Out-Patient Department for Postgraduate teachers and Postgraduate students with minimum of sixty patients per day, and separate In-Patient Department with number of beds in the student-bed ratio of 1:4 (i.e. four beds for one student). Seating arrangement in the ward and accommodation for night duty Postgraduate students shall be made available. Average bed occupancy shall not be less than sixty per cent. in Thol Maruthuvam In-Patient Department. The space required for the Postgraduate teaching department shall be a minimum of twenty-five square metres and Thol Maruthuvam (Dermatology) out-patient department shall be a minimum of twenty-five square metres;

(xv) (a) Every Postgraduate institution, irrespective of the Postgraduate programmes being conducted, shall establish the Department of Integrative Health and Translational Research to support, coordinate, monitor and guide dissertation or research activities;

(b) this department shall coordinate guide allotment process, alternate guide arrangement in case of emergencies, research monitoring and the like activities;

(c) the central research laboratory, quality testing laboratory, animal house and animal experimentation laboratory, Clinical Research Cell and plagiarism scrutiny cell as applicable shall function under this department;

(d) research committees such as institutional research committee, institutional ethics committee for human subjects, institutional animal ethics committee and the like shall function under this department;

(e) the Department shall be provided with adequate teaching and non-teaching staff, and seating arrangements and other facilities shall be made available as specified in these regulations;

(f) The minimum area required for this department shall be seventy-five square metres.

(xvi)(a) Every Postgraduate institution shall have a Central Research Laboratory with advance research facilities as per the **Third Schedule** for carrying out various research experiments by Postgraduate students as well as teaching faculty;

(b) the minimum area required for Central Research Laboratory shall be one hundred and fifty square metres and the human resources for Central Research Laboratory shall be made available as specified in these regulations;

(c) faculty member of any department well-versed with laboratory and analytical equipment shall be the in-charge of Central Research Laboratoryand it shall function under the Department of Integrative Health and Translational Research and the Professor cum head of the Department of Integrative Health and Translational Research shall be the head of Central Research Laboratory.

(xvii)(a) Advanced Quality Testing Laboratory as mentioned in (v) shall be made available in case of Postgraduate programme in Gunapadam Marunthiyal and Gunapadam Marunthakaviyal;

(b) this laboratory shall fulfil the infrastructure, facilities, equipment, instruments, etc specified under 'B' of the Tenth Schedule of the NCISM-UG MES Regulations, 2024 along with the instruments and equipment mentioned in the **Fifth Schedule** of these regulations for Postgraduate teaching, training and research;

(c) it shall function under the Department of Integrative Health and Translational Research and the Professor cum head of the Department of Integrative Health and Translational Research shall be the head of Quality Testing Laboratory; faculty member of department of Gunapadam Marunthiyal or Gunapadam Marunthakaviyal shall be the in-charge of quality testing laboratory.

(xviii)(a) Approved Animal House and Animal Experimentation Laboratory shall be made in case of Postgraduate degree programme in the department of Gunapadam Marunthiyal, Gunapadam Marunthakaviyal, Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum and Siddha Maruthuva Moolathathuvam and the minimum area required for animal house and animal experimentation laboratory shall be two hundred and fifty square metres;

(b) it shall have proper permission or approval from concerned authorities, and provided with adequate infrastructure, facilities as per the **Fourth Schedule**, and human resources as specified in these regulations for effective functioning;

(c) faculty member of department of Gunapadam Marunthiyal or Gunapadam Marunthakaviyal or Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum or Siddha Maruthuva Moolathathuvam shall be the in-charge of animal house and animal experimentation laboratory and it shall function under the Department of Integrative Health and Translational Research and the Professor cum head of the Department of Integrative Health and Translational Research shall be the head of animal house and animal experimentation laboratory;

(xix) There shall be a Clinical Research Cell in the hospital to coordinate the clinical research activities. The minimum requirement of space for Clinical Research Cell shall be fifty square metres and human resources shall be as mentioned in these regulations. The Siddha graduate (B.S.M.S) with postgraduation degree or diploma in clinical research or master's degree in public health shall be the coordinator of Clinical Research Cell. The cell shall function under the Department of Integrative Health and Translational Research and the Professor cum head of the Department of Integrative Health and Translational Research shall be the head of Clinical Research Cell;

(xx) There shall be Plagiarism Scrutiny Cell in every Postgraduate institution and this cell shall be provided with computer, printer, internet and suitable software programme for checking plagiarism. A teaching faculty trained in plagiarism checking, nominated by the head of the institution shall be the coordinator of this cell. It shall function under the Department of Integrative Health and Translational Research and the Professor cum head of the Department of Integrative Health and Translational Research shall be the head of plagiarism scrutiny cell;

(xxi)(a) In case of Postgraduate degree programme in the Department of Noi Naadal and Noi Mudhal Naadal, the Postgraduate students may utilise or collaborate with out-patient departments, in-patient departments and diagnostic zone of the hospital for their training and dissertation or research work;

(b) the head of the department of Noi Naadal and Noi Mudhal Naadal or a faculty member from the department of Noi Naadal and Noi Mudhal Naadal designated by the head of the institution shall be authorised to sign, authenticate and interpret diagnostic investigations or tests to the extent of teaching and training in terms of Siddha principles.

(xxii) The Postgraduate students of Postgraduate degree programme in Siddhar Yoga Maruthuvam under Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam department may utilise or collaborate with out-patient departments, in-patient departments, and yoga section of the hospital for their training and dissertation or research work.

(xxiii) The Postgraduate students of Postgraduate degree programme in Noi Anugavidhi Maruthuvam may utilise or collaborate with out-patient departments, in-patient departments, physiotherapy, and yoga section of the hospital for their training, survey and dissertation or research work.

8. Additional Minimum Essential Standard Requirements for Postgraduate Education.-

(1) Postgraduate Classrooms.-There shall be minimum two classrooms (Information and Communication Technologies enabled smart classrooms) for each Postgraduate programme adjacent to the concerned Postgraduate department with the constructed area not less than forty square metres each with adequate seating arrangements.

(2) Postgraduate Seminar Halls.- (a) There shall be one seminar hall for each Postgraduate degree programme or specialty having minimum constructed area of eighteen square feet per student with seating capacity of twenty per cent. addition to the total number of Postgraduate students (i.e., all students of three years of that particular Postgraduate department or specialty or programme);

(b) one common seminar hall with twenty per cent. additional seating capacity (i.e. minimum six and half square feet per student) to the total strength of Postgraduate students of all three batches or all three years of all Postgraduate specialties or programmes of the Siddha Postgraduate teaching institution;

(c) Postgraduate seminar halls shall be Information Communication Technology (ICT) enabled with suitable seating arrangements.

(3) Central Library.- (a) Additional seating arrangements as per the Postgraduate student intake capacity (1:2, one seat for every two Postgraduate students of yearly intake capacity) shall be provided in central library;

(b) in addition to total number of books for undergraduate programme, a minimum of two hundred additional books for each Postgraduate department or programme shall be made available; these additional books shall be specific to the Postgraduate department or programme or specialty and shall be kept in separate shelves; there shall be at least ten per cent. of yearly addition of books;

(c) in addition to the journals specified for undergraduate programme, a minimum of four indexed journals specific to the Postgraduate programme or specialty shall be made available in the central library.

(4) Departmental Library.- (a) A minimum of one hundred books shall be made available for each Postgraduate departmental library;

(b) a Postgraduate department with multiple Postgraduate programmes shall maintain minimum one hundred books for each Postgraduate programme or specialty.

(5) Digital Library.- (a) Additional computer systems for Postgraduate students in the ratio of 1:5, i.e., one system for five Postgraduate students, in respect of the total annual student intake capacity of all Postgraduate programmes shall be provided;

(b) software or programmes such as Grammarly, plagiarism check, statistical programs, citation or bibliography maker or generator etc. shall be made available in the digital library.

(6) (a) Common room for Postgraduate students with accommodation capacity of minimum twenty per cent. of total annual intake capacity (for male and female students separately) of all Postgraduate programmes with adequate space, furniture and attached toilet facilities shall be provided;

(b) toilets for female Postgraduate students shall be provided with the facilities of sanitary napkin dispensers and incinerator.

(7) Clinical Skill or Simulation Laboratory.- The department (Maruthuvam, Varmam Puramaruthuvam and Sirappu Maruthuvam, Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam, Sool and Magalir Maruthuvam, Kuzhanthai Maruthuvam, Noi Naadal and Noi Mudhal Naadal and Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum) in which Postgraduate programme is conducted, shall maintain department specific manikins, simulators, and devices additionally as per the **Sixth Schedule** of these regulations in addition to the department specific simulators or manikins as per the Fourteenth Schedule specified in the NCISM-UG MES Regulations, 2024 for Postgraduate teaching and training.

9. Requirement of Number of Beds, Patient Attendance and Bed Occupancy.—(1) In addition to the number of beds specified for each In-Patient Department mentioned in the NCISM-UG MES Regulations, 2024 for undergraduate training in accordance with student intake capacity, the concerned Postgraduate department [i.e. Maruthuvam, Varmam Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varma Maruthuvam and Pura Maruthuvam

separately), Kuzhanthai Maruthuvam, Nanju Maruthuvam, Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam, Sool and Magalir Maruthuvam, and Thol Maruthuvam] shall maintain additional beds in respect of student-bed ratio of 1:4.

(2) The minimum annual average bed occupancy in the In-Patient Department of the concerned department [i.e. Maruthuvam, Varmam Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam, Kuzhanthai Maruthuvam, Nanju Maruthuvam, Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam, Sool and Magalir Maruthuvam, and Thol Maruthuvam] in which a Postgraduate programme is conducted, during the last one calendar year (365 days and 366 days in case of a leap year) shall not be less than sixty per cent. In the In-Patient Departments in which a Postgraduate programme is not conducted during the last one calendar year (365 days and 366 days in case of a leap year) shall not be less than forty per cent.

(3) The hospital shall maintain the average out-patient attendance in accordance with student intake capacity as per the NCISM-UG MES Regulations, 2024, however, (a) the minimum out-patient attendance in the Postgraduate Out-Patient Department in Maruthuvam, Varma Maruthuvam, Pura Maruthuvam, Kuzhanthai Maruthuvam, Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam (Surgery including Ophthalmology, E.N.T, Dentistry and Dermatology), Sool and Magalir Maruthuvam, and Thol Maruthuvam during the last one calendar year (300 days) shall not be less than sixty patients per day;

(b) the minimum out-patient attendance in the Postgraduate Out-Patient Department in Nanju Maruthuvam during the last one calendar year (300 days) shall not be less than thirty patients per day;

(c) the minimum out-patient attendance in the Postgraduate Out-Patient Department in Siddhar Yoga Maruthuvam during the last one calendar year (300 days) shall not be less than fifty patients per day;

(d) the minimum daily average out-patient attendance in the Postgraduate Out-Patient Department in Noi Anugavidhi Maruthuvam during the last one calendar year (300 days) shall not be less than fifty persons or subjects per day.

10. Minimum Essential Requirement of Human Resources.-

(1) Teaching staff.- (a) (i) There shall be minimum of one Professor, one associate Professor or reader and one assistant Professor or lecturer for each Postgraduate department or programme or specialty except for the department of Integrative Health and Translational Research and the requirement of teaching staff in Postgraduate department shall be as per **Table** below to the clause (h);

(ii) Professor cum Head of the Department may be common for both undergraduate and Postgraduate department of the concerned subject, provided the Professor shall be possessing Postgraduate degree in the concerned subject. In case if the Professor of undergraduate department is not possessing Postgraduate degree in concerned subject, an additional Professor with Postgraduate qualification and experience as provided in these regulations shall be required for Postgraduate speciality or programme;

(iii) associate Professor or reader, assistant Professor or lecturer shall be exclusive for Postgraduate department in addition to the teaching staff provided for the concerned undergraduate department as laid down in the NCISM-UG MES Regulations, 2024;

(iv) in the event of the availability of more than one Professor in a department, the position of head of the department shall be given to each Professor for a period of three years on a rotation basis;

(v) duplication of the faculties between the undergraduate department and the Postgraduate department of the concerned subject shall not be accepted in any case;

(b) multiple Postgraduate programmes under the same department.- each Postgraduate degree programme of Varma Maruthuvam, Pura Maruthuvam and Siddhar Yoga Maruthuvam under the same department of Varmam, Puramaruthuvam and Sirappu Maruthuvam shall have one Associate Professor or Reader, one Assistant Professor or Lecturer additionally in addition to the teaching staff specified for the concerned undergraduate department of Varmam, Puramaruthuvam and Sirappu Maruthuvam in the NCISM-UG MES Regulations, 2024:

Provided that the Professor cum Head of the Department may be the common for both undergraduate and above-mentioned three Postgraduate degree programmes in the department of Varmam, Puramaruthuvam and Sirappu Maruthuvam, provided the Professor shall be possessing Postgraduate degree in the concerned subject. In case, if the Professor of undergraduate department is not possessing Postgraduate degree in the concerned subject, an additional Professor with Postgraduate qualification and experience as provided in these regulations shall be required for Postgraduate department. He or she shall be eligible to have only three Postgraduate students every year as per the student-guide ratio in any one of the specialties in the department; for other Postgraduate programmes or specialties in the same department, the institution may have an additional Professor to admit the students as per the student-guide ratio as mentioned in these regulations;

(c) in such multiple Postgraduate programmes in the same department as mentioned in clause (b) the duplication of teaching staff between Postgraduate programmes under the same department and duplication of the faculties between the undergraduate department and the Postgraduate department of the same subject shall not be accepted in any case;

(d) the Postgraduate department of Thol Maruthuvam shall have minimum one Professor, one Associate Professor or Reader and one Assistant Professor or Lecturer exclusively since the department does not have department at undergraduate level;

(e) the qualification and experience of teaching staff shall be as per regulation 32 in these regulations;

(f) (i) the Department of Integrative Health and Translational Research, shall have one Professor on a full-time, regular basis as shown in **Table** below to clause (h) and ones' qualification and experience shall be as per sub-clause (i) of clause (g) of sub-regulation (2) of regulation 32 specified in these regulations;

(ii) the department shall have additional teaching staff in the subjects of biochemistry, pharmacology, microbiology, medicinal botany or botany and public health on a full-time, regular basis as shown in **Table** below to clause (h) and whose qualifications, experience and promotion shall be as per sub-clause (ii) of clause (g) of sub-regulation (2) of regulation 32 specified in these regulations;

(iii) one biostatistician shall be appointed on full-time or part-time basis in the Department of Integrative Health and Translational Research as shown in **Table** below to clause (h) and the qualification shall be as per sub-clause (iii) of clause (g) of sub-regulation (2) of regulation 32 specified in these regulations;

(g) in the event of the availability of more than one Professor in a department, the position of head of the department shall be given to each Professor for three years on a rotation basis;

(h) part-time teachers shall attend a minimum of thirty hours per month with at least four hours per visit, preferably on fixed days.

Table

Minimum Essential Requirements of Teaching Staff for Postgraduate Departments

in Undergraduate College or Institution

[In addition to the teaching staff specified for the undergraduate department as per the student intake capacity in the NCISM-UG MES Regulations, 2024, the following requirements shall be fulfilled]

Sl. No.	Postgraduate Department	Minimum Requirement of Teaching Staff		
		Professor cum Head	Associate Professor	Assistant Professor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Maruthuvam (Medicine)	One	One	One
2	Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine)			
	Varma Maruthuvam (Varma Medicine)	One	One	One
	Pura Maruthuvam (External medicine)		One	One
	Siddhar Yoga Maruthuvam (Siddhar Yogic Science)		One	One
3	Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics)	One	One	One
4	Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum (Forensic Medicine and Toxicology)	One	One	One
5	Noi Anugavidhi including Research Methodology and Medical Statistics (Principles and Disciplines of Disease Prevention and Public Health)	One	One	One
6	Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam (Surgery including Ophthalmology, E.N.T, Dentistry and Dermatology)	One	One	One
7	Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology)	One	One	One

8	Noi Naadal and Noi Mudhal Naadal (Pathology)	One	One	One
9	Gunapadam Marunthiyal (Materia Medica and Pharmacology)	One	One	One
10	Gunapadam Marunthakaviyal (Materia Medica and Pharmaceutics)	One	One	One
11	Siddha Maruthuva Moolathathuvam (Basic Principles of Siddha Medicine)	One	One	One
12	Udal Koorugal (Anatomy)	One	One	One
13	Udal Thathuvam (Physiology)	One	One	One
14	Thol Maruthuvam (Dermatology)	One	One	One
15	Integrative Health and Translational Research	One	---	Five

Note: 1. Professor cum Head of the Department specified in column (3) may be the common for both undergraduate and Postgraduate departments in the concerned subject.

2. Thol Maruthuvam Postgraduate department shall have a Professor cum Head exclusively since non-availability of undergraduate department in Thol Maruthuvam.

3. There shall be a Professor cum Head for the Department of Integrative Health and Translational Research as a teaching faculty.

4. There shall be a minimum of five Assistant Professors in the Department of Integrative Health and Translational Research (each one from Biochemistry, Microbiology, Medicinal Botany or Botany, Pharmacology and Public Health) as teaching faculties as full-time, regular basis.

5. The department of Integrative Health and Translational Research shall have one biostatistician on a full-time or part-time basis.

6. Professor of Practice shall be appointed in each Postgraduate department or specialty or programme as per clause (a) and (b) of sub-regulation (2) of regulation 4 and the qualification shall be as per the **Seventh Schedule**, and they shall not be provided with teacher's code by the Medical Assessment and Rating Board of Indian System of Medicine.

(2) Non-Teaching including Technical and Other Staff: (a) each institution shall provide non-teaching staff additionally in the concerned department in which Postgraduate programmes are conducted as shown in **Table** below to clause (c);

(b) their qualification and experience for non-teaching staff shall be as per the Sixth Schedule of the NCISM-UG MES Regulations, 2024;

(c) the minimum requirement of staff for department of Integrative Health and Translational Research, Central Research Laboratory, Animal Experimentation Laboratory and Animal House, Clinical Research Cell, Internal Quality Assurance Cell shall be as per the below **Table**.

Table

Minimum Essential Requirements of Non-Teaching Staff for Postgraduate Departments in Undergraduate College or Institution

[In addition to the non-teaching staff specified for the undergraduate department as per the student intake capacity in NCISM-UG MES Regulations, 2024, the following requirements shall be fulfilled]

Sl. No.	Department or Section or Unit and Required Non-Teaching Staff	Required Numbers
(1)	**(2)**	**(3)**
I	**Postgraduate Departments**	
1	**Siddha Maruthuva Moolathathuvam (Basic Principles of Siddha Medicine)**	
	Muti-tasking staff (with minimum 10^{th} standard)	One
2	**Udal Koorugal (Anatomy)**	
	Multi-tasking staff	One

3	**Udal Thathuvam (Physiology)**	
	Multi-tasking staff	One
4	**Gunapadam Marunthiyal (Materia Medica and Pharmacology)**	
	Multi-tasking staff	One
	a) Gunapadam Marunthiyal Practical Laboratory	
	Lab Technician (with bachelor's degree in biology or botany)	One
	b) Maruthuva Thavaraviyal Laboratory	
	Lab Attendant	One
	c) Phytochemistry Laboratory	
	Lab in-charge (with master's degree in phytochemistry)	One
	Lab Technician (with bachelor's degree in phytochemistry)	One
	Lab Attendant	One
5	**Gunapadam Marunthakaviyal (Materia Medica and Pharmaceutics)**	
	Multi-tasking staff	One
6	**Noi Naadal and Noi Mudhal Naadal (Pathology)**	
	Multi-tasking staff	One
	a) Noi Naadal and Noi Mudhal Naadal Practical laboratory	
	Lab Technician	One
	b) Nunnuyiriyal Practical Laboratory	
	Lab Technician	One
	c) Molecular Biology Laboratory	
	Lab in-charge (with master's degree in molecular biology)	One
	Lab Technician (with bachelor's degree in molecular biology)	One
	Lab Attendant	One
7	**Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum (Forensic Medicine and Toxicology)**	
	Multi-tasking staff	One
8	**Noi Anugavidhi including Research Methodology and Medical Statistics (Principles and Disciplines of Disease Prevention and Public Health)**	
	Multi-tasking staff	One
	Nutrition Laboratory	
	Lab in-charge (with master's degree in nutrition and dietetics)	One
9	**Maruthuvam (Medicine)**	One multi-tasking staff for each Postgraduate Department
10	**Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine)**	
11	**Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam (Surgery including Ophthalmology, E.N.T, Dentistry and Dermatology)**	
12	**Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology)**	
13	**Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics)**	
14	**Thol Maruthuvam (Dermatology)**	
15	**Integrative Health and Translational Research**	
	Clerical staff (graduate with computer knowledge)	Two

	Multi-tasking staff (with minimum 10th standard)	One
	Quality Testing Laboratory	
	In-Charge (Faculty member of Gunapadam Marunthiyal or Gunapadam Marunthakaviyal)	One
	Clerical staff	One
	Central Research Laboratory	
	In-charge (Faculty member of any department, well-versed with laboratory and analytical equipment)	One
	Lab Technician (B.Sc Chemistry or B.Sc Botany)	One
	Lab Attendant	One
	Animal House and Animal Experimentation Laboratory	
	In-charge (Faculty member of Department of Gunapadam Marunthakaviyal or Gunapadam Marunthiyal)	One
	Lab Technician (B.Sc Zoology)	One
	Animal House and Lab Attendant	One
	Clinical Research Cell	
	Clinical Research Coordinator (BSMS degree with Postgraduation or Diploma in Clinical Research or Master of Public Health)	One
	Clerical staff	One
	Multi-tasking staff	One
II	**Internal Quality Assurance Cell**	
	Coordinator (with MBA in quality management)	One
	Clerical staff	One
	Multi-tasking staff	One

Note: 1. Additional staff like sweeper, attendant, lifter, data entry operator, security guards, electrician, plumber, carpenter, driver, multi-tasking staff, etc may be appointed by outsourcing based on the requirement.

2. Skilled professionals trained by any of the skill development agency under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship shall be given preference to the extent of availability while appointing the non-teaching staff.

(3) Hospital Staff: For additional beds increased for Postgraduate programme and specific units in the hospital, additional staff as shown in **Table** below shall be maintained.

Table

Minimum Essential Requirements of Hospital Staff

[In addition to the hospital staff specified for undergraduate institution as per the student intake capacity in the NCISM-UG MES Regulations, 2024]

Sl. No.	Required Staff	Required Numbers
(1)	**(2)**	**(3)**
1	Nursing staff	One for every ten beds in in-patient departments; Two nurses for Sool and Magalir Maruthuvam Operation Theatre; One nurse for each Intensive Care Unit (ICU) bed in Maruthuvam Department; and 2 nurses for Neonatal Intensive Care Unit in

		Kuzhanthai Maruthuvam Department.
2	Clinical Registrar or Senior Resident or Resident Doctor	One for every twenty beds
3	Ayah	One for every twenty beds

Note: 1. Nursing staff numbers may be increased as per the shift in a day.

2. Number of therapists may be increased in accordance with number of patients for pura maruthuvam.

3. Paediatric therapist, occupational therapist and speech therapist may be appointed on a part-time basis for Department of Kuzhanthai Maruthuvam.

4. Postgraduate students may be appointed as clinical registrar or senior resident or resident doctor, provided the students shall be paid stipend or salary.

5. Security guards, electrician, plumber, sanitation workers, washer man, gardener, driver, housekeeping staff, cook, maintenance staff, multipurpose worker, if additionally needed, may be obtained by out-sourcing.

6. Skilled professionals trained by any of the skill development agency under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship shall be given preference to the extent of availability while appointing the hospital staff.

11. The timeline to comply additional minimum essential standard requirements by Postgraduate institutions or departments established before publication of these regulations.- (1) Separate Postgraduate departments shall be established in the departments in which Postgraduate programmes are conducted within twelve months from the date of publication of these regulations.

(2) The timeline to comply additional requirements by Postgraduate institutions or departments established before publication of these regulations as per the **Table** below:—

Table

Timeline to comply with additional minimum essential standards requirements by the Postgraduate institutions (where undergraduate programme is in existence) established before publication of these regulations.

Sl. No.	Standard or Unit or Section or Facility	Timeline (From the date of publication of these regulations in the Official Gazette)
(1)	(2)	(3)
1	Phytochemistry laboratory (Department of Gunapadam Marunthiyal)	Twelve months
2	Green House (Department of Gunapadam Marunthiyal)	Eighteen months
3	Molecular Biology Laboratory and additional facilities to carry out Immunology and Histopathology tests in the Noi Naadal and Noi Mudhal Naadal (Pathology) Practical Laboratory (Department of Noi Naadal and Noi Mudhal Naadal)	Twelve months
4	Advanced poison detection facility (Department of Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum)	Twelve months
5	Postgraduate department wise Seminar halls and common Seminar hall	Eighteen months
6	Central library requirements for Postgraduate students and Departmental library requirements	Six months
7	Digital library facilities for Postgraduate students	Eighteen months
8	Postgraduate department specific additional requirements in Clinical Skill or Simulation laboratory	Eighteen months
9	Common room for Postgraduate students (boys and girls separately)	Eighteen months
10	Common room for Postgraduate students (boys and girls separately)	Eighteen months

11	Clinical Skill or Simulation Laboratory (Postgraduate department requirements)	Eighteen months
12	Department of Integrative Health and Translational Research	Twelve months
13	Facilities in Central Research Laboratory	Immediate
14	Additional instruments and equipments in Quality Testing Laboratory for Postgraduate teaching, training, and research	Immediate
15	Facilities in Animal House and Animal Experimentation Laboratory	Eighteen months
16	Clinical Research Cell with all facilities	Eighteen months
17	Plagiarism Scrutiny Cell with all facilities	Six months
18	Attached therapy/ procedure room in Postgraduate out-patient departments as applicable	Six months
19	Neonatal Intensive Care Unit, Child Development Clinic (Department of Kuzhanthai Maruthuvam)	Eighteen months
20	Construction (building infrastructure)	Eighteen months
21	Department wise equipment and instruments for Postgraduate teaching in which Postgraduate programme are conducted	Six months
22	Human resources	Twelve months

Note: 1. The above-mentioned timelines are for developing physical infrastructure and acquiring equipment and instruments. However, the constitution of committees and functions of various units or cells shall be started within a month.

2. All other new standards or additions or expansions prescribed in this regulation for Postgraduate education, teaching, training, and research (as applicable) shall be fulfilled.

3. All other new standards or additions or expansions specified for campus, college, hospital in the NCISM-UG MES Regulations, 2024 in accordance with student intake capacity shall be fulfilled as per the timeline provided in the said regulations including building infrastructure.

(3) The timeline mentioned in sub-regulations (1) and (2) is the maximum and no relaxation shall be given thereafter.

CHAPTER-V

MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS FOR STANDALONE POSTGRADUATE INSTITUTIONS

12. Land Requirement.- (1) The requirement of land shall be a minimum of five acres. In the case of specific categories of land, such as Tier I and II cities (X and Y categories), North-Eastern States, hilly areas, and notified tribal areas, the minimum requirement of land shall be not less than three and a half acres, and in such case, the institution shall have a certificate obtained from the concerned local authorities to establish the specific category of land as a proof.

(2) The land shall be on one piece of land or plot. If the plot is separated by a road or canal or rivulet but connected with a bridge, shall be treated as one piece of land.

(3) The designated land for a standalone Postgraduate institution, its attached teaching hospital and hostels shall be clearly demarcated and should not be used for any other purpose other than activities of standalone Postgraduate institution.

(4) The land shall be owned by the institution on lease, in the name of the institution, for a period not less than thirty years or the maximum permissible period as per rules or regulations of the respective State Government or Union territory Administration and the renewal of lease shall, however, be required on expiry of lease.

(5) In case of institutions having lease agreement for land, the institute shall not be granted permission for admission for the last three years of lease period unless the institute submit a notarised affidavit every year mentioning the lease shall be renewed before the expiry of the lease and subsequently submit the renewed lease agreement before expiry of lease period.

13. The Campus in General.- (1) The campus designated for standalone Postgraduate institution and attached teaching hospital shall have proper approach road, well-constructed compound wall with proper arrangements for security.

(2) The campus designated for standalone Postgraduate institution shall accommodate,-

(a) Administration zone;

(b) Academic zone;

(c) Clinical zone; and

(d) Experimentation zone.

(3) For administration purposes, the campus is divided into the above-mentioned zones.

(4) The institution and hospital shall be constructed in separate buildings with its departments, and ancillary units and sections with adequate infrastructure, human resources, and facilities as specified in these regulations.

(5) Each standalone Postgraduate institution shall have attached with fully functional sixty bedded hospital having National Accreditation Board for Hospitals accreditation (at least entry level) and shall fulfil all the minimum essential standards in terms of infrastructure, human resources, functionality, facilities including equipment and instruments etc specified for sixty bedded teaching hospital (for sixty students intake capacity) attached to the college or institution in the NCISM-UG MES Regulations, 2024. If any Postgraduate department or specialty fails to maintain the minimum essential standards as specified in these regulations, the MARBISM shall deny permission or take measures as per the clause (f) of sub-section (1) of section 28 of the Act. against the concerned Postgraduate degree programme or specialty.

(6) All the buildings shall have all relevant permissions from concerned authorities.

(7) There shall be fire safety, sewage treatment plan, pollution control facilities, disaster management measures, bio-medical waste management etc. with proper permission from concerned authorities as per extant norms.

(8) Institution must provide a barrier free environment for the independence, convenience, and safety of the physically challenged persons.

(9) The campus shall have an appropriate layout plan for free vehicular movement and demarcated parking area.

(10) The parking area shall be labeled or marked for higher officials, employees, and students.

(11) The campus shall have adequate water supply, proper drainage system, and electricity supply including power back-up system.

(12) There shall be a central workshop or maintenance cell in the campus, equipped suitably as per the requirements of the college or institution, along with appropriate technical staff or outsourced staff for the maintenance-related works in areas such as electrical, plumbing, carpentry, sanitary, civil works, water supply, waste management, drainage, housekeeping and other matters.

(13) The institution shall maintain official contact details, official bank accounts, information technology infrastructure, biometric attendance system and institution website as specified in the NCISM-UG MES Regulations, 2024.

(14) The institution shall install and maintain all online systems specified by the commission and shall align or interface to the online systems of the commission as specified in clauses (a), (b) and (c) of sub-regulation (4) of regulation 4 of these regulations.

14. Minimum Essential Standard Requirements Zone-Wise.- (1) **Administration Zone.-** (a) The minimum area required for administration zone is 200 square metres. This zone shall accommodate sub-units such as office of the head of the institution including anteroom and attached toilet, office of the personal assistant, office of the institution (establishment, accounts, cash etc), staff committee room or college council meeting room, waiting room for visitors to the head of the institution and office separately, central store, record room, pantry, toilets etc., as shown in **Table** below:—

Table

Minimum Requirement of Space for Administrative Zone in Standalone Postgraduate Institution

Sl. No.	Units or Sections	Minimum Required Area in Sq.Mt.
(1)	**(2)**	**(3)**
1	Head of the Postgraduate Institution (Director or Dean or Principal) office including anteroom and attached toilet	50
2	Personal Assistant to Head of the institution	10
3	Staff committee or meeting room/college council meeting room	30
4	Visitors longue for visitors to head of the institution	10
5	College Office (seating arrangement to superintendent, clerical staff, accountants, cashier, record room and visitors lounge for office visitors)	55
6	Pantry	05
7	Central store	30
8	Toilet for office staff	10
	Total	**200**

(b) Human Resources.-the administration section shall be provided with an adequate number of staff as per the **Table** below with the qualifications and experience mentioned in the Sixth Schedule of the NCISM-UG MES Regulations, 2024.

Table

Minimum Essential Requirements of Non-Teaching staff in Administration Zone in Standalone Postgraduate Institution

Sl. No.	Required Non-Teaching Staff	Required Numbers
(1)	**(2)**	**(3)**
1	Personal Assistant or Personal Secretary for the Head of the Institution	One
2	Office Superintendent	One
3	Clerical staff (Establishment, Accounts and Cash)	Three
4	Attendant or Multi-tasking staff	Two

Note:- 1. Non-teaching staff prescribed above for administration zone is minimum, however the institution may appoint more number of staff as per requirement

2. Skilled professionals trained by any of the skill development agency under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship shall be given preference to the extent of availability while appointing the non-teaching staff.

(2) **Academic Zone.-** (a) Academic zone is comprising of Postgraduate departments and their associated units including department specific laboratories and departmental library, classrooms, seminar halls, multi-purpose hall (for conducting various programmes, conference, examination, etc.), central library, digital library, clinical skill or simulation laboratory, human resource and development cell, pharmacovigilance cell room, college council room, student support and guidance cell including career guidance and placement cell room, common rooms for Postgraduate students and teaching staff, facilities for extra-curricular activities, student amenities, teaching staff amenities, herbal garden, hostel and canteen;

(b) Postgraduate departments in which Postgraduate programmes are conducted shall be established with their associated units or sections as mentioned in the **Table** below to clause (d);

(c) the department of Integrative Health and Translational Research is the mandatory department and it shall be established in every standalone Postgraduate institution; this department shall function as per clause (xv) of regulation 7 in these regulations and shall have teaching staff as per **Table** below to sub-clause (vi) and non-teaching staff as per **Table** below to sub-clause (vii) of clause (u) of sub-regulation (2) of regulation 14;

(d)(i) seating arrangements, and other facilities for staffs in each Postgraduate department shall be as mentioned in the sub-regulation (5) of regulation 4 in these regulations;

(ii) the minimum constructed area required for each Postgraduate department and their associated units are as shown in **Table** below:—

Table

Department wise Requirement of Minimum Constructed Area in

Standalone Postgraduate Institution

Sl. No.	Departments and Specifications	Minimum Constructed Area in Sq. Mt
(1)	(2)	(3)
1	Department of Integrative Health and Translational Research	75
2	Siddha Maruthuva Moolathathuvam (Basic Principles of Siddha medicine) Department with Advanced Language laboratory	100
3	Udal Koorugal (Anatomy) Department with a. Dissection Hall (with embalming room, cadaver storage tank or freezer, adequate ventilation and exhaust facility, hand wash facility) b. Practical Laboratory c. Virtual dissection table and e-dissection software d. Museum	150
4	Udal Thathuvam (Physiology) Department with a. Udal Thathuvam (Physiology) Practical Laboratory b. Uyirvedhiyiyal (Biochemistry) Practical Laboratory	200
5	Gunapadam Marunthiyal (Materia Medica and Pharmacology) Department with a. Gunapadam Marunthiyal (Materia Medica and Pharmacology) Practical Laboratory b. Maruthuva Thavaraviyal (Medicinal Botany and Pharmacognosy) Practical Laboratory c. Phytochemistry Laboratory d. Herbarium cum Museum e. Green house f. Advanced Quality Testing Laboratory	300
6	Gunapadam Marunthakaviyal (Materia Medica and Pharmaceutics) Department with a. Gunapadam Marunthakaviyal (Materia Medica and Pharmaceutics) Practical Laboratory b. Advanced Quality Testing Laboratory c. Museum	250
7	Noi Naadal and Noi Mudhal Naadal (Pathology) Department with a. Noi Naadal and Noi Mudhal Naadal (Pathology) Practical	250

	Laboratory b. Nunnuyiriyal (Microbiology) Practical Laboratory c. Molecular Biology Laboratory d. Museum	
8	Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum (Forensic Medicine and Toxicology) Department with a. Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum (Forensic Medicine and Toxicology) Practical Laboratory with Advanced Poison Testing facility b. Museum	125
9	Noi Anugavidhi including Research Methodology and Medical Statistics (Principles and Disciplines of Disease Prevention and Public Health) Department with Advanced Nutrition Laboratory	150
10	Maruthuvam (Medicine) Department	75
11	Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine) Department	
	Varma Maruthuvam (Varma Medicine)	75
	Pura Maruthuvam	75
	Siddhar yoga Maruthuvam	75
12	Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam (Surgery including Ophthalmology, E.N.T, Dentistry and Dermatology) Department with Museum	100
13	Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology) Department	75
14	Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics) Department	75
15	Thol Maruthuvam (Dermatology) Department	75
16	Herbal Garden with 250 species of herbs labelled with Quick Response Codes	2500

Note: 1. The department requirements, including departmental library, computer, printer, internet facility, electronic display facilities, seating arrangements for teaching staff etc., shall be as per sub-regulation (5) of regulation 4.

2. The list of instruments, equipment, chemical, reagents etc. in the laboratories and specimens etc in museums of the concerned department shall be as per the concerned schedules specified in the NCISM-UG MES Regulations, 2024 in accordance with Postgraduate seats in the concerned specialty or department.

3. Instruments, equipment, and other facilities as mentioned under clauses (i), (ii), (iii) and (iv) of regulation 7 in these regulations shall be fulfilled in the concerned Postgraduate department or specialty additionally.

4. Instruments, equipment, chemicals, and reagents etc. shall be made available in the Phytochemistry Laboratory and Molecular Biology Laboratory as per the **First Schedule** and the **Second Schedule** respectively.

5. Noi Anugavidhi including Research Methodology and Medical Statistics Department shall have an exclusive departmental vehicle for field visits.

6. The Quality Testing Laboratory comes under Experimentation Zone shall be a common facility for both Gunapadam Marunthiyal and Gunapadam Marunthakaviyal Postgraduate programmes and it shall be functioning under the Department of Integrative Health and Translational Research,

7. Noi Naadal and Noi Mudhal Naadal Practical laboratory shall provide the facilities to carry out immunology and histopathology tests for Postgraduate teaching, training and research.

8. Every standalone Postgraduate institution irrespective of Postgraduate programmes being conducted, shall establish the Department of Integrative Health and Translational Research and function as per clause (xv) of regulation 7 in these regulations.

(e) Classrooms: there shall be minimum two classrooms for each Postgraduate programme or specialty as per the specifications mentioned under the sub-regulation (1) of regulation 8 in these regulations;

(f) Seminar Halls: each standalone Postgraduate institution shall have Postgraduate degree programme or specialty wise seminar hall and common seminar hall as per the specifications mentioned under the sub-regulation (2) of regulation 8 in these regulations;

(g) Central Library: (i) the area of the central library shall not be less than one hundred and fifty square metres, and the minimum number of books, journals and other specifications, requirements, library functioning, and facilities in the central library shall be as specified in the NCISM-UG MES Regulations, 2024, mentioned for sixty student intake capacity;

(ii) seating arrangements for the Postgraduate students shall be as per Postgraduate student intake capacity (1:2, one seat for every two Postgraduate students of yearly intake capacity) shall be provided in central library;

(iii) the number of books and journals required for each Postgraduate department or programme, or specialty shall be as per clause (b) and (c) of sub-regulation (3) of regulation 8 in these regulations;

(h) Departmental Library: the number of books maintained shall be as per the specifications mentioned in clause (a) and (b) of sub-regulation (4) of regulation 8 in these regulations;

(i) Digital Library: digital library shall have the total constructed area not less than forty square metres and computer systems for Postgraduate students in the ratio of 1:5 that is, one computer system for five students in respect of total annual student intake capacity of all Postgraduate programmes shall be provided. Software or programmes such as Grammarly, plagiarism check, statistical programmes, citation or bibliography maker or generator etc. shall be made available in the digital library;

(j) Examination or Multipurpose or Yoga Hall: a large hall of having area of two square metres per Postgraduate student (twenty per cent. additional to the total Postgraduate students of three years), with appropriate seating arrangement shall be made available. This multi-purpose hall shall be used for conduction of functions, meetings, seminars, conferences, examinations, yoga training etc. It shall be provided with audio-visual facility, closed -circuit television and toilet facility;

(k) each Postgraduate institution shall have a Clinical Skill or Simulation Laboratory for the departments viz. Maruthuvam, Varmam Puramaruthuvam and Sirappu Maruthuvam, Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam, Sool and Magalir Maruthuvam, Kuzhanthai Maruthuvam, Noi Naadal and Noi Mudhal Naadal, and Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum (as applicable) with a minimum area of forty square metres each and provided with the department specific medical manikins or simulators as per the Fourteenth Schedule specified in the NCISM-UG MES Regulations, 2024 along with department specific simulators or manikins as prescribed in the **Sixth Schedule** of these regulations for Postgraduate level training;

(l) Facility for Co and Extra-Curricular Activities: adequate facilities shall be provided by the institution for conduction of co-curricular and extra-curricular activities as under, namely:— (i) physical educational facility;

(ii) recreational facility;

(iii) club activities such fine-arts club, sports club, science club, language club, journal club, photography club, animal lovers club and other clubs as per the requirement;

(m) Student Amenities: (i) facilities like transportation, Bank or Automated Teller Machine, playground (indoor and outdoor games), gymnasium or fitness centre, stationery store, cafeteria etc. are to be made available;

(ii) adequate number of toilets at appropriate and easily accessible places separately for male and female students shall be provided;

(iii) sanitary napkin dispenser and incinerator shall be provided in female toilets;

(n) (i) common room with accommodation capacity of minimum twenty per cent. of total annual intake capacity (for male and female students separately) with adequate area, furniture and attached toilet facilities shall be provided;

(ii) toilets for female Postgraduate students shall be provided with the facilities of sanitary napkin dispensers and incinerator;

(o) Hostels: there shall be a hostel for girls and boys separately (preferably single accommodation) along with a mess facility within the campus provided with adequate furniture, reading room, recreational facility, room attached bath and toilet facility and security services;

(p) Staff Amenities: (i) two common rooms for teaching staff one for males and one for females separately, shall be provided with adequate space, furniture, seating arrangements, attached toilets, drinking water and refreshment facilities;

(ii) adequate number of toilets at appropriate and easily accessible places separately for teaching staff (male and female separately) for non-teaching staff (male and female separately) shall be provided in each floor of the building;

(iii) sanitary napkin dispenser and incinerator shall be provided in female toilets;

(q) Canteen: a canteen facility shall be made available with adequate space and sitting arrangements in accordance with total student strength of the institution;

(r) Herbal Garden: each institution shall establish herbal garden with area of two thousand and five hundred square metres within the institution campus and shall accommodate two hundred and fifty medicinal plant species labelled with Quick Response Codes;

(s) Closed-Circuit Television: closed circuit television shall be installed at biometric attendance system area, classrooms, library, digital library, practical laboratories, clinical skill or simulation laboratory, corridors, multi-purpose hall and other areas as per the requirement of the institution;

(t) Other Requirements: (i) Human Resource Development Cell.- it shall be established in each institution and shall function as per the specifications prescribed in the NCISM-UG MES Regulations, 2024. The area required for the Human Resource Development Cell shall not be less than a minimum of fifty square metres;

(ii) Pharmacovigilance Cell.- each institution shall have a pharmacovigilance cell with a minimum of thirty square meters of space for a pharmacovigilance room. This cell will function in association with the Regional or National or Central pharmacovigilance cell. The institution shall develop policies and procedures on the constitution of the pharmacovigilance cell and its function;

(iii) College Council.- the college council shall be established and function as per the specifications prescribed in the NCISM-UG MES Regulations, 2024. The space for the college council room shall be a minimum of thirty square metres with adequate seating arrangements and records-keeping facilities;

(iv) Student Support and Guidance, Career Guidance and Placement Cell.- each institution shall have a Student Support and Guidance, Career Guidance and Placement Cell to support, guide, and encourage the students in academic, scholastic, social, emotional, personal, and career developments. It shall be constituted and function as per the University guidelines; if such guidelines are not available, it shall be constituted and functioned as per the institution policy and procedures. The room for the Student Support and Guidance Cell shall be provided with space not less than thirty square metres with proper seating arrangements, a record-keeping facility, and other related facilities;

(v) Grievance Redressal Cell: each institution shall have a Grievance Redressal Cell to address the grievances of the students. The committee shall be constituted and functioned as per the institution's policies and procedures. The room allotted for the Student Support and Guidance Cell can be utilised by the Grievance Redressal Cell for their meetings and maintaining related records;

(vi) Committee Against Sexual Harassment: each institution shall have an Internal Complaint Committee Against Sexual Harassment constituted and functioning as per the institution's policies and procedures for the creation of a safe, equitable, and inclusive campus environment. The committee shall create awareness about sexual harassment and shall deal with complaints or grievances pertaining to sexual harassment, sexual misconduct, and sexual assault committed by the students, staff, and visitors on campus. It is the responsibility of the committee to ensure that the confidential procedures are followed. The room allotted for the Student Support and Guidance Cell can be utilised by the Committee Against Sexual Harassment for their meetings and maintaining related records;

(vii) Internal Quality Assurance Cell: each institution shall have an Internal Quality Assurance Cell for planning, guiding, and monitoring quality assurance and quality enhancement activities of the institution. The constitution and function of the cell shall be as per the specifications mentioned in the NCISM-UG MES Regulations, 2024 as applicable. A room with a minimum space of thirty square metres with proper seating arrangements, and record-keeping facilities shall be provided;

(viii) Anti-Ragging Committee and Anti-Ragging Squad: (A) To curb the menace of ragging, it is mandatory for the college or institution to constitute an anti-ragging committee and an anti-ragging squad as per the University Grants Commission Regulation on Curbing the Menace of Ragging in Higher

Educational Institutions Regulations, 2009 for vigilant monitoring and ensuring a safe environment for the freshers;

(B) the duties and responsibilities of the anti-ragging committee and squad, measures to be taken by the institution for prohibition and prevention of ragging, monitoring, and counselling mechanisms, complaining and reporting procedures, punishments, consequences in case of non-compliance etc, shall be as per the regulations as mentioned in (A) and related guidelines, circulars, communications as specified by University Grants Commission and the Commission from time to time;

(ix) There shall be a Plagiarism Scrutiny Cell in every standalone Postgraduate institution and the minimum space requirement, human resources, facilities and functionality shall be as per the clause (xx) of regulation 7 in these regulations.

(u) Minimum Requirement of Teaching Staff: (i) the department in which Postgraduate programme is conducted shall have minimum three teaching faculties: one Professor, one Associate Professor or Reader and one Assistant Professor or Lecturer as shown in **Table** below to sub-clause (vi). The qualification and experience of teaching staff shall be as per regulation 32 in these regulations;

(ii) multiple Postgraduate programmes under the same department: In case of multiple Postgraduate degree programme viz. Varma Maruthuvam, Pura Maruthuvam and Siddhar Yoga Maruthuvam under the same department of Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam, each Postgraduate specialty or programme shall have one Professor, one Associate Professor or Reader, one Assistant Professor or Lecturer. One among three Professors shall be the head of the Postgraduate department of Varmam, Puramaruthuvam and Sirappu Maruthuvam;

(iii) if multiple Postgraduate programmes are conducted in the same department and in such case, the interchange or duplication of teaching staff between Postgraduate programmes under the same department shall not be permitted;

(iv) in the event of the availability of more than one Professor in a department, the position of head of the department shall be given to each Professor for three years on a rotation basis;

(v) (A) the Department of Integrative Health and Translational Research shall have one Professor and the qualification and experience shall be as per sub-clause (i) of clause (g) of sub-regulation (2) of regulation 32 specified in these regulations;

(B) the department shall have additional teaching staff in the subjects of Biochemistry, Pharmacology, Microbiology, Medicinal Botany or Botany and Public Health shall be appointed on a full-time, regular basis, as shown in **Table** below to sub-clause (vi) and whose qualifications, experience and promotion shall be as per sub-clause (ii) of clause (g) of sub-regulation (2) of regulation 32 laid down in these regulations;

(C) one biostatistician shall be appointed on full-time or part-time basis in the Department of Integrative Health and Translational Research and the qualification and experience shall be as per sub-clause (iii) of clause (g) of sub-regulation (2) of regulation 32 laid down in these regulations;

(vi) one yoga teacher with the qualification and experience as mentioned in clause (f) of sub-regulation (2) of regulation 32 in these regulations shall be appointed in each standalone Postgraduate institution on a full-time basis. He or she shall work under the Department of Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam in the hospital; If the specific department or specialty is not available in the standalone Postgraduate institution, the yoga teacher shall work under Department of Integrative Health and Translation Research and extend his/her service in the academic zone as well as in the clinical zone wherever required.

Table

Minimum Essential Requirements of Teaching Staff for Departments

in Standalone Postgraduate Institution

Sl. No.	Postgraduate Department or Specialty	Minimum Requirement of Teaching Staff		
		Professor and Head	Associate Professor	Assistant Professor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1	Maruthuvam (Medicine)	One	One	One
2	Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine)			
	Varma Maruthuvam (Varma Medicine)	One	One	One
	Pura Maruthuvam (External medicine)	One	One	One
	Siddhar Yoga Maruthuvam (Siddhar Yogic Science)	One	One	One
3	Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics)	One	One	One
4	Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum (Forensic Medicine and Toxicology)	One	One	One
5	Noi Anugavidhi including Research Methodology and Medical Statistics (Principles and Disciplines of Disease Prevention and Public Health)	One	One	One
6	Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam (Surgery including Ophthalmology, E.N.T, Dentistry and Dermatology)	One	One	One
7	Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology)	One	One	One
8	Noi Naadal and Noi Mudhal Naadal (Pathology)	One	One	One
9	Gunapadam Marunthiyal (Materia Medica and Pharmacology)	One	One	One
10	Gunapadam Marunthakaviyal (Materia Medica and Pharmaceutics)	One	One	One
11	Siddha Maruthuva Moolathathuvam (Basic Principles of Siddha Medicine)	One	One	One
12	Udal Koorugal (Anatomy)	One	One	One
13	Udal Thathuvam (Physiology)	One	One	One
14	Thol Maruthuvam (Dermatology)	One	One	One
15	Integrative Health and Translational Research	One	---	Five

Note: 1. One among the Professors of Varma Maruthuvam, Pura Maruthuvam and Siddhar Yoga Maruthuvam shall be the Head of the Department of Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam as per sub-clauses (ii) and (iv) of clause (u) of sub-regulation (2) of regulation 14 of these regulations.

2. There shall be a minimum of five Assistant Professors in the Department of Integrative Health and Translational Research (each one from Biochemistry, Microbiology, Medicinal Botany or Botany, Pharmacology and Public Health) on full-time, regular basis.

3. One biostatistician on a full-time or part-time basis shall be appointed in the Department of Integrative Health and Translational Research.

4. One Yoga instructor on a full-time basis shall be appointed and shall as per sub-clause (vi) of clause (u) of sub-regulation (2) of regulation 14 of these regulations .

5. Professor of Practice shall be appointed in each Postgraduate department or specialty or programme as per clause (a) and (b) of sub-regulation (2) of regulation 4 and the qualification shall be as per the **Seventh Schedule**, and they shall not be provided with teacher's code by the Medical Assessment and Rating Board of Indian System of Medicine.

6. In-case, the institute is not conducting the Postgraduate programmes in the department of Udal Koorugal, Gunapadam Marunthiyal and Gunapadam Marunthakaviyal, the teacher in the aforesaid concerned subjects (Udal Koorugal and Gunapadam) on part-time basis may be appointed under the Department of Integrative Health and Translational Research.

(vii) Minimum Requirement of Non-Teaching including Technical and Other Staff: Minimum requirement of non-teaching staff shall be as per **Table** below. Their qualification and experience shall be as per the Sixth Schedule of the NCISM-UG MES Regulations, 2024.

Table

Minimum Essential Requirements of Non-Teaching Staff for Postgraduate Departments in Standalone Postgraduate Institution

Sl. No.	Department/ Section/Unit and Required Non-Teaching Staff	Required Numbers
(1)	(2)	(3)
I	**Postgraduate Departments**	
1	Siddha Maruthuva Moolathathuvam (Basic Principles of Siddha Medicine)	
	Clerical staff	One
	Muti-tasking staff (minimum 10th standard)	One
2	Udal Koorugal (Anatomy)	
	Clerical staff	One
	Multi-tasking staff	One
	Udal Koorugal (Anatomy) Practical laboratory	
	Cadaver lifter	One
	Lab Assistant	One
	Lab Attendant cum Museum keeper	One
3	Udal Thathuvam (Physiology)	
	Clerical staff	One
	Multi-tasking staff	One
	a) Udal Thathuvam Practical Laboratory	
	Lab Technician	One
	Lab Attendant	One
	b) Uyirvedhiyiyal Practical Laboratory	
	Lab Technician	One
	Lab Attendant	One
4	Gunapadam Marunthiyal (Materia Medica and Pharmacology)	
	Clerical staff	One
	Multi-tasking staff	One
	a) Gunapadam Practical Laboratory	
	Lab Instructor (Graduation-BSMS)	One
	Lab Assistant	One
	Lab Attendant cum Museum Keeper	One
	b) Maruthuva Thavaraviyal Laboratory	
	Lab Assistant	One
	Lab Attendant cum Herbarium and Museum Keeper	One
	c) Phytochemistry Laboratory	
	Lab in-charge (with master's degree in phytochemistry)	One

	Lab Technician (with bachelor's degree in phytochemistry)	One
	Lab Attendant	One
5	Gunapadam Marunthakaviyal (Materia Medica and Pharmaceutics)	
	Clerical staff	One
	Multi-tasking staff	One
	Gunapadam Practical Laboratory (Teaching Pharmacy)	
	Lab Instructor (Graduation-BSMS)	One
	Lab Assistant	One
	Lab Attendant cum Museum Keeper	One
6	Noi Naadal and Noi Mudhal Naadal (Pathology)	
	Clerical staff	One
	Multi-tasking staff	One
	a) Noi Naadal and Noi Mudhal Naadal Practical laboratory	
	Lab Technician	One
	Lab Attendant	One
	b) Nunnuyiriyal Practical Laboratory	
	Lab Technician	One
	Lab Attendant	One
	c) Molecular Biology Laboratory	
	Lab in-charge (with master's degree in molecular biology)	One
	Lab Technician (with bachelor's degree in molecular biology or biology)	One
	Lab Attendant	One
7	Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum	
	Clerical staff	One
	Multi-tasking staff	One
	Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum (Forensic Medicine and Toxicology) Practical Laboratory	
	Lab Technician (graduation in chemistry)	One
	Lab Attendant cum Museum Keeper	One
8	Noi Anugavidhi including Research Methodology and Medical Statistics (Principles and Disciplines of Disease Prevention and Public Health)	
	Clerical staff	One
	Multi-tasking staff	One
	Nutrition Laboratory	
	Lab in-charge (with master's degree in nutrition and dietetics)	One
	Lab Technician	One
	Lab Attendant cum Museum Keeper	One
9	Maruthuvam (Medicine)	One Clerical staff, One Multi-tasking staff for each Postgraduate
10	Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine)	
11	Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam	

	(Surgery including Ophthalmology, E.N.T, Dentistry and Dermatology)	Department
12	Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology)	
13	Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics)	
14	Thol Maruthuvam (Dermatology)	
15	Integrative Health and Translational Research	
	Clerical staff	Two
	Multi-tasking staff	One
	Central Research Laboratory	
	In-charge (Faculty member of any department, well-versed with laboratory and analytical equipment)	One
	Lab Technician (B.Sc Chemistry or B.Sc Botany)	One
	Lab Attendant	One
	Quality Testing Laboratory	
	In-Charge (Faculty member of Gunapadam Marunthiyal or Gunapadam Marunthakaviyal)	One
	Analytical chemist (B.Pharm)	One
	Pharmacognosist	One
	Lab Attendant	One
	Clerical staff	One
	Multi-tasking staff	One
	Animal House and Animal Experimentation Laboratory	
	In-charge (Faculty member of Department of Gunapadam Marunthakaviyal or Gunapadam Marunthiyal)	One
	Lab Technician (B.Sc Zoology)	One
	Animal house and Experimentation Lab Attendant	One
	Clinical Research Cell	
	Clinical Research Coordinator (BSMS degree with Postgraduation or Diploma in Clinical Research or Master of Public Health)	One
	Clerical staff	One
	Multi-tasking staff	One
II	**Central Library**	
	Librarian	One
	Assistant Librarian	One
	Library Attendant	One
III	**Herbal Garden**	
	Gardener	One
	Multi-Purpose Worker	Two
IV	**Clinical Skill/Simulation Laboratory**	
	Coordinator	One
	Clerical staff (Graduation with computer knowledge)	One
	Lab Attendant	One

V	**Human Resources and Development Cell**	
	Coordinator (BSMS graduate with MBA or any graduate with MBA in Human Resource Management)	One
	Clerical staff	One
	Multi-tasking staff	One
VI	**Internal Quality Assurance Cell**	
	Coordinator (MBA in Quality Management)	One
	Clerical staff	One
	Multi-tasking staff	One
VII	**Information Technology Cell (IT Cell) including Digital Library**	
	Information Technology Officer	One
	Information Technology Assistant	One
	Multi-tasking staff	One
VIII	**Central Workshop/Maintenance Cell**	
	Site Engineer	One
	Electrician	One
	Plumber	One
	Carpenter	One
	Multi-tasking staff	One
IX	**Co-curricular and extracurricular activities**	
	Physical Education Instructor (minimum bachelor degree in physical education)	One
	Multi-tasking staff	One
X	**Student Support and Career Guidance and Placement Cell**	
	Counsellor for counselling (pert-time basis)	One
XI	**College store**	
	Clerical staff	One
	Multi-tasking staff	One

Note:1. Additional staff like sweeper, attendant, lifter, data entry operator, security guards, electrician, plumber, carpenter, driver, multi-tasking staff, etc may be appointed by outsourcing based on the requirement.

2. Herbal Garden shall be under the Department of Gunapadam Marunthiyal. If such a Postgraduate programme or department is not available, it shall be under the institution.

3. Skilled professionals trained by any of the skill development agency under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship shall be given preference to the extent of availability while appointing the non-teaching staff.

(3) **Clinical Zone.-** (a) each standalone Postgraduate institution shall have attached hospital having minimum sixty in-patient beds (sixty bedded hospital), and the hospital (clinical zone) shall be divided into seven zones, namely,- (i) Reception and Registration Zone; (ii) Out-patient Department Zone; (iii) Diagnostic Zone; (iv) In-Patient Department Zone; (v) Procedural Management Zone; (vi) Administrative Zone; (vii) Services Zone;

(b) each zone as mentioned in clause (a) under clinical zone shall have the ancillary sections or units or facilities and shall fulfil all the minimum essential standards in terms of infrastructure, human resources and functionality, facilities including equipment, instruments and the like as provided for sixty bedded hospital (sixty students intake capacity) in the NCISM-UG MES Regulations, 2024.

(c) in addition to the facilities available in the hospital as mentioned in clauses (a) and (b), the following department-wise minimum essential standards requirements shall be made available in the departments in which Postgraduate programmes are being conducted, namely,-

(i) the Postgraduate Department of Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum (Forensic Medicine and Toxicology) shall have an exclusive Out-Patient Department (Nanju Maruthuvam-Clinical Toxicology) for Postgraduate teachers and Postgraduate students with minimum of thirty patients per day and additional In-Patient Department beds in the student bed ratio of 1:4 (i.e., four beds for one student). Seating arrangement in the ward and accommodation for night duty Postgraduate students shall be provided. Average bed occupancy shall not be less than sixty per cent. in Nanju Maruthuvamum In-Patient Department. The minimum area required for Nanju Maruthuvam (Clinical Toxicology) Out-Patient Department shall be twenty-five square meters.

(ii) the Postgraduate Department of Noi Anugavidhi including Research Methodology and Medical Statistics (Principles and Disciplines of Disease Prevention and Public Health) shall have an exclusive Out-Patient Department for Postgraduate teachers and Postgraduate students with minimum of fifty persons attending the Out-Patient Department per day. Facilities to administer rejuvenation procedures and physiotherapy to normal individuals with day care facility shall be made available for this department; The minimum area required for Noi Anugavidhi Maruthuvam (Siddha Dietetics, Lifestyle Management, Preventive Medicine and Public Health) Out-Patient Department shall be twenty-five square meters.

(iii) the Postgraduate Department of Maruthuvam (Medicine) shall have an exclusive Out-Patient Department for Postgraduate teachers and Postgraduate students with minimum of sixty patients per day and additional In-Patient Department beds in the student-bed ratio of 1:4 (i.e., four beds for one student). Seating arrangement in the ward and accommodation for night duty Postgraduate students shall be provided. Average bed occupancy shall not be less than sixty per cent. in Maruthuvam In-Patient Department; The minimum area required for Maruthuvam (Medicine) Out-Patient Department shall be twenty-five square meters.

(iv) the Postgraduate Department of Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine) shall have an exclusive three Out-Patient Departments for Postgraduate teachers and Postgraduate students, one each for Varma Maruthuvam (attached with minor therapy or procedure room), Pura Maruthuvam (attached with minor therapy or procedure room), and Siddhar Yoga Maruthuvam (attached with minor yoga room) respectively with minimum of sixty patients per day separately and additional In-Patient Department beds for Varma Maruthuvam and Pura Maruthuvam Postgraduate programme separately in the student-bed ratio of 1:4 (i.e. four beds for one student). Seating arrangement in the ward and accommodation for night duty Postgraduate students shall be made available. Average bed occupancy shall not be less than sixty per cent. in Varma maruthuvam, Pura Maruthuvam and Sirappumaruthuvam In-Patient Department. Fully established physiotherapy facility in the hospital shall be extended to this department. No In-Patient Department beds for Siddhar yoga Maruthuvam Postgraduate degree programme; The minimum area required for out-patient department of Varma Maruthuvam (Varma Medicine) attached with minor therapy or procedure room, Pura Maruthuvam (External Medicine) attached with minor therapy or procedure room and Siddhar Yoga Maruthuvam (Siddhar Yogic Science) attached with minor yoga room shall be fifty square metres each.

(v) the Postgraduate Department of Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam (Surgery including Ophthalmology, E.N.T, Dentistry and Dermatology) shall have an exclusive Out-Patient Department (attached with minor procedure room) for Postgraduate teachers and Postgraduate students, provided with advanced diagnostic facilities with minimum of sixty patients per day and additional In-Patient Department beds in the student-bed ratio of 1:4 (i.e. four beds for one student). Seating arrangement in the ward and accommodation for night duty Postgraduate students shall be made available. Average bed occupancy shall not be less than sixty per cent. in Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam In-Patient Department; The minimum area required for Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam (Surgery including Ophthalmology, E.N.T, Dentistry and Dermatology) Out-Patient Department attached with minor procedure room shall be fifty square meters. The Postgraduate department in the hospital shall attend the cases of Kan, Kathu, Mookku, Thondai and Pal but not Thol or Skin (Dermatology) related clinical conditions, if the institution is conducting Postgraduate programme in Thol Maruthuvam.

(vi) the Postgraduate Department of Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology) shall have an exclusive Out-Patient Department (attached with examination cum procedure room) for Postgraduate teachers and Postgraduate students with minimum of sixty patients per day, and an exclusive Operation Theatre for Sool and Magalir Maruthuvam to carry out Sool and Magalir Maruthuvam related surgeries. Additional In-Patient Department beds in the student-bed ratio of 1:4 (i.e. four beds for one student) shall be made available. Seating arrangement in the ward and accommodation for night duty

Postgraduate students shall be provided. Average bed occupancy shall not be less than sixty per cent. in Sool and Magalir Maruthuvam In-Patient Department; A minimum of ten deliveries per month shall be conducted in Labour room; The minimum area required for the Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology) Out-Patient Department attached with examination cum procedure room shall be fifty square meters.

(vii) (A) the Postgraduate Department of Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics) shall have an exclusive Out-Patient Department for Postgraduate teachers and Postgraduate students with minimum of sixty patients per day and additional In-Patient Department beds in the student bed ratio of 1:4 (i.e. four beds for one student). Seating arrangement in the ward and accommodation for night duty Postgraduate students shall be made available. Average bed occupancy shall not be less than sixty per cent. in Kuzhanthai Maruthuvam In-Patient Department; Immunisation providing facility shall be made available in this department; The minimum area required for Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics) Out-Patient Department shall be twenty-five square meters;

(B) the instruments and equipment required for Kuzhanthai Maruthuvam out-patient department, demarcated area for breast feeding, neonatal intensive care unit with minimum space and facilities, school adoption, child development clinic with minimum space and facilities shall be as per items (b), (c), (d) and item (e) of clause (xiii) of regulation 7 in these regulations.

(viii) Postgraduate Department of Thol Maruthuvam (Dermatology) shall have an Out-Patient Department for Postgraduate teachers and Postgraduate students with minimum of sixty patients per day and separate In-Patient Department with number of beds in the student-bed ratio of 1:4 (i.e. four beds for one student). Seating arrangement in the ward and accommodation for night duty Postgraduate students shall be made available. Average bed occupancy shall not be less than sixty per cent. in Thol Maruthuvam In-Patient Department; The minimum area required for Thol Maruthuvam (Dermatology) Out-Patient Department shall be twenty-five square meters;

(ix) (A) in case of Postgraduate degree programme in the Department of Noi Naadal and Noi Mudhal Naadal (Pathology), the Postgraduate students may utilise or collaborate with Out-Patient Departments, In-Patient Departments and Diagnostic zone of the hospital for their training in Siddha diagnosis, diagnostics and dissertation or research work;

(B) the head of the department of Noi Naadal and Noi Mudhal Naadal or a faculty member from the department of Noi Naadal and Noi Mudhal Naadal designated by the head of the institution shall be authorised to sign, authenticate and interpret diagnostic investigations or tests to the extent of teaching and training in terms of Siddha principles;

(x) the Postgraduate students of Postgraduate degree programme in Siddhar Yoga Maruthuvam under Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam department, may utilise or collaborate with Out-Patient Departments, In-Patient Departments and Yoga section of the hospital for their training and dissertation or research work;

(xi) the Postgraduate students of Postgraduate degree programme in Noi Anugavidhi Maruthuvam may utilise or collaborate with Out-Patient Departments, In-Patient Departments, Yoga section, and Physiotherapy section of the hospital for their training, survey and dissertation or research work;

(xii) The hospital may have a mortuary with cold storage to keep or preserve dead bodies or may have a memorandum of understanding with medical establishments that have mortuary facility and the staff for the mortuary may be outsourced.

(xiii) There shall be a Clinical Research Cell in the hospital and the minimum essential requirement of space, facilities and function shall be as per clause (xix) of regulation 7 and human resources as per **Table** provided below to sub-clause (vii), clause (u), sub-regulation (2) of regulation 14.

(d) **Requirement of Number of Beds, Patient Attendance and Bed Occupancy**.-

(i) in addition to the number of beds specified for each In-Patient Department in the NCISM-UG MES Regulations, 2024 for sixty bedded hospital (i.e. mentioned for sixty student intake capacity), the concerned Postgraduate department [i.e. Maruthuvam, Varmam Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varma Maruthuvam and Pura Maruthuvam separately), Kuzhanthai Maruthuvam, Nanju Maruthuvam, Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam, Sool and Magalir Maruthuvam, and Thol Maruthuvam] conducting Postgraduate programme shall maintain additional beds in respect of students-bed ratio of 1:4;

(ii) generally, the daily average attendance of patients in the Out-Patient Departments of the sixty bedded hospital during the last one calendar year (300 days) shall be a minimum of one hundred and twenty patients per day; however,

(A) the minimum out-patient attendance in the Postgraduate Out-Patient Department in Maruthuvam, Varma Maruthuvam, Pura Maruthuvam, Kuzhanthai Maruthuvam, Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam, Sool and Magalir Maruthuvam and Thol Maruthuvam as applicable during the last one calendar year (300 days) shall not be less than sixty patients per day;

(B) the minimum out-patient attendance in the Postgraduate Out-Patient Department in Nanju Maruthuvam during the last one calendar year (300 days) shall not be less than thirty patients per day;

(C) the minimum out-patient attendance in the Postgraduate Out-Patient Department in Siddhar Yoga Maruthuvam during the last one calendar year (300 days) shall not be less than fifty patients per day;

(D) the minimum daily average out-patient attendance in the Postgraduate Out-Patient Department in Noi Anugavidhi Maruthuvam during the last one calendar year (300 days) shall not be less than fifty persons per day;

(iii) the minimum annual average bed occupancy in the In-Patient Department of the concerned department (i.e. Maruthuvam, Varmam Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam, Kuzhanthai Maruthuvam, Nanju Maruthuvam, Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam, Sool and Magalir Maruthuvam, and Thol Maruthuvam) in which a Postgraduate programme is conducted, during the last one calendar year (365 days and 366 days in case of a leap year) shall not be less than sixty percent. In the In-Patient Departments in which a Postgraduate programme is not conducted, during the last one calendar year (365 days and 366 days in case of a leap year) shall not be less than forty per cent;

(e) **Requirements of Hospital Staff for Postgraduate Programme.-** (i) teaching hospital in standalone Postgraduate institutions shall maintain hospital staff as shown in **Table** below to sub-clause (iii) in addition to the hospital staff mentioned for sixty bedded hospital (sixty student intake capacity) in NCISM-UG MES Regulations, 2024,

(ii) the teaching faculties of Postgraduate programme shall be the consultants of the out-patient department and in-patient departments of the concerned Postgraduate department or specialty or programme;

(iii) however, there shall be minimum one consultant in the cadre of Professor or Associate Professor or Assistant Professor in each Department [i.e. Maruthuvam, Varmam Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam, Kuzhanthai Maruthuvam, Nanju Maruthuvam, Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam, Sool and Magalir Maruthuvam, Noi Anugavidhi Maruthuvam and Thol Maruthuvam] in which the Postgraduate degree programme is not conducted. He or she shall be a Postgraduate in the concerned subject and provided with unique teachers code and the year of experience shall be counted as teaching experience by the MARBISM as per sub-regulation (7) of regulation 32 in these regulations.

Table

Minimum Essential Requirements of Hospital Staff

(in addition to the hospital staff specified for sixty bedded hospital)

Sl. No.	Required Staff	Required Numbers
(1)	(2)	(3)
1	Nursing staff	One for every ten beds in in-patient departments; Two nurses for Sool and Magalir Maruthuvam Operation Theatre; One nurse for each Intensive Care Unit (ICU) bed in Maruthuvam Department; and 2 nurses for Neonatal Intensive Care Unit in Kuzhanthai Maruthuvam Department.
2	Clinical Registrar or Senior Resident or Resident Doctor	One for every twenty beds
3	Ayah	One for every twenty beds

Note: 1. Nursing staff numbers may be increased as per the shift in a day.

2. Number of therapists may be increased in accordance with number of patients for pura maruthuvam.

3. Paediatric therapist, occupational therapist and speech therapist may be appointed on a part-time basis for Department of Kuzhanthai Maruthuvam.

4. Postgraduate students may be appointed as clinical registrar or senior resident or resident doctor, provided the students shall be paid stipend or salary.

5. Security guards, electrician, plumber, sanitation workers, washer man, gardener, driver, housekeeping staff, cook, maintenance staff, multipurpose worker, if additionally needed, may be obtained by out-sourcing.

6. Skilled professionals trained by any of the skill development agency under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship shall be given preference to the extent of availability while appointing the hospital staff.

(4) **Experimentation Zone:** This zone shall accommodate the following:-

(a) Central Research Laboratory: (i) every standalone Postgraduate institution shall have a Central Research Laboratory with advance research facilities as per the **Third Schedule** for carrying out various research experiments by Postgraduate students as well as teaching faculty;

(ii) a faculty member of any department well-versed with laboratory and analytical equipment shall be the in-charge of central research laboratory;

(iii) it shall function under the Department of Integrative Health and Translational Research and the Professor cum Head of the Department of Integrative Health and Translational Research shall be the head of Central Research Laboratory;

(iv) the minimum area required for Central Research Laboratory shall be one hundred and fifty square metres;

(b) Quality Testing Laboratory: (i) an advanced Quality Testing Laboratory shall be made available in case of Postgraduate programme in Gunapadam Marunthiyal and Gunapadam Marunthakaviyal;

(ii) this laboratory shall fulfil the infrastructure, facilities, equipment, instruments, etc specified under 'B' of the Tenth Schedule of the NCISM-UG MES Regulations, 2024 along with the instruments and equipment as mentioned in the **Fifth Schedule** of these regulations for Postgraduate teaching, training and research;

(iii) It shall function under the Department of Integrative Health and Translational Research and the Professor cum Head of the Department of Integrative Health and Translational Research shall be the head of Quality Testing Laboratory;

(iv) a teaching faculty member of Gunapadam Marunthiyal or Gunapadam Marunthakaviyal nominated by head of the institution shall be in-charge of quality testing laboratory.

(v) the minimum area required for quality testing laboratory shall be one hundred square metres;

(c) Approved Animal House and Animal Experimentation Laboratory: (i) it shall be made available in case of Postgraduate degree programme in the department of Gunapadam Marunthiyal, Gunapadam Marunthakaviyal, Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum and Siddha Maruthuva Moolathathuvam;

(ii) It shall have proper permission from concerned authorities, adequate infrastructure, facilities as per the **Fourth Schedule**;

(iii) faculty member of department of Gunapadam Marunthiyal or Gunapadam Marunthakaviyal or Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum or Siddha Maruthuva Moolathathuvam shall be the in-charge of animal house and animal experimentation laboratory;

(iv) Animal House and Animal Experimentation Laboratory shall function under the Department of Integrative Health and Translational Research and the Professor cum Head of the Department of Integrative Health and Translational Research shall be the head of Animal House and Animal Experimentation Laboratory;

(v) The minimum area required for animal house and animal experimentation laboratory shall be two-hundred and fifty square metres;

(d) the central research laboratory, quality testing laboratory, Animal Experimentation Laboratory and Animal House shall be provided with human resources as per the **Table** provided below to sub-clause (vii), clause (u), sub-regulation (2) of regulation 14.

15. The timeline to comply additional minimum essential standard requirements by standalone Postgraduate institutions established before publication of these regulations.- (1) The timeline to comply the additional minimum essential standards requirements by the standalone Postgraduate institution shall be as per the below **Table.**

Table

Timeline to comply with additional minimum essential standards requirements by standalone institutions established before publication of these regulations.

Sl. No	Standard or Unit or Section or Facility	Timeline (From the date of publication of these regulations in Official Gazette)
(1)	(2)	(3)
1	Central Workshop or Maintenance Cell	Eighteen months
2	Closed Circuit Television	Six months
3	Information Technology Cell and Infrastructure	Six months
4	Phytochemistry Laboratory (Department of Gunapadam Marunthiyal)	Twelve months
5	Green House (Department of Gunapadam Marunthiyal)	Eighteen months
6	Additional instruments and equipments in Quality Testing Laboratory	Immediate
7	Molecular Biology Laboratory and additional facilities to carry out immunology and histopathology tests in the Noi Naadal and Noi Mudhal Naadal (Pathology) Practical laboratory (Department of Noi Naadal and Noi Mudhal Naadal)	Twelve months
8	Advanced poison detection facility (Department of Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum)	Twelve months
9	Postgraduate department wise Seminar halls and common Seminar hall	Eighteen months
10	Central Library requirements for Postgraduate students and Departmental Library	Six months
11	Digital Library facilities for Postgraduate students	Eighteen months
12	Common room for Postgraduate students (boys and girls separately)	Eighteen months
13	Common room for teaching staff (male and female separately)	Eighteen months
14	Clinical Skill or Simulation Laboratory (Postgraduate department specific requirements)	Eighteen months
15	Human Resource Development Cell Room	Eighteen months
16	Pharmacovigilance Cell Room	Eighteen months
17	College Council Room	Eighteen months
18	Student Support and Guidance, Career Guidance and Placement Cell, Grievance Redressal cell, Committee Against Sexual Harassment-common room	Eighteen months
19	Internal Quality Assurance Cell Room	Eighteen months
20	Anti-Ragging Committee and Anti-Ragging Squad Room	Eighteen months
21	Department of Integrative Health and Translational Research	Twelve months
22	Facilities in Central Research Laboratory	Immediate
23	Facilities in Animal House and Animal Experimentation Laboratory	Eighteen months
24	Facilities in Clinical Research Cell	Eighteen months
25	Plagiarism Scrutiny Cell with all facilities	Six months

26	Attached therapy/ procedure room in Postgraduate out-patient departments as applicable	Six months
27	Neonatal Intensive Care Unit, Child Development Clinic (Department of Kuzhanthai Maruthuvam)	Eighteen months
28	Construction (Building infrastructure)	Eighteen months
29	Department wise equipment and instruments for Postgraduate teaching in which Postgraduate programme are conducted	Six months
30	Human resources	Twelve months

Note: 1. The above-mentioned timelines are for developing infrastructure including building and acquiring equipment and instruments. However, constitution of committees and functions of various units or cells mentioned in these regulations shall be started within a month.

2. All other new standards or additions or expansions in terms of infrastructure, human resources and functionality prescribed in this regulation for Postgraduate education, teaching, training, and research (as applicable) shall be fulfilled.

3. All other new standards or additions or expansions in terms of infrastructure, human resources and functionality specified for the sixty bedded hospital (i.e. sixty students intake capacity) in the NCISM-UG MES Regulations, 2024 shall be fulfilled as per the timeline provided below to sub-regulation (3) of regulation 59 in the said regulations including building infrastructure.

(2) The timeline mentioned in sub-regulation (1) is the maximum and no relaxation shall be given thereafter.

CHAPTER-VI

INSPECTION OR VISITATION OR ASSESSMENT

16. Inspection or visitation or assessment.— (1) The *suo-moto* inspection, visitation, or assessment of fully established existing Postgraduate departments in Postgraduate institutions where undergraduate course is in existence and standalone Postgraduate medical institutions shall be carried out by the MARBISM every year under section 28 of the Act.

(2) In the case of Postgraduate institutions where an undergraduate course is in existence, the inspection, visitation, or assessment shall be carried out for undergraduate institution and Postgraduate departments either simultaneously or separately at different time having exclusive visitors or inspectors or assessors for Postgraduate departments.

(3) Fully established Postgraduate departments in undergraduate colleges and standalone Postgraduate institutions shall be inspected, visited, or assessed individually by the MARBISM, that is, department-wise inspection or visitation.

(4) The fully established Postgraduate departments or Postgraduate specialties and multiple programmes under the same department shall be categorised into two categories, namely:- (a) Postgraduate departments or specialties under the ‘Extended Permission’ category, and (b) Postgraduate departments or specialties under the ‘Yearly Permission’ category, based on the criteria mentioned in these regulations.

(5) (a) The fully established Postgraduate department or specialty under section 28 of the Act that has been permitted by the MARBISM consecutively for the preceding or previous three years shall be considered as the Postgraduate department or specialty under the "Extended Permission’ category by the MARBISM;

(b) the provision of extended permission status shall not be applicable for the Postgraduate departments or specialties under the following conditions, if,-

(i) the Postgraduate department or specialty acted upon by the MARBISM under the provisions mentioned in clause (f), sub-section (1) of section 28 of the Act;

(ii) there are any pending legal issues or disciplinary actions against the Postgraduate department, specialty, or institution;

(iii) the college or institution violated the provisions of regulations on admission of Postgraduate students as specified in these regulations and violated the counselling and admission guidelines issued by the National Commission for Indian System of Medicine from time to time;

(iv) if the Postgraduate departments are under section 29 of the Act; however, in case of multiple Postgraduate programmes in a single department, except the Postgraduate programme under section 29 of the Act, the other fully established Postgraduate programme that is already in extended category shall be continued in extended permission status unless otherwise specified by the MARBISM;

(v) the institution that has not deposited the annual inspection or visitation fee for the year of extended permission in the official bank account of the commission.

(6) The Postgraduate department or specialty under the category of extended permission is eligible to participate in the counselling process and admit students every year as per the sanctioned student intake capacity without obtaining permission from the MARBISM unless otherwise denied or specified by the MARBISM as a result of *suo-moto* visitation or assessment.

(7) (a) Fully established Postgraduate departments or specialties under section 28 of the Act that are not fulfilling the criteria specified in sub-regulation (5) shall be categorised under the "Yearly Permission' category by the MARBISM;

(b) the Postgraduate department or specialty of Postgraduate medical institutions under the "yearly permission" category shall participate in counselling process and admit students every year only after receiving permission for admission from the MARBISM.

(8) (a) Inspection, visitation, or assessment carried out by the MARBISM shall be for continuation of extended permission or granting of yearly permission for admitting students or for taking such measures under the provisions mentioned in clause (f), sub-section (1) of section 28 of the Act;

(b) all the medical institutions, irrespective of category, either extended permission or yearly permission, shall keep uploading real time data or periodical data or information or documents on the National Commission for Indian System of Medicine online portal in the format specified by the MARBISM;

(c) all the institutions irrespective of category, either extended permission or yearly permission, shall deposit the annual inspection or visitation fee of one lakh per Postgraduate programme plus digitization fee of rupees fifty thousand per Postgraduate programme along with applicable taxes within the time period through online payment mode (National Electronic Fund Transfer or Real Time Gross Settlement) to the official bank account of the commission in favour of National Commission Fund for Indian System of Medicine;

(d) for the Postgraduate departments or specialties categorised under the 'Extended Permission' category by the MARBISM, the institution shall submit an affidavit (as per the format and period of submission specified by the MARBISM) stating full compliance with all minimum essential standards mentioned in these regulations;

(e) The MARBISM shall conduct *suo-moto* inspection, visitation, or assessment in the manner and mode as specified by the MARBISM every year at any time during the academic year to assess the fulfilment of the minimum essential standards by the department, or specialty, and institution as specified in these regulations;

(f) the period of assessment shall be twelve months preceding the month of visitation, inspection, or assessment; the data disclosed by the institute for the said twelve-month period shall be taken up for the assessment;

(g) after assessment, the MARBISM shall communicate the decision of the assessment, inspection, or visitation to the institutions having Postgraduate departments or specialties under the "Yearly Permission" category, ordinarily sixty days before the commencement of counselling for admission every year;

(h) if the Postgraduate department or specialty under the extended permission category did not receive any communication ordinarily sixty days before the commencement of counselling by AYUSH Admissions Central Counselling Committee for admission for that particular academic year, then it is presumed that the Postgraduate department or specialty holds its status of extended permission for that particular academic session and shall be allowed to participate in counselling and admission processes as per the provisions of the relevant regulations;

(i) *(i)* during the process of assessment or visitation or inspection, any deficiency is found either in the documents or in the data or in the fulfilment of minimum essential standards or in the functionality of Postgraduate department or specialty of the Postgraduate institutions under the 'Extended Permission" category and based on this, if MARBISM initiates any action due to non-fulfilment of minimum essential standards as per the clause (f), sub-section (1) of section 28 of the Act, such decision shall be communicated by the MARBISM to the respective college or institution ordinarily sixty days before the commencement of counselling for admission by AYUSH Admissions Central Counselling Committee;

(ii) in such case, the extended permission status shall stand withdrawn for such Postgraduate department or specialty, and all rules and regulations related to the 'Yearly Permission' category shall be applicable; such

institutions may again attain 'Extended Permission' status only after fulfilling the conditions specified in sub-regulation (5);

(j) in case of any complaint, the MARBISM shall have the power to re-visit the Institutions, or conduct inspection, or visitation or assessment at any time and any number of times in the year;

(k) the institutions seeking permission not to admit students for three consecutive academic sessions or the Postgraduate department, specialty, or institution that has been denied permission to admit students consecutively for three academic sessions by the MARBISM, shall be treated as deemed to be closed and the MARBISM shall recommend the closure of such Postgraduate department, specialty or institutions to the commission; if such institution or Postgraduate department would like to restart, it shall undergo the process of new establishment under section 29 of the Act;

(l) (i) the provision to "rectify the defects" shall not be applicable to the existing fully established Institutions or Postgraduate departments or specialties;

(ii) as these are the minimum essential standards, no chance to "rectify the defects" shall be given to the fully established existing medical institutions or Postgraduate departments under section 28 of the Act;

(iii) before issuing the order of denial of permission or reduction of seats, and the like., an opportunity for hearing shall be given to such medical institutions by the MARBISM;

(m) in case, aggrieved by the decision of the MARBISM, the institute may prefer an appeal to the Commission against such decision within thirty days of the communication of such decision by the MARBISM as per sub-section (3) of section 24 of the Act; before taking any decision, appellant institution may be provided an opportunity of hearing by the adjudicating authority of the commission.

CHAPTER-VII

MINIMUM STANDARDS OF EDUCATION OF POSTGRADUATE DEGREE PROGRAMME

[DOCTOR OF MEDICINE (M.D.) AND MASTER OF SURGERY (M.S.)]

17. General considerations.—Postgraduate degree programmes (Doctor of Medicine-M.D. and Master of Surgery-M.S.) are aimed at producing specialists, teachers, researchers, scientists, entrepreneurs with the focus and competencies of the respective Postgraduate programme as under namely,-

(1) Siddha Maruthuva Adippadai Ariviyal (Basic Principles of Siddha Medicine):—

(a) ability to understand Siddha basic principles and Siddhars theories or concepts or commentaries including ninety-six thathwas, epistemology, metaphysics, eternal entities etc., and its applications;

(b) proficient to establish Siddha basic principles and generate proof on the contemporary scientific lines;

(c) ability to understand different commentaries of ancient Siddha literatures and apply them appropriately to an understanding of basic principles;

(d) proficient to develop Siddha research protocol;

(e) competent to read ancient manuscripts including palm leaf manuscripts, understand and define the literary meaning of terminologies, and describe the contents;

(f) ability to write and justify the scientific and applied aspects of basic principles for proper understanding and applications; and

(g) the Postgraduate degree holder in Siddha Maruthuva Adippadai Ariviyal shall be the specialist in Siddha Basic Principles i.e. Critical appraisal of Siddha basic principles and its applications.

(2) Udal Koorugal (Human Anatomy):-

(a) understand appropriately the structure of the human body on contemporary lines and its applied aspects clinically;

(b) capable to dissect the human body systematically;

(c) competent to locate varma points in the human body and

(d) ability to understand ezhu udalkattukal (saptha dhatu) in terms of tissues of the human body;

(e) skilled to demonstrate surgical anatomy, applied anatomy in surgery, obstetrics and gynaecology;

(f) analyse and justify the anatomical viewpoint of Siddha basics and concepts; wherever applicable;

(g) ability for embalming the cadaver and preparation of organs and section of specimens for the anatomy museum;

(h) show skills in the plastination of organs and specimens;

(i) able to understand and demonstrate advanced anatomy aids like 3D anatomy virtual dissection table and e-dissection software; and

(j) the Postgraduate degree holder in Udal Koorugal shall be the specialist in Udal Koorugal (i.e. Siddha Anatomist).

(3) Udal Thathuvam (Human Physiology):-

(a) ability to understand and demonstrate the physiological functions of the human body;

(b) understand, assess, appraise and demonstrate the physiological entities of Siddha, such as ninety-six thathwas, three humoural theories, five elemental theory, five sheaths of the human body, seven physical constituents, fourteen natural urges, etc;

(c) capable to understand and apply the knowledge of biochemistry, bioinformatics, and Siddha biology of the human body;

(d) able to assess and demonstrate the characteristics of body constitution or temperament or Siddha genomics;

(e) ability to conduct or demonstrate physiology tests or experiments;

(f) able to correlate and translate Siddha physiology on contemporary scientific lines; and

(g) the Postgraduate degree holder in Udal Thathuvam shall be the specialist in Udal Thathuvam (i.e. Siddha Physiologist).

(4) Gunapadam Marunthiyal (Materia Medica, Pharmacology and Pharmacognosy):-

(a) capable to identify and authenticate the raw materials of herbal, metal, mineral, and animal origin;

(b) able to do the purification of raw drugs in a systematic way and explain it scientifically;

(c) able to explicate the gunapadam (medicinal properties of Siddha drugs) in relevance to authenticated ancient Siddha literature and its scientific spirit;

(d) understand and explain the marunthiyal (pharmacology) of Siddha drugs and explicate on contemporary lines;

(e) ability to conduct or demonstrate phytochemical and pharmacognostic experiments;

(f) ability to conduct and demonstrate pharmacological experiments, including animal studies;

(g) skilled in identification of adulterants and substitutes;

(h) ability to clear controversy and suggest substitute drugs;

(i) able to define Siddha pharmacological properties of new herbs or new single drugs;

(j) be able to do quality testing of raw drugs on traditional and scientific parameters;

(k) acquire knowledge of tissue culture, bioinformatics, network pharmacology, stem cell experiments, etc., and other emerging areas related to Marunthiyal (Pharmacology);

(l) able to perform drug standardisation studies; and

(m) the Postgraduate degree holder in Gunapadam Marunthiyal shall be the specialist in Gunapadam Marunthiyal (i.e. Siddha Pharmacologist), specialised in Identification, Purification and Biological Actions of Raw Materials (Herbs, Metals, Minerals and Animal Sources).

(5) Gunapadam Marunthakaviyal (Materia Medica, Pharmaceutics and Clinical Pharmacy):-

(a) fundamental and applied knowledge in Marunthakaviyal in detail;

(b) ability to understand drug processing methods in the light of chemistry and chemical technology;

(c) ability to appraise authenticity of raw materials used in Siddha formulations;

(d) ability to prepare Siddha classical medicines both internal and external;

(e) achieve classical and contemporary knowledge on drug manufacturing, new dosage forms and new drug development;

(f) ability to identify the need and areas of research in Marunthakaviyal;

(g) become familiar with drug standardisation, quality testing, quality control, and quality assurance methods and related instruments or devices or equipment;

(h) understanding and application of material and operational management, clinical pharmacy, and pharmacy practice;

(i) accomplish knowledge of standard databases pertaining to drug and ability for preparation of drug dossier, familiar with drugs and cosmetics and relevant acts;

(j) acquire knowledge of pharmacovigilance along with its need. Scope and objectives;

(k) attain experience in dispensing pharmacy and clinical pharmacy;

(l) ability to formulate and prepare new drugs or combinations; and

(m) the Postgraduate degree holder in Gunapadam Marunthakaviyal shall be the specialist in Gunapadam Marunthakaviyal (i.e., Siddha Pharmaceutical Specialist), specialised in Siddha Pharmaceutics, Pharmaceuticals and Clinical pharmacy.

(6) Noi Naadal (Pathology and Laboratory Diagnosis):-

(a) ability to understand Siddha pathology and apply Siddha basic principles in the confirmation of clinical diagnosis and prognosis;

(b) ability to understand basic pathology, systemic pathology, pathological process, pathophysiology and interpret or apply in Siddha perspective;

(c) competent in Siddha diagnostic methods including envagai thervu, naadi parisothanai, manikkadai nool, etc;

(d) able to assess and demonstrate the characteristics of body constitution or temperament and apply Siddha genomics;

(e) able to translate the knowledge of Panchapatchi Sasthram and Maruthuva Jothidaviyal in the prediction of disease, diagnosis and prognosis;

(f) ability to describe pathology through Siddha physiology, pathophysiology, Siddha biology, molecular biology, and Siddha genomics;

(g) ability to carry-out appropriate investigations, haematological, pathological, biochemical, microbiological, imaging techniques, histopathology and the like for confirmation of clinical diagnosis;

(h) ability to interpret the results in terms of Siddha principles;

(i) Postgraduates of Noi Naadal are authorised to sign and authenticate diagnostic investigations or tests to the extent of teaching and training;

(j) Postgraduate of Noi Naadal are authorised to establish and manage diagnostic laboratory with diagnostic facilities to the extent of teaching and training; and

(k) the Postgraduate degree holder in Noi Naadal shall be the specialist in Noi Naadal (i.e., Siddha Pathologist), specialised in Pathology and Laboratory Diagnosis.

(7) Nanju Maruthuvamum (Clinical Toxicology):-

(a) ability to diagnose poisonous conditions, bites or stings and apply medical management;

(b) ability to identify idumarunthu in the current context and suggest remedial measures;

(c) be able to apply contemporary scientific knowledge to poisonous conditions in terms of diagnosis, emergency care and management;

(d) become competent in the preparation of appropriate antidotes and removal of toxicity;

(e) able to deal with medical jurisprudence;

(f) able to conduct experimental studies on safety of Siddha formulations or drugs;

(g) ability to deal with pharmacovigilance;

(h) capable to deal with clinical conditions and their complications caused due to poisons;

(i) able to do clinical research in speciality related conditions; and

(j) the Postgraduate degree holder in Nanju Maruthuvam shall be the specialist in Nanju Maruthuvam (i.e. Siddha Clinical Toxicologist), specialised in Siddha Nanju Maruthuvam and Medical Jurisprudence.

(8) Noi Anugavidhi Maruthuvam (Siddha Dietetics, Lifestyle management, Preventive Medicine and Public Health):-

(a) able to advise lifestyle management based on Siddha principles in the context of restorative, promotive and preventive healthcare and explain on contemporary lines;

(b) ability to advise on regular cleansing methods to maintain health and wellness;

(c) be able to prescribe preventive medicines and preventive measures;

(d) be able to develop research protocols for epidemiological research;

(e) become an expert in Siddha dietetics, including Siddha nutrition, traditional food, functional food, and culinary medicine and able to interpret on contemporary lines;

(f) acquire updated knowledge in the national health programme and related regulatory guidelines;

(g) ability to conduct field surveys, health awareness programmes and inculcate public health measures;

(h) capable to understand the needs and ways to ensure planetary health through Siddha;

(i) able to manage with Siddha interventions in endemic, epidemic, and pandemic situations in a scientific way; and

(j) the Postgraduate degree holder in Noi Anugavidhi Maruthuvam shall be the specialist in Noi Anugavidhi Maruthuvam (i.e. Siddha Dietetics, Lifestyle Management, Preventive Medicine and Public Health Specialist).

(9) Pothu Maruthuvam (General Medicine):-

(a) ability to diagnose the general cases clinically by applying Siddha diagnostic methods;

(b) ability to interpret and correlate diagnostic investigational reports, arrive at diagnosis and treat the patient;

(c) ability to provide treatment for general clinical conditions both acute and chronic;

(d) skilled in deciding line of treatment for general clinical conditions;

(e) skilled in determining dose and appropriate administration methods;

(f) ability to apply the knowledge and experience of anatomy and physiology in diagnosis and treatment;

(g) competent in prescribing dietary and lifestyle modifications in respect of affected disease and prescribed medicines;

(h) ability to provide emergency medicine;

(i) capable of conducting clinical research; and

(j) the Postgraduate degree holder in Pothu Maruthuvam shall be the specialist in Pothu Maruthuvam (i.e. Siddha General Medicine Specialist).

(10) Varma Maruthuvam (Varma Medicine):-

(a) ability to identify disease conditions by applying anatomy knowledge, varma signs and symptomatology and provide appropriate for varma therapy;

(b) ability to treat varmam disorders with Siddha varma treatment techniques including ilaaku murai, adangal murai etc., and explain scientifically;

(c) able to integrate varmam treatment techniques with thokkanam and other external treatment procedures;

(d) achieve skill in the management of muscular, neurological, rheumatological, traumatic conditions and sports injuries through varma manipulations;

(e) proficient in palliative, pain management, rehabilitative management and improving quality of life through varma treatment measures or techniques;

(f) be able to provide support in varmam related medical emergencies;

(g) capable of doing clinical research in the area concerned; and

(h) the Postgraduate degree holder in Varma Maruthuvam shall be the specialist in Varma Maruthuvam (i.e. Siddha Varmam Specialist).

(11) Pura Maruthuvam (External Medicine):-

(a) ability to identify clinical conditions appropriate for puramaruthuvam;

(b) able to certify the fitness for undergoing external therapy procedures and cleansing therapies;

(c) ability to select, plan and administer thirty-two types of external therapies including thokkanam and cleansing therapies suitable to the clinical conditions;

(d) competent to manage complications of external therapy procedures;

(e) able to integrate external medicine and internal medicine;

(f) able to maintain the puramaruthuvam therapy section in the hospital systematically and manage human resources;

(g) able to develop instruments, equipment, or procedures for puramaruthuvam;

(h) ability to perform rejuvenation therapy, and rehabilitative management through puramaruthuvam;

(i) capable of doing clinical research in the specialty related areas;

(j) ability to prepare puramarunthugal;

(k) ability to do puramaruthuvam for all age groups; and

(l) the Postgraduate degree holder in Pura Maruthuvam shall be the specialist in Pura Maruthuvam (i.e. Siddha External Medicine or External Therapy Specialist).

(12) Siddhar Yoga Maruthuvam (Siddhar Yogic Science):-

(a) able to identify clinical conditions appropriate for yoga therapy and apply anatomical and physiological knowledge and experience yoga therapy;

(b) ability to demonstrate and prescribe specific yoga for normal individuals to maintain health and wellness of body and mind;

(c) able to advise yogam for rejuvenation, longevity, and well-being;

(d) able to apply yogam for preventive, promotive, and restorative healthcare;

(e) capable to educate and apply yogam for public health;

(f) capable of collaborating with other specialists to integrate yoga and treatment;

(g) competent to explain biological events connected with yogam on contemporary lines;

(h) capable of doing clinical research in the area concerned with specialty; and

(i) the Postgraduate degree holder in Siddhar Yoga Maruthuvam shall be the specialist in Siddhar Yoga Maruthuvam (i.e. Siddhar Yogic Science Specialist).

(13) Siddhar Aruvai Maruthuvam (Siddha Surgery):-

(a) ability to perform surgery in surgical conditions mentioned in the syllabus as per teaching and training received;

(b) ability to diagnose surgical conditions, suggest and carry out necessary diagnostic tests specific to the specialty, and interpret the results of diagnostic tests;

(c) ability to perform twenty-five types of Siddha surgical and para-surgical procedures under the three major categories of Aruvai, Agni, and Kaaram;

(d) ability to perform diagnostic surgeries and manage surgical and para-surgical complications;

(e) able to diagnose and manage kan, kathu, mookku, thondai, and pal noikal;

(f) capable of maintaining the operation theatre appropriately;

(g) skilled in pre-operative and post-operative cares;

(h) ability to develop tools or instruments as per the current need to perform Siddha surgery;

(i) capable of doing clinical research in the area concerned; and

(j) the Postgraduate degree holder in Aruvai Maruthuvam shall be the specialist in Siddhar Aruvai Maruthuvam (i.e. Siddha Surgeon), specialised in Siddhar Aruvai Maruthuvam procedures pertaining to Ophthalmology, Ear-Nose-Throat, and Dentistry conditions.

(14) Magalir and Sool Maruthuvam (Siddha Gynaecology and Obstetrics):-

(a) ability to provide ante-natal, natal and post-natal care;

(b) able to conduct deliveries and manage complications;

(c) competent to diagnose gynaecological and obstetric conditions and provide treatment;

(d) able to perform gynaecological and obstetric surgeries as per teaching and training and other therapeutic procedures related to the specialty;

(e) ability to conduct diagnostic test pertaining to the specialty;

(f) ability to prescribe conception and contraception measures as per teaching and training received;

(g) able to prescribe medicines and measures to facilitate normal growth of the foetus and normal delivery;

(h) capable of doing clinical research in the area concerned; and

(i) the Postgraduate degree holder in Magalir and Sool Maruthuvam shall be the specialist in Magalir and Sool Maruthuvam (i.e. Siddha Gynaecologist and Obstetrician), specialised in the management of gynaecological and obstetrical conditions and related surgical procedures.

(15) Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics):-

(a) ability to manage clinical conditions in general in children up to the age of eighteen years;

(b) capable of understanding 'normal child';

(c) ability in implementation of immunization schedule and Siddha immunity promoting measures;

(d) ability to administer external medicine or therapy in children;

(e) able to treat specially abled and special children;

(f) capable of doing clinical research in the area concerned;

(g) ability to conduct diagnostic test pertaining to the specialty;

(h) proficient in prescribing diet for growing children based on Siddha principles; and

(i) the Postgraduate degree holder in Kuzhanthai Maruthuvam shall be the specialist in Kuzhanthai Maruthuvam (i.e. Siddha Paediatrician).

(16) Thol Maruthuvam (Dermatology):-

(a) able to diagnose skin disorders through Siddha diagnostic methods and on contemporary lines;

(b) ability to treat acute and chronic skin disorders;

(c) capable to apply appropriate external treatment procedures or external medicines;

(d) ability to conduct diagnostic test pertaining to the specialty;

(e) capable of doing clinical research in the area concerned;

(f) capable of developing remedial measures to manage new entities;

(g) able to handle appropriate modern equipments and methods in diagnosis;

(h) proficiency in prescribing or administering Siddha interventions for ageing and cosmetic related skin issues; and

(i) the Postgraduate degree holder in Thol Maruthuvam shall be the specialist in Thol Maruthuvam (i.e. Siddha Dermatologist).

18. The medium of instruction shall be English or Tamil or Hindi or any recognised regional language included under Eighth Schedule to the Constitution of India. In cases where the Postgraduate department or specialty admits students from different States, the common language of English or Hindi shall be used.

19. Mode of Admission to Postgraduate Degree Programme: (1) There shall be a uniform entrance test or examination namely, the Post-Graduate National Entrance Test for admission to Postgraduate Degree (M.D. and M.S) programmes in each academic year and shall be conducted by an authority designated by the National Commission for Indian System of Medicine:

Provided that the Post-Graduate National Entrance Test shall not be applicable for foreign national candidates.

(2) A person possessing the degree of Siddha Maruthuva Arignar (Bachelor of Siddha Medicine and Surgery) (B.S.M.S.) from a recognised University or Board or Medical institution and possessing a valid registration certificate as a medical practitioner in State or Union territory or Central Council or Board (as applicable), shall be eligible to appear for the Post-Graduate National Entrance Test; After qualifying the Post-Graduate National

Entrance Test, he or she shall become eligible for admission in the Postgraduate degree (Doctor of Medicine or Master of Surgery) programmes as per the merit.

(3) In case of admission to a Postgraduate programme, temporary registration from Council or Board of the concerned State or Union territory where he or she pursues a Postgraduate programme shall be required for the entire duration of the Postgraduate programme other than the State or Union territory of permanent registration.

(4) To become eligible for admission to Postgraduate degree programmes, it shall be necessary for a candidate to obtain minimum of marks at 50th percentile in the Post-Graduate National Entrance Test held for the said academic year:

Provided that in respect of,-

(a) candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, the minimum marks shall be at 40th percentile;

(b) candidates with benchmark disabilities specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the minimum marks shall be at 40th percentile.

(5) An All-India common merit list as well as State or Union territory wise merit list of the eligible candidates shall be prepared on the basis of the marks or score obtained in the Post-Graduate National Entrance Test and the candidates, within the respective categories, shall be admitted to Postgraduate degree course from the said merit list through counselling only.

(6) The seat matrix for admission in the Government, Government-aided Institution and Private Institution shall be fifteen per cent. for All-India Quota and eighty-five per cent. for the State and Union territory quota:

Provided that,-

(a) the All-India Quota for the purpose of admission in all the deemed universities both Government

and private established under the Central Act shall be hundred per cent;

(b) the University and institute which are already having more than fifteen per cent. All-India Quota seats shall continue to maintain that quota;

(c) five per cent. of the annual sanctioned student intake capacity in Government and Government-aided Institutions shall be filled up by candidate with specified disability in accordance with the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016).

(7) The designated authority for counselling of State and Union territory quota for admissions to Postgraduate degree programmes in all Siddha Educational Institutions in the States and Union territories including institutions established by the State Government, University, Trust, Society, Minority Institution, Corporation or Company shall be the respective State or Union Territory in accordance with the relevant rules and regulations of the concerned State or Union territory, as the case may be.

(8) The counselling for all admission to Postgraduate programmes for hundred percent of seats of all Deemed Universities of Government and Private, established under Central Act shall be conducted by Ayush Admissions Central Counselling Committee, the authority designated by the National Commission for Indian System of Medicine in this behalf.

(9) The counselling for admission to Postgraduate programmes for seats under All-India Quota in government, government aided, central universities, and Siddha Medical institutions established by the Central Government shall be conducted by Ayush Admissions Central Counselling Committee, the authority designated by the National Commission for Indian System of Medicine in this behalf.

(10) All seats including management quota except foreign nationals shall be admitted through online counselling only.

(11) Direct admission by any means other than central or state or union territory counselling (online) shall be considered invalid.

(12) The institutions shall submit the list of students admitted in the format, mode and time specified by the National Commission for Indian System of Medicine on or before the cut-off date for admissions specified by the National Commission for Indian System of Medicine for verification; Failing which, a penalty of rupees up to one lakh per day shall be imposed by the MARBISM, on recommendation by the examination cell.

(13) The counselling authorities shall submit the data of allotted students in the format, mode and timeline as specified by the National Commission for Indian System of Medicine.

(14) No candidate who has failed to obtain the minimum eligibility marks specified in these regulations shall be admitted to Postgraduate degree programme in the said academic year.

(15) No authority or institution shall admit any candidate to the Postgraduate programme in contravention of the criteria or procedure laid down in these regulations and related guidelines of the Commission.

(16) Any admission made in contravention of the said criteria or procedure in these regulations and related guidelines of the commission shall be invalid and the same shall be cancelled by the National Commission for Indian System of Medicine forthwith.

(17) The authority or institution which grants such admission to any student in contravention of the criteria or procedure laid down in these regulations shall be liable to face consequences as per the relevant provisions of the Act and the regulations thereunder.

(18) Admission procedures and other requisites for admission of foreign national students to Postgraduate programmes in Siddha shall be as per the directives or guidelines specified by the National Commission for Indian System of Medicine.

20. Annual Student Intake Capacity and Student-Guide Ratio.- (1) Annual student intake capacity in each Postgraduate degree programme (Doctor of Medicine-M.D. and Master of Surgery-M.S.) shall not be more than twelve seats per year.

(2) Subject to availability of student-Postgraduate guide in the ratio of 3:1 for Professor (three students for one Professor); 2:1 in case of Associate Professor (two students for one Associate Professor); and in case of Assistant Professor the ratio is 1:1(one student for one Assistant Professor).

21. Duration of Course and Attendance System.- (1) The duration of Postgraduate programme [Siddha Maruthuva Perarignar (Doctor of Medicine and Master of Surgery)] in Siddha shall be three years (thirty-six months) including examination and the nomenclature of Postgraduate programme shall be as per the chapter-III.

(2) The maximum duration for completion of the course shall not exceed six years from the date of commencement of the academic course as per the academic calendar issued by the National Commission for Indian System of Medicine for that particular batch.

(3) Biometric or Aadhar based centralised biometric, or iris detection or face recognition biometric attendance system as specified by the National Commission for Indian System of Medicine shall be maintained by the institution for the attendance of Postgraduate students.

(4) The below-mentioned leave policy shall be applicable for Postgraduate students,-

(a) casual leaves up to twelve days per academic year;

(b) academic activities such as attending seminars, workshops, training programmes, orientation programmes, symposium etc including days of travelling shall be considered as “on duty”; and

(c) maternity, paternity and other leaves as per respective Central or State or Union territory or contract rules as applicable;

(5) The student shall attend minimum eighty per cent. of total academic activities to become eligible for appearing in the University examination and the academic activities including lectures, practical or clinical, demonstrative teaching, online and offline workshops, seminars, clinical case presentation, group discussions, journal club etc., as scheduled by the department or institution.

(6) Acquiring requisite attendance shall be the responsibility of the Postgraduate student. In case of deficiency of attendance, the duration of the course shall be extended proportionately.

(7) The student shall attend the hospital, department or laboratories and other duties as assigned during the course of study.

(8) There is no provision for vacation in Postgraduate degree programmes.

22. Pattern of Study and Subjects.- (1) The Postgraduate programme shall ordinarily start on the first working day of August every year.

(2) The Postgraduate programme shall start with an orientation programme (common and specialty-specific) as prescribed by the commission.

(3) Three years (thirty-six months) of Postgraduate programme shall consist of six semesters, and each semester shall be for six months of duration.

(4) The Notional Learning Hours in each semester shall not be less than 750 hours that are devoted to teaching, practical or clinical training, experiential learning, and carrying out dissertation research activities. The total Notional Learning Hours of the entire Postgraduate programme shall not be less than 4500 hours (i.e. 750 hours x 6 semesters).

(5) (a) 750 Notional Learning Hours in each semester are structured into 25 credits and each credit shall have 30 hours;

(b) the 4500 total Notional Learning Hours of the entire Postgraduate programme are structured into 150 credits (i.e. 25 credits x 6 semesters);

(c) each credit shall have teaching, practical training, and experiential learning in the ratio of 1:2:3 i.e. 05 hours of teaching, 10 hours of practical training and 15 hours of experiential learning;

(6) The Postgraduate programme shall consist of mandatory core subjects and electives in each semester as detailed in below **Table.**

(7) (a) The core subjects shall be taught in the form of modules;

(b) each module may contain one or more credits;

(c) at the end of each module students have to undergo formative assessment (modular based).

(8) (a) There shall be two categories of electives viz. domain specific electives and capacity enhancement electives;

(b) each Postgraduate student have to qualify one elective from the domain specific category and one elective from the capacity enhancement category in each semester and totally a Postgraduate student shall qualify a minimum of 12 electives (six electives from the domain specific category and six electives from the capacity enhancement category) during the three years of the entire Postgraduate degree programme;

(c) elective courses shall be conducted online within the timeframe as specified by the commission in the course curriculum.

(9) The subjects to be taught and other activities (semester-wise) shall be as mentioned in the **Table** below:–

Table

Semester wise Subjects and Activities

Sl. No.	**Semester**	**Course Period (36 Months)**	**Subjects and Activities**	**Number of Credits**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1	Semester-1	1-6 Months	Orientation Programme (Common)	3
			Orientation Programme (Specific to specialty)	1
			Core subject: Research Methodology (Modules)	9
			Core subject: Biostatistics (Modules)	8
			Electives: Domain specific (anyone)	2
			Electives: Capacity enhancement (anyone)	2
			Sub Total	**25**
Summative Assessment-1				
2	Semester-2	7-12 Months	Synopsis and submission of synopsis	5
			Core subject: Applied Basics of Concerned Specialty (Modules)	16
			Electives: Domain specific (anyone)	2
			Electives: Capacity enhancement (anyone)	2
			Sub Total	**25**
Summative Assessment-2				
3	Semester-3	13-18 Months	Dissertation Activities	5
			Core subjects of Specialty (Modules)	16
			Electives: Domain specific (anyone)	2

			Electives: Capacity enhancement (anyone)	2
			Sub Total	**25**
4	Semester-4	19-24 Months	Dissertation Activities	5
			Core subjects of Specialty (Modules)	16
			Electives: Domain specific (anyone)	2
			Electives: Capacity enhancement (anyone)	2
			Sub Total	**25**
5	Semester-5	25-30 Months	Dissertation Activities	5
			Core subjects of Specialty (Modules)	16
			Electives: Domain specific (anyone)	2
			Electives: Capacity enhancement (anyone)	2
			Sub Total	**25**
6	Semester-6	31-36 Months	Dissertation Activities and Submission of Dissertation	5
			Core subjects of Specialty (Modules)	16
			Electives: Domain specific (anyone)	2
			Electives: Capacity enhancement (anyone)	2
			Sub Total	**25**
			Grand Total	**150**
Summative Assessment-3				

(10) The curriculum shall be competency based dynamic curriculum as per the provision in the Act.

(11) The method of teaching and training shall be detailed in the curriculum and syllabus.

(12) The students of postgraduate programmes, namely,- Gunapadam Marunthiyal and Gunapadam Marunthakaviyal may undergo industry postings (drug manufacturing industry) for the duration, instructions, guidelines etc., as specified in the concerned curriculum published by the Commission from time to time.

23. Examination and Assessment.- (1) Assessment shall be carried out in terms of formative assessment and summative assessment.

(2) **Summative Assessment:** The Postgraduate degree course or programme shall have three summative assessments or examinations conducted by the University.

(3) (a) The University shall conduct first summative assessment at the end of the first semester for the first semester syllabus, Second summative assessment at the end of second semester for the second semester syllabus, and third summative assessment at the end of sixth semester for the third, fourth, fifth, and sixth semester syllabus;

(b) semester third, fourth, fifth and sixth have been kept as one block period so that the activities such as conduction of research activities, clinical exposure, industrial exposure, and other outside postings or activities may be performed by the students without interruption.

(4) Before appearing for the second summative assessment at the end of second semester, it is mandatory for the student to submit the synopsis within the specified period.

(5) Before appearing for the third summative assessment at the end of the sixth semester, the student shall have,-

(a) passed all core subjects of the first and second semesters of the Postgraduate degree programme;

(b) qualified minimum twelve electives (six electives from the domain specific category and six electives from the capacity enhancement category) as specified in these regulations;

(c) submitted the dissertation;

(d) published at least one preprint of the dissertation in preprint repository servers such as bioRxiv or medRxiv or publish or get accepted minimum one research paper in anyone of the reputed indexed (UGC-CARE, PubMed, Web of Science, Science Citation Index or Scopus) research journal; and

(e) presented at least one paper in national or international level seminar.

(6) The University shall conduct summative examinations ordinarily in the months of January and July every year.

(7) **Formative Assessment:** (a) formative assessments (modular based) shall be carried out by the concerned Postgraduate department at the end of each module as specified in the curriculum;

(b) at the end of the semester, semester grade point average (SGPA) shall be calculated as per the calculation method specified in these regulations;

(c) Semester Grade Point Average of first semester shall be considered for first summative assessment; Semester Grade Point Average of second semester for second summative assessment and average–Semester Grade Point Average of third, fourth, fifth and sixth semesters shall be considered for third summative assessment.

(8) Securing a minimum of sixty per cent. of the Semester Grade Point Average shall be the eligibility criteria for appearing in summative assessments conducted by the University as specified below,-

(a) minimum sixty per cent Semester Grade Point Average of the first semester for appearing in the first summative assessment.

(b) minimum sixty per cent Semester Grade Point Average of the second semester for appearing in the second summative assessment.

(c) the average of third, fourth, fifth and sixth semesters 'Semester Grade Point Average' shall be minimum sixty per cent. to become eligible for appearing in the third summative assessment conducted by the University; and

(d) the ineligible students due to the shortage of Semester Grade Point Average as specified in (a), (b) and (c), shall become eligible for appearing in subsequent examination only after acquiring the required Semester Grade Point Average by attending the teaching and training of the same semester; in such case, the duration of the Postgraduate programme shall be extended proportionately.

(9) The number of subjects or papers for summative assessment and distribution of marks shall be as per the **Table** below,-

Table

Summative Assessments, Semester, Subjects, Number of Papers and Distribution of Marks

Subjects	Semester	Number of Papers	Maximum Marks	
			Theory	Practical or Clinical including Viva-Voce
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Research Methodology	First	One	100	----
Biostatistics	First	One	100	----
Applied Basics of the Specialty	Second	One	100	200
Specialty specific subject	Sixth	Four	400	400

[Note: The details such as conduction of practical or clinical examination, question paper format, blueprint etc shall be as per the curriculum published by the Commission from time to time]

(10) The calculation of Semester Grade Point Average for each semester shall be as follow:-

Step 1: Calculation of Module Grade Point (MGP) in each subject:-

$$\frac{\text{(Number of Notional Learning hours attended in a module) X (Marks obtained in the modular assess}}{\text{(Total number of Notional Learning hours in the module) X (Maximum marks of the module)}} \text{ X 100}$$

Step 2: Calculation of Semester Grade Point Average for each subject:-

(Average of Module Grade Points in a Semester)

(11) For being declared successful (a) in the first and second summative examinations, the student shall secure minimum fifty per cent. in theory and minimum fifty per cent in practical or clinical including viva-voce, wherever applicable;

(b) in the third summative assessment, the student shall have to secure aggregate of minimum fifty percent of all papers and a minimum forty percent in each paper of theory examinations and fifty percent in practical or clinical including viva-voce separately.

(12) A candidate obtaining sixty-five per cent. and above marks shall be awarded first class in the subject and seventy-five per cent. and above marks shall be awarded distinction in the subject.

(13) If a student fails either in theory or practical/clinical, or both in any of the summative assessments, the student shall have to appear all subjects of that assessment including practical examinations wherever applicable.

(14) The failed students shall appear for subsequent examinations conducted every six months by the University.

(15) The Postgraduate degree shall be conferred after the dissertation has been accepted and the student has passed the third summative assessment.

24. Appointment of Examiners.- (1) For each subject in semester-I and semester-II, the summative examination or assessment shall be conducted by two examiners, one of whom shall be an external examiner from any other medical institution and the other from the same institution as the internal examiner.

(2) There shall be double valuation for theory answer scripts of the first and second summative assessments and the implementation of double valuation system shall be as per the guidelines published by the commission.

(3) The sixth semester summative assessment or examination shall be conducted by a team of four examiners, i.e., two external examiners from any other medical institution (at least one external examiner shall be from other state, if Siddha Postgraduate institutions are available in more than one State or Union territory) and two internal examiners from the same institution.

(4) The theory answer scripts of the third assessment shall be evaluated by all four examiners, and the average of all four evaluations shall be considered the final mark, and similarly the practical or clinical examinations, including viva voce shall be conducted by all four examiners and the average marks of all four examiners shall be considered as final mark of practical or clinical including viva-voce.

(5) There shall be no provision for re-valuation of answer scripts.

25. Eligible Postgraduate Examiner.- (1) A teacher with a minimum of five years of Postgraduate teaching in the concerned specialty and who has guided at least one Postgraduate dissertation and the dissertation has been accepted shall be considered eligible as a Postgraduate examiner for theory evaluation, conducting practical or clinical including viva voce;

(2) The eligible Postgraduate examiner shall also be eligible for evaluation of the synopsis, and dissertation;

(3) The same external examiner shall not be appointed as examiner at the same examination centre for not more than three consecutive examinations excluding supplementary examinations.

26. Dissertation.- (1) Each Postgraduate student shall carry out a dissertation work on research topic under the supervision of an eligible Postgraduate guide of the department and submit dissertation in partial fulfilment for the award of degree of postgraduation.

(2) (a) Every Postgraduate institution shall have an approved Postgraduate guide allotment policy, and the policy shall facilitate fair allotment of Postgraduate guides for dissertation activities;

(b) the institution shall notify thrust areas of research as specified for the respective Postgraduate department, specialty, or Postgraduate degree programme in these regulations for each approved Postgraduate guide, and he or she shall continue guiding allotted Postgraduate students in the same areas of research;

(c) the guide allotment shall be within the student-guide ratio in the department as specified in these regulations;

(d) in cases of inter-departmental, inter-disciplinary, and trans-disciplinary research, a co-guide with minimum Postgraduate degree shall be co-opted from the concerned or collaborative specialty or unit;

(e) the co-guide allotment from the same Postgraduate department or specialty shall not be allowed and it shall be allowed from the other department in collaborative research.

(3) (a) The dissertation shall be innovative and translational, and the research shall be addition to the Siddha medical science and helpful for the promotion of the Siddha system;

(b) the topic shall be within the scope of the subject specialty and shall be from the thrust areas of the research of the respective department or specialty as specified in these regulations;

(c) the dissertation title should preferably be on the lines of the results of the aptitude test conducted by the commission when it becomes operational and this aptitude test is to test the aptitude of a student towards specialist in the concerned area, clinical practice, teaching, research, technological development or entrepreneurship;

(d) the title of the dissertation shall be precise and reflect the objectives and methods of the study;

(e) the synopsis for the selected title of the dissertation shall be developed as per the specifications and format specified by the respective University.

(4) (a) The synopsis developed as per the specifications shall be subjected to departmental review; after departmental review, the completed synopsis shall be submitted to the head of the respective department;

(b) the head of the department shall forward all synopsis of the department to the head of the institution;

(c) the head of the institution in turn forwards all the synopsis to the institutional research review committee, institutional research committee, or institutional scientific committee for approval;

(d) corrections or modifications suggested by the aforesaid committee shall be forwarded to the respective heads of departments;

(e) the synopsis corrected or modified by incorporating the suggestions shall be re-submitted by the student to the respective heads of departments and from the head of the department to the head of the institution;

(f) the head of the institution shall forward the synopsis that requires ethical clearance (clinical studies or animal studies) to the respective Institutional Ethics Committees (IEC) for human subjects or the Institutional Animal Ethics Committee (IAEC) for animal studies, as the case may be;

(g) corrections or modifications suggested by the aforesaid committees shall be forwarded to the respective departments;

(h) the synopsis corrected or modified by incorporating the suggestions of the concerned committee by the student shall be re-submitted to the respective departmental head, who in turn forwards it to the head of the institution;

(i) submission of synopsis at all stages shall be in soft copy; one hard copy of the final synopsis duly signed by the student, guide, head of the department, and head of the institution shall be retained in the concerned department.

(5) (a) Soft copy of the synopsis, completed in all aspects and obtaining approval from relevant institutional research and ethics committees, shall be forwarded to the University by the head of the institution on or before the last working day of the 9^{th} month of the Postgraduate degree programme during the semester-II for registration;

(b) submission of synopsis within the prescribed time is a mandatory criterion to appear for the second semester summative assessment or examination conducted by the University;

(c) if the student fails to submit the title of the dissertation and synopsis within the period specified under clause (a), his term for the second semester of the Postgraduate degree programme shall be extended for six months, and the synopsis shall be submitted before appearing for the second summative examination. Failing which he or she shall not be eligible to appear for the second summative examination, and the second semester shall be extended for another six months and so on;

(d) once the student submitted the synopsis, it is mandatory for the institutions to complete the approval process in stipulated time; institute shall not charge any additional fee for synopsis approval process.

(6) (a) After the receipt of the dissertation title and synopsis, the University shall register the title of the dissertation and synopsis by allotting registered number;

(b) University shall intimate the registered list of dissertation titles and synopsis to the concerned Postgraduate institution and display the same on the University website; the same shall be displayed on the respective college website by the institution;

(c) once the title of the dissertation is registered by the University, the student shall not be allowed to change the title of the dissertation without the permission of the University.

(7) (a) Dissertation research activity shall be started only after registration by the respective University for the dissertation title and synopsis;

(b) after receiving the registration notification from the University, the student, under the guidance of the respective guide, prepares a calendar of events of research activity and submits it to the head of the department; the same shall be verified by the institutional research review committee, institutional research committee, or institutional scientific committee while reviewing the progress of the study;

(c) the institutional research review committee, institutional research committee, or institutional scientific committee shall periodically (preferably at the end of third, fourth and fifth semester) monitor the dissertation activity in terms of:

(i) progress of research activity with respect to the calendar of research activity submitted by the student;

(ii) quality of research and adherence to the methods and standards as per the approved synopsis.

(8) (a) On completion of research or dissertation activity, with the recommendation of a guide through the head of the department, pre-submission of the dissertation shall be arranged from the 30th to the 32nd month of the Postgraduate degree programme, wherein the institutional research review committee, institutional research committee, or institutional scientific committee reviews the entire study;

(b) the institutional research review committee, institutional research committee, or institutional scientific committee may approve or suggest corrections or modifications, and the same shall be communicated to the student through the head of the department;

(c) after incorporating the modifications or corrections suggested by the institutional research review committee, institutional research committee, or institutional scientific committee, the draft dissertation shall be forwarded by the student to the plagiarism scrutiny cell as mentioned in the regulation 29 through the guide and head of the department;

(d) after plagiarism checking, if the plagiarism scrutiny cell finds the plagiarism is within the permissible limits of not more than fifteen per cent, the plagiarism scrutiny cell shall issue a plagiarism clearance certificate in the **Annexure-A;**

(e) in case, the plagiarism is more than fifteen per cent. the draft dissertation shall be referred back to the concerned department with a plagiarism check report by the plagiarism scrutiny cell;

(f) the plagiarism check report shall be reviewed by the Departmental Academic Integrity Committee comprising the head of the department as chairman of the committee, one faculty member from the concerned department, and one faculty member from another department; if the departmental academic integrity committee is satisfied, the committee shall recommend to the plagiarism scrutiny cell to issue a plagiarism clearance certificate in the **Annexure-B**; if the committee is not satisfied, the student shall be directed to modify and resubmit the draft dissertation to plagiarism scrutiny cell;

(g) the resubmitted draft dissertation shall undergo the same process as specified in clause (f);

(h) the final dissertation, with certificates including a plagiarism clearance certificate, shall be submitted to the head of the institution through the head of the department in soft copy from the 30th to the 32nd month of the Postgraduate degree programme;

(i) one hard copy of the dissertation signed by the student, guide, head of the department, and head of the institution shall be retained in the department; and

(j) the plagiarism related procedures are shown in the following image,-

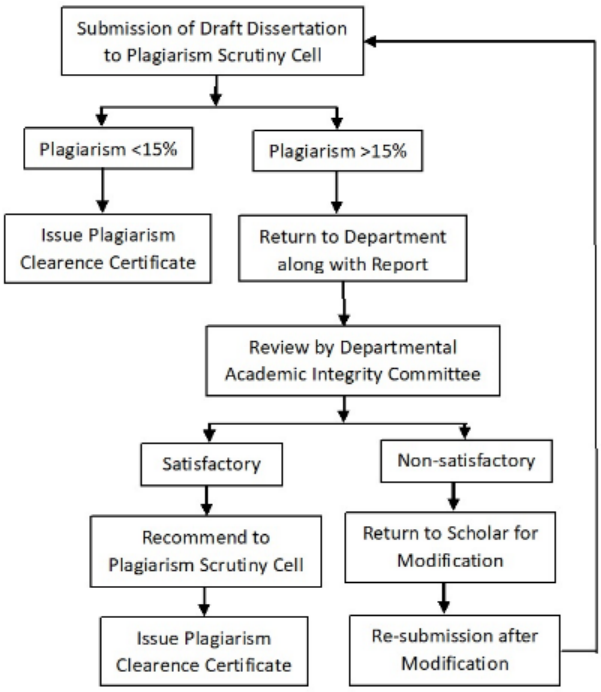

(9) The format and specifications in terms of pages, words, font type, line spacing, etc. shall be as per the guidelines specified in the curriculum specified by the National Commission of Indian System of Medicine.

(10) (a) All the dissertations approved by the institutional research review committee, institutional research committee, or institutional scientific committee, as the case may be, shall be forwarded in soft copy to the University by the head of the institution;

(b) dissertations shall be submitted to the University during the 33rd month of the Postgraduate degree programme during the sixth semester (the 33rd month shall be counted from the month of commencement of the course as per the academic calendar issued by the Commission);

(c) the head of the institution shall notify the dates for the below-mentioned events well in advance.

(i) date for pre-submission;

(ii) date of submission of the dissertation to the department;

(iii) date of submission by departments to the head of the institution;

(iv) date of submission by the head of the institution to the affiliated University; and

(d) no student shall be allowed to submit the dissertation before the 30th month of the course or programme and the student shall continue his or her regular study at the institution after the submission of the dissertation to complete three years of the course.

(11) (a) The dissertation shall be evaluated or assessed by three evaluators or examiners;

(b) the evaluation results of the dissertation shall be declared in terms of Accepted or Rejected as mentioned in the **Table** below.

Table

Evaluation of Dissertation and Results

Evaluator-I	Evaluator-II	Evaluator-III	Results and Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)
Accepted	Accepted	Accepted	Accepted
Accepted	Accepted	Rejected	Accepted

Accepted	Rejected	Rejected	Referred to the Fourth Evaluator (If accepted by the fourth evaluator, then the dissertation shall be considered accepted. If rejected, then the dissertation shall be considered rejected and need resubmission of dissertation)
Rejected	Rejected	Rejected	Rejected (Need resubmission of the dissertation)

(12) Submission of the dissertation shall be the pre-requisite for the students to appear in the third University summative examination conducted at the end of the sixth semester. In the event of a delay in submission by the student, the student shall not be eligible to appear in a third summative assessment or examination until submission of the dissertation. In case of a delay in the evaluation process of the dissertation, the examination results of those students shall be withheld until the approval of their dissertation.

(13) All the approved dissertations shall be displayed either as titles or complete dissertations on the institutional website, the University website, and other related databases such as Shodhganga, etc as specified by the commission.

(14) Once the portal for synopsis as well as the dissertation management system of the National Commission for Indian System of Medicine is operational, the process of synopsis submission and approval, research progress monitoring, dissertation submission and evaluation, etc. shall be through the National Commission for Indian System of Medicine portal.

27. Postgraduate Guide Eligibility.- (1) After three years of Postgraduate teaching, a Postgraduate teacher shall be eligible to guide Postgraduate students of respective speciality for dissertation work. The affiliating University shall issue Postgraduate guide approval letter to eligible Postgraduate teachers.

(2) The maximum number of students including Postgraduate students and Postgraduate doctoral (Ph. D) students to be guided by a Postgraduate guide shall not exceed ten at any given point of time.

(3) Co-guide shall be a Postgraduate in the concerned research area of collaboration.

(4) The teaching staff engaged on contractual basis shall not be eligible to guide the students for their dissertation.

(5) A deputed teacher shall not be allotted students to guide Postgraduate dissertations unless the duration of deputation is not less than three years from the date of allotment of students for guiding.

28. Research Committees.- All Postgraduate institutions shall constitute the below mentioned research committees as per requirement,-

(1)(a) Every Postgraduate institution shall constitute an Institutional Research Committee, or an Institutional Research Review Committee, or an Institutional Scientific Committee.

(b) there shall be a common institutional research committee up to five Postgraduate programmes. In case of more than five Postgraduate programme, there shall be two institutional research committees namely:—

(i) institutional research committee for conceptual and experimental studies

(ii) institutional research committee for clinical studies

(c) the committee shall perform activities, namely,

(i) screen the dissertation proposals and monitor dissertation or research activities;

(ii) ensure that the selected topics are within the listed thrust areas of research as specified by the Commission in these regulations;

(iii) in the case of inter-disciplinary or trans-disciplinary studies, ensure the co-guide from the collaborating department, institution, or organisation;

(iv) all activities of the Institutional Research Committee, Institutional Research Review Committee, or Institutional Scientific Committee shall be coordinated by the Department of Integrative Health and Translational Research;

(v) the composition of the institutional research committee shall be as detailed in **Table** below.

Table

Composition of the Institutional Research Committee

1	Head of the Institution	Chairman
2	Postgraduate Coordinator or Dean-Postgraduate studies or Dean-Research	Member
3	Heads of Postgraduate Departments	Members
4	Biostatistician	Member
5	Two external members (one from basic sciences and one from medical sciences) from Research Councils or other Medical or Siddha or Pharmacy institutions	Members
6	Head of the Department of Integrative Health and Translational Research	Member secretary

Note: 1. Representation from each Postgraduate department shall be ensured.

2. The external members shall be experts in relevant fields of Postgraduate departments.

(2) Institutional Ethics Committee for Human Subjects: Institutional Ethics Committee for Human Subjects shall be constituted as per Indian Council for Medical Research guidelines.

(3) Institutional Animal Ethics Committee for Animal Studies: Institutional Animal Ethics Committee shall be constituted as per the Committee for Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals guidelines and should be approved by the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals.

(4) There shall be Clinical Research Cell in the hospital to coordinate the clinical research activities of the institution. The cell Shall have adequate space (minimum fifty square metres) for accommodating research coordination staff, keeping records, documents, research medicines etc and also provided with computer, printer and internet facilities. This cell also facilitates randomisation, binding, research audit, research drug audit etc., and support in clinical research related activities.

(5) All the constituted committees as mentioned in sub-regulation (1) to (4) shall function under the Department of Integrative Health and Translational Research and shall have clearly defined Standard Operating Procedures. The committees apart from reviewing and approving the research proposals shall also monitor the studies and ensure the adherence to standards of research.

29. Plagiarism Scrutiny Cell and Function.- (1) Every Postgraduate institution shall establish a Plagiarism Scrutiny Cell equipped with plagiarism checking software and shall nominate a coordinator trained in plagiarism checking.

(2) The plagiarism scrutiny cell shall be functioning under the Department of Integrative Health and Translational Research.

(3) The plagiarism scrutiny cell shall check the plagiarism in the dissertation within permissible limit or not.

(4) Referring to Tamil verse, poem, or quote, including commentaries from Siddha literature, shall not be considered plagiarism.

30. Areas of Research.- Areas of Research listed below under each department or specialty shall be the thrust areas of research for that concerned speciality. The dissertation topics shall be relevant to any one of the thrust areas of research specified for that particular speciality. This facilitates longitudinal research in selected areas and may lead to translational research and innovation. The list may be revised from time to time by the National Commission for Indian System of Medicine depending on the new emerging areas.

(1) Siddha Maruthuva Moolathathuvam (Basic Principles of Siddha Medicine):-

(a) comparative study or critical analysis of different commentaries;

(b) compilation and comparison of literature on a concept from different ancient literatures, creation of hypotheses and their validation;

(c) review and assessment of manuscripts;

(d) validation of Siddha basic principles or concepts with the help of different scientific tools;

(e) development of demonstrative methods or techniques for Siddha basic principles;

(f) development of tools, scores, or methods for assessment of different basic concepts;

(g) application methods of Siddha basic principles;

(h) development of research methodology in Siddha for research studies;

(i) critical study of research methodology used to understand Indian Knowledge with special reference to Siddha Maruthuva Moolathathuvam and creating instrumentations or tools for the same;

(j) application of ancient tools such as alavaigal on contemporary lines;

(k) development of medical education technology and tools for Siddha Maruthuva Moolathathuvam;

(1) Siddhars and their contributions, critical review;

(m) studies on 'andathilullathe pindam; pindathilullathe andam' and its scientific explorations;

(n) comparative study of Siddha basic principles and contemporary concepts.

(2) Udal Koorugal (Anatomy):-

(a) applied anatomy in Siddha varmam;

(b) applied anatomy in Siddha external treatment methods;

(c) applied anatomy in yoga or Siddhar yogic sciences;

(d) studies related to surgical anatomy on Siddha surgical, para-surgical procedures or obstetrics and gynaecology;

(e) applied anatomy in kombu kattal (bone setting);

(f) applied anatomy related to ninety-six thathwas or Siddha fundamental principles and concepts;

(g) anatomy related studies on seven udarkattugal or histological studies of dhatus;

(h) critical review and study on Angathipatham and Anatomy related ancient literatures;

(i) development of a glossary of terms in Siddha with meanings related to Udal Koorugal;

(j) understanding karuvalarchi in the context of contemporary embryology;

(k) ancient method of preserving human cadavers and comparative study with modern practice;

(1) anatomy in clinical practice, an integrative study;

(m) development of specimens to explore Siddha Udal Koorugal concepts;

(n) development of teaching methods, technology, and tools for human anatomy.

(3) Udal Thathuvam (Physiology):-

(a) studies related to ninety-six thathwas from a physiological viewpoint and its scientific explorations;

(b) exploration of Siddha physiology concepts in terms of contemporary scientific tools;

(c) exploration of Siddha physiology concepts on the lines of biological tools;

(d) understanding the influential relationship between five elements-six tastes-three humours-seven physical constituents and scientific explorations;

(e) association between health and food (vatham- pitham- kabam or sathuva- rajo-thamo unavu) from physiological and biochemical perspective;

(f) elucidation of the nourishment of ezhu udarkattugal and its scientific interpretations;

(g) studies on fourteen natural urges and their impact on the bodily functions;

(h) envagai thervu: scientific studies in physiology perspective;

(i) scientific study on physiological aspects of yakkai ilakkanam or application of yakkai ilakkanam in various professions;

(j) impact of yoga or sarapayirchi or dhyanam on physiological functions including neuro-physiology or neuroscience;

(k) influences of thokkanam and varmam in the chemical and biological events of the body;

(l) influences of kazhichal, vaanthi, nasiyam (bio-cleansing methods in Siddha) in the chemical and biological events of the body;

(m) naal ozhukkam-kala ozhukkam and its influence over physiological functions;

(n) kayakarpam: ageing, neuro-psycho-electrobiological indices of the brain, and immunity;

(o) development and validation scales, instruments, or tools for udal thathuvam concepts;

(p) development of teaching methods, technology, and tools for Udal Thathuvam.

(4) Gunapadam Marunthiyal (Materia Medica and Pharmacology):-

(a) studies on suvai, gunam, thanmai, vipakam, prabhavam of drugs, its scientific explorations and development of tools to assess or estimate the same;

(b) determination of suvai, gunam, thanmai, vipakam, prabhavam of new drugs and its scientific explorations;

(c) identification and authentication of drugs through traditional and contemporary methods;

(d) scientific studies on procurement of raw materials;

(e) scientific studies on the purification of drugs through traditional methods;

(f) comparative studies on various purification methods of the same drug;

(g) development of new purification methods and its scientific explorations;

(h) standardisation of single drugs or assessment of quality, efficacy and safety of a single drug through experimental studies;

(i) experimental studies on pharmacokinetics and pharmacodynamics or clinical pharmacology of single drugs;

(j) network pharmacology through in-silico or computational studies;

(k) good cultivation, collection, or storage practices and their scientific perspective;

(l) scientific validation of substitutes and adulterants;

(m) identification of equivalent substitutes for endangered medicinal plants;

(n) studies on pharmacoepidemiology or ethnopharmacology;

(o) pharmacognosy and phytochemistry studies;

(p) studies on the panchabootha based classification of ulogangal, kaarasarangal, paashanangal, uparasangal, and thogai charakkugal and its scientific investigations;

(q) studies on plant derivatives, vaippu charakkugal, and animal derivatives;

(r) development of teaching methods, technology, and tools for Gunapadam Marunthiyal.

(5) Gunapadam Marunthakaviyal (Materia Medica and Pharmaceutics):-

(a) quality, efficacy, and safety of Siddha classical medicines or metal or mineral based Siddha medicines: experimental studies;

(b) physico-chemical characterisation of Siddha Perumarunthugal and its safety profile;

(c) innovative techniques or methods to prepare perumarunthugal and scientific justifications;

(d) scientific authentication of marunthu prayogam including marunthalavu, anupanam, thunai marunthu, marunthirkkana pathiyam, or marunthunnum kaalam of a medicine through experimental studies;

(e) understanding the chemistry and chemical technology of Siddha higher order of medicines such as parpam, chenduram, chunam etc through advanced technology;

(f) exploring new dosage forms through experimental studies or creation of new metal or mineral based Siddha medicine, hypothesis and experimentations;

(g) quality assessment of Siddha drugs through traditional methods, comparison with contemporary methods and development of technique or technology for such assessment;

(h) scientific studies on aegamoola prayogam, muppu prayogam, marana prayogam, dravaga prayogam, and seyaneer prayogam and their scientific role in drug processing;

(i) scientific study of natpu charakku and pakai charakku concepts and their impact in pharmaceutics;

(j) comparative studies on medicine prepared through various methods for the same indication;

(k) pharmacovigilance aspect of Siddha drugs;

(l) vaippu charakkugal: scope and potentials through scientific studies;

(m) mechanism of action of Siddha medicines;

(n) nano chemistry of Siddha medicines;

(o) rasavaatham: scientific explorations;

(p) development of teaching methods, technology, and tools for gunapadam marunthakaviyal;

(q) development of pharmaceutical tools and technologies or tools for dispensing pharmacy.

(6) Noi Naadal and Noi Mudhal Naadal (Pathology):-

(a) applied aspects of Siddha basic principles in diagnosis and assessment of prognosis;

(b) standardisation of Siddha diagnostic methods and tools;

(c) development of novel diagnostic tools or devices or technology based on Siddha principles;

(d) blinded diagnostic study to determine the sensitivity, specificity, and positive and negative productive values of Siddha investigations;

(e) correlation, documentation, or prediction of a particular disease with its aetiology, and prognosis through Panchapatchi sasthiram;

(f) correlation, documentation, or prediction of a particular disease with its aetiology, and prognosis

through Maruthuva jothidaviyal;

(g) applied aspects of thannilai valarchi and vetrunilai valarchi in clinical diagnosis;

(h) applied aspects of muththodam migugunam and kuraigunam in different diseases;

(i) applied aspects of asaathya kurigunangal, asaathya naadi, or asaathya neerkkuri and neikkuri in contemporary context;

(j) validation of questionnaires to assess various types of thegis and their correlation with genomics;

(k) unavathiseyal maarupaadu and humoral changes: understanding the concept, its impacts, and developing objective parameters for its assessment;

(1) manikkadai Nool in diagnosis and prognosis and its scientific confirmations;

(m) Siddha pathology in molecular biology aspects.

(n) validation of a questionnaire to assess the humoural status of physiological and pathological variables through naadi, neerkkuri, neikkuri, naa, niram, mozhi, vizhi, malam, and sparisam;

(o) documenting the success rate or prognosis for any medical procedure based on amirta nilai;

(p) newer aetiological factors and their impact: scientific validations;

(q) studies on specific, non-specific, typical, and atypical neikkuri patterns observed in various diseases and their scientific authentication;

(r) observation of saram patterns in patients affected by various diseases;

(s) determination of region-wise pathologies through different perceptions of naadi nadai;

(t) scientific viewpoint of bio-cleansing methods- kazhichal, chaththi, or nasiyam on three humours;

(u) diagnosing the special physiological status, like pregnancy, along with the stages;

(v) siddha pathophysiology in terms of molecular biology: experimental studies;

(w) microbes and their impact on human biological events and its prevention;

(x) development of methodology for interpretations of contemporary diagnostic test reports in terms of Siddha principles;

(y) development of teaching methods, technology, and tools for Noi Naadal.

(7) Noi Anugavidhi including Research Methodology and Medical Statistics (Principles and Disciplines of Disease Prevention and Public Health):-

(a) scientific relevance of naal ozhukkam, kaala ozhukkam, or thinai ozhukkam in health promotion and development of objective parameters in this context;

(b) conceptual, clinical and scientific studies on Siddha dietetics;

(c) promotion of health through the Siddha diet: scientific studies;

(d) scientific explorations and experimental studies on 'unave marunthu; marunthae unavu'concept;

(e) bio-cleansing procedures in Siddha and their scientific relevance in health promotion;

(f) scientific studies on 'thirithoda samanaporul' and its impact on health;

(g) nutritional and medicinal value of Siddha traditional foods or culinary medicines;

(h) role of noi anugavidhi ozhukkam in communicable, and non-communicable diseases;

(i) integration of lifestyle regulations and yoga as preventive, restorative, and curative aspects in the management of lifestyle disorders;

(j) role of kayakarpam in preventive and promotional healthcare, geriatric care, or reproductive health;

(k) scientific exploration of traditional methods of disease prevention and public health;

(l) traditional methods of water purification and comparative analysis with modern techniques;

(m) epidemiological survey or research to understand prevalence of diseases as defined by Siddha;

(n) siddha immune boosters: scientific studies;

(o) scientific studies on noi anugavidhi principles in public health;

(p) mental health through attangayogam practices and scientific validations;

(q) siddha disinfectants;

(r) development of innovative techniques or technologies related to noi anugavidhi;

(s) Novel techniques to manage air pollution, water pollution, or soil pollution;

National health programmes;

(t) development of objective parameters along with tools and scales for the determination of the impact of noi anugavidhi principles or explore the concept of udal vanmai;

(u) development of teaching methods, technology, and tools with special reference to noi anugavidhi ozhukkam.

(8) Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum (Forensic Medicine and Toxicology):-

(a) clinical studies on medical management of poisoning conditions;

(b) pharmacological evaluation of Siddha antidotes;

(c) emergency medical management of poisoning in Siddha: experimental studies;

(d) pharmacovigilance;

(e) experimental studies on poruntha unavu and unavu nanju and management;

(f) scientific studies on detoxification methods (vida murivu) of metal and mineral drugs;

(g) inorganic irritant poisons (metal and mineral) and their removal: experimental studies;

(h) safety aspects of Siddha formulations: experimental studies;

(i) diagnosis and management of dermatological manifestations of nanju;

(j) drug addiction and Siddha management: clinical study;

(k) management of idumarunthu, or kaanakkadi, and its management;

(1) novel methods for the removal of toxins or poisons based on siddha principles;

(m) studies on forensic medicine;

(n) development of objective parameters, assessment scales, instruments, or tools to diagnose poisoning;

(o) development of teaching methods, technology, and tools with special reference to Noi Anugavidhi Ozhukkam.

(9) Maruthuvam (Medicine):-

(a) clinical research on general clinical conditions;

(b) emergency management of acute clinical conditions with Siddha medicines;

(c) Siddha medical management of terminally ill patients;

(d) Siddha palliative care;

(e) Siddha management of infectious diseases;

(f) geriatric care in Siddha;

(g) clinical management of systemic diseases, autoimmune disorders, or cancer;

(h) genetic disorders management through Siddha;

(i) studies to validate the role of pathiyam in treatment;

(j) metabolic disorders or metabolic syndrome and Siddha management;

(k) management of lifestyle disorders or non-communicable diseases;

(l) standardisation of treatment protocol or line of treatment for selected disease;

(m) clinical efficiency of combined therapy with internal and external medicine;

(n) development of teaching methods, technology, and tools with special reference to maruthuvam.

(10) Varmam Puramaruthuvam and Sirappu Maruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine): Postgraduate programme-Varma Maruthuvam (Varma Medicine):-

(a) clinical study on varmam injuries and management;

(b) application of varmam in thokkanam and its clinical effectiveness: integrative research;

(c) management of neuro-musculo-skeletal disorders with varmam;

(d) varma therapy for sports injuries;

(e) varmam in pain management or palliative care;

(f) varmam in rejuvenation;

(g) scientific authorisation of varmam ilakkal muraikal, adangal muraikal, thadaval muraikal, pinnal muraikal, thattu muraikal, chavittu muraikal, amarthal muraikal, or thiravu muraikal and varmam medicines;

(h) varmam in medical emergencies;

(i) critical studies on various classifications of varmam;

(j) development of tools or scales for proper understanding of varmam points and varmam injuries;

(k) varmam and physiotherapy in neuro-musculo-skeletal disorders: integrative research;

(l) elucidating the mechanisms of varmam treatment procedures;

(m) clinical efficiency of combined therapy with medicines and varmam: integrative research;

(n) development of standard operating procedures for varma therapy;

(o) development of teaching methods, technology, and tools with special reference to varmam maruthuvam;

(p) varmam and anatomy: integrative research.

(11) Varmam Puramaruthuvam and Sirappu Maruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine): Postgraduate programme- Puramaruthuvam (External Medicine):-

(a) clinical application of puramaruthuvam muraikal or puramarunthukal and its scientific reasoning;

(b) integration of internal medicines and external treatment: clinical study to explore the advantages;

(c) development of instruments or equipment for external treatment;

(d) elucidating mechanisms of puramaruthuvam procedures;

(e) puramaruthuvam for rejuvenation;

(f) application of puramaruthuvam in rehabilitative health or geriatric care;

(g) development of standard operating procedures for puramaruthuvam procedures;

(h) compilation of ancient literature on puramaruthuvam and critical review;

(i) integrative approach with Siddha external therapy and physiotherapy;

(j) modified puramaruthuvam procedures and its advantages with scientific explorations;

(k) integration of thokkanam and varmam;

(1) study on puramaruthuvam in neuromuscular conditions;

(m) study on puramaruthuvam in rheumatic conditions;

(n) study on puramaruthuvam in rehabilitation of orthopaedic and rheumatologic conditions;

(o) puramaruthuvam in disease prevention or health promotion;

(p) development of teaching methods, technology, and tools with special reference to pura maruthuvam.

(12) Varmam Puramaruthuvam and Sirappu Maruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine): Postgraduate programme- Siddhar Yoga Maruthuvam (Siddhar Yogic Science):-

(a) yoga for preventive healthcare, promotional healthcare, restorative healthcare, or rehabilitative healthcare: clinical research;

(b) clinical study on yoga in treating various lifestyle disorders or non-communicable diseases;

(c) therapeutic yoga for endocrine disorders: integrative or collaborative research;

(d) yoga for metabolic disorders: integrative or collaborative research;

(e) yoga and neurophysiology: integrative or collaborative research;

(f) yoga for geriatrics: integrative or collaborative research;

(g) yoga for mental health: integrative or collaborative research;

(h) pranayamam or sarapayirchi and dhyanam in normal and clinical conditions;

(i) development of objective parameters or tools or scales to determine the clinical improvement through yogam;

(j) development of standard operating procedures for therapeutic yoga procedures;

(k) yogam for rejuvenation and longevity;

(l) collection and compilation of ancient literature on Siddhar yogam and critical review;

(m) yogam for public health;

(n) development of assessment scale or tools for assessing yoga benefits in human body;

(o) stress management through yogam: integrative or collaborative research;

(p) Development of teaching methods, technology, and tools with special reference to Siddhar yoga maruthuvam;

(q) Scientific study on impacts of attangayogam in human body.

(13) Aruvai Maruthuvam including Kan, Kathu, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam (Surgery including Ophthalmology, E.N.T, Dentistry and Dermatology):-

(a) management of surgical conditions through Siddha surgical procedures: clinical research;

(b) management of surgical conditions through Siddha para-surgical procedures: clinical research;

(c) development of standard operating procedures for Siddha surgical and para-surgical procedures;

(d) development of instruments and equipment for different surgical and para-surgical procedures;

(e) standardization of twenty-six types of traditional Siddha surgical instruments on contemporary lines;

(f) modification of existing surgical practices or exploration of new methods or technology;

(g) exploration and establishment of classical surgical procedures not in practice;

(h) kaaranool chikichai in surgical conditions: clinical research;

(i) management of eye, ear, nose, throat, and dental diseases with Siddha surgical interventions: clinical research;

(j) development of diagnostic technology in surgical conditions;

(k) standardization of pre-operative and post-operative procedures in the context of Siddha surgical and para-surgical procedures;

(1) development of Siddha para-surgical procedures for new indications and standardization;

(m) Development of teaching methods, technology, and tools for Siddhar aruvai maruthuvam.

(14) Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology):-

(a) clinical efficiency of ante-natal care, natal care and post-natal care in Siddha;

(b) clinical study to validate the efficacy, safety and mechanisms of Siddha medicines in gynaecological disorders;

(c) pre-conceptional healthcare in Siddha and pre-conception counselling;

(d) Siddha management for female infertility: clinical research;

(e) Siddha management of endometriosis, polycystic ovarian disease or syndrome, or supportive Siddha treatment for uterine, ovarian, and breast cancer: clinical research;

(f) application of puramaruthuvam in gynaecological disorders and its standardization;

(g) integration of yoga in the management of gynaecological disorders: integrative or collaborative research;

(h) studies on reproductive health;

(i) studies on lactogogues in Siddha;

(j) scientific validation of Siddha medicines and measures to facilitate normal growth of foetus and normal delivery;

(k) specialty related endocrine disorders and management;

(1) management of gynaecological disorders: clinical research;

(m) development of devices for gynaecological procedures and its standardization;

(n) menstrual irregularities or female sexual dysfunctions;

(o) standardisation of gynaecological procedural management such as vaginal douche;

(p) development of teaching methods, technology, and tools for Magalir and Sool maruthuvam.

(15) Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics):-

(a) Siddha immune boosters for children up to the age of eighteen;

(b) management of child diseases with Siddha medicines and procedural interventions-clinical study;

(c) Siddha Management for special children, spastic children, autism, and attention deficit hyperactivity disorder;

(d) Siddha management of myopathy in children;

(e) integration of thokkanam, varmam, or puramaruthuvam in paediatric treatment: collaborative research;

(f) integration of yoga in the management of child disorders;

(g) Siddha memory boosters;

(h) Siddha medicines and measures for growth and development of children;

(i) dietary allergies in paediatrics and management;

(j) nutritional disorders in children and management;

(k) childhood obesity and management;

(l) adolescent health-Siddha medicines and measures;

(m) parameters of a normal child;

(n) gadget addiction and behavioural problems and management;

(o) vaccine adjuvants;

(p) genetic, congenital, and cognitive disorders and management;

(q) anaemia in children and management;

(r) worm infestation in children and management;

(s) recurrent infections and management;

(t) paediatric purview of social and preventive medicine: scientific studies;

(u) Development of teaching methods, technology, and tools for kuzhanthai maruthuvam.

(16) Thol Maruthuvam (Dermatology):-

(a) management of skin disorders: a clinical study;

(b) external therapy or medicines for skin disorders;

(c) development of assessment scales or tools or technologies for the diagnosis of skin disorders;

(d) development of novel techniques in Siddha context for the management of skin disorders;

(e) detoxification procedures in skin disorders and their scientific validation;

(f) measures to maintain healthy skin;

(g) management of skin disorders due to metabolic, auto-immune, nutritional, vascular, atrophic,

endocrinal dysfunction, infection, congenital, hereditary, allergy, and poisons;

(h) collection, compilation of ancient literature on skin disorders and critical review;

(i) development of treatment procedures for challenging skin disorders such as scleroderma, ichthyosis, keloid, melanoma, haemangioma etc;

(j) development of teaching methods, technology, and tools for thol maruthuvam;

(k) Siddha cosmetics and its clinical efficiency and safety;

(l) efficacy of Siddha hair tonics.

Note: Only one student per year out of all Postgraduate programme conducted by the institution shall be allowed to select the dissertation topic in the thrust area of "Development of teaching methods, technology and tools".

31. Stipend for Postgraduate Students.- For Postgraduate students belonging to the Central Government, State Government, and Union territory Institutions, the stipend shall be paid on par with other medical systems under the respective Governments, and there shall be no discrepancy between medical systems.

32. Qualifications and Experience of the Postgraduate Teaching Faculty.-

(1) Essential qualification: (a) Possessing Postgraduate degree in Siddha in the concerned specialty or subject obtained from a recognised University, and included in second schedule of Indian Medicine Central Council Act, 1970 or recognised under section 35 of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020; and a valid registration with concerned State Board or Council or a valid Central or National registration certificate issued by Board of Ethics and Registration for Indian System of Medicine, National Commission for Indian System of Medicine; however, the registration certificate is not applicable for the teachers of non-medical qualifications.

(b) for Postgraduate degree courses as mentioned in the column two of **Table** below**,** Postgraduate degree in Siddha medicine obtained from a recognised University and included in second schedule of Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) or recognised under section 35 of the Act of the related speciality as mentioned in column three shall be considered eligible for the appointment and this status shall be maintained until the availability of eligible teachers for teaching from the concerned specialty mentioned in column two.

Table

Eligible Teachers for Postgraduate Specialties

Sl. No.	Postgraduate Specialty or Programme	Related Specialty or Allied Subjects
(1)	(2)	(3)
1	Siddha Maruthuva Adippadai Ariviyal (Basic Principles of Siddha)	Maruthuvam, Noi Naadal
2	Varma maruthuvam (Varma Medicine)	Sirappu Maruthuvam, Varma Maruthuvam

3	Pura Maruthuvam (External Medicine)	Sirappu Maruthuvam, Pura Maruthuvam
4	Siddhar Yoga Maruthuvam (Siddhar Yogic Science)	Sirappu Maruthuvam, Siddhar Yoga Maruthuvam
5	Noi Anugavidhi Maruthuvam (Siddha Dietetics, Lifestyle Management, Preventive Medicine and Public Health)	Maruthuvam, Kuzhanthai Maruthuvam, Siddhar Yoga Maruthuvam
6	Siddhar Aruvai Maruthuvam (Siddha Surgery)	Sirappu Maruthuvam, Pura Maruthuvam
7	Magalir and Sool Maruthuvam (Siddha Gynaecology and Obstetrics)	Kuzhanthai Maruthuvam
8	Gunapadam Marunthiyal (Materia Medica, Pharmacology and Pharmacognosy)	Gunapadam
9	Gunapadam Marunthakaviyal (Materia Medica, Pharmaceutics and Clinical Pharmacy)	Gunapadam
10	Udal Koorugal (Human Anatomy)	Maruthuvam, Varma Maruthuvam, Siddhar Yoga Maruthuvam
11	Udal Thathuvam (Human Physiology)	Noi Naadal, Maruthuvam, Siddhar Yoga Maruthuvam
12	Thol Maruthuvam (Dermatology)	Maruthuvam, Sirappu Maruthuvam, Kuzhanthai Maruthuvam

Note: The provision of related specialty or allied subject may be allowed for five years from the date of commencement of these regulations.

(2) Experience.-(a) (i) Qualification and experience for the post of head of the institution (Principal or Dean or Director) shall be the same qualification and experience prescribed for the post of Professor in these regulations with minimum three years of administrative experience (vice principal or head of the department or deputy medical superintendent or medical superintendent, etc.);

(ii) he or she shall have been completed the orientation programme for the head of the institutions (Principal or Dean or Director) on 'Educational Administration' conducted by the National Commission for Indian System of Medicine within six months period from the date of joining as the head of the institution;

(iii) the successful completion of the orientation programme on education administration within the timeline prescribed by the Commission from time to time is a mandatory requirement for holding the post of the head of the institution. Failing which, he or she shall not be considered for the post of head of the institution by the MARBISM.

(b) for the post of Professor: (i) total teaching experience of ten years as regular teacher in concerned subject or five years of teaching experience as Associate Professor or Reader on regular basis in concerned subject; or

(ii) total teaching experience of ten years as a regular teacher in Postgraduate teaching in the concerned subject, or five years of teaching experience in Postgraduate teaching as Associate Professor or Reader on regular basis in the concerned subject; or

(iii) total ten years of research experience as full-time researcher after possessing Postgraduate

degree qualification in the concerned subject on regular appointment in Research Council or Research Institutions of Central Government or State Government or Union Territory Administration or University or National institutes or National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) accredited Laboratory having,-

(A) qualified in the National Teachers Eligibility Test conducted by the National Commission for Indian System of Medicine; and

(B) minimum five research papers published in indexed journals (indexed in UGC-CARE, PubMed, Web of Science, Science Citation Index, Scopus); or

minimum three research papers published in indexed journals (indexed in UGC-CARE, PubMed, Web of Science, Science Citation Index, Scopus) and one published book or manual relevant to Siddha; or

investigator for any major research project with a duration of the project three years and above as per the sanctioned letter.

(c) for the post of Associate Professor: (i) total teaching experience of five years as regular teacher in the concerned subject; or

(ii) total teaching experience of five years as regular teacher in Postgraduate teaching in the concerned subject; or

(iii) total five years of research experience as full-time researcher after possessing Postgraduate degree qualification in the concerned subject on regular appointment in Research Council or Research Institutions of Central Government or State Government or Union Territory Administration or University or National Institutes or National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) accredited Laboratory having,-

(A) qualified in the National Teachers Eligibility Test conducted by the National Commission for Indian System of Medicine; and

(B) minimum three research papers published in indexed journals (indexed in UGC-CARE, PubMed, Web of Science, Science Citation Index, Scopus); or

minimum one research paper published in indexed journals (indexed in UGC-CARE, PubMed, Web of Science, Science Citation Index, Scopus) and one published book or manual relevant to Siddha; or

investigator for any major research project (duration of the project three years and above as per the sanctioned letter); or

investigator for minor research project (duration of the project less than three years as per the sanctioned letter).

(d) for the post of Assistant Professor, no teaching experience is required; however, he or she shall have been qualified in the National Teachers Eligibility Test conducted by the National Commission for Indian System of Medicine.

(e) the actual research experience acquired during a regular full-time Doctor of Philosophy programme from the date of joining to the date of submission of the thesis and not more than three years shall be considered as teaching experience and Ph.D seat allotment letter, proof of joining to full-time Ph.D programme and proof of submission of thesis to the University shall be considered as evidence in this regard.

(f) one yoga teacher with the qualification and experience as mentioned in the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards of Undergraduate Siddha Education) Regulations, 2022 shall be appointed in each standalone Postgraduate institution on a full-time basis. He or she shall work under the Department of Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam in the hospital and shall not be issued a unique teachers code.

(g) for the Department of Integrative Health and Translational Research: (i) one Professor with post graduate degree qualification in Siddha (Doctor of Medicine-M.D. or Master of Surgery-M.S.), preferably with doctoral degree (Ph.D.) with the experience as mentioned in clause (b) of sub-regulation (2) shall be appointed on full-time, regular basis and he or she shall be the head of the department. He shall be provided with unique teachers code by the MARBISM and he or she shall be eligible for the post of head of the institution.

(ii) the Department of Integrative Health and Translational Research shall have teaching staff in the subjects of biochemistry, pharmacology, microbiology, medicinal botany or botany and public health shall be appointed on a full-time, regular basis, and whose qualifications, experience and promotion shall be as specified in the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards of Undergraduate Siddha Education) Regulations, 2022. They shall be provided unique teachers code by the MARBISM, and they are not eligible to hold the post of head of the department or head of the institution (Principal or Dean or Director).

(iii) one bio-statistician having qualification and experience as mentioned in the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards of Undergraduate Siddha Education) Regulations, 2022 shall be appointed in the Department of Integrative Health and Translational Research on full-time or part-time basis and shall not be provided the unique teachers code by the MARBISM.

(3) Temporary appointment or contractual appointments shall not be allowed. However, in case of Government institutions, contractual appointments may be allowed with following conditions, namely:—

(a) shall be a stop gap arrangement;

(b) shall not be more than two years for a particular post in particular department;

(c) shall have been qualified in National Teachers Eligibility Test.

(4) (a) Every eligible teacher as per these regulations shall be provided unique teacher code by the MARBISM;

(b) the procedure of obtaining unique teacher code and the details on withdrawal of unique teacher code shall be as per the provisions in the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards for Undergraduate Siddha Education) Regulations, 2022.

(5) Age of superannuation of the teacher.- The age of superannuation of teachers shall be as per the order of the Central, State, or Union territory Administration, and retired teachers fulfilling the eligibility norms may be re-employed up to the age of sixty-five years as full-time regular teachers.

(6) Attendance of teacher.- (a) each teacher shall have not less than seventy-five per cent. of attendance during the working days of every calendar year or assessment year as applicable;

(b) the attendance of teaching staff shall be calculated in terms of "Teaching days" as specified in the NCISM-UG MES Regulations, 2024.

Explanation.— For the purposes of this clause, "teaching days" means the number of days a full-time regular teacher attended or performed duty in a twelve-month period, in the college and its teaching hospital wherein he or she has been appointed, based on the attendance system implemented by the commission.

(7) The regulations on relieving and replacement of teaching staff, deputation of teaching staff and experience of consultants and teaching staff before issuing of Letter of Permission shall be as per the provisions mentioned in the NCISM-UG MES Regulations, 2024.

(8) Qualifying National Teachers Eligibility Test conducted by the National Commission for Indian System of Medicine shall be the mandatory requirement for all eligible candidates, those who are entering into teaching profession in Siddha medical colleges or institutions for the first time irrespective of cadre.

(9) Faculty Development and Training Programme: Each teaching faculty shall undergo for Medical Education Technology or Quality Improvement Programme once in three years, conducted by the National Commission for Indian System of Medicine.

33. Tuition Fee.- The tuition fee as laid down and fixed by the respective Fee Fixation Committee or Fee Regulatory Committee or Governing Committee constituted by the State government or Union territory administration or University shall be charged only for three years of course period and no tuition fee shall be charged for extended duration of the study in case of failing in examination or by any other reasons.

34. Course Commencement and Cut-off date of Admission.- (1) First year Postgraduate programme shall ordinarily starts from August of every year or and the cut-off date of admission in Postgraduate degree programme shall be ordinarily on the 31st July of each academic session or as specified by the National Commission for Indian System of Medicine from time to time.

(2) Each institution shall conduct the academic activities or events as per the academic calendar specified in **Table** below**.**

Table

Tentative Academic Calendar for Postgraduate Degree Programmes

(Doctor of Medicine-M.D. or Master of Surgery-M.S.)

(Total Duration of the Programme - 36 Months)

Sl. No.	Academic Activity or Event	Timelines
(1)	(2)	(3)
1	Programme Commencement	First Working Day of August
2	Postgraduation Orientation Programme	Fifteen to Twenty Working Days
3	Guide Allotment for Postgraduate Dissertation Activity	October (third month)

4	First Summative Assessment by the University	January (sixth month) (at the end of first semester) (third or fourth week of January)
5	Submission of Synopsis	April (ninth month)
6	Second Summative Assessment by the University	July (twelfth month) (at the end of second semester) (third or fourth week of July)
7	First Progress Review	January (eighteenth month)
8	Second Progress Review	July (twenty-fourth month)
9	Third Progress Review	January (thirtieth month)
10	Pre-Submission of Dissertation Work	January to March (thirtieth to thirty-two months)
11	Submission of Dissertation to Head of the Institution by the Department	January to March (thirtieth to thirty-two months)
12	Submission of Dissertation to the University by the Head of the Institution	April (thirty-third month)
13	Third Summative Assessment by the University	July (36^{th} Month) (at the end of sixth semester) (third and fourth week of July)

Note: The last day of third summative assessment (theory or practical or clinical as the case may be) may be treated as the last working day of the Postgraduate programme.

35. Date of Completion of Permission Process.- The process of grant or denial of permission to the Siddha institutions for taking admissions in Postgraduate course shall be completed by the MARBISM sixty days before the commencement of counselling conducted by Ayush Admissions Central Counselling Committee for admission of students in to Siddha Postgraduate degree programmes every year.

CHAPTER VIII

STARTING OF NEW POSTGRADUATE DEGREE PROGRAMMES (DOCTOR OF MEDICINE-M.D. OR MASTER OF SURGERY-M.S.), ESTABLISHMENT OF STANDALONE POSTGRADUATE INSTITUTION AND INCREASE IN STUDENT INTAKE CAPACITY IN EXISTING POSTGRADUATE PROGRAMMES

36.(1) No person shall start a new medical institution, start any Postgraduate course, or increase student intake capacity, seats, or admission capacity without obtaining permission from the MARBISM in response to an application submitted by the person or applicant in this regard.

(2) The starting of new medical institutions, the starting of Postgraduate degree programmes and the increase in student intake capacity shall be as per section 29 of the Act.

37. General considerations.- (1) The last date for the receipt of applications for new schemes shall be displayed by the MARBISM on the National Commission for Indian System of Medicine website every year.

(2) Applications submitted by a person (a University, society, trust, or any other body, but does not include the Central Government) online or offline as specified by the MARBISM shall be in the prescribed format annexed to these regulations (for establishing a new standalone Postgraduate medical institution in Siddha **(Form-A)**, for starting a new Postgraduate programme **(Form-B),** and for increasing seats or student intake capacity or admission capacity **(Form-C),** along with the prescribed application fee and processing fee specified by the MARBISM in these regulations.

(3) Incomplete applications shall not be accepted in any case.

(4) There is no provision for withdrawal of applications after the last date.

(5) In case of withdrawal of application before the last date, the application fee shall not be refunded.

(6) Any document in the local language shall be submitted in a transcript of Hindi or English or in both languages;

(7) It is understood that, before submission of the application, the applicant should have gone through and understood the Act, and the concerned regulations.

38. Pre-Requisites.- (1) An essentiality certificate or no objection certificate from the respective State government or Union territory administration shall be submitted at the time of application in the prescribed format annexed to these

regulations for establishing a medical institution **(Form-D),** starting a new Postgraduate course or programme **(Form-E),** and increasing the seats or student intake capacity **(Form-F).**

(2) The consent of affiliation from the respective University clearly mentioning the academic year or years of affiliation in the prescribed format **(Form-G)** annexed to these regulations shall be submitted for establishing a new medical institution, starting a new Postgraduate course, and increasing the seats or student intake capacity, as the case may be.

(3) The radial distance between any two Siddha medical colleges run by the same trust, society, or University shall not be less than twenty-five kilometers.

(4) (a) In the case of a standalone Postgraduate institution, at the time of submission of an application, proposal, or scheme, it shall have a fully functional sixty-bed Siddha hospital that has been completed for a minimum of twenty-four months (i.e., two years of functionality) of existence after establishment with proper registration;

(b) the hospital shall have fulfilled all the minimum essential standards in terms of infrastructure, human resources, functionality, facilities, including equipment and instruments, etc. stated for the teaching hospital attached to the college or institution with sixty bedded hospital (sixty students intake capacity) as specified in the NCISM-UG MES Regulations, 2024 at the time of submission of an application.

(c) The hospital may be established on phased manner as mentioned in Chapter- VIII of the NCISM-UG MES Regulations, 2024.

(5) The following shall be considered for the two years of functionality of the hospital:

(a) bank transactions depicting the salary of consultants and other hospital staff either in a nationalised bank or any other commercial bank approved by Reserve Bank of India in an independent account in the name of the hospital;

(b) the bank transactions indicating the functionality of the hospital, such as periodic purchases of medicines and hospital consumables, payment of relevant taxes, hospital income, and the like;

(c) well documented (physical or electronic) hospital records, including patient attendance in Out-Patient Departments and In-Patient Departments, documents showing maintenance of the hospital, and renewal of the necessary permissions from local or concerned authorities;

(d) the hospital shall have at least entry-level National Accreditation Board for Hospitals certification at the time of application;

39. Eligibility for making application to start Postgraduate degree programme in a undergraduate college or institution.-

(1) It shall be a fully established undergraduate college or institution under section 28 of the National Commission for Indian System of Medicine Act 2020.

(2) The college or institution shall have fulfilled all requirements specified in the NCISM-UG MES Regulations, 2024 in terms of infrastructure, human resources, and functionality.

(3) The college or institution shall have been permitted by the National Commission for Indian System of Medicine or the erstwhile Central Council for Indian System of Medicine or Central government to run an undergraduate course in Siddha (Bachelor of Siddha Medicine and Surgery) and completed at least four years and six months after first permission;

(4) The college or institution is exempted by the Commission for being owned or managed by the Central Government, State Government, or Union Territory from fulfilling the criteria specified in sub-regulation (3);

(5) The college or institution with student intake capacity of sixty or hundred or one hundred fifty or two hundred shall be under ‘extended permission category’ and shall have been rated grade “A” or “B” in the rating process carried out by the MARBISM at the time of submission of application or proposal or scheme.

(6) Department-wise pre-requisites.-

(a) Average bed occupancy shall not be less than sixty per cent. in the Maruthuvam In-Patient Department for starting a Postgraduate degree programme in Pothu Maruthuvam (General Medicine);

(b) Average bed occupancy shall not be less than sixty per cent. in Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam In-Patient Department for starting Postgraduate degree programmes in Varma Maruthuvam (Varma Medicine), Pura Maruthuvam (External Medicine), or Siddhar Yoga Maruthuvam (Siddhar Yogic Science);

(c) Average bed occupancy shall not be less than sixty per cent. in Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thodai, Pal and Thol Maruthuvam In-Patient Department along with Major Operation Theatre and Minor

Operation Theatre facilities, performing an average of a minimum of ten Siddha surgical and para-surgical procedures per day under Aruvai, Agni, and Kaaram categories for starting a Postgraduate degree programme in Siddhar Aruvai Maruthuvam (Siddha Surgery);

(d) Average bed occupancy shall not be less than sixty per cent. in the Sool and Magalir Maruthuvam In-Patient Department and an average of minimum ten deliveries per month for starting a Postgraduate degree programme in Magalir and Sool Maruthuvam (Siddha Gynaecology and Obstetrics);

(e) Average bed occupancy shall not be less than sixty per cent. in Kuzhanthai Maruthuvam In-Patient Department for starting the Postgraduate degree programme in Kuzhanthai Maruthuvam;

(f) Minimum thirty patients per day attending Nanju Maruthuvam Out-Patient Department and average bed occupancy shall not be less than sixty per cent. in Nanju Maruthuvam In-Patient Department for starting a Postgraduate degree programme in Nanju Maruthuvam (Clinical Toxicology);

(g) Average attendance of fifty persons per day in the Noi Anugavidhi Maruthuvam Out-Patient Department for the start of the Postgraduate degree programme in Noi Anugavidhi Maruthuvam (Siddha Dietetics, Lifestyle Management, Preventive Medicine and Public Health);

(h) Phytochemistry laboratory in addition to Maruthuva Thavaraviyal (Medicinal Botany and Pharmacognosy) Laboratory, Gunapadam Marunthiyal (Materia Medica and Pharmacology) Laboratory, and Museum in Gunapadam Marunthiyal Department, and Advanced Quality Testing Laboratory for starting of Postgraduate programme in Gunapadam Marunthiyal (Materia Medica, Pharmacology and Pharmacognosy);

(i) Advanced Quality Testing Laboratory in addition to Gunapadam Marunthakaviyal (Materia Medica and Pharmaceutics) Practical Laboratory or Teaching Pharmacy and Museum in Gunapadam Marunthakaviyal Department for starting of Postgraduate degree programme in Gunapadam Marunthakaviyal (Materia Medica, Pharmaceutics and Clinical Pharmacy);

(j) Molecular Biology Laboratory in addition to the Noi Naadal and Noi Mudhal Naadal (Pathology) Practical Laboratory, Nunnuyiriyal (Microbiology Laboratory) Practical Laboratory, and Museum in the Noi Naadal and Noi Mudhal Naadal Department for starting a Postgraduate degree programme in Noi Naadal (Pathology and Laboratory Diagnosis);

(k) Advanced Language Laboratory in Siddha Maruthuva Moolathathuvam Department for starting a Postgraduate degree programme in Siddha Maruthuva Adippadai Ariviyal (Basic Principles of Siddha Medicine);

(l) Virtual dissection table and e-dissection software in addition to the dissection hall and practical laboratory in the Udal Koorugal Department for starting the Postgraduate degree programme in Udal Koorugal (Human Anatomy);

(m) Udal Thathuvam (Physiology) Practical Laboratory, Uyirvedhiyiyal (Biochemistry Lab) Practical Laboratory in Udal Tahthuvam Department for starting a Postgraduate degree programme in Udal Thathuvam (Human Physiology);

(n) Average attendance of sixty patients per day in the Thol Maruthuvam Out-Patient Department for starting a Postgraduate degree programme in Thol Maruthuvam (Dermatology).

(7) The teaching hospital shall have at least entry level accreditation of National Accreditation Board for Hospitals (NABH).

40. Eligibility for making an application to establish Standalone Postgraduate institution.- For making an application under these regulations, a society, trust, University, institution, or any other body shall be eligible if,

(1) The applicant's objective shall be to impart education in the Indian System of Medicine;

(2) The minimum required land and other specifications shall be as mentioned in regulation 12 in these regulations;

(3) In the case of institutions having a lease agreement for land, the institution shall not be granted permission for admission for the last three years of the lease period unless the institution submits a notarised affidavit every year mentioning the lease shall be renewed before the expiry of the lease and subsequently submits the renewed lease agreement before the expiry of the lease period;

(4) Fully established functioning Siddha hospital having at least entry-level accreditation of the National Accreditation Board for Hospitals (NABH) with sixty beds having bed occupancy not less than sixty per cent. and established with all minimum essential standards mentioned for teaching hospital attached to an undergraduate college or institution with sixty student intake capacity as specified in the NCISM-UG MES Regulations, 2024.

(5) Able to produce documentary evidence in support of additional financial resources, staff, space, equipment, and other infrastructure as per the National Commission for Indian System of Medicine norms;

(6) Furnishes an affidavit that the land and buildings designated for Postgraduate departments shall be maintained exclusively for the Postgraduate departments or specialties and no other courses, colleges, or programmes shall be conducted;

(7) Furnishes an affidavit that only Post-Graduate National Entrance Test qualified students shall be admitted through Central, State, or Union territory counselling strictly on merit basis, except foreign nationals and Government of India-sponsored candidates;

(8) Furnishes an affidavit that the nomenclature of Postgraduate degree and teacher-student ratio shall be maintained as per the specifications laid down in these regulations;

(9) In a position to establish infrastructure and manpower in such a manner as specified in these regulations.

41. Eligibility for making an application to increase seats or student intake capacity in the existing Postgraduate programme.- For making an application, a society or trust or University or institution or any other body shall be eligible if,-

(1) the Postgraduate department or specialty shall be under 'extended permission category' and shall have been rated grade "A" or "B" in the rating process carried out by the MARBISM or designated authority at the time of submission of application or proposal or scheme;

(2) it fulfills the pre-requisites specified in the sub-regulation (1) and (2) under regulation 38 of these regulations;

(3) permitted by the National Commission for Indian System of Medicine or erstwhile Central Council for Indian System of Medicine or Central government for running the Postgraduate programme (in which intake capacity to be increased) and completed three years after first permission;

(4) exempted by the Central Government for being owned or managed by the Central Government or the State Government or Union Territory from fulfilling the criteria specified in sub-regulation (3);

(5) furnishes an affidavit that Post-Graduate National Entrance Test qualified students only shall be admitted through Central or State or Union territory counselling strictly on the merit basis except foreign nationals, Government of India sponsored candidates;

(6) Furnishes an affidavit that the teacher-student ratio shall be maintained as per the specifications laid down in these regulations for increasing number of seats;

(7) In a position to establish infrastructure and manpower in such manner as specified in these regulations.

42. Method of Application.- (1) Applicant fulfilling the pre-requisites and eligibility criteria as specified in these regulations, may submit the application or proposal or scheme as per the mode (online or offline or both) and timeline specified by the MARBISM from time to time.

(2) Individual applications for each Postgraduate specialty or programme shall be submitted;

Item	**Fee Details in Rupees**	
	Application Fee	**Processing Fee**
(1)	**(2)**	**(3)**
Postgraduate Institutions where Undergraduate Programme is in Existence		
To start Postgraduate degree programme	Two lakh rupees per programme	Ten lakh rupees per programme
To increase student intake capacity in existing Postgraduate degree programme	Two lakh rupees per programme	Five lakh rupees per seat
Standalone Postgraduate Institution		
To start standalone Postgraduate institution	Two lakh rupees	Ten lakh rupees per programme

To start additional Postgraduate degree programme	Two lakh rupees per programme	Ten lakh rupees per programme
To increase student intake capacity in existing Postgraduate degree programme	Two lakh rupees per programme	Five lakh rupees per seat

(3) Non-refundable Application fee and Processing fee with applicable taxes as shown in **Table** below shall be paid through online mode (National Electronic Fund Transfer or Real Time Gross Settlement) to National Commission for Indian System of Medicine account in favour of "National Commission Fund for Indian System of Medicine";

Table

Application Fee and Processing Fee

(4) Application with all necessary documents as specified in these regulations shall be submitted within the time frame and mode (online or offline or both) as specified by the MARBISM from time to time.

43. Processing of Application.- All the received applications shall be subjected to scrutiny by the MARBISM as per the following criteria, namely:—

(1) Applicant eligibility;

(2) Pre-requisites;

(3) Fulfilment of Minimum Essential Standards as specified in these regulations;

(4) Application fee and Processing fee with applicable taxes;

(5) Supportive documents;

(6) Hospital data;

(7) Transactions in official bank accounts (separate account for hospital and college) either in a nationalised bank or any other commercial bank approved by Reserve Bank of India;

(8) Any other as specified by the MARBISM from time to time.

44. Issue of Letter of Intent.- (1) After the scrutiny, the applications shall be processed under following categories, namely:— (a) the applications fulfilling minimum essential standards and other requisites: (i) the applicant institutions fulfilling minimum essential standards and other requisite criteria as specified in these regulations shall be inspected or visited by the MARBISM;

(ii)the MARBISM shall verify the data submitted by the institution along with the application and the observations made by the visitors during the inspection or visitation and if found satisfied, the institution will be issued Letter of Intent under section 29 of the Act;

(iii)in case any shortcomings noticed during inspection or visitation, the same shall be communicated and an opportunity shall be given for rectification except for the non-rectifiable shortcomings mentioned in sub-regulation (2);

(iv) the compliance report along with necessary supporting documents submitted by the institutions that have been given an opportunity for rectification, will be subjected for scrutiny for the shortcomings specified and if found satisfied the application is approved and Letter of Intent will be issued; if not found satisfied or the compliance report if not received within the due date as specified by the MARBISM the application shall be disapproved and rejected.

(b) The applications with shortcomings: (i) the applications found with shortcomings will be communicated to the applicant for rectification;

(ii) the compliance report along with supporting documents submitted by the institutions within the specified duration, will be scrutinised once again by the MARBISM; if found satisfactory, the institution shall be inspected or visited;

(iii) the MARBISM will examine the compliance report submitted by the college and the observations made by the visitors; if found satisfactory, the institution shall be issued Letter of Intent; if not found satisfactory the application shall be disapproved and rejected.

(2) Non-rectifiable shortcomings: however, shortcomings of serious nature like deficiencies in minimum essential standards as specified in these regulations such as functionality of the hospital, land availability or dispute, insufficient time duration of functioning hospital, non-availability of essentiality certificate from state government, non-availability of consent of affiliation from the University, deficiency in constructed area of

college and hospital etc. an opportunity to rectify the defects shall not be given and such applications shall stand disapproved.

(3) The relaxation policy applicable to the existing colleges shall not be applicable for new applications unless otherwise specified by the MARBISM.

(4) Letter of intent shall be valid for that particular year only.

45. Issue of Letter of Permission.- (1) The institutions who received Letter of Intent shall submit the compliance report by fulfilling all the minimum essential standards; details of teaching, non-teaching staff and hospital staff appointed as specified in these regulations and fixed security deposit to the Commission within the duration as specified by the MARBISM and the security deposit shall be—

(a) for starting of a new Postgraduate course or programme: rupees fifty lakhs per programme;

(b) for increasing number of seats: rupees five lakhs per seat;

Provided that it shall not apply to the colleges or institutions governed by Central or State or Union territory if they give an undertaking to provide funds in their plan budget regularly till requisite facilities are fully provided as per time bound programme indicated by them.

(2) The security Deposit amount shall be paid through online payment mode (National Electronic Fund Transfer or Real Time Gross Settlement) to National Commission for Indian System of Medicine account in favour of "National Commission Fund for Indian System of Medicine".

(3) The fixed security deposit amount shall be returned to the college or institution account without interest after three years of commencement of concerned Postgraduate programme. There shall not be any financial grievance pending against the college or institution or pending penalty amount due to disciplinary action taken by the MARBISM or National Commission for Indian system of Medicine.

(4) Upon receipt of compliance report along with all necessary supportive documents the MARBISM shall conduct inspection or visitation;

(5) The MARBISM shall examine the compliance report and the observations made by the visitors during inspection or visitation and if found that the applicant is fulfilling all the requisite minimum standards, the institution shall be issued Letter of Permission;

(6) The applicant shall be communicated either approval or disapproval of the application or proposal or scheme by the MARBISM within six months from the last date of submission of application or proposal or scheme.

(7) The MARBISM shall be the authority to transform the above-mentioned system for application, verification, assessment and rating through Artificial Intelligence based online system for transparency.

46. Appeal.- As per section 29 of the Act, aggrieved applicants may prefer an appeal in the following situations in the manner specified below:—

(1) In case of denial of permission by the MARBISM, or no order is passed within six months of submitting a scheme, the aggrieved applicant may prefer first appeal to the National Commission for Indian system of Medicine within fifteen days of communication of disapproval or within fifteen days after lapse period of six months as the case may be;

(2) The first appeal may be submitted by online or offline or as specified by the National Commission for Indian system of Medicine from time to time;

(3) Upon receipt of appeal, the commission shall examine the appeal and the aggrieved applicant shall be given an opportunity for hearing;

(4) In case if the commission found that, the applicant is fulfilling all the minimum essential standard requirements, the commission may direct the MARBISM to consider the application;

(5) In case if the applicant is not fulfilling the minimum essential standards, the commission shall disapprove and reject the application;

(6) In any case the commission shall communicate the decision to the applicant within fifteen days of receipt of the appeal.

(7) In case of disapproval by the commission or no order has been passed by the commission within fifteen days from the date of receipt of such an appeal, the aggrieved applicant may prefer a second appeal to the Central Government (Ministry of Ayush) within seven days.

47. Renewal of Permission.- (1) Letter of Permission issued once shall be valid for one year (i.e.12 months) and shall be renewed on yearly basis (first renewal and second renewal) until the Postgraduate department or specialty under establishment attains fully established status as mentioned in **Table** below to sub-regulation (7)**.**

(2) The institutions issued Letter of Permission shall submit the compliance (Postgraduate department or specialty wise) in respect to the fulfilment of minimum essential standards as specified in these regulations. The compliance report shall be submitted by the institution prior to six months to the expiry of Letter of Permission.

(3) The MARBISM shall conduct inspection or visitation and examine the compliance report submitted by the college and the observations made by the visitors during inspection or visitation and on fulfilment of minimum essential standards, the institution shall be issued the first renewal of permission as shown in **Table** below to sub-regulation (7)**.**

(4) The same method mentioned followed for first renewal shall be followed for second renewal of permission.

(5) After second renewal, the Postgraduate department or specialty shall be treated as 'Fully Established Postgraduate department or specialty' under section 28 of the National Commission for Indian system of Medicine Act 2020, unless otherwise acted upon by the MARBISM for the clause (f) of sub-section (1) of section 28 of National Commission for Indian system of Medicine Act.

(6) In case of non-fulfilment of minimum essential standards and not attaining annual targets at any phase of establishment of the institution, in such case the MARBISM shall deny permission for admission for a particular Postgraduate department or specialty or specialty for that particular academic session.

(7) The fully established Postgraduate department or specialty is eligible for rating by the MARBISM.

Table

Permission and Category of Postgraduate Department or Specialty

Sl. No.	Section 28 and Section 29	Permission/Renewal of Permission	Category	Batch
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	29	Letter of Intent	Under consideration	No admission
2		Letter of Permission	Institution under Establishment	First batch
3		First Renewal of Permission		Second batch
4		Second Renewal of Permission		Third batch
5	28	Extended Permission or Yearly Permission	Fully Established Postgraduate Department or Specialty. Entitled for Rating	Fourth batch

CHAPTER-IX

RATING OF POST GRADUATE DEPARTMENTS IN POSTGRADUATE MEDICAL INSTITUTIONS WHERE UNDERGRADUATE COURSE IS IN EXISTENCE AND STANDALONE POSTGRADUATES INSTITUTIONS

48. Rating of postgraduate departments in postgraduate medical institutions where undergraduate course is in existence and standalone postgraduates institutions.—(1) The Postgraduate department possessing extended permission status in Postgraduate medical institutions where an undergraduate programme is in existence and standalone Postgraduate medical institutions shall be rated every year.

(2) In the case of Postgraduate institutions where undergraduate course is in existence, the rating shall be carried out for fully established undergraduate institution and fully established Postgraduate departments separately.

(3) Fully established Postgraduate departments or specialties in undergraduate colleges and standalone Postgraduate institutions shall be rated individually (i.e Postgraduate department or specialty wise rating).

(4) The following Postgraduate institution or Postgraduate department or specialty shall not be eligible for rating, namely:—

(a) undergoing establishments under section 29 of the Act;

(b) categorised under the "yearly permission" category;

(c) denied permission by the MARBISM;

(d) measures taken by the MARBISM as per the provisions specified in clause (f), sub-section (1) of section 28 of the Act.

(5) The rating process shall be carried out by the MARBISM, or any agency designated by the MARBISM under section 28 of the Act through the procedure based on the key areas and standards determined by the Board of Unani Siddha and Sowa-Rigpa qualitatively and quantitatively.

(6) In such a case, the MARBISM shall identify independent rating agencies through a committee constituted for this cause by the MARBISM and make the list of rating agencies;

(7) The list of the independent rating agencies shall be placed before the National Commission for Indian System of Medicine from time to time by the MARBISM for the approval of the commission to finalize the list and draw up the "MARBISM-Empanelled Rating Agencies" and also for related financial implications;

(8) It shall be obligatory on such Postgraduate medical institutions or Postgraduate departments or specialties eligible for rating as mentioned in sub-regulation (1) to provide access to such rating agencies;

(9) The Postgraduate departments or specialties shall be rated based on the standards maintained by the institutions over and above the minimum essential standards mentioned in these regulations;

(10) The data uploaded periodically (on or before tenth of every month for the data pertaining to preceding month) by the institutions (self-disclosure) on the National Commission for Indian System of Medicine online platform shall be considered for rating and other purposes;

(11) The proportion of weightage between online data verification and physical verification or assessment for rating shall be 70:30 (i.e. seventy per cent online data verification and thirty per cent. physical verification or assessment);

(12) After the assessment for rating, the individual Postgraduate department or specialty under the extended permission category shall be graded into Grade 'A', Grade 'B', Grade 'C', or Grade 'D' based on the assessment score obtained by the Postgraduate department or specialty.

(13) The MARBISM shall make available on the Commission's web site or in the public domain the ratings of Postgraduate departments or specialties of the Postgraduate institutions before the commencement of counselling.

(14) The MARBISM shall frame the format and procedure for uploading such data of assessment and rating on the National Commission for Indian System of Medicine website;

(15) The Postgraduate department awarded Grade 'A' is entitled to charge a five percent development fee over and above the prescribed fee by the concerned fee fixation authority of Central, State, or Union territory from the students admitted during the years of possessing Grade 'A'.

(16) An undergraduate college with grade 'A' or 'B' shall be eligible to start any new Postgraduate programme recognised by the National Commission for Indian System of Medicine.

(17) In case of undergraduate institution where Postgraduate programmes are already existing, all existing Postgraduate departments or specialties shall have 'A' or 'B' to start any new Postgraduate programme recognised by the National Commission for Indian System of Medicine

(18) The standalone Postgraduate institution having all existing Postgraduate programme with grades of 'A' or 'B' shall only be eligible to apply for starting any new Postgraduate programme recognised by the National Commission for Indian System of Medicine.

(19) The Postgraduate departments or specialties having grades of 'A' or 'B' shall only be eligible to apply for an increase in student intake capacity in the concerned department or specialty;

(20) The college or institution or Postgraduate department or specialty of any grade, if acted upon by the Medical Assessment and Rating Board of Indian System of Medicine for the provisions in clause (f), sub-section (1) of Section 28 of the Act, shall be deemed to have been withdrawn, and no communication will be sent for the withdrawal of the grade; if such a college, institution, or department continues to use the grade, such institutions shall be subjected to disciplinary action by the Medical Assessment and Rating Board of Indian System of Medicine.

(21) Medical institutions or Postgraduate departments shall be graded based on the rating score obtained by the institution, as mentioned in **Table** below:—

Table

Rating Score and Grades

Rating Score	Grade
(1)	**(2)**
75 and above	A
50-74	B
25-49	C
Up to 24	D

(22) Annual rating fee shall be paid along with applicable taxes through online (National Electronic Fund Transfer or Real Time Gross Settlement) to the National Commission for Indian System of Medicine account in favour of National Commission Fund for Indian System of Medicine within the period specified by the Medical Assessment and Rating Board of Indian System of Medicine and the fee details are as under.

(a) Postgraduate institutions where undergraduate course is in existence, the rating fee for undergraduate college (as per the student intake capacity) as specified in NCISM-UG MES Regulations, 2024 and for Postgraduate departments as under shall be paid separately:—

(i) number of Postgraduate departments or specialties up to five: rupees one lakh;

(ii) number of Postgraduate departments or specialties from six to ten: rupees two lakhs;

(iii) number of Postgraduate departments or specialties from eleven and fifteen: rupees three lakhs;

(iv) number of Postgraduate departments or specialties sixteen and above: rupees four lakhs;

(b) Standalone Postgraduate institutions shall pay the basic fee mentioned in NCISM-UG MES Regulations, 2024 for sixty bedded hospitals i.e., rupees two lakhs and fifty thousand along with the specific rating fee mentioned for Postgraduate departments or specialties in sub-clauses (i) to (iv) of clause (a) of sub-regulation (22) of regulation 48 as applicable; and the entire rating fee details are given in below **Table**.

Table

Fee for Rating of Siddha Postgraduate Institutions

Institution	Number of Postgraduate Programmes and Annual Rating Fee in Rupees			
	Up to 5	6 to 10	11 to 15	16 and above
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Postgraduate Departments in Undergraduate Institutions	Rs. 1,00,000/-	Rs. 2,00,000/-	Rs. 3,00,000/-	Rs. 4,00,000/-
Standalone Postgraduate Institutions	Rs. 3,50,000/- (2,50,000*+1,00,000)	Rs. 4,50,000/- (2,50,000*+2,00,000)	Rs. 5,50,000/- (2,50,000*+3,00,000)	Rs. 6,50,000/- (2,50,000*+4,00,000)
* For sixty bedded hospital in standalone Postgraduate institutions				

CHAPTER- X

MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS FOR DOCTORAL DEGREE

(Ph.D.) (DOCTOR OF PHILOSOPHY)

49. General Considerations.- (1) Doctoral degree awarded to a research work carried out in the subject concerned or in discipline or intra-disciplinary or inter-disciplinary or multi-disciplinary or trans-disciplinary areas shall be considered equal.

(2) Doctoral degree programme shall be for a minimum duration of three years and a maximum duration of six years from the date of admission to the programme. Extension beyond the maximum duration will be governed by the relevant clauses as stipulated in the statute or ordinance of the degree awarding institutions or universities, but shall not be more than two years (i.e. the total period of a doctoral degree programme shall not exceed eight years from the date of admission in the Doctor of Philosophy programme).

(3) Women candidates and persons with disabilities (more than forty per cent disability) may be allowed a relaxation of two more years for Ph.D in the maximum duration; In addition, women candidates may be provided Maternity Leave or Childcare Leave for up to 240 days once in the entire duration of the doctoral degree programme.

(4) The Ph.D programme shall be a full-time research programme and it shall be pursued only after completion of Postgraduate degree programme (Doctor of Medicine-M.D. or Master of Surgery-M.S) in Siddha.

(5) The Ph.D programme shall not be considered in case if,—

(a) the Ph.D scholar and the Ph.D supervisor are at different places during the research period;

(b) the work place of Ph.D scholar and the research place registered for Ph.D are different.

(6) Those who have registered for doctoral degree programme before publication of these regulations shall continue with the provisions prevailed at the time of their registration.

(7) Admission to the doctoral degree programme shall be through the entrance examination conducted by the affiliated University.

(8) The research place for doctoral degree programmes (Ph.D) shall be a Siddha institution having an independent Postgraduate department or a research laboratory or National institutes or research centres of Central Council for Research in Siddha. An undergraduate Siddha teaching institution shall not be considered as research place for Ph.D programme.

(9) For inter-disciplinary and trans-disciplinary and multi-disciplinary research, a Postgraduate institution of the concerned subject recognised by the concerned University with adequate research facility, or an Institute of National Importance or any centre of excellence established by a State or Union Territory or Central Government or research institutes of autonomous organisations established by State or Central government and the like shall be considered as a research place.

CHAPTER-XI

PENALTY AND DISCIPLINARY ACTIONS

50. General considerations.— (1) Compliance with the regulations, directions, instructions and adherence to the time-line issued by the MARBISM or National Commission for Indian System of Medicine shall be the responsibility of the institutions.

(2) Non-compliance action includes the following, namely:—

(a) non-compliance with regulations, notifications, circulars, guidelines, and any other types of communication issued by Autonomous boards or National Commission for Indian system of Medicine from time to time;

(b) any activities of the institutions, that are not in accordance with the objectives of Postgraduate Siddha medical education and practices like exploitation of students on fees, mal practices of attendance etc;

(c) non-fulfilment of infrastructure, human resources, clinical material, practical material, research facilities and other institutional functionality etc that are not in accordance with these regulations;

(d) non-cooperation or any sort of disturbance to inspection or visitation process for assessment and rating or any other activities of the MARBISM or the National Commission for Indian System of Medicine;

(e) providing falsified information or fabricated data or information or evidence to Autonomous boards or to the National Commission for Indian System of Medicine;

(f) any attempt to influence, pressurise, bribe or threaten assessors or officials of the National Commission for Indian System of Medicine or officials designated by the National Commission for Indian System of Medicine.

(3) For any of the non-compliance as provided in sub-regulation (2) or intentional attempt of non-compliance act or ommission by the medical institution, the MARBISM shall either penalise the medical institution or take such measures as provided in the clause (f) of sub-section (1) of section 28 of the Act or conduct further enquiry into such incidence, namely:—

(a) impose monetary penalty not exceeding rupees one crore per every non-compliance committed by the medical institution;

(b) issuance of warning;

(c) withholding processing of application for any new scheme for that academic year or for a such number of years as may be determined;

(d) reducing the number of seats to be admitted by the medical institution in the next academic year;

(e) stoppage of admission to one or more of the courses in the next or subsequent academic years;

(f) recommending the National Commission for Indian System of Medicine for the withdrawal of recognition;

(g) withholding and withdrawal of rating of the medical institutions for a period up to five academic years.

(4) If any attempt from the institution side to pressurise the MARBISM or the Commission through individuals or agency shall lead to immediate halt of the processing the application or request by the medical institution or withdrawal of permission, reduction in student intake capacity or monetary penalty.

(5) The MARBISM or the Commission may also initiate criminal proceedings for furnishing false information or fabrication of false documents as per the criminal law applicable from time to time.

(6)Where the Commission finds that a Postgraduate Student, who is required to undertake three years of study with physical presence in the concerned institution, is obtaining Postgraduation degree by fraud or misrepresentation or by physically absent without fulfilling the requisite attendance or by providing false information in this behalf either in collusion with respective institution or otherwise or without fulfilling the requirements as specified under these regulations or any such guidelines notified in this regard by the Commission from time to time, such Postgraduate Student shall be penalised with temporary suspension of his Postgraduation studies and temporary suspension of State Registration or National registration for not less than one year and impose a minimum penalty of five lakh rupees; in the event of second conviction temporary suspension of his Postgraduation studies for not less than two years and temporary suspension of State Registration or National registration for not less than two year and impose a minimum penalty of ten lakh rupees, and in the event of third and subsequent conviction there shall be permanent cancellation of his or her admission from Postgraduation studies along with suspension of State or National registration for not less than five years shall imposed.

THE FIRST SCHEDULE

(See regulations 7 and 14)

MINIMUM ESSENTIAL REQUIREMENTS FOR PHYTOCHEMISTRY LABORATORY UNDER THE POSTGRADUATE DEPARTMENT OF GUNAPADAM MARUNTHIYAL (MATERIA MEDICA AND PHARMACOLOGY)

Sl. No. (1)	Equipment, Instruments, Chemicals and Reagents (2)
	I. Equipment and Instruments
1.	Spectrophotometer
2.	High-Performance Liquid Chromatography
3.	Gas Chromatography
4.	Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer
5.	Ultraviolet-Visible Spectrophotometer
6.	Centrifuge
7.	Rotary Evaporator
8.	Microscope
9.	pH Meter
10.	Autoclave
11.	Mortar and Pestle
12.	Freeze Dryer (Lyophilizer)
13.	Incubator
14.	Shaker

15.	Water Bath
16.	Fraction Collector
17.	Microbalance
18.	Homogenizer
19.	Heating Mantle
20.	Digital Thermometer
II. Glassware	
21.	Beakers
22.	Flasks (Erlenmeyer, Round Bottom)
23.	Test Tubes
24.	Vials
25.	Pipettes and Pipettors
26.	Burettes
27.	Graduated Cylinders
28.	Separatory Funnels
29.	Condensers
30.	Chromatography Columns
31.	Petri Dishes
32.	Desiccators
33.	Filter Flasks and Buchner Funnels
34.	Microscope Slides and Cover Slips
35.	Drying Oven Glassware
36.	Watch Glasses
37.	Reaction Tubes
38.	Kjeldahl Flasks
39.	Soxhlet Extraction Apparatus
40.	Nessler Tubes
41.	Thin Layer Chromatography kit
III. Chemicals, Reagents etc	
	A. Solvents:
42	Methanol
43	Ethanol
44	Acetone
45	Chloroform
46	Hexane
47	Diethyl
48	Toluene
49	Ethyl acetate
50	Water (distilled or deionized)
	B. Reagents:

51	Folin-Ciocalteu reagent (for total phenolic content determination)
52	Dragendorff's reagent (for alkaloids)
53	Vanillin reagent (for flavonoids)
54	Anisaldehyde-sulfuric acid reagent (for terpenoids)
55	Molisch's reagent (for detecting carbohydrates)
56	Liebermann-Burchard reagent (for sterols)
57	Ehrlich's reagent (for indole alkaloids)
58	Shinoda test reagent (for flavonoids)
59	Salkowski reagent (for detecting terpenoids)
60	Iodine solution (starch)
61	Phloroglucinol
62	Felling’s solution
63	Wagner
	C. Standards:
64	Standard solutions of known compounds for calibration in analytical techniques (e.g., HPLC, GC)
	D. Acids and Bases:
65	Hydrochloric acid
66	Sulfuric acid
67	Nitric acid
68	Acetic acid
69	Sodium hydroxide
	E. Chromatography Materials:
70	Silica gel (for column chromatography)
71	Sephadex (for gel filtration chromatography)
72	TLC plates (for Thin-Layer Chromatography)
73	Adsorbents and eluents for different chromatographic techniques
	F. Miscellaneous:
74	Hydrogen peroxide (for oxidative enzyme assays)
75	Ethylenediaminetetraacetic acid for metal chelation
76	2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl for antioxidant assays

Note: The items specified in this schedule are minimum essential requirements. However, the department may increase items or facilities as per the need of the syllabus, teaching, training, and research.

THE SECOND SCHEDULE

(See regulations 7 and 14)

MINIMUM ESSENTIAL REQUIREMENTS FOR MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY UNDER THE POSTGRADUATE DEPARTMENT OF NOI NAADAL AND NOI MUDHAL NAADAL (PATHOLOGY)

Serial Number (1)	Equipment, Instruments, Chemicals and Reagents (2)

I. Equipment and Instruments	
1.	Micropipette
2.	PCR machine
3.	Ultraviolet Spectrophotometer
4.	High speed centrifuge (high volume)
5.	High speed centrifuge (small volume)
6.	Ultraviolet transilluminator
7.	Horizontal gel electrophoresis system (Power supply for gel)
8.	Multi temperature water bath
9.	37-degree incubator
10.	Microscopes
11.	Water purifier (Millipore water system)
12.	Laboratory hood or culture Hood
13.	Weigh balance
14.	Vortexer
15.	Thermomixer
16.	Refrigerator
17.	Vaccum concentrator
18.	Nutator, Rocking platforms, Orbital shaker
19.	Imaging systems (Chemiluminescence, fluorescence, phosphoimages)
20.	Autoclave
21.	Sterile room with laminar
22.	Cold room
23.	- 20 degree Celsius freezer
II. Consumables	
24.	Media
25.	Agarose
26.	Ethidium bromide
27.	Molecular weight markers
28.	Tips and Eppendorfs
29.	Nitrocellulose membrane
30.	DNA and RNA Isolation kits
31.	Enzymes
32.	Acrylamide
33.	Reagents
34.	Petri dish
35.	Antibiotics
36.	Gel dyes
37.	Sterile tubes
38.	Plasticware

39.	Ice bucket
40.	Glassware
41.	Chemicals
42.	Kits

Note: The items specified in this schedule are minimum essential requirements. However, the department may increase facilities as per the need of the syllabus, teaching, training, and research.

THE THIRD SCHEDULE

(See regulation 7 and 14)

MINIMUM ESSENTIAL REQUIREMENTS FOR CENTRAL RESEARCH LABORATORY

Sl. No. **(1)**	**Requirements or Facilities** **(2)**
1	Physicochemical tests
2	Phytochemical tests:-
	Organic tests
	Inorganic tests
	Fluorescence analysis of powders
	Chromatography -Thin Layer Chromatography, Namburi Phased Spot test and Column Chromatography
3	Pharmacognostic studies:-
	Authentication
	Macroscopic study
	Section microscopy
	Powder microscopy
	Microtome section
	Multiple staining and permanent slide preparation
	Digital microscopy
	Quantitative microscopy (Stomata number, Stomatal Index, Palisade number, Vein islet number)
4	Microbiological tests:-
	Microbial limits (total bacterial count, total fungal count, tests for specific pathogens)
	Anti-microbial studies (anti-bacterial and anti-fungal)
	Microbial culture (water, clinical swab)
5	Invitro studies:-
	Antioxidant
	Immunomodulatory
	Anti-microbial
6	Quantitative studies
	Flame photometry (Calcium, Sodium, Potassium etc.,)
	Ultraviolet Spectrophotometry (carbohydrates, flavonoids, proteins, phenols etc.,)
	Titrimetric quantitative studies (zinc, copper, lead etc.,)

7	Stability studies:-
	Long term
	Accelerated

Note: 1. The items specified in this schedule are minimum essential requirements. However, the institution may increase facilities as per the need of the teaching, training, and research.

2. For the studies with advanced instruments, equipment or devices like High Performance Thin Layer Chromatography, High Performance Liquid Chromatography, Cell line facility, Genetic (DNA) finger printing, Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy, X-Ray diffraction, Energy Dispersive X-Ray Analysis, Dynamic Light Scattering Spectroscopy, Scanning Electron Microscopy, Transmission Electron Microscopy, Gas Chromatography/Mass Spectroscopy etc, the institution may have MoU with National Accreditation Board for Laboratories accredited laboratories or Research and Development centers or such facilities may be established in the institution itself.

THE FOURTH SCHEDULE

(See regulation 7 and 14)

MINIMUM ESSENTIAL REQUIREMENTS FOR ANIMAL HOUSE AND ANIMAL EXPERIMENTATION LABORATORY

Sl. No. (1)	Requirements (2)
1	Safety and toxicity studies facility
2	Behavioral and neuro-pharmacological studies facility
3	Anti-convulsive study facility
4	Anti-inflammatory and Analgesic studies facility
5	Anti-pyretic studies facility
6	Anti-allergic, Antihistamine and Anti-asthmatic studies facility
7	Immuno-modulatory, antioxidant studies facility
8	Wound healing studies facility
9	Anti-diarrhoeal study facility
10	Diuretic studies facility
11	Antidiabetic studies facility
12	Anti-obesity studies facility
13	Assay with organ bath or tissue bath
14	Digital electroconvulsiometer
15	Metabolic cages
16	Histamine chamber
17	Digital rotarod apparatus with software
18	Digital Actimeter with software (activity cage)
19	Plethysmography

Note: The items specified in this schedule are minimum essential requirements. However, the institution may increase facilities as per the need of teaching, training, and research.

THE FIFTH SCHEDULE

(See regulation 7 and 14)

MINIMUM ESSENTIAL REQUIREMENTS FOR QUALITY TESTING LABORATORY

[Note: 1. Department shall maintain instruments, equipment, devices as mentioned in this **Fifth Schedule** in quality testing laboratory in addition to the items prescribed under 'B' of the **Tenth Schedule** of NCISM-UG MES Regulations, 2024 for Postgraduate teaching, training, and research.

2. The department may increase the items as per their requirement in quality testing laboratory for teaching, training, and research purposes]

Sl. No. **(1)**	**Items Required** **(2)**
1	Fluorescence inverted microscope with software
2	Ultraviolet visible spectrophotometer
3	Micro controller-based flame photometer
4	Rota evaporator
5	Stability chamber
6	Freeze dryer
7	Trinocular microscope with software, camera, and projection facility
8	Polarimeter
9	Orbital shaking incubator
10	Carbon dioxide incubator
11	Optic abbe refractometer
12	Laminar air flow
13	Water still
14	Orbital shaker
15	Tablet counter -small size
16	Analytical balance digital high precision (0.0001g-220g)
17	Incubator
18	Clarity test apparatus
19	Humidity control oven
20	Karl Fischer apparatus
21	Granulating sieve set
22	Thermometers
23	Filtration equipment
24	Suction pump
25	Sonicator
26	Rheometer
27	Potentiometer
28	Conductivity meter
29	Clevenger's apparatus
30	Glassware, reagents, and chemicals as required

THE SIXTH SCHEDULE

(See regulation 8 and 14)

MINIMUM ESSENTIAL REQUIREMENTS FOR CLINICAL SKILL OR SIMULATION LABORATORY

[Note: 1. Postgraduate department shall maintain department specific manikins, simulators and devices in clinical skill or simulation laboratory as mentioned in this **Sixth Schedule** in these regulations in addition to the concerned department specific manikins, simulators and devices prescribed in the **Fourteenth Schedule** of the NCISM-UG MES Regulations, 2024 for Postgraduate teaching and training.

2. The department may increase the numbers and varieties of medical manikins or simulators as per their requirement for teaching and training purposes]

Sl. No. (1)	Required Manikins or Simulators or Devices (2)
A. Maruthuvam Department	
1	Nursing trainer for decubitus
2	Blood sampling
3	Ryle's tube insertion trainer
4	Blood transfusion trainer
5	Urinary catheterization (Male)
6	Urinary catheterization (Female)
7	Lumbar puncture trainer
8	Paracentesis trainer
9	Pleural tapping trainer
B. Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam Department	
1	Chest auscultation trainer
2	Nursing trainer for decubitus
3	Cardiopulmonary resuscitation trainer
4	Blood sampling
5	Ryle's tube insertion trainer
6	Blood transfusion trainer
7	Oxygen therapy
8	Urinary catheterization (Male)
9	Urinary Catheterization (Female)
10	Psychometric scales and tools
C. Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam Department	
1	Chest auscultation trainer
2	Nursing trainer for decubitus
3	Cardiopulmonary resuscitation trainer
4	Blood sampling
5	Blood transfusion trainer
6	Oxygen therapy
7	Endotracheal intubation trainer
8	Examination of breast lump

9	Examination of swelling
10	Refraction trainer
11	Visual acuity training
12	Digital tonometry
13	Epilation
14	Eye irrigation
15	Instillation of eye medication
16	Ocular bandaging
17	Manikin head (three-dimensional model) for eye, ear, nose, dental and throat applications
18	Otoscopy
D. Sool and Magalir Maruthuvam Department	
1	Chest auscultation trainer
2	Nursing trainer for decubitus
3	Cardiopulmonary resuscitation trainer
4	Blood sampling
5	Ryle's tube insertion trainer
6	Blood transfusion trainer
7	Oxygen therapy
8	Urinary Catheterization (Female)
9	Endotracheal intubation trainer
10	Lumbar puncture trainer
E. Kuzhanthai Maruthuvam Department	
1	Infant auscultation trainer
2	Nursing trainer for decubitus
3	Child cardiopulmonary resuscitation trainer and airway management
4	Blood sampling
5	Ryle's tube insertion trainer
6	Blood transfusion trainer
7	Oxygen therapy
8	Urinary catheterization (Male)
9	Urinary Catheterization (Female)
10	Setting up paediatric intra-venous infusion and calculating drip rate
11	Lumbar puncture trainer
12	Psychological test batteries for assessing intelligence quotient, autism, attention deficit hyperactivity disorder, concentration, depression, anxiety, mental retardation
13	Full body (paediatric) manikin and three-dimensional manikin for practicing or performing paediatric puramaruthuvam procedures
F. Noi Naadal and Noi Mudhal Naadal Department	
1	Chest auscultation trainer
2	Spirometry

3	Cardiopulmonary resuscitation trainer
4	Lumbar puncture trainer
5	Ryle's tube insertion trainer
6	Blood transfusion trainer
7	Oxygen therapy
8	Urinary catheterization (Male)
9	Urinary Catheterization (Female)
G. Sattam Saantha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum Department	
1	Chest auscultation trainer
2	Nursing trainer for decubitus
3	Cardiopulmonary resuscitation trainer
4	Blood sampling
5	Ryle's tube insertion trainer
6	Blood transfusion trainer
7	Oxygen therapy
8	Urinary catheterization (Male)
9	Urinary Catheterization (Female)
10	Autopsy simulator or digital autopsy

THE SEVENTH SCHEDULE

(See regulation 4, 10 and 14)

MINIMUM ESSENTIAL REQUIREMENTS: REQUIRED FOR PROFESSOR OF PRACTICE (POSTGRADUATE DEPARTMENT OR SPECIALTY OR PROGRAMME WISE)

Sl. No. **(1)**	**Postgraduate Department** **(2)**	**Required number of Professor of Practice on Part-time basis and Qualifications** **(3)**
1	Maruthuvam (Medicine)	One (M.D-General Medicine)
2	Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine)	
	Varma Maruthuvam (Varma Medicine)	One each (Varma Practitioner or Specialist with M.D (Siddha), M.D-Physical Medicine and Rehabilitation)
	Pura Maruthuvam (External medicine)	One (Master of Physiotherapy)
	Siddhar Yoga Maruthuvam (Siddhar Yogic Science)	One (M.Sc.-Yoga)
3	Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics)	One (M.Sc.- Clinical Psychology)
4	Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum (Forensic Medicine and Toxicology)	One (M.D- Forensic Medicine and Toxicology)
5	Noi Anugavidhi including Research Methodology and Medical Statistics (Principles and Disciplines of Disease Prevention and Public Health)	One each (Master of Public Health, Scientist from research bodies like Central Council for Research in Siddha or National Institute of Epidemiology/Indian Council for Medical Research)

6	Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam (Surgery including Ophthalmology, E.N.T, Dentistry and Dermatology)	One (Siddha practitioner with M.D qualification, experienced in Siddha surgical and para-surgical procedures)
7	Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology)	One (M.D- Obstetrics and Gynaecology)
8	Noi Naadal and Noi Mudhal Naadal (Pathology)	One each (M.D-Pathology, M.D-Radiodiagnosis)
9	Gunapadam Marunthiyal (Materia Medica and Pharmacology)	One each (M. Pharm- Pharmacology, Master's degree in Pharmacognosy/Phytochemistry)
10	Gunapadam Marunthakaviyal (Materia Medica and Pharmaceutics)	One each (M. Pharm- Pharmaceutics or M.Sc.- Chemistry or Nanoscience/Nanotechnology and, Practitioner with MD Siddha, having vast experience in preparation of Siddha higher order of medicines or Expert from Siddha Pharma Industry with MD Siddha)
11	Siddha Maruthuva Moolathathuvam (Basic Principles of Siddha Medicine)	As required
12	Udal Koorugal (Anatomy)	As required
13	Udal Thathuvam (Physiology)	As required
14	Thol Maruthuvam (Dermatology)	One (M.D-Dermatology)
15	Integrative Health and Translational Research	Scientist retired from Central Council for Research in Siddha or from any reputed Siddha Research and Development Department

Note: Each department shall engage Professors of practice having minimum ten years of experience in the field other than teaching in Siddha medical institutions, like a person from an industry or research institute or a technical consultant or renowned practitioner on part-time basis as per the details given in column (3). If it is required, the institute or department may appoint more number of Professors of practice in department or specialty from diversified area of the concerned specialty.

Annexure-A

(See regulation 26)

DEPARTMENTAL ACADEMIC INTEGRITY COMMITTEE

Recommendation to issue Plagiarism Clearence Certificate

The Departmental Academic Integrity Committee has reviewed the report on the plagiarism check of the draft dissertation
entitled…………………………………………..……………………………………………submitted by Dr.….…………………………………………………………… (research scholar) of .... batch bearing University registration number............................... under the supervision or guidance of Dr.. from... Department on............... ....(date) and found that necessary modifications or corrections were made, and the plagiarism is within the permissible limits. Hence, the Departmental Academic Integrity Committee has recommended the dissertation for the issue of a plagiarism clearance certificate.

Chairman

Head of the Department

(Name and Signature)

Place:

Date:

Annexure-B

(See regulation 26)

PLAGIARISM SCRUTINY CELL

Plagiarism Clearance Certificate

This is to certify that the draft dissertation entitled ..…… ……... submitted by Dr…….. of ……..batch with University registration number ……..…….. under the guidance of Dr. …….. from ……..……..Department, is free from plagiarism.

Coordinator

Plagiarism Scrutiny Cell

Place:

Date:

FORM-A

(See regulation 37)

APPLICATION FOR PERMISSION TO ESTABLISH A NEW STANDALONE POSTGRADUATE MEDICAL INSTITUTION IN SIDDHA

Sl. No. **(1)**	**Particulars** **(2)**	**Details** **(3)**
	Part-I: Applicants Details	
1	Name of the applicant (in BLOCK letters)	
2	Complete Address with Pin code	
3	Official Telephone Number and Mobile Number	
4	Official E-mail ID	
5	Status of applicant whether State Government or Union territory or University or Trust or Society	
6	Composition of the Trust or Society	
7	Registration or incorporation of the trust or society of the applicant body (Registration number, date, and other details)	
8	Type of institution (Govt or Govt Aided or Private or Deemed University)	
9	Is there any other Siddha Medical College or Standalone Postgraduate medical institution in Siddha run by the same trust or society or University	Yes/ No
	If yes, mention the distance between two colleges or institutions	
	Provide Global Positioning System link of the college along with print copy of the same	
10	Financial Capability: Balance Sheet for the last three years to be provided if the applicant is a Trust or Society. Details of the financial resources to be furnished.	
11	Annual Audit Report (Enclose copy of audit report of last three years)	

12	Means of financing the project: Contribution of the Applicant (attach proof)	
	Grants (attach proof)	
	Donations (attach proof)	
	Equity (attach proof)	
	Term Loans (attach proof)	
	Other Sources, if any (attach proof)	
Part-II: Fee Details		
13	Application Fee Transaction ID	
	Processing Fee Transaction ID	
	Any other fee specified by the MARBISM or National Commission for Indian System of Medicine from time to time	
Part-III: Essential Requirement Details		
14	Date of 'Essentiality Certificate' or 'No Objection Certificate' issued by the State Government or Union territory Administration for the scheme or proposal	
15	Validity of Essentiality Certificate or No Objection Certificate	From ---------- To ----------
16	Name and address of affiliating University	
	Date of Consent of Affiliation for the scheme or proposal	
	Years of Consent of Affiliation for the scheme or proposal	From ---------- To ----------
Part-IV: Details of the proposed standalone Postgraduate medical institution in Siddha		
17	Name of the proposed standalone Postgraduate medical institution	
18	Complete address with pin code	
19	Name of the head of the institution (Principal or Director or Dean) of the proposed Postgraduate medical institution	
20	Official telephone number and mobile number	
21	Official e-mail ID	
22	Provide Global Positioning System link of the institution and attached teaching hospital along with print copy of the same	
23	Proposed Postgraduate specialties or programmes (specify the name)	
24	Total area of the land	
25	Land is on lease or own	
	If it is on lease, years of lease	
	Tax paid receipt of land, prior to two years from the last date of submission of application	
	Non-encumbrance certificate	
26	Category of Land (Tier I and Tier II) - attach proof from the local authority	
27	Relevant building permissions from the concerned authorities	
28	Attach the true copy of building plan approved by local authority and endorsed by the architect	
Part-V: Establishment of the Postgraduate medical institution details		

29	**Administrative zone**	
30	**Academic zone**	
	A. Postgraduate Departments	
	Postgraduate Department Details (Mandatory)	
	(1) Department of Integrative Health and Translational Research	
	Postgraduate Department Details (As applicable)	
	(2) Siddha Maruthuva Moolathathuvam Department	
	(3) Udal Koorugal Department	
	(4) Udal Thathuvam Department	
	(5) Gunapadam Marunthiyal Department	
	(6) Gunapadam Marunthakaviyal Department	
	(7) Noi Naadal and Noi Mudhal Naadal Department	
	(8) Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum Department	
	(9) Noi Anugavidhi including Research Methodology and Medical Statistics	
	(10) Maruthuvam	
	(11) Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam	
	(12) Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam	
	(13) Sool and Magalir Maruthuvam	
	(14) Kuzhanthai Maruthuvam	
	(15) Thol Maruthuvam	
	B. Postgraduate Classrooms	
	C. Department-wise Seminar Hall	
	D. Common Seminar Hall	
	E. Central Library	
	F. Departmental Library	
	G. Digital Library	
	H. Multipurpose Hall or Examination Hall or Yoga Hall	
	I. Clinical Skill or Simulation Laboratory	
	J. Student Amenities	
	K. Common rooms for Postgraduate students (male and female separately)	
	L. Common rooms for Teaching faculty (male and female separately)	
	M. Canteen	
	N. Herbal Garden	
	O. Other requirements	
	(1) Human Resource and Development Cell Room	
	(2) Pharmacovigilance Room	
	(3) College or Institution Council Room	
	(4) Room for Student Support and Guidance Cell, Grievance Redressal Cell and Committee for Sexual Harassment	

	(5) Internal Quality Assurance Cell Room	
31	**Experimentation zone**	
	A. Central Research Laboratory	
	B. Quality Testing Laboratory	
	C. Approved Animal House and Animal Experimentation Laboratory	
32	College website	
33	Biometric Attendance System	
34	Hostels (Boys and Girls separately)	
35	Central workshop	
36	Information Technology infrastructure	
37	Closed-circuit television	
38	Human resources of the college:-	
	Teaching staff	
	Non-teaching staff	
Part-VI: Banking Details of the Postgraduate Institution		
39	Name of the account	
	Account number in college or institution name	
	Name of the Bank	
	Name of the branch of the bank with IFSC code	
Part-VII: Details of the Teaching Hospital attached to Postgraduate Institution		
40	Name of the attached hospital of the proposed institution	
41	Date of establishment of the hospital	
42	Registration certificate of the hospital (attach the copy)	
43	Proof of ownership of existing hospital (attach the copy)	
44	Panchayat License	
45	Hospital building occupancy certificate	
46	Hospital building completion certificate	
47	Pollution control certificate	
48	Fire safety certificate	
49	Bio-medical waste management agreement	
50	Renewal of the necessary permission from local or concerned authorities and validity period (attach proof)	
51	National Accreditation Board for Hospitals Certificate (level, validity, and date) (attach proof)	
52	Permission for X-Ray unit or imaging section	
53	**Clinical zone**	
	In-Patient Departments and bed strength:-	
	(1) Maruthuvam In-Patient Department	
	(2) Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (A) Varma Maruthuvam In-Patient Department	

	(B) Pura Maruthuvam In-Patient Department	
	(3) Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam In-Patient Department	
	(4) Sool and Magalir Maruthuvam In-Patient Department	
	(5) Kuzhanthai Maruthuvam In-Patient Department	
	(6) Nanju Maruthuvam In-Patient Department	
	(7) Thol Maruthuvam In-Patient Department	
54	Out-Patient Departments:-	
	(1) Maruthuvam Out-Patient Department	
	(2) Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam Out-Patient Department including minor therapy room	
	(3) Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam Out-Patient Department including minor procedure room	
	(4) Sool and Magalir Maruthuvam Out-Patient Department including examination cum procedure room	
	(5) Kuzhanthai Maruthuvam Out-Patient Department	
	(6) Noi Anugavidhi Maruthuvam Out-Patient Department	
	(7) Nanju Maruthuvam Out-Patient Department	
	(8) Thol Maruthuvam Out-Patient Department	
	(9) Avasara Maruthuvam Out-Patient Department	
	(10) Screening Out-Patient Department	
	(11) Specialty Out-Patient Department (if any, specify)	
55	Total number of Out-Patient Department patients attendance in the last two years from the date of application	
56	Average number of Out-Patient Department patients per day in the last two years from the date of application	
57	Average bed occupancy in the last two years from the date of the application	
58	Clinical laboratory	
59	Radiology or Imaging Section	
60	Pharmacy or Drug store or Dispensary	
61	Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam Therapy or Procedure Section	
62	Aruvai Maruthuva Pirivu (Operation theatre and Minor operation theatre)	
63	Magapperu arai or Prasava arai or Labour room	
64	Physiotherapy Section	
65	Siddhar Yogam Therapy Section	
66	Human resources in the hospital	
	A. Hospital staff existing and relieved for two years before submission of application (with details of name, designation, section or unit, qualification, experience, appointment order, joining letter and date, relieving letter and date, state registration certificate or teachers code in applicable cases), Zone-wise,-	
	(1) Administration zone	
	(2) Reception and Registration Zone	

	(3) Out-Patient Department Zone				
	(4) In-Patient Department Zone				
	(5) Diagnostic Zone				
	(6) Procedural Management Zone				
	(7) Service Zone				
	B. Modern Medical Staff Details				
67	Hospital Record (tick whichever is applicable)				Computerized or Manual
Part-VIII: Banking Details of the Hospital					
68	Name of the Account				
	Account number in hospital name				
	Name of the Bank				
	Name of the branch of the Bank and Indian Financial System Code				
	Following details are required for two years or 24 months prior to the date of submission of application:-				
	a. Details of salary paid to hospital staff (month-wise)				
	b. Details of purchase of medicines (attach indents and payment proof)				
	c. Details of purchase of hospital consumables (attach indents and payment proof)				
	d. Details of payment of relevant taxes (attach copy)				
	e. Details of hospital income (attach copy)				
	f. Employees Provident Fund (EPF) and Employees State Insurance (ESI) details				
69	Whether Hospital established or developed phase-wise			Yes or No	
	If yes, provide details phase-wise details				
	Phase or Stage	Period		Details of Establishment of Development	Performance or Functionality
		From	To		
	First				
	Second				
	Third				
	Fourth				

Signature of applicant

Full Name

Place:

Date:

List of enclosures:

1. Certified copy of Bye Laws or Memorandum and Articles of Association or Trust deed with name of trustees.
2. Certified copy of certificate of registration or incorporation of trust or society.
3. Annual reports and audited balance sheets for the last three years.
4. Certified copy of the title deeds of the total available land as proof of ownership/lease agreement deed.
5. Certified copy of zoning plans of the available sites indicating their land use.

6. Proof of ownership of existing hospital with Hospital Registration Certificate and its validity period.

7. Certified copy of the 'Essentiality Certificate' or 'No Objection Certificate' issued by the respective State Government or Union territory Administration at the proposed site to establish a new standalone Postgraduate medical institution for the applied academic session.

8. Certified copy of the 'Consent of Affiliation' issued by recognised University established under any Central or State or Union territory statue for establishing a new standalone Postgraduate medical institution for the applied academic session.

9. Accreditation certificate of the attached teaching hospital issued by the National Accreditation Board for Hospitals.

10. Authorization letter addressed to the bankers of the applicant authorizing the MARBISM or National Commission for Indian System of Medicine to make independent enquiries regarding the financial track record of the applicant.

11. Furnish affidavit stating that the land and buildings designated for new standalone Postgraduate medical institution and attached teaching hospital are exclusively for conducting Siddha Postgraduate programmes recognised by the Board of Unani, Siddha and Sowa-Rigpa or National Commission for Indian System of Medicine.

12. Furnish affidavit stating that the students shall be admitted strictly based on Post-Graduate National Entrance Test merit and through counselling (Central or State or Union territory as the case may be) only and not beyond the sanctioned student intake capacity specified by the MARBISM.

13. Furnish affidavit stating that the curriculum and syllabus, nomenclature of the course or programme, infrastructure, facilities, and human resources including student-teacher ratio shall be maintained as per the specifications of the National Commission for Indian System of Medicine specified in the concerned regulations.

14. Furnish affidavit that has not already admitted student in any class or standard or course or training of the proposed new standalone Postgraduate medical institution.

15. Furnish an undertaking that the institution is in a position to credit the fixed security deposit valid for a period of three years in favour of the National Commission for Indian System of Medicine.

16. Proof of application fee and processing fee remitted.

17. Copy of bank transaction for the last two year of official bank account: College and Hospital

18. Copy of biometric attendance of hospital staff for the last two years

19. Attach enclosures and other details as per the various parts of application form:-

a. Distribution of land with survey number.

b. Proof for category of land such as Tier I and Tier II cities (X and Y categories), North-Eastern States, hilly areas and notified tribal areas, a certificate obtained from local authorities.

c. Non-encumbrance certificate.

d. Tax paid receipt for land and hospital building.

e. Building plan approved by local authority and endorsed by the architect.

f. Area statement certificate authorised by architect.

g. Panchayat license for establishment of hospital.

h. Hospital Building Occupancy Certificate.

i. Hospital Building Completion Certificate

j. Fire safety certificate.

k. Disaster management certificate (if any).

l. Pollution control certificate.

m. Permission for radiology unit in the hospital.

n. Biomedical waste management agreement.

o. College and hospital building occupancy certificate.

p. College and hospital building completion certificate.

20. Any other documents as specified by the MARBISM from time to time.

Note: All copies shall be self-attested

FORM-B

(See regulation 37)

APPLICATION FOR PERMISSION TO START NEW POSTGRADUATE DEGREE PROGRAMME IN SIDDHA RECOGNISED BY THE COMMISSION

(Note: Separate application shall be submitted for each Postgraduate programme)

Sl. No.	Particulars	Details
(1)	(2)	(3)
	Basic Details of the Applicant	
1	Name of the applicant (in BLOCK letters)	
2	Complete Address with PIN code, official Telephone number and Mobile number and official e-mail ID	
3	Status of applicant whether State Government or Union Territory or University or Trust or Society	
4	Registration or Incorporation (Number, date, and other details) of the trust or society	
5	Name and address of the Siddha Medical College or Siddha Postgraduate Institution	
6	Date of 'No Objection Certificate' issued by the State Government or Union territory Administration.	
7	i. Name and address of affiliating University ii. Date of first affiliation issued by the University iii. Date of first Affiliation for the new scheme or proposal issued by the University	
8	**A. For the College or Institution, conducting undergraduate programme and applying for the first time to start postgraduation programme**	
	Month and year of admission of first batch of students for undergraduate programme	
	Month and year of course completion of first batch of students of undergraduate programme	
	Whether the college or institution is categorised under 'Extended Permission' for undergraduate programme at the time of submitting application or scheme or proposal	
	Whether the institution is rated as Grade 'A' or Grade 'B' for undergraduate programme at the time of submitting application or scheme or proposal (If yes, specify the Grade)	
	Name of the proposed new Postgraduate programme	
	Number of seats applied for the proposed programme as per student-Postgraduate guide ratio	
9	**B. For the new Standalone Postgraduate Institution, applying for the first time to start postgraduation programme**	
	Name of the proposed new Postgraduate programme	
	Number of seats applied for the proposed programme as per student-Postgraduate guide ratio	
10	**C. For the college or institutions already conducting Postgraduate programme(s) and applying**	

	to start new Postgraduate programme additionally	
	Whether the institution is granted Extended Permission or Yearly Permission for existing undergraduate programme and each Postgraduate programme (s) at the time of submitting application or scheme or proposal	
	Whether the institution is rated as Grade 'A' or Grade 'B' for existing undergraduate programme and existing each Postgraduate programme at the time of submitting application or scheme or proposal	
	Name of the proposed new Postgraduate programme	
	Number of seats applied for the proposed programme as per student-Postgraduate guide ratio	
11	Accreditation to the Teaching Hospital by the National Accreditation Board for Hospitals (level, date, and validity details)	
12	Details of : (a) additional financial allocation - (b) provision for additional space, equipment and other infrastructure facilities – (c) provision of recruitment of additional staff -	
13	Fee details:-	
	Application fee Transaction ID	
	Processing fee Transaction ID	
14	Any other relevant information	

Signature of the Applicant

Full Name

Designation

Office seal

Place:

Date:

List of enclosures:

1. Attested copy of the 'No Objection Certificate' or 'Essentiality Certificate' issued by the respective State Government or Union Territory Administration to start new Postgraduate programme in the prescribed format.

2. Attested copy of the 'Concurrence of Affiliation' or 'Consent of Affiliation' issued by a recognized University to start new Postgraduate programme in the prescribed format.

3. Authorization letter addressed to the Bankers of the Applicant authorizing the MARBISM or National Commission for Indian System of Medicine to make independent enquiries the financial track record of the medical college or institution.

4. Attested copy of the recognition of the college or institution, if already approved or permitted by the MARBISM or erstwhile Central Council of Indian Medicine.

5. Affidavit stating that the students shall be admitted only on Post-Graduate National Entrance Test merit basis and only through counselling (Central or State or Union territory counselling).

6. Affidavit stating that the nomenclature of the programme and student-teacher ratio shall be maintained as per the concerned regulations.

7. An undertaking stating that the institution is able to credit the fixed security deposit valid for a period of three years in favour of the 'National Commission Fund for Indian System of Medicine'

8. An undertaking stating that the institution has fulfilled all minimum essential standards mentioned in these regulations

9. Proof of application fee with processing fee remitted.

10. Any other documents specified by the MARBISM.

Note: All the copies shall be self-attested.

Form-C

(See regulation 37)

APPLICATION FOR PERMISSION TO INCREASE THE NUMBER OF SEATS OR STUDENT INTAKE CAPACITY OR ADMISSION CAPACITY IN AN EXISTING POSTGRADUATE PROGRAMME IN SIDDHA RECOGNISED BY THE COMMISSION

(Note: Separate application shall be submitted for each Postgraduate programme)

Sl. No. (1)	Particulars (2)	Details (3)
1	Name of the applicant (in BLOCK letters)	
2	Complete address with PIN code	
	Official Telephone number and Official Mobile number	
	Official e-mail ID	
3	Status of applicant whether State Government or Union territory or University or Trust or Society	
4	Registration or Incorporation of trust or society (Registration number, date and other details)	
5	Name and address of the Siddha Medical College or Siddha Postgraduate Institution	
6	Name of the Postgraduate programme applied for the increase in seats or student intake capacity or admission capacity	
7	Number of seats applied for an increase in seats or student intake capacity or admission capacity as per student-Postgraduate guide ratio, specify	
8	Category of permission status: Extended Permission or Yearly Permission to the Postgraduate programme to which an increase in the number of seats applied at the time of submitting application or scheme or proposal	
9	The Postgraduate programme to which an increase in the number of seats applied has rated as Grade 'A' or Grade 'B' at the time of submitting application or scheme or proposal	
10	Date of 'Essentiality Certificate' or 'No Objection Certificate' issued by the State Government or Union territory Administration to increase the number of seats.	
11	Name and address of Affiliating University Date of first affiliation for the existing Postgraduate programme to which an increase in the number of seats applied Date of affiliation for the existing Postgraduate programme to which an increase in the number of seats applied	
12	Month and year of admission of the first batch of students for a Postgraduate programme to which an increase in the number of seats applied	

13	Month and year of course completion of first batch of students of the Postgraduate programme to which an increase in the number of seats applied	
14	Number of seats approved and date of recognition by the MARBISM or erstwhile Central Council of Indian Medicine or Central Government for existing Postgraduate programme to which an increase in the number of seats applied	
15	Details of: a. Additional financial allocation b. Additional space, equipment, and other infrastructural facilities in respect of increase in student intake capacity c. Recruitment of additional staff (teaching staff, non-teaching staff and hospital staff) in respect of increase in student intake capacity	
16	Fee details:-	
	Application fee Transaction ID	
	Processing fee Transaction ID	
17	Any other relevant information	

Signature of Applicant

Full Name

Designation

Place:

Date:

List of Enclosures:

1. Attested copy of the 'Essentiality Certificate' or 'No Objection Certificate' issued by the respective State Government or Union territory Administration in the prescribed format.

2. Attested copy of the 'Consent of Affiliation' from the recognised University to which the college or institution is affiliated in the prescribed format.

3. Authorisation letter addressed to the Bankers of the Applicant authorizing the MARBISM or National Commission for Indian System of Medicine to make independent enquiries regarding the financial track record of the medical college or institution.

4. Attested copy of the letter from the MARBISM, National Commission for Indian System of Medicine or erstwhile Central Council for Indian System of Medicine approving recognition of the college or institution, if already permitted to conduct undergraduate degree and Postgraduate programme.

5. Affidavit stating that the students shall be admitted strictly based on Post-Graduate National Entrance Test merit and only through counselling (Central or State or Union territory as the case may be) and not beyond the sanctioned student intake capacity specified by the MARBISM.

6. Affidavit stating that the human resources as per student-teacher ratio shall be maintained in respect of increase in student intake capacity.

7. Proof of application fee and processing fee remitted.

8. Other enclosures,-

a. Certified copy of Bye laws or Memorandum and Articles of Association or Trust deed with name of trustees and renewed copy of trust or society registration or incorporation.

b. Certified copy of the land documents as a proof of ownership or lease agreement deed.

c. First hospital registration certificate or renewed as a proof of ownership of the existing teaching hospital.

d. Fire safety certificate.

e. Disaster management certificate (if any).

f. Pollution Control certificate.

g. Biomedical waste management agreement.

h. College or institution building completion certificate and building occupancy certificate.

i. Hospital building completion certificate and building occupancy certificate.

j. Building plan approved by local authority and endorsed by the architect.

k. Area statement certificate authorised by architect.

l. Purchase bills of equipment, instruments etc for the increase in intake capacity in existing Postgraduate programme.

m. List of medicines prepared or purchased with bills for the last one year.

n. List of raw drugs purchased with bills for the last one year.

o. Intent register for the last one year (college and hospital).

p. Stock register for the last one year (college and hospital).

q. Consolidated data of hospital: Patient data (out-patient departments, in-patient departments and bed occupancy) for the last one year

r. Tax paid receipt for land, building including hospital building.

s. Furnish an undertaking stating that the institution is able to credit the fixed security deposit valid for a period of three years in favour of the 'National Commission Fund for Indian System of Medicine'.

t. Furnish an undertaking stating that the institution has fulfilled all minimum essential standards mentioned in these regulations.

9. Other enclosures of the documents as specified by the MARBISM from time to time.

Note: All the copies shall be self-attested.

FORM-D

(See regulation 38)

(To be issued by State Government or Union territory Administration whichever is applicable)

ESSENTIALITY CERTIFICATE OR NO OBJECTION CERTIFICATE

TO ESTABLISH A NEW STANDALONE SIDDHA POSTGRADUTE MEDICAL INSTITUION

Ref. No………………….. Dated…………….

Basic details of Applicant		
1	Name of the Applicant (with address)	
2	Type of institution (Govt. or Aided or Private or Deemed University)	
3	Name of the proposed Standalone Siddha Postgraduate Medical Institution	
	Address of the proposed Institution	
4	Whether the applicant is already running Siddha Medical College (s) or Siddha Postgraduate Institution(s)	Yes or No
5	If yes, what is the distance between the nearest college or institution and the proposed college or institution (if the distance is 25 or less than 25 Km No Objection Certificate or Essentiality certificate shall not be issued)	
Other details		
6	Number of Siddha institutions already existing in the State	

7	Doctors (registered medical practitioners of all systems) to Population ratio in the State or Union Territory	
8	Doctors (registered Siddha medical practitioners) to Population ratio in the State or Union Territory	
9	Scope of availability of clinical material (patients) in the proposed area of establishment of new Siddha Medical college	Poor or Adequate
10	Registration number of the hospital	
11	Restrictions imposed by the State government, if any, on students who are not domiciled in the state from obtaining admissions in the state, have to be specified.	

ESSENTIALITY CERTIFICATE OR NO OBJECTION CERTIFICATE

The Essentiality certificate or No Objection Certificate is issued to ---------- (name of the applicant) for the establishment of ---------- (name of the proposed institution) at ---------- (address of the proposed college or institution) and for conducting Postgraduate programme (s) ----------(specialty-wise).

This certificate is issued in consideration of above details, facts, and the following terms and conditions.

This certificate is valid for two consecutive academic sessions from the date of issue of the certificate.

The Essentiality Certificate or No Objection Certificate is issued on the following terms and conditions:

1. Institution shall admit the students as per the sanctioned student intake capacity by the MARBISM only after obtaining due permission from the MARBISM of National Commission for Indian System of Medicine.

2. Institution shall not conduct any other courses or programmes in the same premises unless otherwise permitted by the MARBISM.

3. Institution shall maintain all the minimum essential standards in terms of infrastructure, human resources and functionality as specified by the National Commission for Indian System of Medicine.

4. Institution shall admit Post-Graduate National Entrance Test eligible students as per the regulation, guidelines and policy framed by the National Commission for Indian System of Medicine.

5. The institution shall all times abide by the conditions laid down by the Autonomous Boards, National Commission for Indian System of Medicine, Government of India, and University.

6. In case of change over the Institution to other society or trust, prior no objection certificate shall obtain from the State Government or Union territory Administration, as the case may be.

7. In case if the applicant institution fails to create or maintain infrastructure, human resources and other facilities as per the minimum essential standards specified by the National Commission for Indian System of Medicine, fresh admissions are stopped by the MARBISM and the University shall take over the responsibility of the students already admitted in the Postgraduate programme with the permission of the MARBISM.

8. In case of denial of permission or issued permanent disapproval to the institution by the MARBISM due to non-compliance of minimum essential standards as prescribed by the Commission, the State Government shall take over the responsibility of the students who have already been admitted in the institution with the permission of the MARBISM.

(Signature of the Competent Authority)

Full Name

Designation

Office Seal

Date:

Place:

FORM-E

(See regulation 38)

(To be issued by State Government or Union territory Administration whichever is applicable)

ESSENTIALITY CERTIFICATE OR NO OBJECTION CERTIFICATE

TO START NEW POSTGRADUATE DEGREE PROGRAMME(S)

Ref.No…….. Dated…….

Basic details of Applicant		
1	Name of the Applicant (with address)	
2	Type of institution (Government or Aided or Private or Deemed University)	
3	Name of the Siddha Medical College or Standalone Siddha Postgraduate Institution	
	Address of the Siddha Medical College or Standalone Siddha Postgraduate Institution	
4	Name of the new Postgraduate programme to be started	
5	Name of the department in which the new Postgraduate programme is to be started	
6	Name of the Postgraduate programme(s) already existing in the institution with sanctioned student intake capacity, if any	
7	Registration number of the hospital	

ESSENTIALITY CERTIFICATE OR NO OBJECTION CERTIFICATE

Essentiality certificate or No Objection Certificate is issued to ---------- (name of the institution) at ----------(address of the institution) to start new Postgraduate programme(s) in ---------- (specialty-wise).

This certificate is issued in consideration of above details, facts and the following terms and conditions.

This certificate is valid for two consecutive academic sessions from the date of issue of the certificate.

The certificate is issued on the following terms and conditions:

1. College or institution shall admit the students as per the sanctioned student intake capacity by the MARBISM only after obtaining due permission from the MARBISM.

2. College or institution shall not conduct any courses or programmes in the same premises other than permitted by the MARBISM.

3. College or institution shall maintain all the minimum essential standards in terms of infrastructure, human resources and functionality as specified by National Commission for Indian System of Medicine.

4. College or institution shall admit the students on Post-Graduate National Entrance Test merit basis as per the regulation, guidelines and policy framed by National Commission for Indian System of Medicine.

5. The institutions shall all times abide by the conditions laid down by the Autonomous Boards, National Commission for Indian System of Medicine, Government of India and University.

6. In case if the applicant fails to create or maintain infrastructure, human resources and other facilities as per the minimum standards specified by National Commission for Indian System of Medicine, fresh admissions are stopped by the Medical Assessment and Rating Board and the University shall take over the responsibility of the students already admitted in the college or institution with the permission of MARBISM.

7. In case of denial of permission or issued permanent disapproval to the institution by the MARBISM due to non-compliance of minimum essential standards as prescribed by the Commission, the State Government shall take over

the responsibility of the students who have already been admitted in the college or institution with the permission of the MARBISM.

Signature of the Competent Authority

Full Name

Designation

Office Seal

Date:

Place:

FORM-F

(See regulation 38)

(To be issued by State Government or Union territory Administration whichever is applicable)

ESSENTIALITY CERTIFICATE OR NO OBJECTION CERTIFICATE TO INCREASE THE NUMBER OF SEATS OR ADMISSION CAPACITY OR STUDENT INTAKE CAPACITY IN AN EXISTING POSTGRADUATE PROGRAMME IN SIDDHA RECOGNISED BY THE COMMISSION

Ref. No…… Dated……

Basic details of Applicant		
1	Name of the Applicant	
2	Address	
3	Name and address of the college or institution in which the applicant is intended to increase the student intake capacity	
4	Name of the existing Postgraduate programme in which the applicant is intended to increase the student intake capacity	
5	Seat increase details	To Increase the student intake capacity from--- to----
6	Year of establishment of the college or institution	
Other Details		
7	Doctors (registered medical practitioners of all systems) to Population ratio in the State or Union territory	
8	Doctors (registered Siddha medical practitioners) to Population ratio in the State or Union Territory	
9	Scope of availability of clinical material (patients) in the proposed area of establishment of Siddha Medical College	Poor or Adequate

ESSENTIALITY CERTIFICATE OR NO OBJECTION CERTIFICATE

The Essentiality certificate or No Objection Certificate is issued to ----------(name of the applicant) for increase in number of seats or student intake capacity or admission capacity from --------- to ------- in the existing Postgraduate programme ----------(name of the Postgraduate programme or specialty) conducted by ---------- (name of the college or institution) at ----------(address of the college or institution).

This certificate is issued in consideration of the above details/facts/conditions.

This certificate is valid for two consecutive academic sessions from the date of issue.

The Essentiality Certificate or No Objection Certificate is issued on the following terms and conditions:

1. College or Institution shall admit the students as per the sanctioned student intake capacity by the MARBISM only after obtaining due permission from the MARBISM.

2. College or Institution shall not conduct any other colleges, courses or programmes in the same premises unless otherwise permitted by the MARBISM.

3. College or Institution shall maintain all the minimum essential standards in terms of infrastructure, human resources and functionality as specified by the National Commission for Indian System of Medicine in accordance with student intake capacity.

4. College shall admit Post-Graduate National Entrance Test eligible students as per the regulation, guidelines and policy framed by the National Commission for Indian System of Medicine from time to time.

5. The College or Institution shall all times abide by the conditions laid down by the Autonomous Boards, National Commission for Indian System of Medicine, Government of India and University.

6. In case if the applicant fails to create or maintain infrastructure, human resources and other facilities as per the minimum essential standards specified by the National Commission for Indian System of Medicine, fresh admissions are stopped by the Medical Assessment and Rating Board and the University shall take over the responsibility of the students already admitted in the college or institution with the permission of MARBISM.

7. In case of denial of permission or issued permanent disapproval to the college or institution by the MARBISM due to non-compliance of the college for minimum essential standards as prescribed by the Commission, the State Government shall take over the responsibility of the students who have already been admitted in the college or institution with the permission of MARBISM.

Signature of the Competent Authority

Full Name

Designation

Office Seal

Date:

Place:

FORM-G

(See regulation 38)

CONSENT OF AFFILIATION

(To be issued by Affiliating University)

(Pre-requisite for submission of application to establish a new Siddha college or to increase student intake capacity in existing undergraduate programme in a Siddha Medical College)

Sl. No. **(1)**	**University Details** **(2)**	
1	Name of the University	
2	Address	
3	Type of University	Central or State or Deemed-Govt. or Deemed-Private or Private State
4	Contact Details	
5	Contact Person (Name and Designation)	
	Official Mobile number	
	Official e-mail ID	

6	Year of Establishment	
7	Existing Faculties	
8	Accreditation if any	
9	Number of Siddha, Unani and Sowa-Rigpa colleges or institutions affiliated to the University till date.	

CONSENT OF AFFILIATION

The University on the basis of local enquiry committee report, is agreed upon in principle to issue consent of affiliation to---------- (name of the college or standalone Postgraduate institution) to establish Postgraduate institution and to start Postgraduate programme in ---------- ---------- (specialty-wise name) with student intake capacity of ----------(specialty wise seats) or to increase in number of seats or student intake capacity or admission capacity from……. to…….... in already existing Postgraduate programme namely, ----------(specialty name).

The consent of affiliation is issued for the academic year(s)……

Consent of affiliation is issued on the following terms and conditions:

1. The college or institution shall maintain all the minimum essential standards in terms of infrastructure, human resources and functionality as specified by the National Commission for Indian System of Medicine.

2. The college or institution shall admit Post-Graduate National Entrance Test eligible students only through counselling process (Central or State or Union territory as the case may be) as specified by the National Commission for Indian System of Medicine in concerned regulations and guidelines.

3. The college or institution shall ensure the conduction of stipulated hours of teaching and training as per the curriculum and syllabus specified by the National Commission for Indian System of Medicine.

4. The college or institution shall obtain continuation of affiliation every year at least three months before the commencement of counselling and admission process.

5. Prior 'No Objection Certificate' shall be obtained from the present affiliating University in case of change of affiliation to other University or applying for Deemed status.

6. In case of disaffiliation with the present University, the existing batches shall continue with the present University till award of degree for the last student.

Registrar

(Signature with seal)

Place:

Date:

Appendix "A"

(See regulation 19)

SCHEDULE relating to "SPECIFIED DISABILITY" referred to in clause (zc) of section 2 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016(49 of 2016), provides as under:-

1. Physical disability.—

(A) Loco motor disability (a person's inability to execute distinctive activities associated with movement of self and objects resulting from affliction of musculoskeletal or nervous system or both), including—

(a) "leprosy cured person" means a person who has been cured of leprosy but is suffering from—

(i) loss of sensation in hands or feet as well as loss of sensation and paresis in the eye and eye-lid but with no manifest deformity;

(ii) manifest deformity and paresis but having sufficient mobility in their hands and feet to enable them to engage in normal economic activity;

(iii) extreme physical deformity as well as advanced age which prevents him/her from undertaking any gainful occupation, and the expression "leprosy cured" shall construed accordingly;

(b) "cerebral palsy" means a Group of non-progressive neurological condition affecting body movements and muscle coordination, caused by damage to one or more specific areas of the brain, usually occurring before, during or shortly after birth;

(c) "dwarfism" means a medical or genetic condition resulting in an adult height of 4feet 10 inches (147 centimeters) or less;

(d) "muscular dystrophy" means a group of hereditary genetic muscle disease that weakens the muscles that move the human body and persons with multiple dystrophy have incorrect and missing information in their genes, which prevents them from making the proteins they need for healthy muscles. It is characterized by progressive skeletal muscle weakness, defects in muscle proteins, and the death of muscle cells and tissue; (e) "acid attack victims" means a person disfigured due to violent assaults by throwing of acid or similar corrosive substance.

(B) Visual impairment—

(a) "blindness" means a condition where a person has any of the following conditions, after best correction—

(i) total absence of sight; or

(ii) visual acuity less than 3/60 or less than 10/200 (Snellen) in the better eye with best possible correction; or

(iii) limitation of the field of vision subtending an angle of less than 10 degree.

(b) "low-vision" means a condition where a person has any of the following conditions, namely:—

(i) visual acuity not exceeding 6/18 or less than 20/60 upto 3/60 or upto 10/200(Snellen) in the better eye with best possible corrections; or

(ii) limitation of the field of vision subtending an angle of less than 40 degree up to10 degree.

(C) Hearing impairment -

(a) "deaf" means persons having 70 DB hearing loss in speech frequencies in both ears;

(b) "hard of hearing" means person having 60 DB to 70 DB hearing loss in speech frequencies in both ears;

(D) "speech and language disability" means a permanent disability arising out of conditions such as laryngectomy or aphasia affecting one or more components of speech and language due to organic or neurological causes.

2. Intellectual disability, a condition characterized by significant limitation both in intellectual functioning (reasoning, learning, problem solving) and in adaptive behavior which covers a range of every day, social and practical skills, including—

(a) "specific learning disabilities" means a heterogeneous group of conditions wherein there is a deficit in processing language, spoken or written, that may manifest itself as a difficulty to comprehend, speak, read, write, spell, or to do mathematic calculations and includes such conditions as perceptual disabilities, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, dyspraxia and developmental aphasia;

(b) "autism spectrum disorder" means a neuro-developmental condition typically appearing in the first three years of life that significantly affects a person's ability to communicate, understand relationships and relate to others, and is frequently associated with unusual or stereotypical rituals or behaviours.

3. Mental behaviour,— "mental illness" means a substantial disorder of thinking, mood, perception, orientation or memory that grossly impairs judgment, behaviour, capacity to recognize reality or ability to meet the ordinary demands of life, but does not include retardation which is a condition of arrested or incomplete development of mind of a person, specially characterized by sub normality of intelligence.

4. Disability caused due to—

(a) chronic neurological conditions, such as—

(i) "multiple sclerosis" means an inflammatory, nervous system disease in which the myelin sheaths around the axons of nerve cells of the brain and spinal cord are damaged, leading to demyelination and affecting the ability of nerve cells in the brain and spinal cord to communicate with each other;

(ii) "parkinson's disease" means a progressive disease of the nervous system marked by tremor, muscular rigidity, and slow, imprecise movement, chiefly affecting middle-aged and elderly people associated with degeneration of the basal ganglia of the brain and a deficiency of the neurotransmitter dopamine.

(b) Blood disorder—

(i) "haemophilia" means an inheritable disease, usually affecting only male but transmitted by women to their male children, characterised by loss or impairment of the normal clotting ability of blood so that a minor would may result in fatal bleeding;

(ii) "thalassemia" means a group of inherited disorders characterized by reduced or absent amounts of haemoglobin.

(iii) "sickle cell disease" means a hemolytic disorder characterized by chronic anemia, painful events, and various complications due to associated tissue and organ damage; "hemolytic" refers to the destruction of the cell membrane of red blood cells resulting in the release of hemoglobin.

5. Multiple Disabilities (more than one of the above specified disabilities) including deaf blindness which means a condition in which a person may have combination of hearing and visual impairments causing severe communication, developmental, and educational problems.

6. Any other category as may be notified by the Central Government from time to time.

Appendix "B"

(See regulation 19)

Guidelines regarding admission of students, with "Specified Disabilities" under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), in Postgraduate Programme (Doctor of Medicine and Master of Surgery in Siddha).

1. The "Certificate of Disability" shall be issued in accordance with the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 591 (E), dated the 15th June, 2017.
2. The extent of "specified disability" in a person shall be assessed in accordance with the "guidelines for the purpose of assessing the extent of specified disability in a person included under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016)", published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 76 (E), dated the 4thJanuary, 2018.
3. The minimum degree of disability should be 40% (Benchmark Disability) in order to be eligible for availing reservation for persons with specified disability.
4. The term 'Persons with Disabilities' (PwD) is to be used instead of the term 'Physically Handicapped' (PH)

Table

Sl. No.	**Disability category**	**Type of Disabilities**	**Specified Disability**	**Disability Range**		
				(5)		
				Eligible for Postgraduate Degree Programme, Not Eligible for PwD Quota	**Eligible for Postgraduate Degree Programme, Eligible for PwD Quota**	**Not Eligible for Postgraduate Degree Programme**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**			
1.	Physical Disability	(A) Locomotor Disability, including Specified Disabilities (a to f).	(a) Leprosy cured person*	Less than 40% disability	40-80% disability Persons with more than 80%disability may also be allowed on case to case basis and their function a incompetency will be determined with the aid of assistive devices, if it is being used, to see if it is brought below 80% and whether they possess sufficient	More than 80%
			(b) Cerebral Palsy**			
			(c) Dwarfism			
			(d) Muscular Dystrophy			
			(e) Acid attack victims			
			(f) Others*** such as Amputation,			

			Poliomyelitis, etc.		motor ability as required to pursue and complete the course satisfactorily.	
			* Attention should be paid to loss of sensations in fingers and hands, amputation, as well as involvement of eyes and corresponding recommendations be looked at. ** Attention should be paid to impairment of vision, hearing, cognitive function etc. and corresponding recommendations be looked at. *** Both hands intact, with intact sensations, sufficient strength and range of motion are essential to be considered eligible for Postgraduate degree programme in Siddha			
		(B) Visual Impairment (*)	(a) Blindness (b) Low vision	Less than 40% disability (i.e. Category '0 (10%)', 'I (20%)' & 'II (30%')	-	Equal to or More than 40% Disability (i.e. Category III and above)
		(C) Hearing impairment@	(a) Deaf (b) Hard of hearing	Less than 40% Disability	-	Equal to or more than 40% Disability
			(*) Persons with Visual impairment / visual disability of more than 40% may be made eligible to pursue Postgraduate degree programme in Siddha and may be given reservation, subject to the condition that the visual disability is brought to a level of less than the benchmark of 40% with advanced low vision aids such as telescopes / magnifier etc. @ Persons with hearing disability of more than 40% may be made eligible to pursue Postgraduate degree programme in Siddha. Education and may be given reservation, subject to the condition that the hearing disability is brought to a level of less than the benchmark of 40% with the aid of assistive devices. In addition to this, the individual should have a speech discrimination score of more than 60%.			
		(D) Speech & language disability$	Organic/ neurological causes	Less than 40% Disability	-	Equal to or more than 40% Disability
		$ It is proposed that for admission to Postgraduate degree programme in Siddha the Speech Intelligibility Affected (SIA) score shall not exceed 3 (Which will correspond to less than 40%) to be eligible to pursue the Postgraduate degree programme in Siddha. The individuals beyond this score will not be eligible for admission to the Postgraduate degree programme in Siddha. Persons with an Aphasia Quotient (AQ) upto 40% may be eligible to pursue Postgraduate degree programme in Siddha but beyond that they will neither be eligible to pursue the Postgraduate degree programme in Siddha. nor will they have any reservation.			
2.	Intellectual disability		(a)Specific learning disabilities	# currently there is no Quantification scale available to assess the severity of SpLD, therefore the cut-off of 40% is arbitrary and more evidence is needed.		

			(Perceptual disabilities, Dyslexia, Dyscalculia, Dyspraxia & Developmental aphasia)#	Less than 40% Disability	Equal to or more than 40% disability But selection will be based on the learning competency evaluated with the help of the remediation/ assisted technology/ aids/ infrastructural changes by the Expert Panel	More than 80% or severe nature or significant cognitive/ intellectual disability
			(b)Autism spectrum disorders	Absence or Mild Disability, Asperger syndrome (disability of 40- 60% as per ISAA) where the individual is deemed fit for Postgraduate degree programme in Siddha by an expert panel	Currently not recommended due to lack of objective method to establish presence and extent of mental illness. However, the benefit of reservation/ quota may be considered in future after developing better methods of disability assessment.	Equal to or more than 60% disability or presence of cognitive/intellectual disability and/or if the person is deemed unfit for pursuing Postgraduate degree programme in Siddha by an expert panel
3.	Mental behaviour		Mental illness	Absence or mild Disability: less than 40% (under IDEAS)	Currently not recommended due to lack of objective method to establish presence and extent of mental illness. However, the benefit of reservation/ quota may be considered in future after developing better methods of disability assessment.	Equal to or more than 40% disability or if the person is deemed unfit to perform his/her duties. Standards may be drafted for the definition of "fitness to practice medicine", as are used by several institutions of countries other than India.
4.	Disability caused due to	(a) Chronic Neurological Conditions	(i) Multiple Sclerosis	Less than 40% Disability	40-80% disability	More than 80%
			(ii) Parkinsonism			
		(b) Blood	(i) Haemophilia	Less than	40-80%	More than 80%

		Disorders	(ii) Thalassemia (iii) Sickle cell disease	40% Disability	disability	
5.	Multiple disabilities including deaf blindness		More than one of the above specified disabilities	Must consider all above while deciding in individual cases recommendations with respect to presence any of the above, namely, Visual, Hearing, Speech & Language disability, Intellectual Disability, and Mental Illness as a component of Multiple Disability. Combining Formula as notified by the related Gazette Notification issued by the Govt. of India $\frac{a + b (90-a)}{90}$ (where a= higher value of disability % and b=lower value of disability % as calculated for different disabilities) is recommended for computing the disability arising when more than one disabling condition is present in a given individual. This formula may be used in cases with multiple disabilities, and recommendations regarding admission and/or reservation made as per the specific disabilities present in a given individual.		

Note: For selection under PwD category, candidates will be required to produce Disability Certificate before their scheduled date of counselling from one of the disability assessment boards as designated by concerned Authority of Government of India.

SACHIDANAND PRASAD, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./534/2024-25]

[**Note:** If any discrepancy is found between Hindi and English version of the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Essential Standards, Assessment and Rating for Postgraduate Institutions and Minimum Standards of Postgraduate Siddha Education) Regulations, 2024, the English version will be treated as the final.]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.10.07 16:55:20 +05'30'